प्रकाशक
रामलाल पुरी
आत्माराम एण्ड संस
काश्मीरी गेट दिल्ली-६

मूल्य पाँच रुपये

मुद्रक
नवभारत प्रिंटिंग वर्क्स
दिल्ली

दूसरे संस्करण का वक्तव्य

इस पुस्तक का पहला संस्करण सं १९७९ वि (१९२२ ई) में प्रकाशित हुआ था जिस समय असहयोग आन्दोलन जोरों से चल रहा था। उसकी भूमिका में यह लिखा गया था कि इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों को यह विदित हो जायगा कि सत्याग्रह और असहयोग के सम्बन्ध में जो कुछ महात्मा गांधी ने सन् १९१७ से १९२२ तक किया उसका आभास चम्पारन में १९१७ में मिल चुका था और यह आशा प्रकट की गई थी कि जिस प्रकार चम्पारन में सफलता मिली थी उसी प्रकार यदि असहयोग का आन्दोलन उनके सिद्धान्तों के अनुसार चलता रहा तो अन्त में वैसे ही वह भी सफल होगा। यह भविष्यवाणी १९४७ (सं २००४ वि) में २५ बरसों के बाद पूरी हो गई। ब्रिटिश राज्य सब अधिकार भारतीयों के हाथ में सौंप कर चला गया और आज सर्वप्रभुता सपन्न स्वतन्त्र गणतन्त्र भारत में स्थापित है। उन आरम्भिक दिनों में जो कार्यप्रणाली महात्मा जी ने पहले-पहल भारत में चलाई थी उसकी कुछ झलक इस पुस्तक द्वारा मिल सकती है। इसको ज्यों का त्यों छापकर पाठकों को सहज में उपलब्ध करा देना ही इसके पुनः प्रकाशन का कारण है।

प्रकाशक

वक्तव्य

यह पुस्तक सन् १९१८ और १९१९ की दुर्गा पूजा की छुट्टियों में लिखी गई थी पर कई कारणों से आज तक पाठकों की सेवा में उपस्थित नहीं की जा सकी। इस पुस्तक को पढ़ने से पाठकों को विदित हो जायगा कि सत्याग्रह और असहयोग के सम्बन्ध में जो कुछ महात्मा गांधी ने सन् १९२० से सन् १९२२ तक किया उसका आभास चम्पारन में (१९१७ में) ही मिल चुका था। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने महत्त्व का जो पहला काम किया था वह चम्पारन में ही किया था। उस समय भारतवर्ष में 'होमरूल' का बड़ा जोर था। जब हम महात्मा जी से कहते थे कि वह उस आन्दोलन में चम्पारन को भी लगा दें तब वह यह कहा करते थे कि जो काम चम्पारन में हो रहा है वही 'होमरूल' स्थापित कर सकेगा। उस समय देश शायद ही उस कार्य के महत्त्व को समझता रहा हो और न हम ही उसे समझते थे। पर आज जब उस समय की कार्य-शैली पर विचार करते हैं और गत तीन-चार वर्षों के राष्ट्रीय इतिहास की ओर ध्यान देते हैं तब जान पड़ता है कि यह महान् आन्दोलन जो आज जारी है चम्पारन की घटना का ही एक अत्यन्त विस्तृत और विराट् रूप है। यदि चम्पारन और खेड़ा के इतिहास इकट्ठे कर लिये जायँ तो जो कुछ असहयोग अथवा सत्याग्रह आन्दोलन ने किया है अथवा करने की इच्छा रख कर भी अभी तक नहीं कर पाया है वे सब बातें उनमें वर्तमान पायी जायेंगी। जिस प्रकार भारतवर्ष को अन्याय और दुराचार के भार से दबता हुआ देखकर महात्मा जी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया उसी प्रकार चम्पारन की प्रजा को भी अन्याय और अत्याचार के बोझ से दबी हुई पाकर और उसका उद्धार करना अपना कर्तव्य समझकर उन्होंने वहाँ भी पदार्पण किया था। जिस प्रकार भारतवर्ष ने सभाओं तथा समाचार पत्रों और कौंसिल में प्रस्तावों तथा प्रश्नों के द्वारा आन्दोलन कर कुछ सफलता प्राप्त न करने पर ही सत्याग्रह और असहयोग आरम्भ किया उसी प्रकार चम्पारन में भी यह सब कुछ करके थक जाने पर ही वहाँ की जनता ने महात्मा गांधी को निमन्त्रित किया था। जिस प्रकार वर्तमान आन्दोलन में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अटल अनन्य सिद्धान्त रखकर देश को उसे स्वीकार करने की शिक्षा दी है उसी प्रकार उस समय भी दरिद्र, मर्दित और भोली भाली चम्पारन की प्रजा को व्याख्यान के द्वारा नहीं बल्कि अपने कामों के द्वारा शिक्षा दी थी। और तो क्या जिस प्रकार आज अपने ऊपर कष्ट उठाकर जानबूझ कर अपने को मुसीबत में डालकर देश का उद्धार करने का मनसूबा महात्मा जी ने देश भर के मानस में पैदा कर दिया है उसी प्रकार स्वयं जेल जाने के लिए तैयार होकर और सब प्रकार के कष्टों को भुगतने को प्रस्तुत होकर उन्होंने वहाँ की प्रजा को भी वही सिद्धान्त सिखाया। जिस प्रकार वहाँ सरकारी अफसरों ने महात्मा जी के उद्देश्य को और प्रजा के कष्टों को और उनके साथ किये गये अन्यायों को जानकर भी पहले महात्मा जी को रोकना चाहा था और उन्हें जेल भेजने तक का भी प्रबन्ध किया था उसी प्रकार इस महान आन्दो

डा० राजेन्द्र प्रसाद की दो अमूल्य कृतियाँ

साहित्य शिक्षा और संस्कृति—मूल्य ५)

प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा समय-समय पर दिये गये कुछ भाषणों का संग्रह है। पुस्तक को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में उनके नौ भाषण दिये गये हैं। द्वितीय खंड में शिक्षा-सम्बन्धी चार भाषणों का संग्रह है तथा तृतीय खंड में विभिन्न अवसरों पर दिये गये संस्कृति-सम्बन्धी भाषण हैं। यह पुस्तक वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शन का काम कर सकेगी। हमारी मान्यता है कि विभिन्न वादों और विचारों के इस युग में इन विषयों के जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए तो यह पुस्तक अत्यन्त ही उपयोगी है।

पुस्तक में दी गई विद्वत्तापूर्ण सामग्री के अनुरूप ही इसका मुखपृष्ठ आकर्षक है। छपाई अच्छी और सावधानीपूर्वक की गई है।

●

भारतीय शिक्षा—मूल्य ४)

प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के दिये गये शिक्षा-सम्बन्धी भाषणों का संग्रह है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। बिना शिक्षा के राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। परन्तु गलत शिक्षा से राष्ट्र का पतन होता। भारतवर्ष में वर्तमान शिक्षा-पद्धति अंगरेजों की चलाई हुई है। सब मानते हैं कि यह त्रुटिपूर्ण है। उसमें सुधार या परिवर्तन होना आवश्यक है। परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए यह साफ नहीं हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित राजेन्द्र प्रसाद के विचार मार्गदर्शक हैं। देश के लिए उपयोगी राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया है। "शिक्षा का माध्यम" "बुनियादी तालीम" "विद्यार्थी और राजनीति" वाले अध्याय अत्यन्त सामयिक हैं।

आत्माराम एण्ड संस काश्मीरी गेट दिल्ली–६

चम्पारन में महात्मा गांधी

पहला अध्याय

चम्पारन

चम्पारन जो एक जिले का नाम है, बिहार और उड़ीसा के पश्चिमोत्तर कोने में है। उसकी उत्तर की ओर हिमालय पहाड़ और नेपाल का राज्य है, पश्चिम में संयुक्त प्रान्त का गोरखपुर जिला है, पूरब में मुजफ्फरपुर और दक्षिण में सारन जिला है। हिमालय के कुछ दक्षिण के अंश का नाम सोमेश्वर है। इसका कुछ हिस्सा चम्पारन में पड़ता है। वही चम्पारन और नेपाल के बीच की सरहद है। इसकी ऊँचाई प्रायः १५ फीट है। सोमेश्वर पहाड़ की एक चोटी जहाँ पर दुर्ग बना हुआ है २८८४ फीट ऊँची है।

इस जिले की सबसे बड़ी और सर्व सम्मानित नदी नारायणी है जिसे शालग्रामी अथवा गंडक भी कहते हैं। किसी पुराने समय में यह नदी प्रायः बीच में होकर बहती थी पर वह धारा छूट गई और आज वह जिले की दक्षिणी सीमा हो रही है। यह नदी हिमालय के त्रिवेणी नामक स्थान में निकलती है। इसमें नाव प्रायः त्रिवेणी तक जा सकती है। गर्मियों में पानी बहुत नहीं रहने पर भी नाव चलने लायक जल रहता है। वर्षा ऋतु में इसकी धारा बहुत बढ़ जाती है और धारा का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। इस नदी में मगर, घड़ियाल आदि बहुत होते हैं। गज-ग्राह की पौराणिक कथा इसी नदी के एक स्थान के विषय में जो सारन जिले में है, कही गई है। गंडक के बाद दूसरी नदी जिसका उल्लेख आवश्यक है छोटी गंडक है। यह सोमेश्वर पहाड़ से निकलकर प्रायः जिले के बीचों-बीच होकर चली जाती है। पहाड़ से निकलने पर कुछ दूर तक इसका नाम हरहा है, उसके बाद सिकरहना और आगे चलकर बूढ़ी गंडक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छोटी-छोटी बहुत सी पहाड़ी नदियाँ आकर मिल जाती हैं जिसका फल यह होता है कि यह सिकरहना गर्मियों में प्रायः १ गज चौड़ी रहती है वही बरसात में स्थान-स्थान पर कोई दो मील चौड़ी हो जाती है। अन्य छोटी-छोटी नदियों के अतिरिक्त यहाँ सरकार की बनाई हुई त्रिवेणी की नहर भी है।

ऊपर कहा जा चुका है कि गंडक किसी समय जिले के बीच होकर बहती थी। वहाँ से धारा हट गई है पर अभी तक उसके चिह्न झील-रूप में मौजूद हैं। इस प्रकार कोई ४३ झीलें जिले भर में इस समय पाई जाती हैं। इनमें से बहुत सी गहरी भी हैं और साल भर जल से भरी रहती हैं। इनका जल पीने के योग्य नहीं होता। यह नील की कोठियों के काम में लाया जाता है और अनेक कोठियाँ इन्हीं झीलों के किनारे बनी हुई हैं।

चम्पारन जिले की जमीन दो प्रकार की है। सिकरहना नदी के उत्तर की मिट्टी कुछ कड़ी और जमीन नीची होने के कारण धान की खेती के लिए बड़ी अच्छी है। उसमें नील नहीं पैदा हो सकता है। उस मिट्टी को बांगर कहते हैं। सिकरहना की दक्षिण की मिट्टी में बालू अधिक होने के कारण उसमें धान की अच्छी खेती नहीं हो सकती। मकई, गेहूँ आदि अनाजों के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसी जमीन में नील भी खूब उपजता है। इसे भीठ कहते हैं। पहाड़ की तराई वाली जमीन की पैदावार बड़ी अच्छी होती है, और यद्यपि मनुष्य के लिए वहाँ की आबहवा बहुत हानिकर है तथापि पशुओं के लिए यह बहुत अच्छा है। तराई में अधिकतर धान की ही खेती होती है और जिले भर में धान ही प्रधान अनाज है। आबाद जमीन में प्रायः ५६ फी सैकड़े जमीन धान की खेती में लगी हुई है। देहाती कहावत मशहूर है—

अजब देस मझौआ जहाँ भात न पूछे कौआ।

मझौआ चम्पारन के सब से बड़े परगने का नाम है।

चम्पारन की जलवायु बिहार के और जिलों की अपेक्षा खराब समझी जाती है। तराई की हवा तो बहुत ही हानिकर है। ज्वर आदि का प्रकोप बहुत है और बरसात के बाद तो मानो प्रत्येक घर अस्पताल हो जाता है। दक्खिन की आबहवा भी अच्छी नहीं कही जा सकती। और जिलों की अपेक्षा सर्दी कुछ अधिक और गरमी कम पड़ती है। इसी से अंग्रेज लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। गंडक और सिकरहना नदी के किनारे वाले गाँवों में जलवायु का कुछ ऐसा प्रकोप है कि लोगों को घेघ हो जाया करता है। इस देश के लोगों की बुद्धि भी तीव्र नहीं होती। अपार गूंग घेघ वाले मनुष्य बहुत देखने में आते हैं। उनमें बहुत ऐसे भी हैं जिनमें बुद्धि बहुत कम है। वे गिनना नहीं जानते ठीक से बातें नहीं कर सकते दूसरों की बात समझने की नहीं, बेठीक हँस देते हैं। आस-पास के लोग इन्हें बागड़ कहते हैं और बिहार प्रान्त के अन्य जिलों में "मझौआ के बागड़" मानो कहावत-सा हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं-कहीं जानवरों तक को घेघ हो जाया करता है।

इस जिले में केवल दो शहर हैं—मोतीहारी जो जिले का सदर है और बेतिया जो पहले बड़ी रियासत का केंद्र था और आज भी राजा की राजधानी और सब-डिवीजन का सदर है। इस जिले का रकबा ३५३१ वर्ग मील है। गाँवों की संख्या २८४१ है। जनसंख्या (१९११ की गणना के अनुसार) १९,०८,३८५ है। सैकड़े दो मनुष्य शहर के निवासी हैं—बाकी लोग देहात में रहते हैं। जिले की बस्ती वर्गमील पीछे कोई ५४० है। चम्पारन के पूरब और दक्षिण भाग की आबादी—जो भाग मुजफ्फरपुर और सारन जिलों से मिला-जुला हुआ है—अधिक है और पश्चिमोत्तरी भाग की आबादी जहाँ की जल-वायु बहुत ही खराब है बहुत कम है। यहाँ पर उल्लेख योग्य बात यह है कि सारन और मुजफ्फरपुर से बहुत मनुष्य यहाँ आकर बस गये हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही

जा रही है। व खेती के कालच से यहाँ आते हैं।

बिहार के अन्य जिलों की तरह, यहाँ भी हिन्दुओं की अधिकता है। उनकी संख्या १९ १७४५९ है। मुसलमानों की संख्या २८९, ६७ है। बतिया शहर में तथा उसके आस-पास बहुत से ईसाई बसे हुए हैं। कहा जाता है कि बेतिया के राजा धुर्वसिंह की पत्नी एक समय बहुत बीमार हो गई थी और वह एक ईसाई पादरी की चिकित्सा से अच्छी हो गई। इसी कारण राजा न प्रसन्न होकर सन् १७४५ के लगभग ईसाई पादरियों को बुलाकर बतिया म बसा दिया। उसी समय से चम्पारन नगर में ईसाइयों की संख्या बढ़ने लगी और आज उनकी संख्या २७७५ है। यहाँ के ईसाइयों की विशेषता यह है कि उनके तथा अन्य जातियों के रहन-सहन में कुछ भी भेद नहीं दीखता। पर उनकी स्त्रियाँ एक प्रकार का घघरा पहनती हैं जो हिन्दू स्त्रियाँ नहीं पहनतीं। यहाँ हिन्दू-मुसलमान प्राय उसी ढंग से रहते हैं जैसे बिहार के अन्य जिलों में। हिन्दुओं में एक विशेष जाति जो अन्य जिलों में नहीं पाई जाती है थारुओं की है। इनकी संख्या ३४९ २ है। ये प्राय तराइयों में रहते हैं। थारु लोग यहाँ की आबहवा का प्रकोप विशेष रूप से सह सकते हैं। ये बहुत सच्चे और सीधे होते हैं मुकदमेबाजी से बहुत भागते हैं और गृहस्थी का काम खूब जानते हैं। थोड़ा भी योसमोल होने या कष्ट पहुँचने से गाँव का गाँव छोड़कर ये दूसरे स्थान में बसे जाते हैं। माल अधिक होने के कारण उनका जीवन बहुत सुख से बीतता है।

चम्पारन के हिन्दू-मुसलमानों की भाषा हिन्दी का एक रूपान्तर है। इसे भोजपुरी कहते हैं जो सारन की बोली से बिलकुल मिलती है। जिले के दक्षिण-पूरब भाग की बोली में मुजफ्फरपुर की मिथिला भाषा का असर पाया जाता है। थारुओं की भी बोली भोजपुरी है पर उसमें भेद यह है कि उसमे उनकी आदिम भाषा के भी कुछ शब्द मिले रहते हैं।

है कि राजा हर्षवर्द्धन ने अपनी विजयपताका यहाँ तक फैलाई थी। १३वीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास पूरा नहीं मिलता पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि छत्री वंश के राजाओं ने भी चम्पारन पर किसी समय में अधिकार जमा लिया था।

इसके बाद ऐसा प्रमाण पाया जाता है कि चम्पारन तिरहुत के राजाओं के अधीन हुआ। उनमें से उल्लेख योग्य सिमरा और सुगौन के राज्य थे। १३वीं और १४वीं शताब्दियों में मुसलमानों ने चम्पारन पर हमला किया पर उनका राज्य स्थायी नहीं हुआ। १५वीं शताब्दी के आरम्भ में सिकन्दर लोदी ने तिरहुत को अपने कब्जे में कर लिया और उस समय से तिरहुत जिसमें चम्पारन शामिल था मुसलमानी राज्य में स्थायी रूप से आ गया। इसके बाद के इतिहास का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि चम्पारन का इतिहास अन्य जिलों के इतिहास के साथ मिला हुआ है। १८वीं शताब्दी में जब अलीवर्दी खाँ बिहार और बंगाल के नाजिम मुकर्रर हुए तो उन्होंने फिर चम्पारन पर चढ़ाई की और इसमें उनको दरभंगे के अफगानों ने सहायता दी। इसमें अलीवर्दी खाँ को सफलता हुई और लूट का बहुत धन मिला। कुछ दिनों के बाद जिन अफगानों से उन्हें सहायता मिली थी वे उनसे बिगड़ गये और अलीवर्दी खाँ ने उनसे लड़कर उन्हें परास्त किया। उनमें से अफगान शमशेर खाँ और सरदार खाँ ने बेतिया राज्य की शरण ली थी। इसलिए अलीवर्दी खाँ ने बेतिया राज्य पर चढ़ाई की जिसका परिणाम यह हुआ कि बेतिया के राजा ने सपरिवार इन अफगानों को अलीवर्दी खाँ के सुपुर्द कर दिया।

सन् १७६ ई० के लगभग फिर चम्पारन में लड़ाई हुई। इस बार लड़ाई शाह आलम और अंगरेजों के बीच थी जिसमें शाहआलम की हार हुई। शाहआलम के मददगारों में पूर्निया का सूबेदार खादिम हुसैन खाँ था। वह लड़ाई में हारकर बेतिया की ओर भागा। वहाँ उसका पीछा करते मीरन और जनरल कलौड पहुँचे। परन्तु मीरन की अकाल मृत्यु बिजली से होने के कारण जनरल कलौड को लौट आना पड़ा। लौटने के समय जनरल कलौड ने बेतिया के राजा से कर वसूल किया। किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद बेतिया के राजा ने बगावत शुरू की और मीर कासिम ने बेतिया पर फिर चढ़ाई की और राजा को हराया। सन् १७६ में बंगाल-बिहार के साथ चम्पारन को भी शाहआलम ने अंगरेजों को दे दिया। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इसके बाद चम्पारन में बराबर शान्ति रही। थोड़े ही दिनों के बाद राजा युगलकिशोर ने अंगरेजों से फिर लड़ाई ठान दी पर शीघ्र ही वे पराजित हुए और अपना राज्य छोड़कर बुन्देलखण्ड भाग गये। इस समय देश की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई। जो मालगुजारी अंगरेजों को मिलती थी वह भी कम हो गई बल्कि उत्तरोत्तर घटती ही गई। तब अंगरेजों ने सोचा कि बिना युगलकिशोर सिंह के बेतिया राज्य पुनः हरा भरा नहीं होगा और मालगुजारी भी घटती ही जायगी। यही विचार कर उन्होंने युगलकिशोर सिंह को बुन्देलखण्ड से बुलाकर दो परगने मझौआ और सिमराँव सन् १७७१ ई० में दिये। उसी समय उनके कुटुम्बी श्री कृष्ण सिंह और अबधूत

दूसरा अध्याय

चम्पारन का इतिहास

चम्पारन चम्पारण्य का अपभ्रंश है। पुराणों में उसका उल्लेख पाया जाता है। यहाँ के जंगलों में ऋषियों के तपोवन थे। कहा जाता है कि त्रेता युग में यहाँ का नाम राजा उत्तानपाद की राजधानी ध्रुवजी और सुरुचि के नाम से ही लिखा गया है। ध्रुव उसी राजा के पुत्र थे। उनका जन्म इसी तपोवन में हुआ और उन्होंने अपनी तपश्चर्या भी इसी जगह में की। वाल्मीकि मुनि का आश्रम इसी जिले के अन्तर्गत किसी स्थान में था। जानकी जी को वनवास के बाद इसी आश्रम में आश्रय मिला था और यहीं पर उनके दोनों पुत्रों लव और कुश का जन्म हुआ था। श्री रामचन्द्र जी से इन पुत्रों का युद्ध इसी जिले के किसी स्थान में हुआ था। यह भी कहा जाता है कि विराट राजा की राजधानी जहाँ पाण्डवों ने अज्ञात वनवास व्यतीत किया था यहीं इसी जिले में है। और एक स्थान *जिसका नाम अभी बैराठी है रामनगर से कुछ दूरी पर मौजूद है। कहते हैं राजा विराट की* राजधानी यहीं थी। विदेह का भी राज्य यहीं पर था और राजा जनक जानकीगढ़ में जिसे आजकल चानकीगढ़ भी कहते हैं रहा करते थे।

प्रायः ६ वर्ष ईसा के जन्म के पहले लिच्छवी वंश का राज्य चम्पारन में स्थापित था। मगध के राजा अजातशत्रु के साथ उनका मुकाबिला हुआ था जिसमें लिच्छवी लोग हारकर मगध राज्य को कर देने लगे थे। अभी तक नन्दनगढ़ आदि स्थानों पर पुराने गढ़ के चिह्न पाये जाते हैं और इतिहासवेत्ताओं का मत है कि वे लिच्छवी राज्य के समय के हैं। *यहाँ पुराने सिक्के पाये जाते हैं जो प्रायः एक हजार वर्ष पूर्व गुप्तकाल के हैं।* बौद्ध

है कि राजा हर्षवर्द्धन ने अपनी विजयपताका यहाँ तक फहराई थी। १३वीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास पूरा नहीं मिलता पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि छेरो वंश के राजाओं ने भी चम्पारन पर किसी समय में अधिकार जमा लिया था।

इसके बाद ऐसा प्रमाण पाया जाता है कि चम्पारन तिरहुत के राजाओं के अधीन हुआ। उनमें से उल्लेख योग्य सिमरा और मुगौन के राज्य थे। १३वीं और १४वीं शताब्दियों में मुसलमानों ने चम्पारन पर हमला किया पर उनका राज्य स्थायी नहीं हुआ। १६वीं शताब्दी के आरम्भ में सिकन्दर लोदी ने तिरहुत को अपने कब्जे में कर लिया और उस समय से तिरहुत जिसमें चम्पारन शामिल था मुसलमानी राज्य में स्थायी रूप से आ गया। इसके बाद के इतिहास का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि चम्पारन का इतिहास अन्य जिलों के इतिहास के साथ मिला हुआ है। १८वीं शताब्दी में जब अलीवर्दी खां बिहार और बंगाल के नाजिम गवर्नर हुए तो उन्होंने फिर चम्पारन पर चढ़ाई की और इसमें उनको दरभंगा के अफगानों ने सहायता दी। इसमें अलीवर्दी खां को सफलता हुई और लूट का बहुत धन मिला। कुछ दिनों के बाद जिन अफगानों से उन्हें सहायता मिली थी वे उनसे बिगड़ गये और अलीवर्दी खां ने उनसे लड़कर उन्हें परास्त किया। उनमें से अफगान शमशेर खां और सरदार खां ने बेतिया राज्य में शरण ली थी। इसलिए अलीवर्दी खां ने बेतिया राज्य पर चढ़ाई की जिसका परिणाम यह हुआ कि बेतिया के राजा ने लाचार हो इन अफगानों को अलीवर्दी खां के सुपुर्द कर दिया।

सन् १७६० ई० के लगभग फिर चम्पारन में लड़ाई हुई। इस बार लड़ाई शाह आलम और अंग्रेजों के बीच थी जिसमें शाहआलम की हार हुई। शाहआलम के मददगारों में पूर्णिया का सूबेदार खादिम हुसेन खां था। वह लड़ाई में हारकर बेतिया की ओर भागा। वहाँ उसका पीछा करते मीरन और कप्तान नौक्स पहुँचे। परन्तु मीरन की अचानक मृत्यु बिजली से होने के कारण कप्तान नौक्स को लौट जाना पड़ा। लौटने के समय कप्तान नौक्स ने बेतिया के राजा से कर वसूल किया। किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद बेतिया के राजा ने बगावत शुरू की और मीर कासिम ने बेतिया पर फिर चढ़ाई की और राजा को हराया। सन् १७६५ में बंगाल-बिहार के साथ चम्पारन को भी शाहआलम ने अंग्रेजों को दे दिया। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इसके बाद चम्पारन में बराबर शान्ति रही। थोड़े ही दिनों के बाद राजा युगलकिशोर ने अंग्रेजों से फिर लड़ाई ठान दी पर शीघ्र ही वे पराजित हुए और अपना राज्य छोड़कर बुन्देलखण्ड भाग गये। इस समय देश की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई। जो मालगुजारी अंग्रेजों को मिलती थी वह भी कम हो गई बल्कि उत्तरोत्तर घटती ही गई। तब अंग्रेजों ने सोचा कि बिना युगलकिशोर सिंह के बेतिया राज्य पुनः हरा-भरा नहीं होगा और मालगुजारी भी वसूल हो जायगी। यही विचार कर उन्होंने युगलकिशोर सिंह को बुन्देलखण्ड से बुलाकर दो परगने मझौआ और सिमरौन सन् १७७१ ई० में दिये। उसी समय उनके कुटुम्बी श्री कृष्ण सिंह और अबधूत

सिंह को दो और परगने मेहसी और बबरा दिये गये।

सन् १७ १ ई० में जब दसशाला प्रबन्ध हुआ तो ये दो परगने मझौवा और सिमरौन युगलकिशोर सिंह के पुत्र बीरकिशोर सिंह के साथ बन्दोबस्त किये गये। और मेहसी तथा बबरा सिमसागर जो अबधून सिंह तथा श्री कृष्ण सिंह को दिये गये थे शिवहर राज्य बना। उसी समय दो और जमींदारियाँ रामनगर और मधुबन बनाई गई। इस तरह चम्पारन उस समय चार बड़े-बड़े जमींदारों के हाथ बाँट दिया गया—बेतिया रामनगर, शिवहर और मधुबन। यही बन्दोबस्त दवामी बन्दोबस्त के समय सन् १७९१ ई० में भी कायम रखा गया। कुछ दिनों के बाद परगना बबरा मुजफ्फरपुर के जिले में मिला दिया गया और शिवहर के छोटे-छोटे टुकड़े चम्पारन में रह गये। आजकल बहुत सी छोटी छोटी जमींदारियाँ बन गई हैं परन्तु मुख्य जमींदारियाँ अभी भी केवल तीन ही हैं—बेतिया रामनगर और मधुबन। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इन जमींदारियों की उत्पत्ति इसी समय में हुई। बेतिया राज्य बहुत पुराना है। शाहजहाँ बादशाह ने पहले-पहल उस उज्जैन सिंह को दिया था और उन्हीं के वंशधर बराबर राजा होते आये हैं। इसी प्रकार रामनगर का राज्य भी बहुत पुराना है। कहा जाता है कि रामनगर के राजा के पूर्वजों ने चित्तौर से आकर नेपाल को दखल कर लिया और उनके ही एक वंशधर ने यहाँ आकर रामनगर को बसाया। इनको राजा का खिताब औरंगजेब बादशाह ने १६७६ ई० में दिया था।

तीसरा अध्याय

नील

(१) कोठी

बेतिया राज का रकबा लगभग २   वर्गमील था। पहले सड़क वगैरह की ऐसी सुविधा न थी जैसी आजकल है। इसलिए अच्छे प्रबन्ध के विचार से छोटे-छोटे हिस्से ठेकेदारों के हाथ दिये जाते थे। उनका काम यह था कि जो हिस्सा उनकी ठेकेदारी में रहता था उसकी देखभाल वे स्वयं किया करते थे और नियत समय पर मालगुजारी रैयतों से वसूल करके राज्य में दाखिल करते थे। पहले कुल ठेकेदार हिन्दुस्तानी थे और १७९१ के पहले से ठेकेदारी करते आते थे। पीछे अंगरेज व्यापारी जिनका ऊख और नील की खेती से अधिक सम्बन्ध था इस काम में घुसे और रियासतों से विशेषकर बेतिया राज्य से ठेका लेना और विशेषतः ऊख और नील की खेती करना आरम्भ कर दिया। सबसे पुरानी कोठी कर्नल हिक्की ने बारा में स्थापित की। पीछे तुरकौलिया पिपरा मोतीहारी और राजपुर की कोठियाँ स्थापित की गईं। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया नई-नई कोठियाँ कायम होती गईं और उनको किसी प्रकार बेतिया राज्य में हिन्दुस्तानी ठेकेदारों को हटाकर ठेकेदारी मिलती गई। पहले अंगरेजों की कोठियाँ उन्हीं जगहों में थीं जहाँ वे नील और ऊख बो सकते थे। पर जब उन लोगों का अधिकार ऐसी जगहों पर अधिक जम गया तो सन् १८७५ के बाद कुछ अंगरेज जिले के उत्तर-पश्चिम भाग में जा बसे। वहाँ नील की खेती के अनुकूल मिट्टी नहीं होने की वजह से उन लोगों ने अपने लाभ का दूसरा उपाय निकाला। इस प्रकार सारा चम्पारन अंगरेजों की कोठियों से छा गया और आज यहाँ कोई ७० (सत्तर) से अधिक कोठियाँ होंगी जिनका पूरा ब्योरा आगे के पृष्ठों में मिलेगा। कोठी वगैरह बनाने के लिए उन लोगों ने बेतिया राज्य से थोड़ी मालगुजारी पर कुछ जमीन मुकर्ररी ठेका लिया। सन् १८८८ साल में बेतिया राज्य का कुछ कर्ज हो गया था। उसको अदा करने के लिए मिस्टर टी गिब्बन (M. T. Gibbon) मैनेजर बेतिया राज्य के प्रबन्ध से विलायत में ८५ लाख रुपये का ऋण ठीक हुआ। यह निश्चय हुआ कि उन अंगरेजों के साथ राज्य मुकर्ररी बन्दोबस्त करे और वे लोग उस ऋण के ब्याज में अपनी मालगुजारी दिया करें। इस प्रकार ५॥ (साढ़े पाँच) लाख आमदनी का मुकर्ररी ठेका १४ कोठीवालों के साथ बन्दोबस्त किया गया। मुकर्ररी मिलने से इनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई। इसके अलावा राज से पट्टेदारी ठेका भी मिलता गया। रामनगर राज्य की भी तरफ से कुछ और कोठीवालों के साथ मुकर्ररी बन्दोबस्त किये गये। पर ऐसा क्यों और किस अवस्था में हुआ यह कहना कठिन है। हाल में कुछ ठीकेदारों ने कुछ जमींदारी भी खरीद की है पर वह बहुत कम है।

तीन-कठिया—यह प्रथा चम्पारन में सबसे अधिक प्रचलित है। इसी के अनुसार कोठीवाले शर्तों से उनकी जोत के एक हिस्से में नील पैदा कराते थे और एक नियत दाम पीछे से देने की भी शर्त रहती थी। १८६ के लगभग बीघा पीछे ५ कट्ठे में नील बोया जाता था। कुछ दिनों के बाद १८६७ के लगभग यह कम होकर बीघे में ३ कट्ठा हो गया। तभी से इस प्रथा का नाम तीन-कठिया पड़ा। जिस समय चम्पारन में नीलवाले अपना सिक्का जमा रहे थे उस समय जमीन पर इनका कुछ भी अधिकार नहीं था। बेतिया राज से गाँवों का ठेकेदारी ठेका लेकर वे उनमें कुछ नील जीरात की प्रथा से करते थे। परन्तु यह बहुत थोड़ा था। वे बेतिया राज को मालगुजारी में डालकर गाँवों का जमा जितना वसूल हो सकता था कबूल कर लेते थे और अपने काम के लिए रैयतों से नील बुवाते थे। बेतिया राज को बैठे-बैठे मालगुजारी मिल जाया करती थी। कोठीवालों को भी नील से बड़ा लाभ होता था। बीच में मारे जाते थे गरीब रैयत। इससे यह स्पष्ट है कि जब कभी कोई गाँव कोठी के कब्जे में आता था तो कोठी की यही चेष्टा रहती थी कि उसमें जहाँ तक हो सके नील की खेती करायी जाय। इसके लिए वे भोले-भाले रैयतों को समझाकर, भुलाकर, फुसलाकर, सिखाकर और दबाकर उनसे अपने ही खेतों में नील बोने को बाध्य करते थे। कुछ दिनों के बाद जिन शर्तों पर रैयत नील बोया करते थे वे एक सट्टे के रूप में लिखी जाने लगीं। उसमें लिखा जाता था कि रैयत अपनी जोत के बीघा पीछे तीन कट्ठे में कई वर्षों तक (कभी-कभी २५ वर्षों तक भी) नील बोया करेगा। किस खेत में नील बोया जायगा वह कोठी के कर्मचारी चुनेंगे। खेत को तैयार करना रैयत का काम रहेगा पर इसकी निगाहबानी कोठी करेगी। नील की फसल अच्छी होने पर एक नियत मूल्य बीघा पीछे दिया जायगा। यदि फसल अच्छी नहीं हुई चाहे वह किसी भी कारण से क्यों न हो रैयत को कीमत कम मिलेगी। यदि रैयत शर्त के विरुद्ध नील न बोवे तो उससे एक बड़ी रकम हरजाने के तौर पर वसूल की जायगी।

ऐसा प्रमाण पाया जाता है कि जब से नील की खेती चम्पारन में आरम्भ हुई है प्रायः उसी समय से जीरात तथा असामीवार प्रथाएँ जारी हैं। पहले कहा जा चुका है कि शुरू में बीघा पीछे कट्ठे नील करना पड़ता था और सन् १८६७ के बाद वही ३ कट्ठा कर दिया गया। सन् १ में नील वालों ने अपनी सभा में एक नियम बनाया कि बीघा पीछे केवल दो ही कट्ठा में नील पैदा कराया जाय। पर यह मालूम नहीं कि इस नियम के अनुसार कितना कोठियों में कार्रवाई की। इतना अवश्य है कि कितनी ही कोठियों ने इस नियम का पालन नहीं किया और बहुतों को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके कारण पीछे लिखे जायेंगे। इसी प्रकार नील का दाम भी लोककर सरकार और रैयतों के दबाव से जब-तब बढ़ाये गये। सन् १८६७ के पहले रैयतों को फी एकड़ नील के लिए ६॥) रुपये मिलते थे। उस साल की हलचल के बाद सरकार के दबाव से नीलवरों ने उस रकम को बढ़ाकर) र कर दिया। वही रकम १८७८ में ? ।-) १८ ७ में १२) और

१९ ९ में मिस्टर गोरले की रिपोर्ट पर सैकड़े १२॥) की दर स १६॥) रुपये कर दी गई। इसके अलावे जिस खेत मे नील होता है उसकी मालगुजारी भी नही ली जाने की बात सन् १८७८ से चली आ रही है। पर इस नियम को अब कोठियो न कायदप म परिणत नही किया।

इस प्रकार नील की खेती जितनी चम्पारन में होती थी उतनी बिहार के किसी और जिले मे नही होती थी। सन् १८ २ ९९ के पैमाइश के समय म ९५,९७ एकड़ जमीन म नील बोया गया था अर्थात् जितनी जमीन आबाद थी उसके फी सदी ६ ६१ म नील था। इसकी केवल एक-चौथाई मे जीरात प्रथा और बाकी तीन चौथाई मे असामीवार अर्थात् तीन-कठिया प्रथा से नील होता था। उस समय नील के कारखानो में ३३ मजदूर काम करते थे। परन्तु पीछे जर्मनी के कृत्रिम रंग के चल जाने के कारण नील का नफा कम हो गया और नीलवालों ने इसकी खेती कम कर दी। यहाँ तक कि १९ ५ म यह रकबा घटकर ४ ८ एकड़ हो गया और १९१४ में केवल १ एकड़ रह गया। १९१४ में जर्मनी से लड़ाई छिड़ जाने के कारण वहाँ से रंग आना बन्द हो गया और फिर नील के दिन लौटते दीख पड़े। नीलवरो ने इस अवसर को अच्छा देखकर नील की खेती फिर बढाई। सन् १९१६ म २१ ९ एकड़ और १९१७ में २१,८४८ एकड़ जमीन मे नील बोया गया जिसमे प्राय दो-तिहाई असामीवार और एक-तिहाई जीरात की प्रथा से कराया गया था।

नील का नफा कम हो जाने के कारण नीलवरों का नुकसान नही हुआ क्योकि उन्होने कई प्रकार से उसे गरीब प्रजाओ के मत्थे मढ दिया जिसका पूरा हाल आगे दिया जायगा।

नील दो प्रकार का होता है—मुनाधा और जाधा-नेवाड। १ ५ के पहले केवल मुनाधा नील बोया जाता था। इसके लिए खेत आश्विन से फाल्गुन तक तैयार किया जाता और फाल्गुन में बोया जाता है। आषाढ के महीने मे वह काटा जाता है। इसको मोरहन कहते है। खेत में मोरहन करने के समय जो खूंटी छूट जाती है वह भादो में फिर काटी जाती है और उसे खूंटी कहते है। जाधा-नेवाड नील कार्तिक-अगहन में बोया जाता है और मुनाधा के साथ ही काटा जाता है। १ मन नील के पौधे से लगभग १ सेर नील की गोटी तैयार निकलती है।

चौथा अध्याय

रयतों के कष्ट

ऊपर नील-कोठिया प्रथा का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगी कि यही प्रथा चम्पारन के रैयतों के सब दुःखों का प्रधान कारण है। चाहे जिस प्रकार से चम्पारन की प्रजा की दशा पर विचार किया जाय और नील-कोठिया-जनित कष्टों को दूर करने के लिए चाहे जितनी चेष्टायें की गई हों इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह प्रथा एक-न-एक रूप धारण करके रैयतों को आज तक सताती चली आई है।

सन् १८६ ई० में बंगाल में नील के सम्बन्ध में एक बड़ी भारी हलचल मची थी। उस समय बंगाल में एक सज्जन जिनका नाम हरिश्चन्द्र मुकर्जी था रैयतों के बड़े भारी पक्षपाती थे और ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन (British Indian Association) भी उनके साथ बड़ी सहानुभूति रखती और दिखाती थी। उस समय के रैयतों के दुःख को देखकर ईसाई पादरियों के हृदय भी पिघल गये। अनेक सरकारी कर्मचारी भी ऐसे थे जिनकी सहानुभूति रैयतों के साथ थी। इनमें विशेष उल्लेख योग्य विलियम हरशेल (William Herschell) थे जो पीछे सर विलियम हरशेल (Sir William Herschell) और एश्ली ईडन (Ashley Eden) जो पीछे सर ऐश्ली ईडन (Sir Ashley Eden) बंगाल के लाट हुए। इन्हीं की चेष्टा तथा यत्न से सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया जिसको नील सम्बन्धी सब बातों की जाँच करने का पूरा अधिकार दिया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष मि० सेटन कर्र (Mr W. S. Seton Kerr) थे जो उस समय बंगाल सरकार के सेक्रेटरी होने जा रहे थे और उनके मेम्बर मि० रिचर्ड टेम्पल (Mr Richard Temple) थे जो पीछे सर रिचर्ड टेम्पल बंगाल के लाट हुए, मि० फर्ग्युसन (Mr Fergusson) नीलवर, मि० जौन सेल (Mr John Sale) पादरी और मि० चन्द्रमोहन चटर्जी जो ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन के प्रधान सदस्य थे मुकर्रर हुए। कमीशन की बैठक कलकत्ते में हुई। जसोर और नदिया जिलों की रैयतों ने जहाँ नील का बहुत जोर था हरिश्चन्द्र मुकर्जी के प्रबन्ध से कलकत्ते में आकर इजहार दिये। हरिश्चन्द्र मुकर्जी ने स्वयं भी इजहार दिया था। लालबिहारी डे ने अपनी *Bengal Peasant Life* नामक पुस्तक में उस समय के बंगाल के नीलवर तथा रैयत का सुन्दर किन्तु हृदय-विदारक चित्र खींचा है। कमीशन के सामने इजहार देते हुए मि० ई० डब्लू० एल० टावर (Mr E. W. L. Tower) ने जो किसी समय फरीदपुर के मजिस्ट्रेट थे यह कहा था—

"There is one thing more I wish to state that considerable

तब कोठीवालों ने यह कहना प्रारम्भ किया कि हमें रैयतों से कोई झगड़ा नहीं है—बिहार के ही लोग आकर झूठे झगड़े पैदा किया करते हैं। पर यह बात पीछे एकबारगी ही कमीशन के सामने झूठी साबित हुई। माननीय मि मौड (The Hon'ble Mr Maude) ने भी कौंसिल में व्याख्यान देते हुए यह कहा था—

I have gone at what I am afraid is rather wearisome length into th past history of what may perhaps best be described as the Indigo difficulty because it is constantly asserted and I have myself often heard it said that there is in reality nothing wrong or rotten in the state of affairs, that every one concerned is perfectly happy so long as they are left alone and that it is only when outside influences and agitators come in that any trouble is experienced. I submit that this contention is altogether untenable in the light of the history of past fifty years and which I have endeavoured to present to the council brief sketch."

अर्थात् मुझे भय होता है कि मैंने नील सम्बन्धी कठिनाइयों का इतना लम्बा ब्योरा कह सुनाया है कि आप सुनते-सुनते घबरा गये होंगे। पर इसका कारण यह है कि लोग बहुधा कहा करते हैं और यह कहते मैंने अपने कानों से भी सुना है कि जो लोग नील की कोठी से सम्बन्ध रखते हैं वे जब तक दूसरों के कहने में नहीं पड़ते बहुत सुखपूर्वक रहते हैं और यथार्थ में वहां कोई बुराई नहीं है पर जब लोग दूसरों के आंदोलन के फेर में पड़ जाते हैं तभी गोलमाल होता है। मैंने गत पचास वर्षों का जो संक्षिप्त इतिहास कौंसिल को कह सुनाया है उसके सामने मैं इस दलील को बिल्कुल गलत मानता हूँ।

इस दु:ख-कहानी का वर्णन नीचे संक्षेप में किया जाता है।

चम्पारन म नील सम्बन्धी हलचल जिसका कुछ भी उल्लेख पाया जाता है पहले-पहल सन् १८६ ई में हुई। इसका आरंभ लालसरैया कोठी में हुआ। मौजा जो कठिया के रैयतों ने नील बोना बन्द कर दिया और नील के खेतों में दूसरी फसल बो दी। देखा देखी दूसरे गांववालों ने भी ऐसा ही किया। कोठी का बँगला भी आग से जल गया। नीलवरों न उस समय भी सन् १९१७ की तरह दोष विद्वानों के मत्थे मढ़ना चाहा किन्तु इसका कोई सबूत नहीं मिला कि आग कैसे लगी। सन् १८६७ ई में भी रैयतों की ठीक वही

१ इस कोठी के सम्बन्ध में चम्पारन गजेटियर (Champaran Gazetter) म लिखा है— At one time it was the most renowned indigo factory in Bihar being the home of Mr James Macleod, who was known as the king of planters. His stable contained 120 horses- अर्थात् एक समय यह बिहार में सब से प्रसिद्ध नील की कोठी थी जेम्स मैक्लियोड जो नीलवरों का राजा समझा जाता था यह वहीं रहता था और उसके अस्तबल में १२ घोड़े थे।

odium has been thrown on the missionaries for saying that 'Not a chest of indigo reached England without being stained with human blood' That has been stated to be an anecdote That expression is mine, and I adopt it in the fullest and broadest sense of its meaning, as the result of my experience as Magistrate of the Fareedpore District. I have seen several ryots sent in to me as Magistrate, who have been speared through the body I have had ryots before me who have been shot down by Mr Forde (a planter) I have put on record how others have been first speared and then kidnapped and such a system of carrying on Indigo I consider to be a system of bloodshed.

अर्थात् मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि पादरियों को यह कहने के लिए बहुत बदनामी की गई है कि एक बक्स भी नील इंग्लैंड नहीं पहुँचा जो मनुष्य के रक्त से लिप्त न रहा हो। कहा गया है कि यह एक कहानी भर है। पर यह कथन मेरा है और फरीदपुर जिले में मजिस्ट्रेटी करने के तजरबे से मैं इस वाक्य को इसके पूरे और व्यापक अर्थ में व्यवहार करता हूँ। मजिस्ट्रेट होने के कारण मेरे पास कई ऐसे रैयत भेजे गये थे जिनकी देह भाले से छेदी गई थी। मुझे ऐसे रैयत मिले हैं जिनको नीलवर मि० फोर्ड ने गोली मारकर गिरा दिया था। मैंने यह भी लिपिबद्ध किया है कि किस तरह कुछ लोग पहले भाले भोंककर मारे गये हैं और बाद में उनकी लाश गायब कर दी गई है। इस प्रकार से नील तैयार करना मेरे विचार में सिर्फ खून बहाना है।

उस कमीशन की रिपोर्ट में भी यह माना जाता है कि रैयतों ने निम्नलिखित शिकायतें की थीं —

(१) नील के सम्बन्ध में जो मुआहिदा रैयतों के साथ कराया जाता था वह जबरदस्ती कराया जाता था। रैयत अपनी खुशी से उसे नहीं करते थे।

(२) नील पैदा करने के लिए अपनी उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ जबरदस्ती दे दी जाती थी।

(३) रैयतों का नील की खेती में अपना बहुमूल्य समय देना पड़ता था जिस समय को वे अपनी अन्य गृहस्थी में लगाना अधिक लाभदायी समझते थे।

(४) जो सबसे अच्छी जमीन होती थी वही नील के लिए ले ली जाती थी। कभी कभी तो जिस खेत में अन्य अनाज बोया हुआ रहता था वह भी नील बोने के लिए जोत लिया जाता था।

(५) नील की पैदावार का कुछ ठिकाना नहीं था और इसका फल यह होता था कि फसल नहीं होने से रैयत दादनी के रुपये वापस करने में असमर्थ होते थे जिससे उन पर बहुत कर्जा पड़ जाता था।

(६) कोठी के नौकरान रैयतों पर बड़ा जुल्म करते थे।

शिकायतें थीं जो सन् १ १७ में । इस अशांति के कारण बताते हुए पटना के कमिश्नर ने सरकार के पास लिखा कि रैयतों को नील की खेती में कहीं नहीं था कि कोई लाभ नहीं हो वरन् उन्हें सीधे साफ-साफ नुकसान था । नील का सट्टा उनसे जबरदस्ती लिखाया जाता था उनकी सबसे अच्छी जमीन नील के लिए ले ली जाती थी । नील की खेती बड़ी मुश्किल से होती थी कोठी के मुलाजिम उनके साथ बहुत जुल्म किया करते थे । इस अशांति-काल से नीलवरों में बड़ी खलबली मची । नील का बाजार मन्दा-सा हो गया और मालूम होने लगा कि नील की खेती एकबारगी चम्पारन से उठ जायगी । नीलवरों ने सरकार से बहुत जोर लगाया और गवर्नमेण्ट ने भी उनकी खूब मदद की । उनके सलाहाधीन प्रस्ताव के अनुसार सरकार द्वारा दो वर्षों की एक खास अदालत मोतिहारी में स्थापित की गई । उसका काम यह था कि रैयतों पर या मुकदमे नील सम्बन्धी सट्टों की शर्तों को तोड़ने के लिए हरजाने के वास्ते कोठीवाले दायर कर उनको वह शीघ्रता के साथ फैसला कर दे । इसका फल यह हुआ कि बिना मुकदमा दायर किये ही नीलवरों का काम बन गया और बिचारे अशिक्षित असहाय रैयतों की चेष्टा नील के अत्याचारों से छुटकारा पाने में विफल हुई । ऐसा होना भी कोई आश्चर्य की बात न थी । क्योंकि किसान स्वभावतः डरपोक होते हैं और विशेषकर चम्पारन जैसी जगह की रिआया तो और भी सीधी सादी है । नीलवरों के कहने से एक विशेष अदालत का स्थापित होना ही उनके लिए काफी था । कौन कह सकता है कि रैयतों ने यह नहीं समझ लिया हो कि सरकार ने उन नीलवरों का पक्ष लेने के लिए ही खास अदालत कायम की है । फिर इस प्रकार की लड़ाई में उनकी जीत की क्या आशा हो सकती थी । जो थोड़े बहुत मुकदमे अदालत में गये भी तो उनका फल रैयतों के विरुद्ध ही हुआ । सरकार की यह कार्रवाई नीलवरों की सहायता के लिए न भी की गई हो पर रैयतों ने अवश्य ऐसा ही समझा होगा इसमें सन्देह नहीं । यहीं पर यह कह देना आवश्यक है कि सरकार रैयतों के साथ चाहे जितनी सहानुभूति रखती आई हो पर उसका परिणाम बराबर इसी रूप में निकलता गया है कि जब जब रैयतों ने सर उठाने की चेष्टा की तब-तब सरकार ने कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी जिससे नीलवरों को ही सहायता मिली । आगे स्पेशल रजिस्ट्रार (Special Registrar) का उल्लेख आवेगा जिससे यह बात स्पष्ट हो जायगी । इस अशांति के सम्बन्ध में चम्पारन गजेटियर ने लिखा है—

"The disputes between the ryots and the planters had at one time threatened to become very serious. The local officers almost unanimously reported that the cultivation of indigo had become very unpopular and that there was not a ryot who would not abandon the cultivation if he could,—and this state of things was ascribed much to the insufficiency of remuneration which the ryots received

भारत सरकार ने जो बात कही थी वह शीघ्र ही उपस्थित हुई और दाम बढ़ जाने पर भी बहुत शीघ्र ही अर्थात् सन् १८७१ ई० में रैयतों के बीच फिर अशांति दीख पड़ने लगी। नील का दाम बढ़ा दिया गया था सही पर उससे सम्बन्ध रखने वाले न्यायों के निवारण का कोई प्रबन्ध या यत्न नहीं किया गया। सन् १८७१ में लैफ्टिनैन्ट गवर्नर ने पटना के कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट की आलोचना करते हुए लिखा था—

"The practice under which the *ryots* were compelled to give up a portion of their land for indigo is the compulsory feature of the system to which his Honour has more specially alluded as contrary to free trade principles. Again the practice of forcing the cultivators to exchange such of their lands as may be arbitrarily selected from time to time by the planter or his servant is an intolerable grievance as is well set forth by Mr Forbes, even where there is what purports to be an agreement. In these cases t is obvious that the character of the greement is such that no person of power and influence equal of that of th planter himself would think as mere matter of business of entering into t."

अर्थात् इस प्रथा से रैयतों का खेत नील बोने के लिए जबरदस्ती ले लेना प्रधान बात है जिसको लाट साहब ने अबाध्य वाणिज्य के नियमों के विरुद्ध बतलाया है। इसके अलावा समय-समय पर नील साहब या उनके कारिन्दे अपनी इच्छानुसार रैयतों के खेतों में से अच्छे खेतों को चुन लेते हैं। इसका इकरारनामा रहने पर भी यह असह्य प्रथा है जैसा फौर्ब्स साहब ने कहा है। जाहिर है कि इकरारनामा इस प्रकार का है जिसको कोई मनुष्य जिसकी शक्ति और प्रभाव नीलवरों के मुकाबले का है वह केवल तिजारती व्यवहार-बुद्धि से कबूल नहीं कर सकता है।

उस समय के समाचारपत्रों में इसकी पूरी चर्चा जारी रही और सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहा। सन् १८७५ ई० में पटना के कमिश्नर ने प्रस्ताव किया कि नील सम्बन्धी शिकायतों के विषय में जाँच करने के लिए एक कमीशन नियत किया जाय। उस समय सर रिचर्ड टेम्पल (Sir Rechard Temple) बंगाल के छोटे लाट थे। उनका यह विचार हुआ कि कमीशन मुकर्रर करने से बहुत अशांति फैल जायगी। इसलिए जिले के अफसरों को खास हिदायत की गई कि रैयत और नीलवरों के बीच के झगड़ों को वे कानून के अनुसार निरपेक्ष भाव से तसफिया किया करें।

जब अशान्ति के कारण ज्यों के त्यों छोड़ दिये गये थे तो शांति कैसे हो सकती थी? सन् १८७७ में इस विषय की आलोचना करते हुए मिस्टर स्टुअर्ट बेली (Mr Stuart Bayley) ने जो उस समय पटना के कमिश्नर थे यह लिखा कि यद्यपि कमीशन का नियत होना ठीक नहीं था पर यह बात निश्चय है जैसा कि यहाँ के अफसरों को खूब मालूम है

कि यहाँ अशांति प्रत्यक्ष बढ़ रही है (The fact remained that there was much discontent manifest enough to local affairs.)।

इसी समय पर रिचर्ड टेम्पल के चले जाने पर ऐशली ईडन बंगाल के छोटे लाट नियत हुए। पाठक जानते हैं कि यह वही सर ऐशली ईडन[1] थे जो बंगाल के नील सम्बन्धी अशांति के समय में मजिस्ट्रेट के पद पर थे और नीलवरों की कार्रवाइयों से भली भाँति परिचित थे। उन्होंने विचार किया कि हलचल न मचाकर चुपचाप नीलवरों को मिलाकर कुछ काम निकालना उचित है। इसलिए उन्होंने नीलवरों को बताया कि असामीवार प्रथा से नील की खेती करना रैयतों के हक में बहुत ही हानिकारक और मुजिर है। अतः नील का दाम कुछ और भी बढ़ा देना उचित है। नील की तिजारती सौदा की शर्त पैदा करने ही से उनमें और रैयतों में शांति रह सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नीलवरों को जबरदस्ती मजदूरी कराना भी अनुचित है। छोटे लाट की ऐसी रंगत देखकर

१ उन्होंने बंगाल के कमीशन के सामने अपने इजहार में कहा था—

'My opinion is that in no instance within the last six years at least have *ryots* entered into any large co tracts for cultivation of th crop and that with th exception of factories which have large extent of churlands cultivated, th indigo cultivation is in no instance the result of free agency but that it is compulsory" इसके कारण बतलाते हुए उन्होंने यह कहा था— First, I believe it to be unprofitable and therefore I cannot believe that any *ryots* would consent to tak up that cultivation involving as t does serious pecuniary loss t himself Secondly it involves an amount of harassing inter ference to which no free agent would subject himself Thirdly from the consideratı of the et of violence to which the planters *have been compelled to resort to keep up the cultivation* as proved by the criminal record of Bengal. Fourthly from the admission of the planters themselves that if *ryots* were free agents they would not cultivate indigo. Fifthly the necessity under which th planters stat themselves t be of spending large sums in the purchase of Zamindaries and other description of rights giving them territorial influence nd powers of compulsion without which they would be unable to procur the cultivation of indigo Sixthly the tatements of *ryot* nd the people generally in the districts in which I ha e been. Seventhl as soon as the *ryots* became aware of the fact that they were by law practically free agents, they t once refused t conti ue cul ıv tion

नीलवरों ने सोचा कि यदि उनकी राय के मुताबिक न चलेंगे तो बहुत गोलमाल हो सकता है। इसी विचार से उनकी सम्मतियों को काम में लाने के इरादे से सन् १८७८ में नीलवरों ने अपनी एक सभा स्थापित की जिसका नाम बिहार प्लान्टर्स एसोसियेशन (Bihar Planters Association) रखा गया और जो आज तक कायम है। अपनी पहली बैठक में ही इस सभा ने रैयतों के नील का दाम बढ़ा देना कबूल कर लिया और उसे ९) से बढ़ाकर १ ।=) एकड़ कर दिया। इसके अतिरिक्त यह भी ठीक हुआ कि जिस जमीन पर नील बोया जाय उसकी मालगुजारी भी रैयतों से न ली जाय। इस नियम के सम्बन्ध में इतना कह देना उचित है कि अनेक और नियमों की तरह इस नियम को भी बहुतेरों ने पालन करना अपना कर्तव्य नहीं समझा। दूसरी शिकायतों के विषय में भी इसी तरह नीलवरों ने अपनी सभा में बहुत से नियम बना लिये थे जिनका उल्लेख करना यहाँ पर आवश्यक है। उनसे स्पष्ट मालूम हो जायगा कि उस समय क्या-क्या शिकायतें थीं और उन नियमों के बन जाने पर भी वे शिकायतें ज्यों की त्यों १९[illegible] में मिस्टर गोरले के सामने पेश की गईं और १९१७ में महात्मा गांधी ने प्रायः उसी प्रकार से और उसी जोर से प्रचलित पाया। उस समय जो नियम पास हुए उनमें मुख्य ये थे कि नील की कीमत ६।। हाथ की लग्गी से फी बीघा ९) रुपये दी जायगी। पट्टे में इस विषय की शर्त न रहने पर भी नीलवर रैयत की रजामन्दी बिना नील के खेत को अदल-बदल नहीं कर सकते और जहाँ खेत का अदलबदल किया भी जाय तो एक रैयत का खेत दूसरे रैयत के खेत से बदल न दिया जाय। यदि एसोसियेशन के किसी सदस्य की शिकायत हो तो एसोसियेशन को अधिकार रहेगा कि उसकी जाँच करे और यदि वह सदस्य एसोसियेशन की आज्ञा न माने तो उसे एसोसियेशन से अलग किया जाय। सरकार की ओर से बहुत लिखा-पढ़ी होने पर उन्होंने एक नियम और बनाया कि यदि कोई रैयत बीघा पीछे तीन कट्ठे में नील बोया करे तो उससे ज्यादा की मालगुजारी नहीं बढ़ाई जायगी।

इन नियमों के बन जाने पर प्रान्तीय सरकार ने समझा कि अब शायद अशान्ति न रहे और इसी विचार से वह चुपचाप बैठी रही। पर साथ ही छोटे लाट सर एशले ईडन का यह भी ख्याल था कि रैयतों के दुःखों के कारणों में एक प्रधान कारण यह भी था कि जमींदार लोग अपने गाँवों को नीलवरों के हाथ ठेका दे देते हैं जिससे उनको रैयतों के ऊपर एक प्रकार का अधिकार हो जाता है और उनके सताने का एक अवसर उनके हाथ आ जाता है। पर इस विषय में उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। [illegible] जैसा ऊपर दिखलाया जा चुका है नीलवरों ने अपना ध्यान बनिया व्यापार पर और भी जमा लिया। बनिया व्यापार पर बहुत खर्च हो जाने के कारण सन् १८८८ ई० में विलायत में एक [illegible] [illegible] का [illegible] हुआ। उसकी बराबरी के लिए [illegible] नीलवरों के साथ [illegible]। यह [illegible] १८ [illegible] के साथ हुआ जिसमें [illegible] थी—[illegible] तथा [illegible]। इसके अलावा [illegible]

साथ चंदरोजा बंदोबस्त का होना भी जारी रहा। इसलिए यद्यपि कुछ दिनों के लिए ऊपर से सब कुछ शांत दीखता था पर रैयतों के दुःखों की आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी। सन् १८८७ ई. में बिहार प्रांत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा इससे चम्पारन में लोगों को बहुत कष्ट हुआ। उस समय नीलवरों ने नील का दाम १ ।-) से बढ़ाकर १२) फी एकड़ कर दिया। पर इससे भी रैयतों को सन्तोष नहीं हुआ और हो भी कैसे सकता था। जो आग बराबर से सुलगती आई वह समय-समय पर भड़कती गई। सन् १९ ६ ई. में तेलहरा कोठी के रैयतों ने उसके अंगरेज मैनेजर मि. ब्लूमफील्ड (Mr Bloomfield) को मार डाला। उसमें से कई एक रैयतों पर मुकदमा चलाया गया और तीन आदमियों को जिला जज ने फांसी का हुक्म दे दिया पर हाईकोर्ट में अपील होने पर फांसी का हुक्म रद्द हो गया और उनको ७ वर्ष की सख्त कैद की सजा मिली।

कालीचरण तली को काली का काम करने से रोका है। जब कोठी की ओर से कालीचरण की मुनाहट हुई तो जो मुलाजिम मुकाम के लिए गए थे उनके साथ मारपीट की है। इसमें मुद्दालह लोगों की ओर से यह जवाब दिया गया कि कोठी ने उन लोगों पर केवल दबाव डालने के लिए यह मुकदमा चलाया था। उस समय बेतिया के मजिस्ट्रेट मि० ई० एल० टैनर (Mr E. L. Tanner) थे। उन्होंने मुद्दालहों को सजा दी।[1]

तारीख १४ अगस्त सन् १९०७ को कोठी के रैयतों ने एक दरख्वास्त चम्पारन के कलक्टर के पास भेजी जिसमें उन्होंने अपने दुःख की पूरी रामकहानी कह सुनाई थी। इसमें उन्होंने यह भी लिखा था—

"That instead of growing indigo at three Kathas per bigha, the factory introduced a new system. I half the area, the factory has compelled your petitioners to grow indigo and in the other half Jai (oats) and that it allows only Rs. 15/ per bigha for Jai although according to out-turn deducting expenses of cultivation, it comes up to almost Rs. 45 per bigha.

That if the total area of indigo and jai cultivated by your petitioners does not come up to three Kathas per bigha, the factory for balance area, realises paddy at the rat of 25 mds. per bigha and if it is not paid in time, its price is realised t the market-rat at the time of realisation and that the factory does not pay any compensation for paddy or its prices thus realised

That bullock carts, ploughs, labourers of your petitioners and petitioners themselves are forced to work t one-fourth of the ordinary wages and sometimes for nothing

अर्थात्, 'बीघा पीछे ३ कट्ठा नील कराने के बदले कोठी ने अब एक नई चाल चलाई है। बीघा की आधी जमीन में कोठी ने हम लोगों से नील कराई है और बाकी आधी जमीन में जई और एक बीघा जई के लिए हमें केवल १५) रुपए मिलते हैं यद्यपि खर्च घटाकर पूरी पैदावार कोई ४५) रुपए की होती है। यदि जई और नील की आबादी मिलकर ३ कट्ठे बीघा पीछे न आबाद किया जाय तो कोठी जो जमीन ३ कट्ठे में घटती है उसके लिए बीघा पीछे २५ मन धान हमसे वसूल करती है और यदि समय पर धान न दिया जाय तो बाजार दर से उसकी कीमत वसूल करती है और इस धान के लिए किसी किस्म का बदला हमें नहीं मिलता।

हमारी बैलगाड़ी, हमारे हल और मजदूर और स्वयं हम सब को जबरदस्ती कोठी में काम करना पड़ता है और जो मजदूरी और जगह मिलती है उसकी केवल एक-

1 *Judgement of 12th September 1907 In Emperor Vs. Faujdar Dubey and others.*

चौथाई हमें मिलती है और कभी-कभी तो कुछ भी नहीं मिलता।

अन्त में उन्होने जाँच के लिए प्रार्थना की। इस दरख्वास्त पर मि टी एस मैकफर्सन (T S. Macpherson) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मि टैनर (Mr Tanner) को इन सब बातों की जाँच के लिए हुक्म देते हुए लिखा—

"The matters raised are of great importance to the peace of the villages concerned and a searching enquiry as to the existence of the causes of complaint specified is essential   It should be as wide and unrestricted as possible   I can see that certain persons are ringleaders but it does not at all follow that the agitati n which is so wide spread is with out foundation."

अर्थात् दरख्वास्त की बात देहात की शान्ति के लिए आवश्यक है। दरख्वास्त में की गई शिकायतों की बहुत कड़ी जाँच होना अत्यन्त आवश्यक है। जाँच जितनी अधिक और बेरोकटोक हो उतना ही अच्छा। मुझे मालूम होता है कि इस आन्दोलन को कुछ मुखिया लोगों ने खड़ा किया है पर इससे यह नहीं साबित होता है कि यह इतना बड़ा आन्दोलन निर्मूल है।

जान पड़ता है कि मि टैनर ने इसकी पूरी और सन्तोषजनक जाँच न की क्योंकि शेख गुलाब ने जो वहाँ के रैयतों का मुखिया समझा जाता था और लोगों से मिलकर इस सम्बन्ध में छोटे लाट के पास एक मैमोरियल भेजा था उसमें उसने इस जाँच के विषय में यह लिखा था—

That the sub-divisional fficer of Bettiah went only to three Mauza nd made enquiries of some of your memorialists and then went w y leaving the enqu ry ncomplete"

अर्थात् बेतिया के मजिस्ट्रेट ने कुल तीन ही मौजों में हम लोगों से कुछ जाँच की और फिर जाँच पूरी किये बिना ही चले गए।

बात जो हो पर इसमें सन्देह नहीं कि इस जाँच से रैयतों को सन्तोष नहीं हुआ और अशान्ति ज्यों-की-त्यों बनी रही बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई।

नवम्बर महीने के आरम्भ में मोतिहारी थाना के दारोगा ने बेतिया के मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट भेजी जिसमें लिखा था कि कुछ रैयत दूसरों को नील बोने से मना करते हैं और मालगुजारी देने में भी बाधक हैं इसलिए उन पर १०७ धारा के अनुसार कार्रवाई की जाय। मजिस्ट्रेट ने चार रैयतों से शान्ति रखने के लिए मुचलका लिया। बेचारे रैयत इन कार्रवाइयों से परेशान हो गये। कितने जेल गये कितनों से मुचलका लिया गया और कितनों को हवालात दी गई (स्पेशल कान्स्टेबिल मुकर्रर किये गये)। इस सम्बन्ध में जो मेमोरियल छोटे लाट को दिया गया उसका भी कोई सन्तोषजनक फल नहीं हुआ। किन्तु इतने दुःखों को झेलने पर भी रैयत नील बोने पर राजी नहीं हुए। अन्त में साठी कोठी को

नील पैदा करना बन्द कराना पड़ा और रैयतों के सर से एक भारी बोझ हटा।

पर कोठी चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने एक दूसरा ही रास्ता रैयतों से रुपया वसूल करने का निकाला जिससे नील का घाटा पूरा हो जाय।

सन् १८८ में साठी कोठी ने नील वगैरह पटाने की नीयत से पण्डई नदी से एक नहर खुदवाई थी। इस नहर के सम्बन्ध में कोठी ने बेतिया राज्य को एक इकरारनामा लिख दिया था जिसमें कोठी ने नहर को ठीक रखने का भार लिया था और उसमें एक शर्त यह भी थी कि 'रैयत नहर के पानी से बिना मूल्य अपना खेत सींच सकेंगे।

जब तक रैयत कोठी के लिए नील बोते चले गये तब तक उनको नील के खेत सींचने के लिए पानी मुफ्त में मिलता था। जब १ ८ में कोठी ने नील बोना बन्द कर दिया तब रैयतों से पानी के लिए फी बीघा १) रुपये कोठी ने वसूल करना शुरू किया। इसका नाम 'पैन खर्चा' पड़ा। किसानों की इच्छा यह १) रुपये देने की बिलकुल नहीं थी। तथापि कोठी ने अपने काम को पक्का करने के लिए हर आसामी से एक इकरारनामा लिखा लिया। जो आसामी इसके लिखने से इनकार करते थे कहा जाता है कि उनसे जबरदस्ती लिखाया गया। इस काम के लिए साठी कोठी में सरकार की ओर से एक खास रजिस्टार रखे गये। कुछ दिन पहले कोठी के विरुद्ध खड़े होने से लोगों की जो दशा हुई थी वह उन्हें मालूम था। इसलिए इच्छा न रहते हुए भी मारे भय के उन लोगों ने इकरारनामा लिख दिया। इकरारनामे में कोठी ने पूरा पानी देने का वादा किया। पर यह शर्त केवल कागज पर ही लिखने के लिए था। जिन किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँच सकता था जो इस पैन से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते थे उनसे भी बीघा पीछे १) रुपये वसूल किये गये। सन् १९१३ १५ के सर्वे के समय साठी देहात के रैयतों ने पैन खर्चा देने से इनकार कर दिया और इसकी शिकायत की। सर्वे के अफसरों की जाँच से मालूम पड़ा कि सचमुच उन रैयतों से पैन खर्चा वसूल किया गया था जिनको इससे कुछ भी लाभ नहीं। पूरी जाँच के बाद कोठी वालों की पोल खुल गई। वे पट्टे जिनको रैयतों ने लिखे थे मुस्तर्द किये गये और पैन खर्चा अबकाव शुमार करके बन्द कर दिया गया। रैयतों ने इस बात को खुशी से कबूल किया और उनका पैन खर्चा सम्बन्धी दुःख दूर हुआ। अब जिनको पानी की जरूरत पड़ती है वह रुपया देकर लेता है।

जिस प्रकार साठी कोठी के देहात में बिना किसी नफ्के के नील उपजाया जाता था उसी प्रकार बेतिया सब-डिवीजन की और कई कोठियों में भी नील उपजाया जाता था। सन् १ ०८ में साठी कोठी के रैयतों ने नील बोना छोड़ दिया। यह बात आस पास के रैयतों को भी मालूम हो गई। फिर क्या था वे अब तक नील के बन्धन में पड़े रह सकते थे म एक-एक करके उन लोगों ने नील बोना बन्द करना शुरू किया। साठी कोठी में नील बन्द करने में मन बुनाव ने बड़ा भाग लिया था। उनके उदाहरण से लोगों के दिल में और भी साहस और उत्साह भर आया। मन बुनाव को बड़ी भारी आर्थिक और शारीरिक

stories are current in the neighbourhood of equestrians being ambushed, *of frantic rides along jungle paths through crowds of ruffians* armed with Lathis and of inoffensive folk being molested on the high way Police Inspector Knight was himself badly mauled by a Badmash w th a lathi. M Maxwell Smith, a planter was chased by mob and a tumtum belonging to Mr Moore factory manager was burnt t Muzafferpur

"On Wednesday last nineteen persons were convicted here under Sec. 143 I P C. for being members of an unlawful assembly and sentenced, besides graduated fines in each case, to the full term of six months solitary confinement. There are now no less than 200 prisoners awaiting their trial at Motihari under various charges chiefly for assaulting Europeans for arson and under Sec. 505 for inciting class against class. Th principal ccused in this group is Sital Roy who holds ryoti lands under M S.E. Coffin of the Sathi factory in Bettiah Sub-Division, Radhumall Marwari Banker nd Ramswarath his Gumasta were arrested recently"

अर्थात् बिहार के चम्पारन जिले के बेतिया सब-डिवीजन म इस समय विचित्र स्थिति हो रही है। नीलवरो और रैयतो के बीच झगड़ा होने से फसाद के कार्य शुरू हुए है और यूरोपियनों की रक्षा के लिए बाकायदा हथियारबन्द पुलिस और गोरखो की बड़ी फौज शहर और उसके आस-पास की जगहो में लाकर रखी गई है। बिहार लाइट हाउस के हर मेम्बर को पचास-पचास फायर के लायक छर्रे दिये गये है और कुछ जगहों में सब-डिवीजन न पूरे तौर स अभी गश्त आरम्भ कर दी है। पुलिस को खास ऐसे मामलो की रिपोर्ट मिली है जिसमे यूरोपियनो पर हमले हुए है और अफवाहे भी अड़ोस-पड़ोस में उड़ रही है कि सवारो पर लाठी से हमला मारा है जंगली रास्तो पर लट्ठबन्द बदमाशों के गरोह होकर घुड़सवार रुक-रुक कर घोड़ा दौड़ाकर निकल भागे है और बेकसूर लोग लाठी पर लगाये गये है। खुद पुलिस इंस्पेक्टर नाइट पर एक बदमाश न लाठी से बुरी तरह से वार किया था। एक दल के लोगो ने मि मैक्सवेलस्मिथ नाम के नीलवर का पीछा किया और कोठी के मैनेजर मि मूर का एक टमटम मुजफ्फरपुर म जला दिया गया।

गत बुधवार को बेतिया में १९ आदमियो को दफा १४३ के मुताबिक नाजायज दल के मेम्बर होने के अभियोग पर जुर्माने के अलावे छ-छ महीने एकान्तवास कैद की सजा हुई। इस समय दो सौ से कम आदमी नहीं है जिन पर कई अभियोगों पर जिनमें यूरोपियनों पर हमला करने आग लगाने और दफा ५ ५ के मुताबिक जाति जाति में घृणा उत्पन्न करने के अभियोग मुख्य है मोतीहारी मे मामला पेश है। इस दल म प्रधान अभियुक्त बेतिया सब-डिवीजन की साठी कोठी के मैनेजर मि एस ई काफिन का रैयत

गवर्नमेण्ट ने एक खास मजिस्ट्रेट मि गुड (Mr Goode) को भेजा। प्राय १ मुकदमे हुए जिनमें कोई १ से अधिक अभियुक्तों को सजा मिली। राजूमल ने अपना अपराध कबूल किया और १) रुपये के जुर्माने पर छूटे। शीतल राय को २ वर्ष ६ महीने की सख्त कैद और २) रुपये जुर्माने का हुक्म हुआ। सरकार ने इस इलाके में विशेष पुलिस (Punitive police) बैठा दी जो इस बेहाल में नवम्बर सन् १९ ८ से लेकर अप्रैल सन् १९ ९ तक रही। इसका सारा खर्च रैयतों से ही वसूल किया गया। अनुमानतः उस समय रैयतों से १) रुपये वसूल किये गये।

ऊपर कहा गया है कि जब कभी चम्पारन के रैयतों ने अपने दुखों से उकताकर सर उठाने की कोशिश की है तो नीलवरों ने उसका सारा दोष बाहर के लोगों पर ही मढ़ना चाहा है। अपनी प्रकृति के अनुसार इस बार भी नीलवरों ने वैसा ही करना चाहा था कि बंगालियों ने यहाँ आकर राजनीतिक आन्दोलन कर दिया है इसी कारण यहाँ के रैयत बिगड़ खड़े हुए हैं। परन्तु यह बात बिलकुल बेजड़ की थी क्योंकि उसी समय ता २ दिसम्बर १ ८ के स्टेट्समैन (Statesman) के विशेष संवाददाता ने इस तथा अन्य विषयों की समालोचना करते हुए लिखा था—

"The expediency of departmental enquiry by th Government into the troubles of the planters and th grievances of the *ryots* will probably have been uggested by my last letter upon the present situati n in this Sub-Division of Champaran. From enquiries I have made today it seems that some action by the Government is generally regarded as not only desirable but necessary and as the wish n father to the thought, it is hinted as a possibility that commission may be ppointed when the Police Court cases are over in order that thorough investigation may be made. In the meantime in view of this not unlikely contingency it is only fair to those who are connected in any way with the case that I should publish the result of my interview with *ryots* and so to collate and confront them with th recorded statements of the planters.

At the outset I must record certain alleged acts of reprisal on the part of the factory servants and so-called friendly villagers who, now that they are backed by bayonets and rifles, have, it is said, turned upon the enemy in some parts of the District with retaliatory Lathi blows. During the riots of the *ryots*, some hard knocks were occasionally given, as the evidence shows, and some of those who were knocked in the first place have, it is rumoured, been returning the compliment with compound interest. While walking early this morning through the bazar an individual of the coolie variety

is purely agrarian. The *ryots* have held their holdings for generations, they rarely pass beyond the limitations of the farm they know nothing and care nothing about the hubbub of the outside world the entire interest of each one of them is centered upon his own individual paddy patch. In the Police Court evidence, it is said that the *ryots* conspired to drive the sahibs out of the country' but the country in their case means the Bettiah S b-Division not the Indian Empire, and it is erroneous to suppose that the agitation has any thing t do with Bengalee anarchism.

I interviewed today some persons whose names need not be mentioned, within the dukul of a certain factory where the agitation commenced in the first instance. The *ryots* in this dukul have not renewed the sattas of their forefathers and they contend, in th absence of any agreement to the contrary that they are under no obligation to cultivate indigo on their farms for the use of the factories.

THE QUESTION OF COMPULSION

Has any compulsion been mad in order to induce you t grow indigo ?" was the first question put to the visitors from Sathi.

"Since last year there has been no compulsion" said one of the men either as regards indigo or any other crop for the benefit of the factory W have merely to pay Rs. 3/ per bigha in order to evade the obligation to devot three kathas in the bigha to indigo cultivation

By that payment you cknowledge the existence of some sort of obligation ?"

Yes replied the second man "under the old Sattas we were paid Rs. 19 per bigha for growing indigo. Although we have now no formal Sattas, we have hitherto been growing ind go under the cond tions contained in the former contract For about twenty-five rs, w ha worked without Sattas For the past thirty years new agreements have been introduced til recently I have never seen Satta The sahib w quite willing to go on without hem seeing no necessit for their re- oduction Last yea however h Sahib purchased bout 400 rupees worth of greement tamps, and me places, by force he compelled the asamis to sign new Sa They ha once petitioned the collector t ting that they ere compelled by the Sahib gainst heir will to ubscribe to

these new contracts. Under the Sattas a *ryot* receives Rs. 15 per bigha for oats and Rs. 19 for indigo but from our own country crops we can make Rs 40 to 50 per bigha. A bigha would realise from 60 to 70 maunds of oats, and in the rainy season, when oats (a winter crop) have been harvested, we are able to get a full crop of paddy which may possibly come to from 60 to 65 maunds which would realise about Rs. 120

'What do you mean when you say that your brothers were forced to sign new agreements?

"They were compelled by the institution of false charges and imprisonment. Last year there were several cases against my relatives, and they were bound down to keep the peace.

"Is t not a fact that after the indigo is cut, you are at liberty to grow rabi fo your own use on the Indigo land ?"

"We are not allowed to do so The land must li follow until the next sowing in order to increase its productiveness. The introduction of Java seed is an experiment and at present it occupies the ground for three years to the exclusion of country crops. We do not want to grow indigo As regards sugarcane, it does not pay us sufficiently to cultivate it for the factories. We can make much b gger profits if we grow crops for ourselves in our own way "

If that is true how do you account for so much sugarcane being sent to a factory by outside *ryots* who are under no such compulsion as you uggest ?"

It comes about in this way The *ryots* grow cane in order t convert t into golden sugar They have not the req isit machi nery for con ertı g their entire crop and what remains of the cane is sold t th factories. The factories ha e ufficient land of their own both for indigo and ugar and they should therefore allow us the freedom of doing as we like "

"You were contented nd happy in the past while working for the Sah bs Why have you changed your attitude so suddenly?"

"At t me when foodstuffs were cheap we were willing to grow indigo For the last few years, however there has been drought nd scarcity and the prices of cereals ha e gone up and we can now mak larger profits from our own crops. When growi g ind go w are engaged in that work throughout the year and our own lands re neglected, and we ha e to pay *backees* to the *Sepoy al* the *tikedar*

is purely agrarian. The *ryots* have held their holdings for generations, they rarely pass beyond the limitations of the farm they know nothing and care nothing about the hubbub of the outside world the entire interest of each one f them is centered upon his own individual paddy patch. I the Police Court evidence it is said that the *ryots* conspired to "drive the sahibs out of the country' but " the country" in thei case means the Bettiah Sub-Division not the Indian Empire, and it is erroneous to suppose that the agitation has any thing to do with Bengalee anarchism.

I interviewed today some persons whose names need not be mentioned, within the dukul of a certain factory where the agitation commenced in the first instance. The *ryots* in this dukul have not renewed the sattas of their forefathers and they contend, in the absence of any agreement to the contrary that they are under no obligation to cultivate indigo on their farms for the use of th factories.

THE QUESTION OF COMPULSION

Has any compulsion been made in order to induce you to grow indigo ? was the first question put to the visitors from Sathi.

'Since last year there has been no compulsion said one of the men either as regards indigo or any other crop for the benefit of the factory W have merely to pay Rs. 3/ per bigha in order to evade the obligation to devote three kathas in th bigha to indigo cultivation.

By that payment you acknowledge the existence of some sort of obligati ?"

Yes replied the second man "under the old Sattas we were paid Rs. 19 per bigha for growing indigo. Although we have now no formal Sattas, we have hitherto been growing indigo under the conditions contained in the former contracts. For bout twenty-five years, we have worked witho t Sattas. For the past thirty years no new agreements have been introduced until recently I have never seen 'Satta The sahib was quite willing to go on without them seeing n necessity for their re-introduction. Last year however the Sahib purchased about 400 rupees worth of agreement stamps, and some places, by force, he compelled the assamis t sign new 'Sattas They have since petitioned the collector tating that they were compelled by the Sahib against their will to subscribe to

and *Zilladar* of th factories, if we d not, they make us do extra work, which is objectionable to us and th dhangars who did the menial work in the past, at 4 annas per day have been sent away and we are compelled to do their task ourselves, at 5 or 6 pice for these reasons we do not wish to contract with the Sahibs for th cultivation of Indigo

अर्थात्, मैंने अपनी गत चिट्ठी में इसका इशारा किया है कि इस सब-डिवीजन के रैयतों के दुःखों तथा नीलवरों की शिकायतों की जाँच सरकार द्वारा होनी चाहिए। आज की जाँच से मुझे मालूम हुआ है कि सरकारी जाँच उपयुक्त ही नहीं बल्कि आवश्यक भी समझी जाती है। और यह कहा जाता है कि शायद इस काम के लिए जो मुकदमे पेश हैं उनके खतम हो जाने के बाद एक कमीशन मुकर्रर हो जो इन सब बातों के विषय में पूरी जाँच करे। इस बीच में मैं मुनासिब समझता हूँ कि रैयतों के द्वारा जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उसको प्रकाशित कर दूँ ताकि नीलवरों के ब्यान से उसका मुकाबला किया जाय। शुरू में मैं उस ब्यान का जो कि कोठी के नौकरों तथा 'भेली' रैयतों के विषय में उनकी उन कार्रवाइयों के सम्बन्ध में जो वे संगीन और बन्दूक की मदद पाकर अपने विपक्षी से लाठी द्वारा बदला लेने के लिए कर रहे हैं उल्लेख कर देना चाहता हूँ। रैयतों के दंगे के समय में कुछ लोगों को गहरी चोट लगी थी। ऐसे लोग अब सूद के साथ बदला ले रहे हैं। आज सुबह को जब मैं बाजार जा रहा था एक दुखी भेली का आदमी मेरे पास दौड़ा हुआ आया और अपनी मार की कहानी सुनाई। वह बहुत रोया और अपने बदन पर लाठी का दाग दिखलाया। हमने उसे कुछ पैसे दिये और मजिस्ट्रेट के पास नालिश करने को कहा। पैसे उसने खुशी से ले लिये पर मेरी सलाह उसे अच्छी न लगी। मैंने समझा कि यह बात यहीं खतम हो गई। जब मैं अपने खेमे के पास लौटा तो एक बैलगाड़ी पर सवार कई आदमी लेटे हुए, कई आदमी रोते हुए मेरे पास पहुँचे। जिन लोगों ने लड़ाई देखी है उन लोगों ने ऐसे दृश्य बहुत देखे होंगे। पर इस शान्त प्रान्त में ऐसे दृश्य का देखना बहुत आश्चर्यजनक था। गाड़ी पर जख्मी लोग पड़े थे। एक आदमी का हाथ खून आलूदा कपड़े से बँधा हुआ था। दूसरे के गले में वैसा ही खून आलूदा कपड़े से बँधा हुआ था। प्रायः सबों के शरीर पर चोट के निशान थे। उनमें से एक बूढ़े ने जो सबों के बदले बोलता था पर जिस पर कोई चोट नहीं दीख पड़ी उन लोगों की रामकहानी कह सुनाई। किसी कोठी के मुलाजिमों ने अपने मालिक की अनुपस्थिति में इन सबों की खबर ली है। इसकी सचाई और झुठाई का विचार अदालत कर सकती है पर यदि यह बात सच है तो उन नीलवर महाशय को चाहिए कि वे अपने मुलाजिमों और पीठलगुओं पर कड़ी निगाह रखें।

चन्द नीलवरों ने मुझसे इसका प्रतिवाद करने को कहा है कि यहाँ का आन्दोलन बंगाली आन्दोलकों ने खड़ा किया है। मैंने सुना है कि यह बात कलकत्ते के किसी समाचार पत्र में निकली है। पर पाँच ही मिनट बेतिया में रहने से मालूम हो जायगा कि यह बात

दिलचस्पी जाहिर की है क्योंकि बंगाली और बिहारी के बीच एक प्रकार का विचित्र विरोध जमाने से चला आ रहा है। बराजक दल वाले बंगालियों की यहाँ कोई सुनेगा ही नहीं। बेतिया के रैयतों को राजनीति का गूढ़ तत्त्व समझाना वैसा ही मुश्किल है जितना उनको रेखागणित का कोई गूढ़ प्रश्न समझाना। यहाँ की अशान्ति बिलकुल कोठी के विषय में है। पुश्त-दर-पुश्त से रैयत खेती करते आए हैं और अपने गाँवों के बाहर वे शायद ही कभी गए हों। बाहर दुनिया की बातों की न तो उन्हें कोई खबर है और न परवाह। फौजदारी अदालत में कहा गया है कि रैयतों ने साहबों को देश से निकाल देने का षड्यन्त्र किया था। पर वे देश से केवल बेतिया इलाका समझते हैं और यह समझना बिलकुल गलत है कि इस आन्दोलन को बंगाली अराजकों ने उभाड़ा है।

आज मेरी उस कोठी के देहात के कई रैयतों से मुलाकात हुई जिनके इलाके में सबसे पहले झगड़ा शुरू हुआ था। उस देहात के रैयतों ने नया पट्टा नहीं लिखा है। और वे कहते हैं कि पट्टा नहीं रहने पर वे नील बोने के लिए पाबन्द नहीं हैं। भाटी के रैयतों से मैंने पूछा कि तुम पर नील बोने की जबरदस्ती की गई है? उसने जवाब दिया पारसाल से नहीं होती है। हम लोगों को नील न बोने के बदले कलम ३) बीघा पीछे देना पड़ता है। मैंने पूछा कि रुपये देकर तुम इस बात को कबूल करते हो कि तुम पर नीलवरों की पाबन्दी है? उसने कहा कि हाँ बात तो सच है पर पुराने सट्टे के अनुसार हम १९) फी बीघा नील के लिए मिलते थे। आज तक सट्टा न रहने पर भी हम लोग उसी शर्त पर नील बोते आये हैं। प्रायः २५ वर्षों तक हमने बिना सट्टे के ही नील बोया है और प्रायः १ वर्षों तक कोई नया मुआहिदा नहीं हुआ था और साहब भी उसकी जरूरत नहीं समझते थे। पर पारसाल साहब ने कोई ४) रुपये का स्टाम्प खरीद किया और नया सट्टा लिखने के लिए रैयतों को मजबूर किया। सट्टे के अनुसार फी बीघा नील के लिए १) और जई के लिए १५) मिलते हैं। यदि हम अपना गल्ला पैदा करें तो हम बीघा पीछे ४)–५) रुपये तक का मुनाफा होता है। एक बीघे में ६ ७ मन जई होती है और बरसात में जब जई कट जाती है तो हम उसी खेत में प्रायः ६०–६ मन धान भी पैदा कर सकते हैं जिसका दाम कोई १२) होता है। मैंने पूछा कि जबरदस्ती सट्टा लिखाने का क्या मतलब है? उसने उत्तर दिया कि झूठा मुकदमा दायर करके हम जेलखाने भेजा जाता है। पारसाल मेरे कई सम्बन्धियों में मुकदमे किये गये थे। मैंने पूछा कि नील कट जाने पर क्या तुम उस खेत में रबी बाजरा नहीं बो सकते हो? उसने उत्तर दिया कि हम ऐसा नहीं करते पाते। खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए उसे परती रखना पड़ता है। जाता नील प्रायः १ साल तक खेत को कमजोर रखती है। उस भी कोठी के लिए धान में हम कोई गरज नहीं है। अगर हमें अपने खेत को अपनी इच्छानुसार आबाद करने दिया जाय तो उसमें हम

१ चम्पारन के इस हिस्से का बीघा स्टैंडर्ड बीघे का प्रायः दूना होता है।

अधिक नफा है। मैंने पूछा कि यदि यह बात सत्य है तो बाहर के देहातों से इतनी ऊख कोठी को ऐसे भाव जिस पर काश्तकारों का कोई दबाव नहीं है क्या पहुँचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि रैयत गुड़ के लिए ऊख बोते हैं पर उनके पास अपनी पूरी पैदावार का गुड़ बनाने के साधन काफी नहीं हैं। इसलिए बचे हुए ऊख को वे कोठी में पहुँचा देते हैं। कोठियों को ऊख और नील बोने के लिए काफी जमीन है। इसलिए उन्हें हम रैयतों को स्वतंत्र छोड़ देना ही उचित है। मैंने पूछा कि—पहले तो तुम लोग साहब के लिए खुशी से नील करते थे पर अब क्यों ऐसी अशान्ति विराज रही हो? उत्तर मिला कि जब अन्न सस्ता था तो हम नील कर देते थे पर कई वर्षों से बुखार और महँगी पड़ने के कारण गल्ले की कीमत बढ़ गई है और अब हम को इसी वस्तु में अधिक नफा है। नील में हम लोग साल भर उसी में लगे रह जाते हैं और अपने खेतों को आबाद नहीं कर सकते तथा कोठी के [illegible] जिलेदार, ठेकेदार को हम दस्तूरी देनी पड़ती है। यदि हम यह न दें तो वे हमारे से अधिक काम कराते हैं। जो चमार पहले चार आना रोजाना मजदूरी पर काम करते थे वे अब वहाँ से चले गये और वही काम अब हम लोगों को पाँच-छ पैसे रोजाना पर करना पड़ता है। इन्हीं कारणों से अब फिर हम नील का मुआहिदा साहब के साथ नहीं करना चाहते हैं।

शान्ति स्थापित हो जाने के बाद गवर्नमेण्ट ने बेतिया के रैयत तथा नीलवर सम्बन्धी बातों की जाँच और उन पर विचार करने के लिए मि डबल्यू आर. गोरले (Mr W R Gourlay) को जो उस समय बंगाल सरकार के कृषि विभाग के अध्यक्ष (Director of Agriculture) थे और उसके पहले चम्पारन में भी रह चुके थे भेजा। वे २ दिसम्बर, सन् १ ८ को बेतिया में पहुँचे और रैयतों से उनके दुःखों के कारणों का अनुसंधान किया। चम्पारन के किसान आज तक मि गोरले का नाम लेते हैं और कहते हैं कि यदि वैसे हाकिम चम्पारन में भेजे जाते तो हम लोगों के दुःख कभी के दूर हो गए होते। सब बातें अच्छी तरह देखभाल कर मि गोरले ने सरकार में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा है यह आज तक मालूम नहीं क्योंकि बहुत कहने-सुनने पर भी सरकार ने आज तक उसे प्रकाशित नहीं किया। इस विषय में बंगाल तथा बिहार की व्यवस्थापिका सभाओं में विशेषतः माननीय बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने जो १९१ में बंगाल कौंसिल के सदस्य हुए थे कई प्रश्न किये। किन्तु सरकार ने सन्तोषजनक उत्तर कभी भी नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट को प्रकाशित करने से एकदम इनकार कर दिया। समाचारपत्रों ने इस विषय को लेकर बड़ा भारी आन्दोलन किया। पर उसका कोई भी फल नहीं निकला। इससे लोगों का सन्देह बढ़ता गया और यह धारणा हो गई कि मि गोरले की रिपोर्ट में नीलवरों की ही शिकायतें हैं और किसानों के बयान सब सत्य ठहराए गए हैं। माननीय मि मॉड ने चम्पारन एग्रेरियन बिल पेश करते समय धारासभा में जो व्याख्यान दिया था उसमें इस जाँच के विषय में यह कहा था—

"The result of that enquiry (Mr Gourlay's) was a restatement of all the old grievances which figured in all previous inquiries. Mr Gourlay found that the cultivation of indigo on the Asamiwar system did not pay the *ryot* that the *ryot* had to give up his best land for indigo that the cultivation required labour which could be employed more profitably elsewhere and generally that the system was irksome and led to oppression by the factory servants."

अर्थात्, इस जाँच का नतीजा वही निकला जो पहले की जाँचों में निकला था। सब रैयतों की वही शिकायतें जो पहले पाई गई थीं अब भी मिलीं। मि० गोरले का यह निश्चय है कि असामीवार प्रथा से नील करने में रैयतों को कुछ फायदा नहीं था। उनको अपनी सबसे अच्छी जमीन नील के लिए दे देनी पड़ती थी। नील उपजाने में जो मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी उसी मेहनत से वे अन्य फसलों में अधिक नफा उठा सकते थे। और साधारणतः यह प्रथा दुःखदायी थी और इसके कारण कोठी के मुलाजिमों को जुल्म करने का मौका मिलता था।

इस रिपोर्ट के बाद सर एडवर्ड बेकर ने जो उस समय बंगाल के छोटे लाट थे नीलवरों को बुलाकर जिस तरह सर एण्ड्रू फ्रेजर ने किया था समझाया-बुझाया और उनके साथ दार्जिलिंग तथा पटना में सन् १   १ में एक गोष्ठी की। इसी गोष्ठी का यह फल हुआ कि नील का दाम फी बीघे १२॥) सैकड़ा बढ़ा दिया गया और तीन कठिया के बदले दो कट्ठे में नील करना तथा मर्जी कराकर नील के सिवा और कोई आबदार नहीं कराने का निश्चय किया गया। दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि इसके बाद भी कहीं कहीं के नीलवरों ने दो कट्ठे के बदले तीन कट्ठे में नील अथवा जई उगन आदि इस निश्चय के विरुद्ध कराया। यहाँ पर यह भी लिख देना जरूरी है कि मि० गोरले की जाँच के बाद उन रैयतों को जो जेल में पड़े थे सरकार ने छोड़ दिया। लोगों का पक्का विश्वास है कि यह भी उसी रिपोर्ट का फल था।

इस झगड़े के बाद चम्पारन के रैयत कुछ दिनों तक दबे रहे। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उनके कष्ट दूर हो गये थे। नीलवरों का अत्याचार उसी प्रकार जारी रहा और उसकी चर्चा भी बराबर कौंसिल तथा समाचारपत्रों में होती रही जब सन् १ ११-१२ में महारानी के साथ बादशाह दिल्ली में राजगद्दी पर बैठने के लिए इस देश में आये थे। उस समय शिकार खेलने के लिए उन्होंने नेपाल की तराई जिसमें चम्पारन की भी यात्रा की थी। उस वक्त यहाँ के १५   रैयत नरकटियागंज स्टेशन पर अपनी दुःख-कहानी सुनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। कहा जाता है कि रैयतों ने जब कुछ कहा भी तब बादशाह ने पूछा कि "ये लोग क्या कहते हैं?" कहा गया कि ये जैजैकार मनाते हैं? पर बात सो ठीक थी। उन्होंने महाराज का जैजैकार अवश्य मनाया किन्तु साथ साथ अपनी दुःख-कहानी भी सुनाई थी। दुःख है उनके दुर्भाग्यवश केवल उनका जैजैकार

Zamindars and *ryots* will always remain on the present satisfactory footing."

अर्थात् यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं और मेरे सहयोगी लोग आपकी इस मनोकामना में बिल्कुल सम्मत हैं कि नीलवरों का सरकारी नौकरों तथा जमींदार और रैयतों के साथ जो प्रस्तुत सन्तोषजनक सम्बन्ध है वह सदा कायम रहे।

इस वक्तृता की समालोचना में नीलवरों के मुखपत्र इण्डियन प्लैन्टर्स गजट (Indian Planters Gazette) में लिखा था—

"Peculiarly opportune too at this particular juncture was His Honour's reference to the satisfactory relations between the planting community and the officials, Zamindars and *ryots* and we hope that the vivacious editor of the Beharee, the erudite author of the articles on the planter and the *ryots* that have lately filled blank spaces in our Patna Contemporary will digest this public official utterance which so quietly and effectually gives the Beharee the lie direct. Our contemporary called upon God and Government to hear while he bore witness to planter oppression and planter extortion. Will the Government, at any rate, regard his testimony as false? We hope that our contemporary has the courage born of convictions, we hope that his editorials were not merely attempts to foment discontent and discord."

इसका आशय यह है कि लाट साहब की वक्तृता में जो उन्होंने नीलवर जमींदार और रैयतों के सन्तोषजनक सम्बन्ध के विषय में कहा है वह भी अत्यन्त समयानुकूल है और हम आशा करते हैं कि बिहारी के सम्पादक तथा 'नीलवर रैयत' लेखों के परिचित लेखक इस सरकारी उक्ति को भली भाँति समझेंगे। इससे बिहारी की सभी बात झूठी साबित हो जाती है। बिहारी नीलवरों की जोर-जबरदस्ती का मातमुल कर रहा था। गवर्नमेण्ट ने उसकी सब बात झूठी बताई। अब उसके लिए उचित है कि वह ऐसे लेख फिर न लिखे नहीं तो हम सब समझेंगे कि वह केवल अशान्ति और वैमनस्य फैलाने के लिए ही ऐसा किया करता था।

यह चम्पारन के रैयतों के भाग्य का ही फेर है कि जिस समय वे नीलवरों के विरुद्ध अपना दरखास्त लाट साहब से तथा अन्य कर्मचारियों के पास भेज रहे थे उसी समय छोटे लाट ने नीलवरों को इस प्रकार के प्रतिष्ठा-पत्र से विभूषित करना मुनासिब समझा। पर यह भी संसार का स्वाभाविक नियम है कि वास्तविक बात कभी छिपी नहीं रह सकती। हमेशा अन्त में सत्य की विजय होती है। छोटे लाट सर चार्ल्स बेली अपने अभिनन्दन के जवाब में चाहे जैसी प्रतिष्ठा नीलवरों को दें या उनके प्रति चाहे जो करें, अन्त में सन् १९१७ में नीलवरों की सारी पोल खुल गई।

छठा अध्याय

सरहबेशी तावान, हरजा इत्यादि

अब हम एक ऐसे समय में आ गये हैं जब नीलवरों की चालबाजी से चम्पारन के सीधे-सादे रैयतों को बराबर के लिए अपने सिर पर एक बोझ उठा लेना पड़ा। अब तक प्रायः सभी कोठियों में नील का कारबार था और रैयतों के साथ जो जोर-जबरदस्ती होती थी वह नील कराने के लिए ही थी पर जर्मनी के कृत्रिम रंग से नील का दाम बहुत घटा दिया और इस कारण नील की खेती में नीलवरों को उतना लाभ नहीं रहा जितना पहले होता था। कहीं-कहीं नुकसान भी होने लगा। तिरहुत प्रान्त की कई कोठियाँ जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर जिलों में भी बहुत नील के कारखाने बन्द हो गये और जो-जो कोठियाँ बच गईं वे अपने खेतों में अन्य काश्तकारों की तरह दूसरा फसल पैदा करने लगे। इसका असर चम्पारन पर भी खूब पड़ा और जैसा ऊपर कहा जा चुका है जहाँ १ एकड़ में नील सन् १८ २ से ९७ में बोया जाता था वहाँ सन् १ १४ में केवल ८ १ एकड़ में नील बोया गया। नील को बचाने के लिए सरकार की ओर से भी बहुत चेष्टा की गई। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस विषय में अनुसन्धान करना शुरू कर दिया पर किसी प्रकार से नील की खेती में लाभ नहीं दीख पड़ा। जो नील बिना मजदूरी दिये अथवा सिर्फ नाममात्र की मजदूरी देकर मजबूर और हर-जैसे द्वारा उपजता था अथवा जो रैयतों से नुकसान उठवाकर जबरदस्ती उनसे कराया जाता था वह नील भी अब लाभ के बदले हानि पहुँचाने लगा। ईश्वर की विचित्र लीला है। रैयत भी यह समझने लगे कि जो अपने प्रार्थनाओं और चेष्टाओं से वे न कर सके थे वह बिना किसी श्रम के अब स्वयं हो जाने वाला है और नील से छुटकारा की उषा मानो पूर्व दिशा से कुछ-कुछ अपनी उजियाली दिखलाने लगी। पर यह कौन जानता था कि एक बड़ा तूफान ऐसा आने वाला है जो अनन्त कुछ दिनों के लिए उस उषा की उजियाली को अन्धकार में परिणत कर देगा।

नीलवर सोचने लगे कि अब तो उनको नील छोड़ना ही पड़ेगा। नील की खेती से जो लाभ होता था अन्नों के बोने से वह कम हो सकता था। फिर नील की कोठी में उन्होंने कल-कारखाने बनवाने में बहुत रुपये लगाये थे—वह सब एकदम डूब जायगा। वे भी और गृहस्थों की तरह मामूली किसान हो जायेंगे। उन्होंने सोचा कि अब कोई ऐसा उपाय ढूँढ़ निकालना चाहिए कि जिससे उनका नुकसान रैयतों के माथे मढ़ दिया जा सके। और वे स्वयं सुख चैन से अपने दिन बिताते रहें। सन् १९१२ से सन् १९१४ तक वे ऐसी ही कार्रवाई में लगे रहे जिससे अपना नुकसान को रैयतों के सिर ठोक दें। इनके

लिए उन्होंने कई तरीके खोज निकाले जिनमें विशेष उल्लेख-योग्य हैं सरहबेशी तावान हुण्डा और हरजा।

चम्पारन के पश्चिमोत्तर भाग की जमीन नील की खेती के अनुकूल नहीं है। इस लिए वहाँ जब अंगरेजों ने कोठियाँ बाँधी तब नील की खेती में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। वे वहाँ कुछ धान की खेती और कहीं-कहीं ऊख और रुई की काश्तकारी करते थे पर इनसे बहुत काम नहीं हो सकता था और उनके नफा का जरिया केवल अबवाब वसूल करना था। इन अबवाब के विषय में पीछे लिखा जायगा। यहाँ उन कोठियों का उल्लेख इसी कारण होता है कि उन्हीं में से एक ने नील का बदला रैयतों से चुकाने का उपाय सोच निकाला था। चम्पारन के उसी भाँग में मुरला नामक गाँव की एक कोठी है। इस कोठी ने नील से जब काम की आशा न देखी तो सन् १८९७- ८ में वहाँ के रैयतों से नील का बदला लेना आरम्भ किया। वह इस प्रकार से किया जाता था। जिन-जिन कट्ठों में रैयतों को नील बोना बाध्य था उनमें उनको नील के बदले धान बोने को बाध्य किया गया और उनमें जो धान पैदा होता था उसे एक नामनिहादी दाम लेकर कोठी ले लेती थी। कभी कभी इस धान के बदले इसका दाम ही ले लिया जाता था। इसे हुण्डा कहते हैं। यह फलतः एक प्रकार से मालगुजारी बढ़ाना था। एक उदाहरण लीजिये। किसी रैयत की जोत २ बीघे की थी और उसकी मालगुजारी ६) रुपये थी। वह ३ बीघे में नील बोने को बाध्य था। उसने इन बीघों में भी धान बोकर ६ मन धान पैदा किया। कोठी इसे नामनिहादी दाम पर ले लेती अर्थात् ६) रुपये के अलावा जो उसकी पहली मालगुजारी थी उसे अब ६ मन धान भी एक नाम-मात्र कीमत पर देने पड़े। जब गवर्नमेण्ट को यह बात मालूम हो गई कि रैयतों से इस प्रकार हुण्डा वसूल किया जाता है तब उसने इसे अबवाब बताकर रोक देने की आज्ञा दी। शायद इस आज्ञा के अनुसार मुरला कोठी ने हुण्डा लेना बन्द कर दिया। पर वह बराबर ३) रुपये बीघा पीछे हरजा लेती रही। यह हरजा उस नील से रैयतों को छोड़ने के लिए लिया जाता था जो वहाँ कभी बोया ही नहीं गया। फिर १९ ५ में इसी प्रकार मोतीहारी कोठी ने नील से रैयतों को छोड़ने के लिए उनसे सालाना बीघ पीछे कुछ हरजा लेना आरम्भ किया। वह नील के बदले उनसे मालगुजारी के अलावा २) ३) बीघा अथवा कुछ कम-बेश लेने लगी। जब यह बात सरकार पर विदित हुई तो सरकार ने फिर इसे रोकना चाहा और इसे भी अबवाब बतलाया। पर इस बार सरकार ने इस विषय में वैसी निरपेक्षता नहीं दिखलाई जैसी अगली बार दिखलाई गई थी। सरकार ने उन कोठियों को जो बन्दोबस्ती ठेका लिये हुए थीं यह कहा कि यदि वे इस अबवाब का वसूल करना बन्द न करेंगी तो उनके साथ फिर ठेका बन्दोबस्त न किया जायगा। पर साथ ही एक बात और जोड़ दी जिससे इस हुक्म का असर बिलकुल बेकार हो गया। यद्यपि अब यह सब पर विदित हो गया था कि नील में कमी पड़ने के कारण रैयतों से भी अधिक अब नीलवर उत्सुक थे कि नील की पैदावार बन्द हो जाय पर तो

भी सरकार ने यह तय किया कि यदि कोठीवाले सट्टे की शर्त के मुताबिक वास्तव में नील कराना चाहें और रैयत नील करना न चाहे तो उस अवस्था में उनसे हरजा लिया जा सकता है। बस इतना कहना था कि नीलवरों को मौका मिल गया और उन्होंने सब रैयतों से हरजा लेना आरम्भ कर दिया।

ऊपर के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि नीलवर जानते थे कि इस विषय में उनकी स्थिति सन्तोषजनक न थी। उन्होंने देखा कि इस प्रकार बार-बार सरकार से पूछना ठीक नहीं। कुछ ऐसा उपाय सोचा जाय कि इससे बराबर के लिए छुटकारा हो जाय। पाठक यह जानते हैं कि बेतिया राज के गाँवों में नीलवरों के स्वत्व दो प्रकार के हैं। कुछ गाँवों में वे मुकर्रीदार हैं अर्थात् बेतिया राज्य ने उनके साथ इन गाँवों का दीमामी (सदा के लिए) बन्दोबस्त कर दिया है। वे बेतिया राज को एक नियत मालगुजारी देते हैं जो बढ़ाई नहीं जा सकती। राज से इन गाँवों का और कोई सम्बन्ध नहीं है। कोठियों को इन गाँवों के सब जमींदारी हक्क हासिल हैं। यदि इन गाँवों की आमदनी बढ़ जाय तो वह शेष रकम कोठी को ही मिलेगी। आमदनी घटने पर कोठी का ही नुकसान होगा। राज को नियत मालगुजारी बराबर मिलती रहेगी। दूसरे प्रकार की गाँवें वे हैं जिनका राजा ने कोठियों के साथ कुछ दिनों के लिए—यानी बम्परोजा—बन्दोबस्त किया है। इन गाँवों में राजा का अधिकार है कि म्याद पूरी होने पर उन गाँवों को वह अपने खास दखल में कर ले अथवा फिर बम्परोजा ठेका कोठी या किसी दूसरे के साथ कर दे। इन गाँवों में यदि आमदनी बढ़ जाय तो म्याद पूरी होने पर वह राज की आमदनी है और राज उस बढ़ती के कारण गाँव ले सकता है या ठेकेदार की मालगुजारी बढ़ाकर गाँव बन्दोबस्त कर सकता है। इन दो प्रकार के स्वत्वों का जानना आवश्यक है क्योंकि इन दो प्रकार के गाँवों में नीलवरों ने रैयतों से रुपया वसूल करने के दो प्रकार के उपाय निकाले। पाठक को एक बात और भी जान लेना आवश्यक है। बिहार में जो पहले बंगाल का भाग था बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट (Bengal Tenancy Act) जारी है। इस कानून में मालिक और रैयत के स्वत्वों का विवरण और उल्लेख है। इसके अनुसार रैयत के दो प्रकार हैं—एक वे जिनको हक मुकाबजात अथवा हक कास्तकारी हासिल है, दूसरे वे जिनको यह हक नहीं है। जिस रैयत को हक मुकाबजात है उसकी मालगुजारी केवल दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है—एक रैयत और मालिक के बीच मुआहिदा के जरिए, और दूसरा अदालत के हुक्म से। पर मालिक को यह हक नहीं है कि मुआहिदा करके जितना चाहे मालगुजारी बढ़ा दे। इसका कारण यह है कि सरकार के ख्याल में रैयत कमजोर है, मालिक से मुकाबला नहीं कर सकते और यदि उनको अपने बल पर छोड़ दिया जाय तो मालिक उनको डरा-धमकाकर उनसे मालगुजारी बढ़ाने का मुआहिदा सहज ही में करवा सकता है और उनकी इच्छा न रहने पर भी वे मालिक की जबरदस्ती से अपने को नहीं बचा सकते। इसलिए बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट (Bengal Tenancy Act) में एक धारा है जिसके अनुसार, यदि

का कहना है कि वे जानते थे कि नील अब चन्द दिनों का मेहमान है। वह अब किसी प्रकार कोठियों के लिए लाभदायक नहीं हो सकता था। वे जानते थे कि आसपास के जिलों से कारण मुजफ्फरपुर और दरभंगा से बहुत कोठियाँ उठ गई हैं और उनको ऐसी ही आशा थी कि चम्पारन से भी नील उठ जायगा। इसलिए रैयतों से जब नील के बदले सट्टा बदल देने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने साफ-साफ इनकार कर दिया—हम अब नील के बदले अपने पुत्र-पौत्रादि के मत्थे यह सरहबेशी नहीं सहेंगे कोठीवाले यदि चाहें तो हम से नील बरा लेवें। पर इस समय कोठियों का स्वार्थ इसी में था कि वे नील का बोना बन्द करके उसके बदले रैयतों से रुपया वसूल करें। उन्होंने रैयतों की बात कब सुनी थी जो कि अब सुनते। उनको सरहबेशी लिखवाने से मतलब था। रैयत कहते हैं कि जितने मुआहिदे सरहबेशी के लिखवाये गये सब जबरदस्ती लिखवाये गये। एक से नहीं हजारों हजार रैयतों ने महात्मा गांधी से यही बयान किया कि उन्होंने मजबूर होकर लाचार होकर, मार खाकर सरहबेशी के मुआहिदों पर अंगूठे के निशान बनाये। जिन लोगों को रैयतों की हृदय-विदारक कहानियों के सुनने का सुअवसर अथवा सौभाग्य प्राप्त हुआ है इजलास पर बैठकर फैसला लिखनेवाले चाहे जो कहें—उनका यह दृढ़ और अटल विश्वास है कि रैयतों ने खुशी से सरहबेशी कबूल नहीं की। हाँ इतना अवश्य है कि प्रत्येक रैयत के साथ जुल्म न किया गया हो—प्रत्येक रैयत पेड़ से बाँधकर चमड़े की चमोटी से पीटा न गया हो—उसको गुदामघर अथवा कोठीघर में बन्द न किया हो—उसके घर सिपाही न बैठाये गये हो उसका पानी पीने के लिए बाहर (एक प्रकार जाति के काम) दरवाजा न रोके हों उसको बाँधकर धूप में न सुलाया गया हो अथवा उसे बाँध कर उसके सिर या छाती पर पत्थर या लकड़ी का बोझ न रखा गया हो—हलवाहे-धोबी को उसका काम करने से न रोक दिया गया हो झूठा मुकदमा चलाकर उसे जेल न भिजवाया गया हो उसके गाँव का रास्ता और उसकी पत्नियों से बच्चों का जाना बन्द न कर दिया गया हो—पर इतना अवश्य है कि यदि किसी गाँव में किसी बड़े प्रतिष्ठित रैयत को किसी प्रकार से दबा दिया गया तो उस गाँव अथवा बाजार के रैयत उसकी हालत देख कर मारे डर के दब गये। और उनका इस प्रकार डरना और दब जाना भी स्वाभाविक ही था। पाठक जानते हैं कि उस समय बिहार प्रान्त के लाट सर चार्ल्स बेली (Sir Charles Bayley) थे। उनकी नीति ही विचित्र थी। उन्होंने रैयतों की दरख्वास्तों की ओर तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उधर नीलवरों के कहने पर कोठी-कोठी पर रजिस्ट्रार बिठा दिये कि सरहबेशी के मुआहिदों की रजिस्ट्री होने में नीलवरों को कष्ट और विलम्ब न हो। इस प्रकार चम्पारन में कोठियों पर १० रजिस्ट्री आफिस खोल दिये गये और सन् १९१२-१४ में [illegible] मुआहिदों की रजिस्ट्री हुई। इससे बढ़कर रैयतों पर यह जताने का और क्या उपाय हो सकता था कि सरकार भी नीलवरों की मदद कर रही है और यदि तुम रैयतों ने किसी प्रकार की चूँ चपड़ की तो फिर वही सन् १[illegible]८ की तरह जेल में सड़

जाओगे तुम्हारे गाँवों में दण्डात्मक पुलिस (Punitive Police) बिठाई जायगी और फिर तुम समझोगे कि नीलवर और सरकार में कुछ अन्तर नहीं और नीलवर चम्पारन के वास्तविक राजा है—तुमको उसके विरुद्ध कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। फिर सर चार्ल्स बेली ने नीलवरों को सन् १९१२ के अन्त में सर्टिफिकेट ही दे दी थी। उनसे अधिक आशा करना अपने को स्पष्ट मूर्ख बताना था।

चाहे शरहबेशी जबरदस्ती की गई हो चाहे रैयतों ने अपनी खुशी से इस बोझ को अपने और अपनी सन्तानों के सिर पर रखना स्वीकार किया हो इस प्रकार से मोतीहारी तुरकौलिया पीपरा जसहा और सिरनी कोठियों के मुकरी गाँव में प्रायः सभी रैयतों ने इसे स्वीकार कर लिया। मोतीहारी कोठी में इस प्रकार से एकड़ पीछे मालगुजारी १।=)॥ अर्थात् सैकड़े ६) रुपये बढ़ा दी गई। पीपरा कोठी में एकड़ पीछे ॥।=) अर्थात् सैकड़े ७५) रुपये तुरकौलिया में एकड़ पीछे ॥।=) अर्थात् सैकड़े ९) रुपये जसहा में एकड़ पीछे १=) अर्थात् सैकड़े ५५) रुपये मालगुजारी बढ़ गई।

जिस सर की औसत रेन से सैकड़े ६) मालगुजारी बढ़ गई। कहीं-कहीं माल-गुजारी बिलकुल दूनी हो गई। कानूनन मामूली तौर से जमींदार को रैयतों से मुनाफ़िरे के जरिए रुपये में =)अर्थात् सैकड़े १२॥) से अधिक मालगुजारी बढ़ाने का हक नहीं है। इस पर भी कहा जाता है कि यह सब रैयतों ने अपनी खुशी से की। इस शरहबेशी के बदले रैयतों को क्या मिला ? नीलवरों ने कबूल किया कि जो पाबन्दी उन पर नील बोने की थी उससे रैयतों की रिहाई हुई। आगे चलकर दिखलाया जायगा कि यह रिहाई कहाँ तक हुई। यहाँ यही कह देना अलम् है कि जब यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया और नील की मण्डी में फिर दाम की आशा दीख पड़ने लगी तो नीलवर लोग रैयतों से नील पैदा कराने से बाज न आये। इस प्रकार शरहबेशी लेकर २२ एकड़ जमीन जिसमें नीलवर तीनकठिया प्रथा से नील कराते आते थे नील के बोझ से मुक्त हुई[1]। मि० इर्विन ने भी मोतीहारी कोठी के मैनेजर ने स्वयं स्वीकार किया[1] है कि उन्होंने अपने मुकरी गाँवों में इस प्रकार से सालाना ५) की आमदनी अथवा ५ ×२ =१) की जायदाद कर ली। मि० इर्विन ने ४ गाँवों में जिन में उनके ४१ रैयत हैं शरहबेशी ली और पाँच वर्षों तक उस वसूल भी कर ली अर्थात् ५ ×५= ५) रुपये शरहबेशी के रूप में रैयतों से मालगुजारी के अतिरिक्त वसूल किया। इसी प्रकार पीपरा कोठी में ८ रैयतों से शरहबेशी ली गई। यहाँ की मालगुजारी और जसहा से कम थी इसलिए यहाँ सैकड़े ७५) तक शरहबेशी हो गई। पहले से पीपरा

१ मि० डब्ल्यू० एस० इर्विन (M. W. S. Irwin) की ता० १९ अक्तूबर १९१७ की चिट्ठी पढ़िए जो इसलिज़मैन पत्र में छपी थी और जिसे अमृतबाज़ार पत्रिका ने ११ अक्तूबर १९१७ की प्रति में उद्धृत किया था।

२ उपरोक्त पत्र देखिए।

कोठी के विषय में सरकारी अफसरों का ख्याल रहा करता था कि यहाँ के रैयत और जगहों की रैयत की अपेक्षा सुखी है। पर शरहबेशी लेने के समय यहाँ के रैयतों ने बड़ी हलचल मचाई। बहुत दरख्वास्त सरकार में इस बात की पड़ी कि उनसे शरहबेशी जबर दस्ती ली जा रही है। इनमें से एक दरख्वास्त लौमराज सिंह नाम के एक सज्जन ने ता १२ सितम्बर १ १४ को कमिश्नर के पास दी थी। इस पर ७ रैयतों ने हस्ताक्षर किया था। इस पर पीपरा कोठी के मैनेजर मि ई एन नौरमन (M E.N Norman) ने लौमराज सिंह तथा १४ और रैयतों पर इज्जतहतक का मुकदमा चलाया। इस मुकदमे को उन्होंने फौजदारी कचहरी में नहीं दाखिल किया। नीलवरों के बहुत कम मुकदमे दीवानी कचहरी में जाते हैं। उनको फौजदारी में अधिक सुविधा मालूम पड़ती है। इसका कारण पाठक ही विचारें। लौमराज सिंह ने बहुत कोशिश पैरवी की पर मि एच ई बील (Mr H. E Beale) ने जो उस समय मजिस्ट्रेट थे अभियुक्तों को ६ महीने सख्त कैद और २४) जुर्माने की सजा दी। इसकी अपील जिला जज मि ए ई स्क्रूप (M A. E. Scroope) के पास हुई और उन्होंने ता ७ सितम्बर १ १५ को मजिस्ट्रेट के हुक्म को रद्द कर दिया और अभियुक्तों को छोड़ दिया। यहाँ पर उस हुक्म का कुछ अंश उद्धृत किया जाता है जिससे शरहबेशी के जुल्मों का कुछ पता पाठकों को लगेगा—

For the ppellants the contention is that this wholesal execution of kabulyats was brought about by nothing less than an organi ed system f oppression by the factory servants, hangers and umidwars who represent the factory in th eyes of the ordinary *ryot* and that th hief means resorted to were (1) stoppage of cultivation till the kabulyats were executed, (2) bringing in women to register whose husbands or male representatives had run way t void registering nd (3) riminal case Again looking t th probabilities there is doubt tha whilst the intentio of manager may be one thing th ts f he factory serv nts may be nd ften are quite another It was undoubtedly t th interest of the factory t substitute these new greement for th obligation t grow indigo. This being so, t is by no me ns improbable that factory servants would put pressure on the r ome and execute kabulyats Anyhow taking he evidenc as i tands t is impossible to oid the conclusion tha oppage of cul iv tion was used by the factory as means of get ing hese kabul executed, and the certainly justified representa on he ommissioner as i is hard to imagine more unfai um la execu document and th djectives used i para 3 of the petition he ommissioner are not unreasonable epithet to

apply to t Then as egards the allegation about women, th defence puts in kabulyats all of which t is not denied by the prosecution were filled up first in a man s name and eventually registered by the women certainly the factory s action in these instances may have been perfectl *bonafide* by the necessity has not been explained for this urgency and for not waiting till the men had made their periodic returns

इसका खुलासा यह है कि—अपीलेंट की ओर से यह बहस है कि इतने कबूलियतों का एक साथ इस प्रकार तामील किये जाने का कारण सिवा इसके और कुछ नहीं हो सकता है कि कोठी के मुलाजिम पियादगण और उम्मीदवारों ने जिनको मामूली रैयत कोठी के प्रतिनिधि समझते हैं सिलसिलेवार जुल्म किया है और वे कहते हैं कि विशेष कर इस काम के लिए ये तीन तरीके अख्तियार किये गये थे—(१) जब तक कबूलियत न तामील कर दें तब तक रैयत को अपना खेत आबाद न करने दिया जाता था (२) जिन स्त्रियों के पुरुष अथवा उनके दूसरे सम्बन्धी कबूलियत लिखने के भय से भाग गये थे उन स्त्रियों को पकड़कर उनसे रजिस्ट्री करवा ली गई और (३) फौजदारी मुकदमे चलाये गये। सब बातों पर विचार करने से इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि मैनेजर की इच्छा एक बात है और कोठी के मुलाजिमों की कार्रवाई दूसरी बात होती है। इसमें शक नहीं कि कोठी को इसी में नफा था कि नील की पाबन्दी के बदले वह इन कबूलियतों को तामील करा लेवे। ऐसी अवस्था में यह असम्भव नहीं है कि कोठी के मुलाजिम रैयतों पर दबाव डालकर कबूलियत तामील करा लें। सब सबूत पर विचार करने पर इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता है कि कोठी ने इन कबूलियतों को तामील कराने के लिए रैयतों की खेती बन्द कर दी थी और रैयतों ने कमिश्नर के पास दरख्वास्त भेजने में कुछ भी अनुचित नहीं किया। क्योंकि तरीका तामील करने के लिए इससे बुरा कोई दबाव अनुमान करना कठिन है। रैयतों ने जो शिकायत इसके सम्बन्ध में अपने दरख्वास्त में किये हैं वे अनुचित नहीं हैं। फिर स्त्रियों के द्वारा कबूलियत तामील करने का जो बयान रैयतों का है उसकी पुष्टि में उनकी ओर से कई कबूलियत दाखिल किये गये हैं जिनके बारे में यह स्वीकार किया गया है कि हर एक कबूलियत पहले किसी पुरुष के नाम से लिखी गई थी फिर उसे काटकर किसी स्त्री का नाम लिखा गया और अन्त में स्त्री ने ही उसकी रजिस्ट्री की। हो सकता है कि कोठी की कार्रवाई इस विषय में एकदम ठीक हो पर ऐसी जल्दबाजी का कोई कारण नहीं दिखलाया गया है और न यही बतलाया गया है कि उन पुरुषों के लौटने तक कोठी क्यों न ठहर सकी?

तुरकौलिया कोठी में भी इसी प्रकार सरहबेशी की गई और प्रायः ←१ रैयतों से सरहबेशी की कबूलियत में तामील कराई गई। वहाँ के कुछ रैयतों ने सरहबेशी तोड़ने के लिए मुकदमे दीवानी कचहरी में दाखिल किये। कोठी ने इन मुकदमों की

खूब पैरवी की। मि० पी० सी० मानुक (Mr P C Manuk) जो पटना हाईकोर्ट के एक बड़े नामी बैरिस्टर हैं और जो सरकारी एडवोकेट (Government Advocate) थे और कुछ दिनों के लिए हाईकोर्ट के जज भी हुए थे उन मुकदमों की पैरवी के लिए कोठी की ओर से लाये गए। मुकदमे बहुत दिनों तक चले। रैयतों की ओर से वैसी पैरवी कब हो सकती थी। मुन्सिफ ने रैयतों के खिलाफ फैसला दिया पर जब अपील जिला-जज मि० शीपशैंक (Mr Sheepshank) के इजलास में की गई तो उन्होंने अपने फैसले में (ता० १५।१।१७) यह लिखा था कि १ से ५ रैयतों से शरहबेशी लेना कानून के खिलाफ था क्योंकि रैयतों पर नील बोने की पाबन्दी का सबूत कोठी की ओर से नहीं पहुँच सका है पर बाकी चार से रैयतों से शरहबेशी लेना कानूनन ठीक था। इस फैसले से रैयत तथा कोठी दोनों ने नाराज होकर हाईकोर्ट में अपील दायर की जो चम्पारन एग्रेरियन एक्ट पास होने के कारण बिना फैसले ही खारिज हुई। परन्तु इस तजवीज से इतना तो अवश्य जान पड़ता है कि कोठियों को नील बोने की पाबन्दी साबित करना सहज नहीं था और ऐसा कहना भी अनुचित नहीं होगी कि जिन रैयतों से शरहबेशी ली गई थी उनमें से प्रायः सैकड़े ९ ऐसे होंगे जिन से शरहबेशी लेना कानूनन नाजायज था इन्साफ तथा जबरदस्ती की बात अलग छोड़िए।

जल्हा कोठी का हाल सुनने ही लायक है विशेषकर इस कारण से कि उसके वर्तमान मालिक और मैनेजर, मि० जे० वी० जेम्सन (M J V Jameson) नीलवरों के प्रतिनिधि होकर बिहार व्यवस्थापिका सभा के सदस्य हैं और उन्होंने चम्पारन एग्रेरियन कमेटी के विषय में कहा था कि कमेटी ने निरपेक्ष भाव से कार्रवाई नहीं की। तथा उन्होंने उस पर अनेक दोषारोपण भी किये थे। अब देखना चाहिए कि उनकी कोठी ने किस प्रकार से यह कार्रवाई सफाई से की थी।

जल्हा कोठी ने देखा कि रैयतों से शरहबेशी की कबूलियत लिखाने में कानून की अड़चन है। उसने यह सोचा कि यदि धारा २९ के तीसरे अनुच्छेद की शर्तें पूरी न हो सकीं तो शायद रैयत कचहरी में जाकर शरहबेशी तुड़वा सकेंगे। इसलिए उसने एक दूसरा ही तरीका सोच निकाला जिससे शरहबेशी टूटने का कोई भय न रह जाय। ऊपर कहा गया है कि जिस रैयत का हक मुराबजात है उसकी मालगुजारी नहीं बढ़ाई जा सकती। पर यदि कोई जमीन रैयत के साथ नयी बन्दोबस्त की जाती है तो उसमें रैयत और मालिक जितनी मालगुजारी चाहें आपस में तय कर सकते हैं। कानून भी स्पष्ट है। यदि रैयत मालिक की मनमानी मालगुजारी न कबूल करे तो मालिक उसके साथ जमीन बन्दोबस्त ही नहीं करेगा। इसलिए जल्हा कोठी ने सोचा कि सब रैयतों का काश्तकारी का हक नाश किया जाय और नयों के साथ नया बन्दोबस्त कर दिया जाय और इस नये बन्दोबस्त में मनमानी मालगुजारी तय की जाय। इससे कानून की सारी अड़चन दूर हो जायगी। पर इसमें एक बड़ी अड़चन यह रह जाती थी कि रैयत के हक मुराबजात के लेने का

अधिकार मालिक को नहीं है। हाँ रैयत का यह हक है कि अपनी इच्छा से वह मालिक को सब जमीन वापिस कर दे और मालगुजारी देने की पाबन्दी से छुटकारा पा जाय। यह बात कानून में रैयतों के बचाव के लिए है क्योंकि ऐसा अवसर हो सकता है कि जमीन पर बहुत कड़ी मालगुजारी हो जाने के कारण अथवा किसी अन्य सुविधा के लिए रैयत जमीन रखना नहीं चाहता हो। पर बंगाल टेनेंसी ऐक्ट के बनानेवालों के दिमाग में यह बात कभी नहीं आई होगी कि इस कायदे का उल्टा प्रयोग कभी चम्पारन के रैयतों को सताने के लिए किया जायगा। कोठी ने रैयतों से अपनी-अपनी बिल्कुल जमीन का इस्तीफा देने को कहा। कहा जाता है कि रैयतों को जो हक मुकामजात का प्राप्त था उसे खुशी और बड़ी उत्सुकता के साथ उन्होंने कोठी के लिए छोड़ दिया और फिर उसी जमीन को अपने किसी दूसरे कुटुम्बी के नाम से अधिक मालगुजारी पर ले लिया।

पाठक गौर करें जब नील के सट्टे जबरदस्ती लिखवा सकते थे और शरहबेशी की कबूलियत दाखिल करा ले सकते थे तो उनके लिए शरहबेशी लिखवाने के बदले इस्तीफा लिखवाने में क्या कठिनाई थी? एक-एक दिन में कई गाँवों के रैयतों ने अपने बहुमूल्य स्वत्व का इस्तीफा दे दिया। जब इस विषय का एक मुकदमा मुंसिफी कचहरी में पहुँचा तो मुंसिफ ने अपनी तजवीज में लिखा कि यह इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है। मुंसिफ ने ता० १०-७-१७ के फैसले में लिखा है—

Examining the *istifanama* I find it is on a printed form and it does not bear the signature of Jaldhari. No doubt it bears the thumb impression of one person but it does not mention whose thumb impression it is. Plaintiff had produced the entire *istifa* book before me. I made the Patwari count all the *istifas* taken from that village in that year and the witness often counting it page by page stated that there were 125 tenants in the village and the surrender was taken in that village from not less than 95 tenants of the village. It is the evidence of plaintiff's own witness no. 2 that tenants were not allowed to cultivate their land unless they paid an enhanced rent at the rate of Rs. 1/8 per bigha and that Jaldhari surrendered the land as plaintiff had enhanced his rent at the rate. If that was the reason for the surrender I would naturally expect him not to take land from the plaintiff any more. But he keeps on the same land but this difference that its rent was nearly doubled after this so-called surrender. According to this witness rents of all tenants of the village were enhanced that year save that of 4 tenants and that saving these four men all the tenant had to surrender their land. The witness could not tell me any reason for this wild epidemic of surrender affecting all tenants

के व्यवहार से ही जान पड़ता है। वह कहता है कि नील से छुटकारे के लिए रैयत ने अपनी इच्छा से १।।) बीघे का इजाफ़ा कबूल किया था। सो इजाफ़ का कारण नील से छुटकारा था न कि इस्तीफ़ा। बल्कि कानूनी अड़चनों से बचने के लिए इस्तीफ़ा एक अच्छा तरीका था। यह स्पष्ट है कि जो कुछ १९१२ में हुआ वह केवल कागजी कार्रवाई थी। वह नकली इस्तीफ़ा बंगाल टेनेंसी ऐक्ट की २९वीं धारा से बचने का एक घृणित चक्र मात्र था।

पाठक सत्य है वहाँ इस्तीफे की बीमारी संक्रामक रूप में छा गई थी। इस प्रकार जलहा कोठी ने १।।) फी बीघा अर्थात् सैकड़े ५५) मालगुजारी बढ़ाई। तीन वर्षों तक (१९१२ २२) यह शरहबेशी वसूल होता रहा। पर पीछे मि जैमसन ने यह सोचा कि इसके बदले नकद दाम ही वसूल करना अच्छा है। क्योंकि एक अंगरेजी कहावत है—A bird in hand is worth two in the bush अर्थात् हाथ की आई हुई चिड़िया झाड़ पर की दो चिड़ियों के बराबर है। न जाने कब रैयत बिगड़ जाय और अदालत में ये सब बातें पेश हों। इसलिए उन्होंने शरहबेशी छोड़ देने की शर्त पर रैयतों से नगद रुपये वसूल करना आरम्भ किया। मि जैमसन ने कमेटी के सामने स्वयं कबूल किया था कि उन्होंने उन रैयतों से जिन्होंने शरहबेशी कबूल कर लिये थे २९) रुपये वसूल किये। उनका कथन है कि रैयतों ने स्वयं ये रुपये राजी-खुशी से दिये। इसके सबूत में वे कहते हैं कि रैयतों के पास मालगुजारी तक देने के भी रुपये नहीं थे क्योंकि इस तावान के वसूल किये जाने के पूर्व दो वर्षों से फसल अच्छी नहीं हुई थी पर तो भी वही रैयत जो पहले मालगुजारी देने में असमर्थ थे अपनी खुशी से २९) रुपया देने के लिए केवल राजी ही न हुए वरन् ८) से १) तक नगद रुपये दिये गये और बाकी के हैंडनोट लिख दिये गये। सच है पाठक चम्पारन की रैयतों के सिवाय इस दुनिया में राजा हरिश्चन्द्र जैसे दानवीर और चम्पारन के नीलवरों सरीखे उस दान को लेने के लिए इस पृथ्वी पर महर्षि विश्वामित्र कहाँ मिलते। ये रुपये मुफ़री गाँवों से ही लिये गये थे। इसके अतिरिक्त जलहा कोठी ने ठेके के गाँवों से अन्य कोठियों की तरह तावान वसूल किया था जिसकी रकम भी प्रायः २९) है। इस प्रकार इस कोठी की रैयतों ने सन् १ १२ १५ में तावान और शरहबेशी रूपी सम्पत्ति के दान प्रवाह में ५७) रुपये की दक्षिणा दी थी। मि जैमसन की बात बारबार की आलोचना फिर की जायगी। विषयान्तर के भय से अभी इसे यहीं खतम किया जाता है।

कानून से बचने के लिए जलहा कोठी ने यह उपाय किया। कुछ कोठियों ने तब और भी विचित्र उपाय खोज निकाला। एक कोठी में नील का बारबार बन्द हो जाने के कारण कुछ जीरात की जमीन भी खाली पड़ गई किन्तु उस जमीन का बन्दोबस्त करना आवश्यक था इसलिए कोठी ने रैयतों के साथ थोड़ी-थोड़ी जमीन बन्दोबस्त कर दी और जितनी मालगुजारी शरहबेशी करने से बढ़ाई जाती उतनी मालगुजारी उस जीरात की

जमीन की मालगुजारी के साथ जोड़ दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि ज्यादा जमीन का नया बन्दोबस्त करने से तमाम—तीनकठिया—की ? की धारा न बदी और साथ ही रैयत पर बड़ी मालगुजारी भी बढ़ गई। जमीन के नये बन्दोबस्त का यह दूसरा कारण है। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जायगी। नई जमीन जो बन्दोबस्त में दी गई थी शायद ही किसी रैयत को एक बीघे से अधिक जमीन मिली हो। मालगुजारी भी इसकी इस प्रकार से जोड़ी गई थी। पहले कहा गया है कि यदि किसी रैयत की जोत २० बीघे हो तो उसे १ बीघे में नील बोना अनिवार्य था। यदि उसमें ३॥) रुपए के हिसाब से शरहबेशी ठीक तौर पर लिया जाती तो उसे १) रुपए अधिक देने पड़ते। अब उस रैयत के साथ १ कट्ठा जमीन जीरात की बन्दोबस्त की गई जिसकी मालगुजारी ५) रुपया है। अब उसे १ कट्ठे की मालगुजारी ५+१ = १५ रुपये देने दिये गये। अर्थात् ॰) रुपये बीघे की दर से वह जमीन बन्दोबस्त की गई। इसी प्रकार हिसाब जोड़ने से किसी रैयत की मालगुजारी १।॰) फी बीघे तक आई थी। कुछ रैयतों की पुरानी जोत का हिसाब करने से देखने में आया कि २७ बीघे जोत की मालगुजारी कुल ५ ॥।-)॥ जिसकी और ७ बीघा जीरात की मालगुजारी ६५ ।॰) जिसकी अर्थात् पुरानी जोत की औसत मालगुजारी ॰)॥ और जीरात की औसत बीघा पीछे २४।॰) यानी यहाँ की मालगुजारी के १ गुना दर पर जीरात की जमीन रैयतों से बन्दोबस्त किया। फिर यह भी मार्के की बात है कि जीरात और रैयती की जमीन में कुछ भी भेद नहीं है। एक ही खेत के दो भागों की मालगुजारी में इतना अन्तर देखा जाता है। कारण स्पष्ट है। मालगुजारी जीरात की नहीं थी। वह उस रैयत के तिन-कठिया लगान के हिसाब पर बैठाई गई थी। हम ने सुना है कि कहीं-कहीं ऐसी जमीन बन्दोबस्त की गई जो बरसों तक परती थी रहती थी और जिस में आज तक कोई आबाद हुई ही नहीं। कहीं-कहीं ऐसी जमीन दी गई जिसको रैयतों ने कभी देखा ही नहीं। रैयतों को जिन चौहद्दी की जमीन दी गई उस चौहद्दी में वह हुई ही नहीं है। रैयती को तो केवल अधिक रुपया से मतलब। रैयत भी नहीं समझते थे कि हम सरासरी दे रहे हैं। कोठी किस प्रकार से चलती है यह जानने की उन्हें जरूरत ही क्या थी? पीछे सर्वे सेटलमेंट के अफसरों ने इस नयी जमीन को अलग खाता कायम कर दी जिसका फल यह हुआ कि यदि रैयत यह चाहें कि उस जोत को छोड़ दें तो छोड़ सकते हैं। साहब की राय अवश्य थी कि इसको भी पुरानी जोत के साथ मिला दिया जाय ऐसा न होने से रैयतों की जान बची। जब महात्मा गांधी आये तो रैयतों ने एक स्वर में अपनी बिलकुल इच्छा जमीन छोड़ देने का प्रस्ताव किया। कोठी के मैनेजर का कहना था कि जमीन जो बन्दोबस्त की गई थी वह बहुत अच्छी थी और रैयतों ने बहुत जोर करके उनसे बन्दोबस्त लिया था और वे यदि उसको छोड़ दें तो अभी भी कोठी को उससे बहुत लाभ होगा क्योंकि रैयत जितना उसको देते थे उससे अधिक वे उस जमीन से पैदा कर सकते हैं। जब रैयतों ने यह बात सुनी तो उन्होंने एकबारगी सब इच्छा खत छोड़ देने को कहा

और महात्मा गांधी ने साहब की बात पर विश्वास करके उन सब रैयतों के नाम जो हुण्डा छोड़ देना चाहते थे लिखकर साहब के पास भेज दिया पर साहब ने जिनका पहले यह कथन था कि कोठी ने हानि उठाकर रैयतों की परवरिश के लिए इस जमीन को उनके साथ बन्दोबस्त किया है अब रैयतों पर उसी जमीन की मालगुजारी के लिए नालिश कर दी। इस पर भी लोग कहते हैं कि चम्पारन के नीलवर वहाँ की रैयतों की भलाई के लिए ही हैं और रैयतों के विषय में जो आन्दोलन होता है वह कृत्रिम है उस में कुछ सार नहीं और वास्तव में रैयत नीलवरों से बहुत संतुष्ट रहते हैं। इन प्रकारों से नीलवरों ने नील की खेती की हानि को रैयतों की पीठ पर लाद दिया। पर यह शरहबेशी उन्हीं गाँवों में की जाती थी जो मोकर्री थे अर्थात् जहाँ की आमदनी बढ़ाने में उनको बराबर के लिए नफा था। ठेके के गाँवों में जिनका बन्दोबस्त चन्द दिनों के लिए हुआ था यदि मालगुजारी बढ़ जाती तो म्याद बीतने पर बेतिया राज को हक था कि उन गाँवों को लेकर अपने खास तहसील में रखे अथवा उन्हीं के साथ जमा बढ़ाकर फिर बन्दोबस्त करे इसलिए उन गाँवों में उन्होंने रैयतों से नगद एकमुश्त रुपया लेना आरम्भ कर दिया।

इस विषय में कई बात विचारणीय हैं। नीलवरों का कहना है कि उनको बीघा में तीन कट्ठा नील कराने का एक प्रकार का स्वत्व प्राप्त था। यह प्रत्येक रैयत की जोत पर एक बोझ हो गया था जो ठीक उसी प्रकार का बोझ था जैसा कि मालगुजारी का बोझ। जिन गाँवों के नीलवर मोकर्रीदार थे उनमें उनका हक प्रायः जमींदार-सा था पर यह हक उनको १८८८ ई० में ही प्राप्त हुआ था। इसके पहले नहीं। इसलिए केवल उन्हीं जोतों पर ऐसा बोझ हो सकता है जिन पर यह उनके आरम्भ के समय में ही रख दिया गया हो। जो जोत पुराने थे उन पर ऐसा बोझ उनके आरम्भ के समय में ही रख दिया गया। जो जोत पुराने थे उन पर ऐसा बोझ उनके आरम्भ में कैसे हो सकता था? और यह बोझ यदि जोत के आरम्भ ही से न हो तो धारा २९ के अनुसार न जोत नहीं बढ़ सकती और रैयत से अधिक मालगुजारी बढ़ाने का मोआहिदा कानूनन नहीं कर सकते। पर यदि मकरी गाँवों में उनके स्थायी स्वत्व हो जाने के कारण किसी प्रकार का हक नीलवरों का समझ भी लिया जाय तो जिन गाँवों में वे केवल चन्द दिनों के लिए ठेकेदार थे जहाँ से वे म्याद पूरी होते ही हटा दिये जा सकते थे उन गाँवों में वे किस तरह रैयतों की जोत पर इस प्रकार के बोझ का दावा कर सकते थे यह बात समझ में नहीं आती। बेतिया राज ने जो इन गाँवों का स्थायी मालिक है कभी भी इस प्रकार के स्वत्व का दावा नहीं किया। कहावत मशहूर है "आप मियाँ मँगनी द्वारे दरवेश"। अपने स्वत्व का तो ठिकाना नहीं पर रैयत पर ऐसा दावा! परन्तु विचारे चम्पारन की रैयतों पर सब प्रकार का दावा हो सकता है क्योंकि उनकी बात को सुननेवाला नहीं उनका कोई हिमायती नहीं। जब सर चार्ल्स बेली जैसे लाट ने भी उनके प्रार्थना-पत्र पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसी दशा यदि उन पर जबरदस्ती भी काम में लायी जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या? हाँ यदि किसी

रैयत न सट्टे के जरिये इस प्रकार का मोआहिदा कर लिया हो कि अमुक वर्ष तक वह नील कोठी के लिए कर दिया करेगा और उस म्याद के पूरा होने के पहले ही यदि वह छोड़ना चाहे तो वह कोठी को हरजा का देनदार हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोठी का हक हो सकता है कि कोठी उससे हरजा ले लेवे। और यदि कोठी खुशी से उसे इस बन्धन से मुक्त कर देवे तो उसके बदले में भी कुछ ले सकती है पर यह सब भी तभी हो सकता है जब कोठी और रैयत के बीच का मोआहिदा कानूनन जायज हो अर्थात् नियमित रूप से किया गया हो रैयत पर किसी प्रकार का जोर-दबाव नहीं किया गया हो और रैयत ने सब बातों को समझ-बूझ कर अपने नफा-नुकसान को देख-सुनकर उन शर्तों को कबूल किया हो। परन्तु चम्पारन के रैयत तो बराबर कहते आये हैं कि जितने नील के सट्टे उनसे लिखवाये गये हैं वे सब जबरदस्ती लिखवाये गये हैं। उनसे उनका बड़ा नुकसान है और यदि उनकी चले तो वे एक दिन भी नील न करें। इतना ही नहीं इन सट्टों की शर्तें भी ऐसी होती हैं कि यदि किसी स्वतन्त्र मनुष्य को उन्हें स्वीकार करने को कहा जाय तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। उस पर भी कितनी कोठियों में तो सट्टे भी नहीं थे। कितने में सट्टे की म्याद पूरे बहुत दिन हो चुके थे परन्तु नीलवरों ने सब जगह की रैयतों से नगद रुपये जिनको तावान कहते हैं वसूल किये।

जिस तरह शरहबेशी सब कोठियों में एक हिसाब या दर से नहीं लिया गया उसी प्रकार भिन्न-भिन्न कोठियों में तावान भी भिन्न-भिन्न दर से वसूल किया गया। यदि किसी रैयत को तीन बीघे खेत में नील करने की पाबन्दी थी तो कहा जाता है कि उसके नील का लगान तीन बीघा है। लगान के बीघे पर कहीं ५) कहीं ६) और कहीं १) तक तावान वसूल किया गया। जिले भर का औसत तावान ५) या ६) फी एकड़ पड़ा होगा। और इस प्रकार १८, एकड़ का कुल लगान ५) ६) रुपये एकड़ पीछे वसूल करके नील छोड़ देने का नीलवर बयान करते हैं, अर्थात् १८ ×५) =९)रुपये अथवा १८ ×६)=१ ८)रुपये तावान रूप में नीलवरों ने वसूल किये। रैयतों के पास तो इतने रुपये नगद मौजूद थे नहीं जहाँ तक हो सका नगद वसूल किया गया बाकी में माल जब्त किया गया और और भी जो जायदाद मिली ले ली गई। यदि इस पर भी बाकी रहा तो उनसे हैंडनोट लिखा लिया गया। जो हैंडनोट लिखे गये उनमें यह नहीं लिखा गया कि यह तावान रुपये के लिए नहीं था। उनमें यह भी नहीं लिखा गया कि नील की पाबन्दी से छुटकारा देने के लिए रैयतों से हरजा लिया गया है। बरन् उनमें यह झूठी बात लिखी गई कि हैंडनोट के रुपये जरूरी खर्च के लिए रैयतों ने नगद कर्ज लिये। जिन रैयतों को बड़ी रकम देनी थी उनसे हैंडनोट के बदले रजिस्टरी दस्तावेज लिखवा लिया गया और किसी-किसी ऐसे दस्तावेज में एकदम झूठी जानेदारी की जरूरत दिखलाई गई, जैसे कि किसी लड़की की शादी तथा किसी बूढ़े मालिक का श्राद्ध इत्यादि। तिस पर भी इन हैंडनोट तथा दस्तावेजों में रैयतों के सूद

सातवाँ अध्याय

गवर्नमेण्ट की कारवाई

ऊपर कहा जा चुका है कि सन् १९१२ १३ में रैयतों की ओर से बहुत सी दरख्वास्तें नीलवरों के खिलाफ पड़ीं। इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा चुका है कि इन दरख्वास्तों के पहले भी सन् १९१२ के नवम्बर महीने में सर चार्ल्स बेली ने तोमपुर म नीलवरों को उनके रैयतों के साथ खूब सन्तोषजनक सम्बन्ध के विषय म सार्टिफिकेट दे दिया पर यह सार्टिफिकेट को बात सच की उस कहाँ तक लिया जा सकता था। जब सर चार्ल्स बेली सन् १९१४ के फरवरी में चम्पारन गए तब रैयतों ने फिर दरख्वास्त दी जिनमें तीन नमूने के तौर पर नीचे दी जाती है—

नं (१)

"Th humble petition of the undersigned tenants of the village Gawandra, Tappa Harihara, District Champaran, most respectfully showeth—

1 That the petitioners are tenants and *kashtkars* of the village Gawandra which is in lease to the Gawandra Indigo F ctory

2 That hitherto the petitioners were required to cultivate Indigo for the factory t the rate of 3 *katthas* per bigha of their holdings and although against their wishes they had accustomed themselves to that service, as any refusal on their part would put them to serious trouble.

3 That now indigo manufacture has become less lucrative and the factory has thought fit to discontinue cultivation of Indigo and has been trying to realize sum of Rs. 60 on th allegation that the factory would relieve the petitioners from th burden of cultivating Indigo.

4 That indeed the cultivation of Indigo is a burden imposed on the tenants without any justification and the tenants are rightfully entitled to be relieved of that burden and for the matter of that the factory is not entitled t realize anything from the petitioners.

5 That in spite of there being no justification the petitioner are being coerced to make payment of the above same and some of *us have been compelled to sign hand-notes. The petitioners are* terrified.

6 That the petitioners are quite unable to protect themselves in ordinary course and they feel compelled to represent their grievances to your honour in the earnest hope that your honour will be graciously pleased to extend protection to you petitioners

7 That the petitioners are at Motihari and aspire for an opportunity to appear before your honour and to represent their grievances which they are unable to do in writing

D ted the 5th February 1913

इस दरख्वास्त का भावार्थ यह है—

"मौजा गवन्वरा तप्पा हरिहरा जिला चम्पारन के रैयतो की दरख्वास्त—

१ हम लोग मौजे गवन्वरा के काश्तकार ह और यह मौजे गवन्वरा कोठी की ठेकेदारी में है।

२ आज तक हम लोगों को कोठी के लिए बीघा पीछे तीन कट्ठे म नील करना होता था और यद्यपि यह हम अपनी खुशी से नही करते थ तो भी हम लोग एसा करते चले आय क्योंकि ऐसा न करने से हम लोगों को बहुत कष्ट सहन पड़ते।

३ अब नील का दाम घट जाने से कोठी नील करना बन्द कर दिया चाहती है और हम लोगो से ६ रुपय के हिसाब से यह कहकर वसूल करना चाहती है कि वह हमें नील करने से मुक्त कर देगी।

४ नील करना रैयतो पर एक भारी और बिना किसी कारण के बोझ है जिससे उनको मुक्त कर देना ही उचित है और इसके लिए रैयतो से रुपये वसूल करने का कोठी को कोई हक नही है।

५ यद्यपि इस तावान लेने का कोई भी हक नही है पर तो भी कोठी रैयतो से जबरदस्ती रुपय लेना चाहती है और बहुतो से जबरदस्ती हैण्डनोट लिखवा चुकी है। हम लोग बहुत भयभीत हो गये है।

६ हम लोग मामूली तरीके से अपनी हिफाजत नही कर सकते है और इसलिए मजबूर होकर इस आशा से हुजूर मे दरख्वास्त करते है कि हुजूर हमारी रक्षा करगे।

७ हम लोग मोतीहारी में हाजिर है और हमारी अभिलाषा है कि यदि हुक्म हो तो अपनी दुख कहानी जो लिख नही सकते जबानी अर्ज कर।

नं (२)

1 W the tenants of Mauzas Phenhara, Parsrampur Rupawlia, Jamunia, Nasiba, and Ibrahimpur Parswani District Champaran, beg to offer our humble though hearty and loyal welcome to you honour on the occasion of your Honour s graceful visit to the District of Champaran nd we tak it as a forerunner of peace and contentment in the District.

2. Our villages are in lease t the Parswani Indigo concern and we have had miserable existence hitherto owing to the high handedness of the factory with which our lots have been permanently blended. But w belies nd trust that our circumstances will henceforth be changed for better on account of your Honour's happy isit to our District.

3 The planters came to the District with a determination to ma ufacture I digo and our ancestors and ourselves were made to offer ready made 3 Katthas per Bigha, every yea of our *kast* lands for the cultiv tion of Indigo which being bsol tely unjustifiable and unconscionable was sought to be legalized by exactions of greements from the tenants known as *sattas* nd as slightest reluc tance on our part and on the part of our ancestors would entail our total annihilation as t were we persuaded ourel es to be greeable to our lots t sav our honour nd exist nce Both this was not all

4 The 3 Katthas *Nil satta* were followed by demand of cart *sattas* from us nd the unfortunate lot accustomed themselves to the necess ry evil in the expectation of enjoying peace. But this was never to happen.

Unfortunat ly f r urselves the natural Indigo lost its alue be ma ket and the factories t lea t the majority of them, ha given p the idea of cultiv ting Indigo y further nd our fac ory is one f them But the f ll forb de destructive torm.

6 The fac ory now demand nd ha been demanding for the last few rs arl damage f Rs. 16 8 or consolidated damage f R 100 per Ind go Bigha for the pparent return of elieving us from the cul tion f Indigo which means a increase f our ren by R 4 per bigha or in the other case our total ba krupt

Tha his demand is more tha ca be similated and w re herefore unable nd natur lly unwilling and reluctant t consent to he pa men f the same But wi hout ny considera ion of our poor nd destitu ondition the factory insists pon the payment of he same by usi g ppression of which there re ne les

I he ses ha been nd re being instituted e mst us our tle re taken from our orshed to the factory pound to be rele sed onl af payment f hea y fines undue ad tages re being taken of petti differences mong le rest themsel es punitive police nd police

guards were once requisitioned on false allegation of oppression by the *ryots* to the factory which is simply absurd and impossible now *Dhangars* who are known as factory's regiments, would be let on us and many other means would be devised to bring the *ryots* round.

8 We petitioned the District officer representing our grievances and praying for protection. But he declined to take steps on such petition and ordered us to file regular complaints against the factory W then petitioned the Commissioner of the Division stating our inability to prosecute the powerful factory and praying for our protection. The Commissioner was pleased to order "Obviously if the tenants will not lay definite complaints nothing can be done, but it appears that the affairs in this *dehat* require to be watched.

9 The Divisional Commissioner in the last portion of his order has shown some sympathy with us and has been pleased to remark that our affairs required to be watched, but that does not improve our condition materially The District Officer is pleased to advise our formally prosecuting the factory but for that we are quite unable and incompetent. Sometimes complaints against factory have been prosecuted for false complaint without the same being properly considered with the result that we, *ryots* are unfairly silenced and compelled to pocket all sorts of injuries and oppressions or to comply with the demands of the factory so hard, unjustifiable and ruinous though they are.

10 Your Honour personal presence amongst us encourages us for presentation of our grievances which we hereby do, trusting most sincerely that our evil days will end today and under the protection of your Honour' benign Government we will be allowed to enjoy peace of mind in our humble hearth if your Honour be graciously pleased to order the District Officer to issue instruction to the factory to give up its efforts to realise the illegal demand mentioned above for which we shall, as in duty bound, ever pray for your Honour long life and prosperity

(भावार्थ)

१ मौजा फेनहरा परशुरामपुर रमौलिया समुनिया मनीवा इब्राहीमपुर परगनौनी के रैयतों की दरख्वास्त।

२ हम लोगों के गाँव परगनौनी कोठी के ठेके में हैं और कोठी के जोर-जुल्म से हमें बहुत दुःख है। हुजूर के यहाँ पधारने से हमें आशा होती है कि हमारी दशा पल्टेगी।

३ हमें अपने पूर्वजों के समय से बीघे पीछे ३ कट्ठे में नील कोठी के लिए बोना पड़ता है। यह कार्रवाई बिलकुल नाजायज और अनुचित होने के कारण कोठी ने इसे खारिज करने के अभिप्राय से सट्टा लिखवाया। हम लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सट्टा तामील कर दिया क्योंकि इनकार करने से हमारा सर्वनाश संभावित था।

४ तीन-कठिया सट्टा के बाद कोठी ने हम से बाड़ी का सट्टा लिखवाया और उसको हम लोगों ने अनिवार्य विपत्ति समझकर अपनी शान्ति की उम्मीद से लिख दिया।

५ हमारे दुर्भाग्यवश नील का दाम घट गया है और बहुत सी कोठियों ने जिनमें परसौनी कोठी भी है नील करना बन्द कर दिया है।

६ कोठी अब हम लोगों से १६॥) मालगुजारी अथवा १( ) लगान के बीघे पीछे के हिसाब से यह कहकर वसूल करना चाहती है कि वह हमें नील करने से मुक्त कर देगी। इसका यह फल निकलता है कि या तो हमारी मालगुजारी बीघे पीछे २॥) बढ़ जायगी या हम बिलकुल ही बरबाद हो जायेंगे।

७ कोठी इस रकम को जबरदस्ती वसूल करना चाहती है और कई प्रकार के जुल्म करती है जैसे इसके लिए फौजदारी के झूठे मुकदमे लोगों पर लगाये गये हैं। हम लोग के माल 'मोर' बथान से खोलकर कोठी के फाटक में दे दिये जाते हैं और जब तक हम भारी जुर्माना नहीं देते तब तक वे नहीं छोड़े जाते। हम लोगों के आपस के छोटे-मोटे झगड़ों में भी पक्ष उठाया जाता है। एक बार इस झूठे बहाने पर, कि रैयतों ने कोठी के साथ जुल्म किया है फौजी पुलिस की तायनाती कराई गई। अब हमारे दरवाजे पर पायक बैठाये और हमें दबाने के लिए बहुत उपाय किये जायेंगे।

८ हम लोगों ने जिला मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त दी पर उन्होंने बाजाब्ता नालिश करने का हुक्म दिया। तब हम लोगों ने कमिश्नर के पास दरख्वास्त दी। उन्होंने हुक्म दिया कि यदि रैयत अभियोग से भागता तो कुछ नहीं किया जा सकता पर ऐसा जान पड़ता है कि हम देहात की हालत पर ध्यान रखना चाहिए।

९ यद्यपि कमिश्नर ने अपने हुक्म के अन्तिम अंश में हमारे साथ सहानुभूति दिखलाई है पर उससे हमारी अवस्था कुछ सुधरती नहीं। जिला मजिस्ट्रेट ने हमें नालिश करने को कहा है पर इसके लिए हम एकबारगी असमर्थ हैं। कभी बिना पूरा विचार किये ही कोठी के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है और इसका फल यह होता है कि रैयतों को कोठी का जुल्म चुपचाप सह लेना पड़ता है।

१० हुजूर के शुभागमन से हमें अपनी दुःख-कहानी सुनाने का साहस हुआ है और हमारी आशा है कि हम अब कोठी के जुल्म से बचेंगे। यदि हुजूर जिला अफसर को हुक्म दें कि वह कोठियों को इस नाजायज तावान वसूल करने के खिलाफ हिदायत कर दें तो हमारा जीवन सुख-शान्ति के साथ कटेगा।

(नम्बर १)

We, the tenants of Maura Madhubani, Thana Dhaka, District Champaran, beg to offer our humble but hearty and cordial welcome to your Honour on the occasion of your Honour's visit to this District.

We are, your Honour yoked to the Nirpur Factory which has been demanding an increase of our rent for our holding on the allegation that we will be relieved of the burden of cultivating Indigo for the said Factory The cultivation of Indigo is indeed a burden and the sooner we are relieved of it, the better in the name of British Justice. But the demand for any addition to our rental is to drive us to the fire from the frying pan and we are naturally reluctant to comply with the new demand of the factory

But however justified our reluctance might be, th Factory is not prepared to put up with it and various sorts of threat were being held out to us by the *Amlas* and the creatures of the factory and our very existence is in danger and to safeguard ourselves we filed a petition before the District Officer stating the very threats held out to us as we neccessarily thought ourselves to be quite unabl to stand the wrath of the factory which is so fearful. The result of our petition to the District Magistrat has been that cases under Section 500 I.P C. have been started and as your Honour might well conceive, we are quite unable to substantiate the allegation in the petition to the District Officer before the trying Magistrate in oppos tion to uch a trong body as the Factory although our allegations are true to the letter and in one set of cases some of us have been convi ted and other sets are still pending Judgement and trial but the trial of these cases as well are a foregone conclusion under the circumstances we are surrounded by

It is argued that tenants are voluntarily entering into agreements for the increase of their rents but slightly independent and unbiassed judgements will establish that any such agreement on the part of the *ryot* cannot but be the offspring of force and coercion and the cultivation of indigo was nothing better

We are informed that a pecial Registering Office has been opened and w apprehend that our annihilation is near at hand as the establishment of such an office will expedite greatly the registration and completion of the undesirable agreements for the increase of the *ryots* rents.

the situation, Government do not consider that any committee of inquiry is now necessary or expedient.

अर्थात् चम्पारन के रैयतों की बहुत-सी दरख्वास्तें सरकार में समय-समय पर आई हैं जिनमें उन्होंने रैयत और नीलवरों के पारस्परिक सम्बन्ध की शिकायतें की हैं। ये दरख्वास्तें स्थानीय अफसरों के पास जाँच के लिए भेज दी गई हैं पर अभी तक सब पर रिपोर्ट नहीं आई है। किसी-किसी में स्थानीय अफसरों ने उन शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया है जो सच्ची साबित हुई हैं। उन अफसरों की पूरी रिपोर्ट की अभी इन्तजार है, और चूँकि नया सर्वे बन्दोबस्त होने वाला है जिससे वहाँ की सब बातें जाहिर हो जायेंगी इसलिए गवर्नमेंट इस समय जाँच कमेटी नियुक्त करना उचित अथवा आवश्यक नहीं समझती है।

इसी समय शरहबेशी के पट्टे लिखाये जा रहे थे और तावान वसूल किया जा रहा था। समाचारपत्रों में भी इसकी आलोचना हो रही थी। तारीख ६ जुलाई, १९११ के 'बिहारी' पत्र में इस विषय की कड़ी आलोचना करते हुए एक लम्बा लेख लिखा था।

इन सब बातों के रहते हुए भी लार्ड हार्डिञ्ज (Lord Hardinge) से भी

---

१ बिहारी का लेख इस प्रकार था—

The failure of natural Indigo to successfully compete with the artificial dye has seriously affected the financial position of the planting community in the Tirhut division of our Province and the loss thus entailed on them has affected to a large extent their relation with the tenants. We have referred to the evils of the *Tinkathia* system, and now their attempt to realise *Tawan* (compensation) or *Sarahbeshi* (enhancement of rent) for realising the tenants from their obligation to grow Indigo on three katthas of bighas of their holdings has created a situation which deserves the serious attention of the Local Government. Villages in which Indigo is or was grown are held either in *Thica* or Mokkuri. In the former cash compensation is being demanded which ranges from Rs. 60/ to Rs. 100 per Indigo bigha in the latter enhancement of rent as that would permanently raise the income. Instances have come to light in which coercion is employed to make the tenants agree either to the enhancement of rent or pay the cash compensation. Some of those who do not agree are harassed in various ways till they agree to the terms imposed by the Saheb. Numerous petitions, we understand, were filed before the District Magistrate, the burden of the song in each case being

हम लोग कोठी के ऊपर नालिश नहीं करते हैं सिर्फ अपने बचाव के लिए दरख्वास्त

नीलवरों को एक सार्टिफिकेट दिलायी गई। सन् १९१३ के अन्त में जब वे पटना हाईकोर्ट की नींव डालने के लिए पटना आये थे उसी अवसर पर नीलवरों ने उन्हें एक अभिनन्दन-पत्र दिया था जिसके उत्तर में उन्होंने कहा था—"Today as far as I know the relations between the Bihar Planters and their *ryots* are cordial and satisfactory in the North Bihar District" अर्थात् जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है आज बिहार के उत्तरी जिलों के नीलवरों और उनके रैयतों में बहुत संतोषजनक सम्बन्ध और घनिष्ठ प्रेम है।

सन् १९१४ में बिहार प्रान्तीय सम्मेलन (Bihar Provincial Conference) की बैठक बांकीपुर में ता० १ अप्रैल को हुई। उसके अध्यक्ष बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने

देते हैं कि आइन्दे काम आवे और हुजूर की तरफ से उन लोगों को समझा दिया जाय कि जुल्म न करें।

And be it said to the credit of the present District Magistrate of Champaran that he has on several occasions while sending copies of such petitions to the factory managers for information, made it perfectly clear that no *ryot* can be compelled to pay compensation in lieu of Indigo against his will that no sort of pressure can be used to compel him. He has further added that if any *ryot* has executed an Indigo *satt* he is bound to grow indigo, and if he refuses or neglects to do so, damages can be realised by civil suit. But the payment of compensation in lieu of indigo is absolutely at the option of the *ryot*. Such clear and unambiguous expression of the views which the District Magistrate entertains on the question of compensation has been a source of relief to the poor tenants. It is, however a *well-known fact that factory managers and the European* Thikadars had been practising a sort of benevolent despotism, but it was despotism after all. The principal source of profit having almost disappeared there has been more of despotism than of benevolence and it behoves the Government to come to the relief of the poor cultivators, for these latter in their struggle with the powerful organisations of the planters and Thikadars, very influential bodies certainly, have to face fearful odds. Sometimes petitions are submitted to the District Magistrate on which it is not possible for him to take any action. For instance in one petition the Magistrate passed the following order—"The petition does not show to what public officer it is addressed. If it is addressed to the District Magistrate it is for the petitioners to state what action they

अपने भाषण में चम्पारन के सम्बन्ध में कहा था—

"The highest officials in the land have utilized their replies to the addresses of welcome from the Planting Community to bestow upon them glowing Panegyrics on the valuable services they are said to have rendered to Tirhut.

I do not grudge the planters these eulogiums and I wish them joy of them. But I do maintain that there is another side of the shield and whatever good the planters might have done, their dealings with *ryots* have brought about a serious agrarian

---

desire the District Magistrate to take and under what law. If it is intended for the collector I do not in the least understand what power of interference the Collector has. The petition is, therefore, returned to the Mukhtar so that he may make the petition clear." We can very well understand the difficulties of the Executive head of the District but there are various ways in which he might take action and we might be permitted to humbly suggest to him that as the head of the police, he might see that they are less subservient to the wishes of the Factory managers. Police guards are placed villagers whose inhabitants are said to have gone out of the hand of the Factory and the oppression the member of this force are said to practise might well be put a stop to, and in all cases in which the District Magistrate is satisfied that wrong is being done although he might not be able to employ the provisions of any law to punish the wrong-doers he might use moral suasion and we are sure this will have the desired effect. Only very recently a case under Sec. 107 Cr. P. C. was tried by a Deputy Magistrate of Motihari exercising first class powers, in which persons were accused of interfering with the cultivation of *Ghair Mazrua* (गैर मजरुआ) land belonging to the Bara ah Factory and its outwork Gawandra Factory threatening to commit violence on the servants and those of their tenants who have paid Indigo compensation known as *Tawan*. The case for the defence was that the said factories were demanding *Tawan* from the accused and other people and were coercing them to pay by various acts of oppression and that this case has been instituted by the police of their instigation with a view to put pressure on them so that they may be compelled to pay it and there is no apprehension of a breach of the peace on their part. Now the Magistrate who tried the

situation and that they have resulted in considerable suffering and misery to the poor defenceless villagers. It is well-known that the ryots allegations against the planters which have been held by courts to be generally well-founded are to the effect that they are found to execute illegal *Sattas* by methods of coercion including th institution of vexatious cases, that fines and cesses are unlawfully realised from them and that they are ill treated if they attempt in the least to refuse compliance with the orders of the Planters. So far as the execution f *Sattas* is concerned, it is strange

---

case, in the course of his judgement* says—I have made a local inspection of this land and compared the Cadestral Survey No. 1310 Mahal and Mauza Gawandra, Tola Sherpure and t is entered in the Khatian as *Gham Mazrua Rasta* (Road) *chak Pakkia ek ba kahan Malik* and it is also shown in the cadestral map as road. I have seen several other lands Plot. No. 1681 Mahal and Mauza Gawandra, Tola Randih and 1275 which the factories have dug up in order to cultivate them and these lands are also shown in the Cadestral survey Khatian and map as road. It will therefore be seen that what the factories are anxious to cultivate are *Gham Mazrua* roads, that is, public roads which have been used by the people as such for many years, perhaps many decades and that it has now suddenly entered their heads to dig up and cultivate them and thus stop th right of way of other people. I may say at once that the factory is not entitled to dig up, cultivate and grow crops on these roads and thus stop the traffic altogether The chief people that are affected by this are the accused and others that have not paid the compensation or *Tawan* and who have got their houses, Gauhalas, Khalihans, Nads, etc. near them. What the factories have done is absolutely wrongful act which is likely to provoke a breach of the peace and for which they want others to be bound down. The accused in my opinion, were perfectly justified in resisting in the way they are alleged to have done the cultivation of these roads by which the right of way would be topped. I can understand no other motive on the part of the factory for selecting these roads to be cultivated first before other fallow-lands (which are many) than the intention of

---

*Judgment of Mr. K.C. Roy dated 16-10-1913 in Emperor vs. Santoo Thakur and others

लेन के अवसर पर नीलवरों ने निरपुन की जो सभा की है उसकी बड़ी प्रशंसा की है। पर्ने इस तारीफ के लिए नीलवरों से कोई हम नहीं है। नीलवरों ने जो कुछ भलाई की हो पर उनका बर्ताव रैयतों के साथ ऐसा रहा है कि इसके कारण वहाँ एक बड़ी दुरवस्था उपस्थित हो गई है और बेचारे गरीब देहातियों को बहुत कष्ट पहुँचा है। रैयतों के बयान सभी लोग जानते हैं और उनकी बात अदालतों में सच समझी गई है। उनका कथन है कि जबरदस्ती सट्टा लिखा लिया जाता है तंग करने के लिए उन पर मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, उनसे जुर्माना और नाजायज सेस वसूल किये जाते हैं और कोठी के हुक्म न मानने से उन पर तरह-तरह के जुल्म किए जाते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सट्टा रजिस्ट्री करने के लिए नीलवरों के सुभीते के ख्याल से उनकी कोठियों पर खास रजिस्ट्री आफिस खोल दिए गए हैं। ये बातें सभी लोग मानेंगे ऐसी हैं कि इनके विषय में पूरी और कड़ी जाँच होनी चाहिए। इसमें रैयतों की ही भलाई नहीं है वरन् नीलवरों की भी है।[1]

हमारे विचार से सरकार को उचित है कि वह इस भारी समस्या को न टालकर इसकी मीमांसा करे और इसके लिए एक ही रास्ता है—यानी सरकारी और गैरसरकारी लोगों की एक कमेटी कायम की जाय और सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार काम करे। ऐसा नहीं होने से मैं अभी सरकार को चेता देना चाहता हूँ कि आगे उन्हें और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

प्रांतीय सम्मेलन ने भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें सरकार से जाँच कमेटी नियत करने की प्रार्थना की गई। पर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलकत्ते के 'अमृतबाजार पत्रिका' 'भारतमित्र' और कानपुर के 'प्रताप' तथा प्रयाग के 'अभ्युदय' भी चम्पारन के रैयतों और नीलवरों के सम्बन्ध में लेख लिखते रहे और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने अपने प्रश्नों द्वारा उन कष्टों की ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित और इस विषय से उसको सचेत करते रहे। ता॰ ३ अप्रैल १९१५, को प्रांतिक सम्मेलन की बैठक छपरे में हुई। इस अवसर पर बाबू नन्दकिशोर लाल सभापति थे। उन्होंने भी इस विषय पर यों कहा—[2]

'I gather that in the twelve months that have elapsed since we met last, all has not been well with the relation between the two communities (planters and ryots) The ryots have presented petitions to the Government making very serious allegations against some of the managers of the indigo concerns and the *official* reply in the council was that the Government had forwarded them to

---

१ प्रताप—ता॰ ४ १ १९१५ 'चम्पारन में अन्धेर'।

२ अभ्युदय—ता॰ १५ १९-१ १४।

तक जाँच करती रहती है और जिले में सब बन्दोबस्त जारी है। इसलिए रैयतों के जो दुःख होंगे सहानुभूतिमय बन्दोबस्त के सामने पेश किये जायँगे और जो इसकी रिपोर्ट होगी वह अवश्य सर्वमान्य होगी। नीलवरों के प्रतिनिधि और बिहार प्लैन्टर्स एसोसियेशन के मंत्री माननीय मि. फिलगेट (M Filgate) ने कोर्ट हाकिम्स की दी हुई सर्टिफिकेट पेश की और कहा कि चम्पारन के नीलवरों और उनके रैयतों का सम्बन्ध बराबर संतोषजनक है और वहाँ किसी प्रकार की जाँच की आवश्यकता नहीं है। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने उत्तर में 'इण्डियन प्लैन्टर्स गजट' (The Indian Planters Gazette) से यह पद सुनाया—

It seems certain that bad feeling has been brewing for some time between certain of the European Zamindars of Champaran and their tenantry and that very shortly after he was appointed District Officer M Heycock found it necessary to circulate a notice among *ryots* with a view to reassure them."

अर्थात् "यह निश्चय जान पड़ता है कि कुछ दिनों से चम्पारन के कुछ यूरोपीय जमींदारों और उनके रैयतों के बीच वैमनस्य चला आ रहा है यहाँ तक कि मि. हिकॉक को जिला अफसर मुकर्रर होने के कुछ ही दिन बाद, एक नोटिस रैयतों को तसल्ली दिलाने के लिए जारी करनी पड़ी थी।

मि. फिलगेट ने जो कहा वह उनके लिए तो उचित ही था पर आश्चर्य और दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि व्यवस्थापिका सभा के अन्य गैरसरकारी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का एक प्रकार से विरोध ही कर दिया। चम्पारन के हाल को बिना जाने-बूझे खान बहादुर ख्वाजा मुहम्मद नूर ने बिना पूछे यह सलाह दी कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद इस प्रस्ताव को उठा लें। पर बाबू ब्रजकिशोर, जो वहाँ की दशा से अनभिज्ञ न थे ऐसा कब कर सकते थे? उन्होंने उत्तर में यही कहा कि यदि गवर्नमेण्ट वादा करे कि जो जाँच हो रही थी उसकी रिपोर्ट वह प्रकाशित करती हो तो वे अपने प्रस्ताव को उठा लेंगे। पर यह भी शर्त गवर्नमेंट कभी कब स्वीकार करने वाली थी? सम्भव था कि रिपोर्ट नीलवरों के विरुद्ध हो और उनका सर्टिफिकेट गलत निकले। यदि सरकार बाबू ब्रजकिशोर के कहने के अनुसार सन् १९१५ में ही जाँच कमेटी नियत कर देती तो शायद जो तावान के रुपये वसूल हो गए थे और १९१७ की जाँच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो जुर्माना बेतिया राज्य पर किया गया वह करने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार को भी इस विषय में नीचा नहीं देखना पड़ता और महात्मा गांधी को भी इतने कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। पर ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। शायद उस समय की कमेटी की जाँच इतनी पक्की और पूरी नहीं होती और रैयत तीन कठिया से बराबर के लिए मुक्त नहीं होते। भारत के आधुनिक इतिहास में सत्याग्रह का पहला रूप देखने में नहीं आता और

तब जाँच करती रहती है और जिले में सब बन्दोबस्त जारी है। इसलिए रैयतों के जो कुछ दुःख होंगे सेटलमेन्ट बन्दोबस्त के सामने पेश किये जायेंगे और जो उनकी रिपोर्ट होगी वह अवश्य सर्वमान्य होगी। नीलवरों के प्रतिनिधि और बिहार प्लैन्टर्स एसोसियेशन के मंत्री माननीय मि फिलगट (Mr Filgate) ने लार्ड हार्डिन्ज की दी हुई सर्टिफिकेट पेश की और कहा कि चम्पारन के नीलवरों और उनके रैयतों का सम्बन्ध बहुत सन्तोषजनक है और वहाँ किसी प्रकार की जाँच की आवश्यकता नहीं है। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने उत्तर में 'इण्डियन प्लैन्टर्स गजट' (The Indian Planters Gazette) से यह पद सुनाया—

It seems certain that bad feeling has been brewing for some time between certain of the European Zamindars of Champaran and their tenantry and that very shortly after he was appointed District Officer Mr Heycock found it necessary to circulate a notice among *ryots* with view to reassure them."

अर्थात् 'यह निश्चय जान पड़ता है कि कुछ दिनों से चम्पारन के कुछ यूरोपीय जमींदारों और उनके रैयतों के बीच वैमनस्य बढ़ता आ रहा है यहाँ तक कि मि हिकॉक को जिला अफसर मुकर्रर होने के कुछ ही दिन बाद एक नोटिस रैयतों को तसकीन दिलाने के लिए जारी करनी पड़ी थी।

मि फिलगेट ने जो कहा वह उनके लिए तो उचित ही था पर आश्चर्य और दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि व्यवस्थापिका सभा के अन्य गैरसरकारी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का एक प्रकार से विरोध ही कर दिया। चम्पारन के हाल को बिना जाने-बूझे खान बहादुर ख्वाजा मुहम्मद नूर ने बिना पूछे यह सलाह दी कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद इस प्रस्ताव को उठा लें। पर बाबू ब्रजकिशोर, जो वहाँ की दशा से अनभिज्ञ न थे ऐसा क्या कर सकते थे? उन्होंने उत्तर में यही कहा कि यदि गवर्नमेन्ट वादा करे कि जो जाँच हो रही थी उसकी रिपोर्ट वह प्रकाशित करेगी तो वे अपना प्रस्ताव को उठा लेंगे। पर यह भी सर चार्ल्स बेली कब स्वीकार करने वाले थे? सम्भव था कि रिपोर्ट नीलवरों के विरुद्ध हो और उनका सर्टिफिकेट गलत निकले। यदि सरकार बाबू ब्रजकिशोर के कहने के अनुसार सन् [illegible] में ही जाँच कमेटी नियत कर देती तो शायद जो तावान के रुपये वसूल हो गए थे और [illegible] की जाँच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो जुर्माना बेतिया राज्य पर किया गया वह करने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार को भी इस विषय में नीचा नहीं देखना पड़ता और महात्मा गांधी को भी इतने कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। पर ईश्वर जो करता है ठीक ही करता है। शायद उस समय की कमेटी की जाँच इतनी पक्की और पूरी नहीं होती और रैयत तीन कठिया से बराबर के लिए मुक्त नहीं होते। भारत के आधुनिक इतिहास में सत्याग्रह का पहला फल देखने में नहीं आता और

है कि यह उचित है। पर चम्पारन में पैन खर्चा एकदम अबवाब है। माठी कोठी में बिना पानी का उचित प्रबन्ध किये ही पैन खर्चा वसूल किया जाता था। इसी प्रकार और कोठियों में भी यह प्रथा जारी थी। प्रायः सभी जगह बीघा पीछे ३) रुपये पैन खर्चा के रूप में वसूल होते थे। बनिया के उत्तर भाग में एक चौतरवा कोठी है। वहाँ बहुत 'बांगड़' रैयत हैं। नापकर वहाँ जमीन बन्दोबस्त नहीं होती है। एक हल में जितनी जमीन जोती जा सके उसी पर मालगुजारी बैठायी जाती है। इसे 'हलबन्दी' प्रथा कहते हैं। चौतरवा कोठी के बांगड़ रैयत हल पीछे ७॥) रुपये मालगुजारी दिया करते हैं और उनसे ७॥) रुपये पैन खर्चा लिया जाता था। मधुबनी कोठी में जिसके मालिक चौतरवा के ही मालिक हैं एक बाँध है जिसे पिपरासी बाँध कहते हैं। कोठी का कहना है कि यह बाँध कोठी के खर्च से बनाया गया था और उसकी मरम्मत में कोठी का खर्चा पड़ता है इसलिए कोठी पैन खर्चा वसूल करती है। इसके बनाने में क्या खर्चा पड़ा था मालूम नहीं पर इसकी मरम्मत में साल में १) रुपये से अधिक खर्च नहीं पड़ता। इसके बदले कोठी की सालाना आमदनी इस पैन लाथ और बाँध बहरी की आमद में केवल १) रुपये की थी। रैयतों का कहना है कि बाबड़ों ने बाँध बिना मजदूरी के तैयार कर दिया था। इसी प्रकार बेलवा और नरईपुर आदि कोठियों में भी पैन खर्चा वसूल किया जाता था और वहाँ भी यही कहा जाता था कि रैयतों के फायदे के लिए पैन बना दिये गये हैं पर सर्वे सेटलमेंट अफसरों को कहीं पैन मिले ही नहीं और जहाँ मिले भी वहाँ जितने बीघों पर पैन खर्चा वसूल होता था उनमें बहुत ही कम पैन से लाभ उठाते थे। ममगाही कोठी में तो पैन का होना कोठीवाले भी नहीं बताते पर पैन खर्चा वे भी वसूल कर रहे थे।

एक और कोठी की कथा सुन लीजिये। इसका नाम सिरनी है। इसके मालिक मि॰ पीर्स नामक एक अंगरेज थे। उन्होंने देखा कि पैन खर्चा शायद अबवाब ठहराकर बन्द कर दिया जाय। इसलिए रैयतों से उसके बदले एक ही साथ कुछ वसूल कर लेना ही उन्होंने अक्ल का काम समझा। अतएव उन्होंने १ वर्षों का पैन खर्चा एक ही साथ वसूल करना चाहा। कुछ रैयतों से वसूल भी कर लिया। कितनों ही ने नहीं दिया। इसी बीच में सर्वे आया और यह पाप खुल गया। इन्हीं मि॰ पीर्स के जिम्मे बनिया राज्य के ठेके की माल-गुजारी बाकी पड़ गई थी। कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने शायद इन्हीं की खैरख्वाही के लिए प्रायः ८) रुपये जो उनके जिम्मे बाकी थे एकदम माफ कर दिये।

(२) सलामी (३) तीन-कठिया और (४) खोपाम—जो अबवाब तीन रुपये बीघा पीछे वसूल किया जाता था वही कहीं सलामी कहीं तीन कठिया और कहीं खपान के नाम से भी मशहूर है। इसका नाम तीन कठिया पड़ना बड़े मार्के की बात है। इससे यह जाहिर होता है कि चम्पारन के उत्तरी भाग में भी नील बोया जाता था अथवा तीन कठिया प्रथा जारी थी। पर रैयत इसका मतलब बताते हैं कि जैसे जिले के दक्खिन और पूर्व भागों में नील का काम उन पर है उसी प्रकार इस अबवाब का बोझ उत्तर-पश्चिम के रैयतों पर है।

आठवाँ अध्याय

अबवाब

ऊपर कहा जा चुका है कि चम्पारन के पश्चिमोत्तर भाग की जमीन नील के अनुकूल नहीं है और वहाँ नील की खेती कभी नियमित रूप से नहीं हुई पर उस प्रान्त में भी अंग्रेजों ने कोठियाँ खोलीं। वे बेतिया तथा रामनगर राज्य के गाँवों का ठेका लेते और इसी से अपनी गुजरान करते थे। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उनके रैयत सुखी थे। वहाँ उन्होंने नील के बदले और ही उपाय लगान के लिए सोच निकाला था। ऊपर कहा जा चुका है कि सन् १९०७ में साठी कोठी ने नील के बदले 'पैन खर्चा' वसूल करना आरम्भ किया। और कोठियों में भी जहाँ नील नहीं होता था और कहीं-कहीं जहाँ नील होता भी था कोठीवाले कई प्रकार के अबवाब वसूल करते थे। पैन खर्चा इन्हीं में से एक था। कोठीवालों का कहना था कि बहुत पुराने समय से हिन्दुस्तानी जमींदार की तरह तरह के अबवाब लिया करते थे और उन्होंने वैसा ऐसी अबवाब लेना जारी रखा। वे यह भी कहते थे कि रैयत अबवाब अपनी खुशी से देते हैं। जिस रैयत को बीघा पीछे केवल ३) रुपये मालगुजारी देनी पड़ती है वह अपनी खुशी से ३) रुपये और देने को राजी थे। पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि चम्पारन के रैयत दरअसल ऐसे 'बावड़े' नहीं थे जो ३) रुपये और ६) रुपये की ोदे में अन्तर न समझ सकें। रामनगर के गाँवों के विषय में कहा जाता है कि वहाँ के जो गाँव ठेके पर दिये गये हैं कि उनके जमा में अबवाब जोड़ा लिया गया है। सन् १७९३ ई० में जब स्थायी बन्दोबस्त हुआ तभी से सरकार की ओर से किसी तरह का अबवाब लेने की मनाही है। बंगाल टेनेन्सी एक्ट में भी इसकी मनाही है और यदि किसी जमींदार का अबवाब लेना साबित हो तो उससे अबवाब की दूनी रकम वसूल कर रैयत को *दिलवा दिये जाने का नियम है। पर चम्पारन के लिए कोई कानून नहीं—मानो* सन् १७९३ ई० की प्रकाशित सरकारी आज्ञा आज तक वहाँ पहुँची ही नहीं।

अबवाब कितने ही प्रकार के हैं। उनके नाम तथा उनके वसूल करने के तरीके सुन कर, यदि रैयतों के दुःख की ओर विचार न करें तो हँसी आती है। पाठक नाम से उन्हें समझ न सकेंगे इसलिए उनकी परिभाषा दे दी जाती है।

(१) पैन खर्चा—पैन कहते हैं नहर को। जो खर्चा नहर का पानी देने के लिए लिया जाता है उसे पैन खर्चा कहते हैं। यदि वास्तव में पैन होते और उनसे पटाने के लिए रैयतों को पानी मिलता और उससे वे लाभ उठाते होते तो इस खर्चे के वसूल करने में किसी को आपत्ति नहीं होती। सरकारी नहरों से पानी लेने के लिए बिहार ही में नहीं वरन् और प्रान्तों में भी रैयत कर देते हैं और उसके सम्बन्ध में कोई चूँ नहीं करता क्योंकि सभी समझते

आठवाँ अध्याय

अबवाब

ऊपर कहा जा चुका है कि चम्पारन के पश्चिमोत्तर भागकी जमीन नील के अनुकूल नहीं है और वहाँ नील की खेती कभी नियमित रूप से नहीं हुई पर उस प्रान्त में भी अपरेजो ने कोठियाँ खोली। ये बेतिया तथा रामनगर राज्य के गाँवों का ठेका लेते और इसी से अपनी गुजरान करते थे। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि उनके रैयत सुखी थे। वहाँ उन्होंने नील के बदले और ही उपाय नफा के लिए सोच निकाला था। ऊपर कहा जा चुका है कि सन् १९ ७ में साठी कोठी ने नील के बदले 'पैन खर्चा' वसूल करना आरम्भ किया। और कोठियों में भी जहाँ नील नहीं होता था और कहीं-कहीं जहाँ नील होता भी था कोठीवाले कई प्रकार के अबवाब वसूल करते थे। पैन खर्चा इन्हीं में से एक था। कोठीवालो का कहना था कि बहुत पुराने समय से हिन्दुस्तानी जमींदार भी तरह तरह के अबवाब लिया करते थे और उन्होंने देखा देखी अबवाब लेना जारी रखा। वे यह भी कहते थे कि रैयत अबवाब अपनी खुशी से देते हैं। जिस रैयत को बीघा पीछे केवल १) रुपये मालगुजारी देनी पड़ती है वह अपनी खुशी से १) रुपये और देने को राजी थे। पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि चम्पारन के रैयत एकबारगी ऐसे 'बावले' नहीं जो १) रुपये और १) रुपये की देने में अन्तर न समझ सके। रामनगर के गाँवों के विषय में कहा जाता है कि वहाँ के जो गाँव ठेके पर दिये गये हैं कि उनके जमा में अबवाब जोड़ा लिया गया है। सन् १० १ ई० में जब दवामी बन्दोबस्त हुआ तभी से सरकार की ओर से किसी तरह का अबवाब लेने की मनाही है। बंगाल टेनेन्सी ऐक्ट में भी इसकी मनाही है और यदि किसी जमींदार का अबवाब लेना साबित हो तो उससे अबवाब की दूनी रकम वसूल कर रैयत को दिलवा दिये जाने का नियम है। पर चम्पारन के लिए कोई कानून नहीं—मानो सन् १ ९१ ई० की प्रचारित सरकारी आज्ञा आज तक वहाँ पहुँची ही नहीं।

अबवाब कितने ही प्रकार के हैं। उनके नाम तथा उनके वसूल करने के तरीके सुन कर, यदि रैयतो के दुःख की ओर विचार न रखे तो हँसी आती है। पाठक नाम से उन्हें समझ न सकेंगे इसलिए उनकी परिभाषा दे दी जाती है।

(१) पैन खर्चा—पैन कहते हैं नहर को। जो खर्चा नहर का पानी देने के लिए लिया जाता है उसे पैन खर्चा कहते हैं। यदि वास्तव में पैन होते और उनसे पटाने के लिए रैयतों को पानी मिलता और उनसे वे लाभ उठाते होते तो इस खर्च के वसूल करने में किसी को आपत्ति नहीं होती। सरकारी नहरों से पानी लेने के लिए बिहार ही में नहीं वरन् और प्रान्तो में भी रैयत कर देते हैं और उसके सम्बन्ध में कोई चूं नहीं करता क्योंकि सभी समझते

है कि यह उचित है। पर चम्पारन में पैन खर्चा एकदम अबवाब है। साठी कोठी में बिना पानी का उचित प्रबन्ध किये ही पैन खर्चा वसूल किया जाता था। उसी प्रकार और कोठियों में भी यह प्रथा जारी थी। प्रायः सभी जगह बीघा पीछे १) रुपये पैन खर्चा के रूप में वसूल होते थे। बेतिया के उत्तर भाग में एक चौतरवा कोठी है। वहाँ बहुत 'थामरु' रैयत हैं। खासकर वहाँ जमीन बन्दोबस्त नहीं होती है। एक हल में जितनी जमीन जोती जा सके उसी पर मालगुजारी बैठायी जाती है। इसे 'हलबन्दी' प्रथा कहते हैं। चौतरवा कोठी के थामरु रैयत हल पीछे ७॥) रुपये मालगुजारी दिया करते हैं और उनसे ७॥) रुपये पैन खर्चा लिया जाता था। मलहनी कोठी में जिसके मालिक चौतरवा के ही मालिक हैं एक बाँध है जिसे पिपरासी बाँध कहते हैं। कोठी का कहना है कि यह बाँध कोठी के खर्च से बनाया गया था और उसकी मरम्मत में कोठी का खर्चा पड़ता है इसलिए कोठी पैन खर्चा वसूल करती है। इसके बनाने में क्या खर्चा पड़ा था मालूम नहीं पर इसकी मरम्मत में साल में १) रुपये से अधिक खर्च नहीं पड़ता। इसके बदले कोठी की सालाना आमदनी इस पैन खर्च और बाँध बहरी की आमद में केवल १) रुपये की थी। रैयतों का कहना है कि थामरुओं ने बाँध बिना मजदूरी के तैयार कर दिया था। इसी प्रकार बेलवा और नरईपुर आदि कोठियों में भी पैन खर्चा वसूल किया जाता था और वहाँ भी यही कहा जाता था कि रैयतों के मजा के लिए पैन बना दिये गए हैं पर अब मैनेजर अफसरों को कहीं पैन मिले ही नहीं और जहाँ मिले भी वहाँ जितने बीघों पर पैन खर्चा वसूल होता था उससे बहुत ही कम पैन से काम उठाते थे। ससरारी कोठी में तो पैन का होना कोठीवाले भी नहीं बताते पर पैन खर्चा वे भी वसूल कर लेते थे।

एक बार कोठी की कथा सुन लीजिए। इसका नाम सिकटा है। इसके मालिक मि० नोर्स नामक एक अंगरेज थे। उन्होंने देखा कि पैन खर्चा शायद अबवाब ठहराकर बन्द कर दिया जाय। इसलिए रैयतों से उसके बदले एक ही साथ कुछ वसूल कर लेना ही उन्होंने अक्ल का काम समझा। अतएव उन्होंने ६ वर्षों का पैन खर्चा एक ही साथ वसूल करना चाहा। कुछ रैयतों से वसूल भी कर लिया। कितनों ही ने नहीं दिया। इसी बीच में सर्वे आया और यह चाल रुक गई। इन्हीं मि० नोर्स के जिम्मे बेतिया राज्य के ठेके की मालगुजारी बाकी पड़ गई थी। कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने शायद इन्हीं की नेकनामी के लिए प्रायः ८) रुपये जो उनके जिम्मे बाकी थे एकदम माफ कर दिये।

(२) सलामी (३) तीन-कठिया और (४) बोआम—जो अबवाब तीन रुपये बीघा पीछे वसूल किया जाता था वही कहीं सलामी, कहीं तीन कठिया और कहीं बोआम के नाम से भी मशहूर है। इसका नाम तीन-कठिया पड़ना बड़े मार्के की बात है। इससे यह जाहिर होता है कि चम्पारन के उत्तरी भाग में भी नील बोया जाता था अथवा तीन कठिया प्रथा जारी थी। पर रैयत ऐसा समझते हैं कि जैसे जिले के दक्खिन और पूर्व भागों में नील का बोझ उन पर है उसी प्रकार इस अबवाब का बोझ उत्तर-पश्चिम के रैयतों पर है।

इसका उदाहरण कुमुरारी कोठी में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। वहाँ कहीं-कहीं रुपये बीघा पीछे तीन मन धान लेना आरम्भ किया और कुछ दिनों के बाद यह उसके बदले में ३) रुपया नकद लेने लगे। मुरली और हरदिया कोठियों में भी यह अबवाब इसी प्रकार लिया जाता था। इसी सम्बन्ध के कारण रैयतों का ऐसा ख्याल बँध गया है कि चाहे नील के साथ हों या अबवाब के साथ अंगरेज ठेकेदार उनसे किसी न किसी प्रकार से कुछ लेना ही अपना कर्तव्य समझते हैं—उनको बाहर के लोग चाहे जो कहें—नील गर्दी नीलकोठियाँ समान या सगामी।

(५) बाँध बेहरी—यह भी पैन खर्चा की तरह अबवाब है। यह मालगुजारी के रुपया पीछे एक आना लिया जाता था।

(६) बेठमाफी—ऊपर भोपतपुर कोठी का नाम आ चुका है और यह कहा जा चुका है कि वहाँ हल पीछे ७॥) रुपये मालगुजारी और ७॥) रुपये पैन खर्चा वसूल किया जाता था। बेठमाफी भी उसी कोठी में वसूल होती थी। कोठी की कुछ जोतान की जो रैयतों के हल से ही आबाद की जाती थी। इस कोठी के साहब का कहना है कि रैयतों को हल देने में बहुत कष्ट मालूम होता था इसलिए हल के बदले उन्होंने हल पीछे १) सालाना देना स्वीकार कर लिया। इसी को बेठमाफी कहते हैं अर्थात् बेठमाफ करने के लिए कर। उस कोठी के गरीब रैयतों को इस प्रकार ७॥) रुपये के अतिरिक्त जो वाजिब मालगुजारी है ७॥) पैन खर्चा और १) बेठमाफी अर्थात् ८॥) और भी फी बीघे देने पड़ते थे।

(७) बपही पुतही—जब कोई रैयत मर जाता है तब उसके वारिस से कर लिया जाता है। पाठकों से यह कहना उचित है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट के अनुसार रैयतों को अपने पूर्व पुरुषों की जोत पर कानूनन हक हासिल है। तो भी कोठीवाले बिना इसके वसूल किये वारिस को असली मुरिस की जायदाद का मालिक नहीं समझते थे।

(८) मड़वच—लड़की की शादी के समय १।) कोठीवाले लेते थे।

(९) सगौढ़ा—जब किसी विधवा की सगाई होती थी तो उससे ५) रुपये वसूल किये जाते थे।

(१०) कोल्हुआवन—तेल अथवा ऊख पेरने की कल रखने वालों से कोल्हू पीछे १) रुपया लिया जाता था।

(११) चुल्हियावन—कहीं-कहीं हल्दी बहुत होती है। लोग उसे उबालकर बेचते हैं। उबालने के लिए जो चूल्हा रखता था उससे चूल्हा पीछे १) वसूल होता था।

(१२) मरकनी—यह कर दूध और तेल बेचने वालों से कढ़िया पीछे (जिससे नापकर दूध और तेल बेचते हैं) १) वसूल किया जाता था।

(१३) बेचाई—जो कोई पशु बेचता था उससे १) अथवा २) सालाना कर लिया जाता था।

(१४) फगुअही, (१५) दसहरी (१६) चैत-नवमी और (१७) बाबात-पूजा—होली दशहरा चैत-नौमी और बाबात-पूजा के समय रैयतों से घर पीछे कुछ न कुछ कोठी वाले या उनके अमले वसूल किया करते थे।

कहते हैं कि होली के अवसर पर किसी-किसी कोठी में नाच बसाकर खड़ा कर दिया जाता था। कोठी के कर्मचारी तब नाच देखते और रैयतों को नाच दिखाते। चाहे न चाहें उनको जबरदस्ती दिखाया जाता था। नाच हो चुकने पर उनसे फी आदमी १) के हिसाब से ले लिया जाता था।

(१८) हथियही—पश्चिमोत्तर चम्पारन में बहुत जंगल है। वहाँ साहब लोग अक्सर शिकार खेलने जाया करते हैं। शिकार के लिए हाथियों की जरूरत होती है। इसलिए वहाँ के साहब हाथी भी रखा करते थे। जब हाथी मोल लेना होता था तब रैयतों पर कर बैठाकर उसका दाम वसूल कर लिया जाता था।

(१९) घोड़ही (२) मोटरही अथवा हवाही और (२१) नवही—इसी प्रकार साहब को यदि घोड़ा अथवा मोटरकार (हवागाड़ी) लेने की आवश्यकता हुई या नाव बनाना पड़ा तो रैयतों से कर वसूल किया जाता था।

(२२) मपही—साहब के बीमार पड़ने पर जो खर्च हो वह भी रैयत देते थे। एक साहब के विषय में कहा जाता है कि उनको एक घाव हो गया था। डाक्टर को लाकर बहुत दिनों तक कोठी में रखना पड़ा जिसमें कोठी का बहुत खर्च हुआ। यह सब रैयतों से मपही के रूप में वसूल किया गया।

(२३) अमही और (२४) कटहरही—जब कोठी के बाग में आम या कटहल बहुत हो गया तब उसको रैयतों के बीच बाँट देते थे। यदि किसी को वे फल पसन्द नहीं आये तो कोठी की ओर से उसकी खबर ली गई। आम का पहुँचना था कि सिपाही उसका दाम लेने पहुँचे। आम का दाम बाजार की दर से नहीं पर रैयत की हैसियत के अनुसार देना पड़ता था।

(२५) आमदी सलामी—जब साहब अथवा उनके कोई बड़े मुलाजिम किसी गाँव में गये तो सब रैयतों को आकर सलाम करना चाहिए। पर इतने बड़े लोगों को खाली हाथ कोई कैसे सलाम कर सकता है? इसलिए सलाम न भी करे और फी आदमी १) उनके चले जाने पर भी दे देवे तो खैरियत—नहीं तो बदतहजीबी का जुर्माना देना पड़ता था।

(२६) रसीदावन—मालगुजारी में रसीद पीछे एक आना।

(२७) फरकावन—फारखती के लिए रैयत ।।) से १) तक।

(२८) दस्तूरी (२९) हिसाबान (३) तहरीर और (३१) दीवान दस्तूरी—ये भी किसी न किसी मद के लिए रैयतों से रुपया पीछे)॥ से ~) तक वसूल किये जाते थे। ये सब अक्सर कोठी के मुलाजिमों को ही मिलते थे। पर कहीं-कहीं यह

इसका उदाहरण मधुबनी कोठी में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। वहाँ कोठी ने पहले बीघा पीछे तीन मन धान लेना आरम्भ किया और कुछ दिनों के बाद वह उसके बदले में १) रुपये नकद लेने लगे। मुरला और हरदिया कोठियों में भी यह अबवाब इसी प्रकार लिया जाता था। इसी सम्बन्ध के कारण रैयतों का ऐसा ख्याल बँध गया है कि चाहे नील के बदले हो या अबवाब के बदले अंगरेज ठेकेदार उनसे किसी न किसी प्रकार से कुछ लेना ही अपना धर्म समझते हैं—उसका बाहर के नाम चाहे जो रहे—पैन खर्चा, तीनकठिया लगान या सलामी।

(५) बांध बेहरी—यह भी पैन खर्चा की तरह अबवाब है। यह मालगुजारी के रुपया पीछे एक आना लिया जाता था।

(६) बेठमाफी—ऊपर ओलहा कोठी का नाम आ चुका है और यह कहा जा चुका है कि वहाँ हल पीछे ७॥) रुपये मालगुजारी और ७॥) रुपये पैन खर्चा वसूल किया जाता था। बेठमाफी भी उसी कोठी में वसूल होती थी। कोठी की कुछ जोतें पहले रैयतों के हल से ही आबाद की जाती थीं। इस कोठी के साहब का कहना है कि रैयतों को हल देने में बहुत कष्ट मालूम होता था इसलिए हल के बदले उन्होंने हल पीछे १) सालाना देना स्वीकार कर लिया। इसी को बेठमाफी कहते हैं अर्थात् बेठमाफ करने के लिए कर। उस कोठी से गरीब रैयतों को इस प्रकार ७॥) रुपये के अतिरिक्त जो वाजिब मालगुजारी है ७॥) पैन खर्चा और १) बेठमाफी अर्थात् ८॥) और भी फी बीघे देने पड़ते थे।

(७) बपही पुतही—जब कोई रैयत मर जाता है तब उसके वारिस से कर लिया जाता है। पाठकों से यह कहना उचित है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट के अनुसार रैयतों को अपने पूर्व पुरुषों की जोत पर मौरूसी हक हासिल है। तो भी कोठीवाले बिना इसके वसूल किये वारिस को अपनी मुरिस की जायदाद का मालिक नहीं समझते थे।

(८) मड़वन—लड़की की शादी के समय १।) कोठीवाले लेते थे।

(९) सगौरा—जब किसी विधवा की सगाई होती थी तो उससे ५) रुपये वसूल किये जाते थे।

(१०) कोल्हुआवन—तेल अथवा ऊख पेरने की कल रखने वालों से कोल्हू पीछे १) रुपया लिया जाता था।

(११) चुल्हिआवन—यहाँ-वहाँ हल्दी बहुत होती है। लोग उसे उबालकर बेचते हैं। उबालने के लिए जो चूल्हा रखता था उससे चूल्हा पीछे १) वसूल होता था।

(१२) कठहनी—यह कर दूध और तेल बेचने वालों से कठिया पीछे (जिससे नापकर दूध और तेल बेचते हैं) १) वसूल किया जाता था।

(१३) बेचाई—जो कोई पशु बेचता था उससे १) अथवा २) सालाना कर लिया जाता था।

नामी और जोरदार कोठीवाले कहलाते हैं कमीशन के सामने अपनी सफाई दिखाते हुए कहा था—"Is the *thikadar* to blame for collecting these *abwabs* for the *thikadar* is paid to squeeze and must squeeze to pay" अर्थात्, 'अबवाब लेने में ठेकेदारों का क्या दोष है ? उन्हें तो रैयतों को चूसने के लिए ही रखा जाता है और मालिक का रुपया लगान के लिए रैयतों को चूसना उनके लिए जरूरी है। पर यह कहना कि अबवाब के बिना ठेके से कुछ लाभ ही नहीं बिलकुल गलत है।

सैटलमेंट अफसर मि जे ए स्वीनी ने कमीशन के सामने अपने इजहार में बेतिया राज्य और रामनगर राज्य के ठेकेदारों के विषय में हिसाब करके यह दिखलाया था। बेतिया में सैकड़े १) रुपये ठेकेदारी हक (हकुक तहसील) यों ही मिलते हैं। रामनगर राज्य के ७९ गांवों का हिसाब करके जो ठेकेदारों के साथ बन्दोबस्त है उन्होंने दिखलाया था कि ठेकेदारों को ४ ८ ७) रुपये राज्य को देने पड़ते हैं। उनको जमाबन्दी के अनुसार ४ ५४७) रुपये अर्थात् अपने जमे से कुछ कम वसूल करने का हक है। पर बकास्त और हुक्काजमीन की आमदनी यदि रैयती जमाबन्दी में जोड़ दी जाय तो उन्हें ७ ७) की आमदनी हो जाती है। अर्थात् ४) देना और ७) वसूल करना—१) का सीधा नफा—सैकड़े ७५ केवल रैयतों से वसूल कर देने के लिए। पाठक याद रखें कि इसमें अबवाब शामिल नहीं जो ४) सालाना के लगभग और होगा। इतना और कहना आवश्यक है कि ठेकेदारों को ठेका लेने के समय मालिक को एक बड़ी रकम सलामी देनी पड़ती है। पर जहां ७५ सैकड़े आमदनी अबवाब छोड़कर है वहां सलामी क्या बड़ी रकम हो सकती है ?

इन अबवाबों के बारे में रैयतों ने सरकार में तथा सरकारी अफसरों के पास दरख्वास्त भेजी और जब बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने जांच कमेटी मुकर्रर करने के लिए बिहार की व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव पेश किया था उस समय माननीय मि लेविन्ज ने (Hon'ble Mr Levinge) जिन्होंने सरकार की ओर से उत्तर दिया था यह दिखलाया कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक बड़ी भूल की है। उन्होंने चम्पारन के सभी कोठीवालों को नीलवर कहा है पर अनेक कोठीवालों ने कभी नील नहीं किया। आपने फर्माया कि जो दरख्वास्त पश्चिमोत्तर भाग के रैयतों की दी हुई थी वे नील के सम्बन्ध में नहीं वरन् अबवाब के विषय में थी इसलिए नीलवरों के सम्बन्ध में जांच की जरूरत उन दरख्वास्तों के कारण नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार ने इन अबवाब वाली दरख्वास्तों को स्थानिक अफसरों के पास जांच के लिए भेज दिया है। यह बात ठीक थी पर जैसा बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने उत्तर में कहा था कि चम्पारन के रैयत नीलवाले और अबवाब वाले साहबों में कोई भेद नहीं समझते क्योंकि दोनों का मतलब उनसे कुछ-न-कुछ वसूल ही करना है।

जो दरख्वास्त पड़ी थी उन पर जिला कलक्टर ने जांच की और ता १८-५ १९१४

रकम भी कोठी ही से लेती थी।

(१२) बीसही, पचाही, दसही—ऊपर कहा जा चुका है कि मिर्जैया कोठी ने चन्द आदमियों से सर्वे आने के कुछ पहले कई वर्षों का अबवाब एक साथ वसूल करने की चेष्टा की थी। रैयतों का कहना है कि इसी प्रकार बेलवा कोठी ने अपने रैयतों से कहीं बीस वर्ष कहीं पचास और कहीं दस वर्ष के अबवाब एक ही साथ ले लिये। जिनके पास रुपये न थे उनसे तावान की तरह हैंडनोट आदि लिखवा लिये। यह भी जैसे तावान लेकर रैयतों को नील से छुटकारा देने का बहाना किया गया था उसी प्रकार मानो गरीब रैयतों को अबवाब से छुटकारा देने के बहाने वसूल हुआ था।

इन अबवाबों के अलावे और भी कितने प्रकार के अबवाब वसूल किये जाते थे जैसे—(१३) महतमाजी (१४) रामभंक (१५) गुड़बेची, (१६) दीवानसेंटी, (१७) पुतमेंटी, (१८) बंगला इस्तिमरारी (१९) घोड़ावनहरी, (२०) बपुतही इत्यादि।

ये तो अबवाब हुए। कोठी के मालिक चाहे नील की कोठियाँ हों अथवा पश्चिमोत्तर भाग की ठेकेदारी कोठियाँ हों सभी रैयतों से जुर्माना वसूल करते थे। इस बात को कमीशन के सामने बहुत कोठीवालों ने स्वीकार भी किया पर कहा कि छोटी-छोटी रकम वसूल की जाती थी और उसमें से कुछ अलग अंश (हक मालिकाना) रखकर बाकी नालिश करने वाले को हर्जाना दे दिया जाता था।

यहाँ के वर्गों ने एक विचित्र नाम वाली सजा बनायी। यहाँ जब कोई स्त्री भ्रष्ट हो जाती है और उसका पता लोगों को लगता है तो पुरुष उसके साथ फँसा रहता है उसको सजा होती है। इसको 'सिंगारहाट' कहते हैं। लोगों का कहना है कि यह सजा नेपाल राज्य में भी जारी है। चम्पारन के किसी-किसी हिस्से में सिंगारहाट लगाकर कभी रकमें कोठियों के द्वारा वसूल की जाती थी। अबवाबों की नामावली से पाठक समझ गए होंगे कि हर प्रकार से रैयतों से कुछ न कुछ वसूल कर लेना कोठीवाले खूब जानते थे। पर यह नहीं समझना चाहिए कि हर साल हर रैयत से सब अबवाब वसूल किये जाते थे। इनमें बहुत ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष वसूल होते थे—अनेक अबवाब विशेष अवसर पर और अनेक खास रैयतों से वसूल किये जाते थे। सेटलमेण्ट अफसर का विचार है कि सब मिलकर अबवाब की रकम मालगुजारी के बराबर थी अर्थात् रैयतों को एक के बदले दो देने पड़ते थे।

कोठीवाले कहते हैं कि ये अबवाब बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और हमको जो ठेका दिया गया है उसमें नफ़ा की गुंजाइश नहीं रखी गई है इसलिए हमको अबवाब लेने की लाचारी है। वे यह भी कहते हैं कि कहीं-कहीं तो जो जमा रैयतों से वसूल होती आती है उससे भी अधिक पर हमें ठेका मिला है और कहीं-कहीं हमारे पट्टे के जमा में भी अबवाब जोड़ दिये गये हैं—तो फिर हम बिना अबवाब के कैसे रह सकते हैं? मि० ऐम्मन (Mr Ammon) ने जो बेलवा कोठी के मैनेजर हैं और जो उस बाजार में बड़े

नामी और जोरदार कोठीवाले कहलाते हैं कमीशन के सामने अपनी सफाई दिखाते हुए कहा था—"Is the *thikedar* to blame for collecting these *abwabs* for the *thikedar* is paid to squeeze and must squeeze to pay" अर्थात् 'अबवाब लेने में ठेकेदारों का क्या दोष है ? उन्हें तो रैयतों को चूसने के लिए ही रखा जाता है और मालिक का रुपया चुकाने के लिए रैयतों को चूसना उनके लिए जरूरी है ।' पर यह कहना कि अबवाब के बिना ठेके में कुछ लाभ ही नहीं बिलकुल गलत है ।

सैटलमेंट अफसर मि जे ए स्वीनी ने कमीशन के सामने अपने इजहार में बेतिया राज्य और रामनगर राज्य के ठेकेदारों के विषय में हिसाब करके यह दिखलाया था । बेतिया में सैकड़े १) रुपये ठेकेदारी हक (हकूक तहसील) यों ही मिलते हैं । रामनगर राज्य के ७९ गाँवों का हिसाब करके जो ठेकेदारों के साथ बन्दोबस्त हैं उन्होंने दिखलाया था कि ठेकेदारों को ४ ८ ०) रुपये राज्य को देने पड़ते हैं । उनकी जमाबन्दी के अनुसार ४ ५४७) रुपये अर्थात् अपने जमे से कुछ कम वसूल करने का हक है । पर बकाश्त और खुदकाश्त जमीन की आमदनी यदि रैयती जमाबन्दी में जोड़ दी जाय तो उन्हें ७ ७) की आमदनी हो जाती है । अर्थात् ४) देना और ७) वसूल करना—१) का सीधा नफा—सैकड़े ७५ केवल रैयतों से वसूल कर देने के लिए । पाठक याद रखें कि इसमें अबवाब शामिल नहीं जो ४) सालाना के लगभग और होगा । इतना और कहना आवश्यक है कि ठेकेदारों को ठेका लेने के समय मालिक को एक बड़ी रकम सलामी देनी पड़ती है । पर जहाँ ७५ सैकड़े आमदनी अबवाब छोड़कर है वहाँ सलामी क्या बड़ी रकम हो सकती है ?

इन अबवाबों के बारे में रैयतों ने सरकार में तथा सरकारी अफसरों के पास दरख्वास्तें भेजीं और जब बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने जाँच कमेटी मुकर्रर करने के लिए बिहार की व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव पेश किया था उस समय माननीय मि लेविन्ज ने (Hon'ble Mr Levinge) जिन्होंने सरकार की ओर से उत्तर दिया था यह दिखलाया कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक बड़ी भूल की है । उन्होंने चम्पारन के सभी कोठीवालों को नीलवर कहा है पर अनेक कोठीवालों ने कभी नील नहीं किया । आपने फर्माया कि जो दरख्वास्त पश्चिमोत्तर भाग के रैयतों की दी हुई थी वे नील के सम्बन्ध में नहीं वरन् अबवाब के विषय में थी इसलिए नीलवरों के सम्बन्ध में जाँच की जरूरत उन दरख्वास्तों के कारण नहीं हो सकती । उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार ने इन अबवाब वाली दरख्वास्तों को स्थानिक अफसरों के पास जाँच के लिए भेज दिया है । यह बात ठीक थी पर जैसा बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने उत्तर में कहा था कि चम्पारन के रैयत नीलवाले और अबवाब वाले साहबों में कोई भेद नहीं समझते क्योंकि दोनों का मतलब उनसे कुछ-न-कुछ वसूल ही करना है ।

जो दरख्वास्तें पड़ी थीं उन पर जिला कलक्टर ने जाँच की और ता. १८-५ १९१४

रकम भी कोठी ही ले लेती थी ।

(१२) सौटही, पनाही, बसही—ऊपर कहा जा चुका है कि सिरिसिया कोठी ने कम आदमियों से सर्वे होने के कुछ पहले कई वर्षों का अबवाब एक साथ वसूल करने की चेष्टा की थी । रैयतों का कहना है कि इसी प्रकार बेलवा कोठी ने अपने रैयतों से कहीं तीन वर्ष कहीं पन्द्रह और कहीं दस वर्ष के अबवाब एक ही साथ ले लिये । जिनके पास रुपये न थे उनसे तावान की तरह हैंडनोट आदि लिखवा लिये । यह भी जैसे तावान लेकर रैयतों को नील से छुटकारा देने का बहाना किया गया था उसी प्रकार शायद गरीब रैयतों को अबवाब से छुटकारा देने के बहाने वसूल हुआ था ।

इन अबवाबों के अलावे और भी कितने प्रकार के अबवाब वसूल किये जाते थे जैसे—(१३) महापाती (१४) रामभंक (१५) मुडवेली, (१६) दोआनगोंडी (१७) पुरसेंडी, (१८) बंगला इस्तिमालवाली, (१९) बहीखुरखुड़, (२०) कमुन्ही इत्यादि ।

ये तो अबवाब हुए । कोई के साहब चाहे नील की कोठियां हों अथवा पश्चिमोत्तर भाग की ठेकेदारी कोठियां हों सभी रैयतों से जुर्माना वसूल करते थे । इस बात को कमीशन के सामने बहुत कोठीवालों ने स्वीकार भी किया पर कहा कि छोटी-छोटी रकम वसूल की जाती थी और उसमें से कुछ अपना अंश (हक मालिकाना) रखकर बाकी नालिश करने वाले को हर्जाना दे दिया जाता था ।

यहाँ के गांवों में एक विचित्र नाम वाली सजा चलती थी । यहाँ जब कोई स्त्री भ्रष्ट हो जाती है और उसका पता लोगों को लगता है या पुरुष उसके साथ फँसा रहता है उसको सजा होती है । इसको 'सिंगारहाट' कहते हैं । लोगों का कहना है कि यह सजा नैपाल राज्य में भी जारी है । चम्पारन के किसी-किसी हिस्से में सिंगारहाट लगाकर बड़ी रकमें कोठियों के द्वारा वसूल की जाती थी । अबवाबों की नामावली से पाठक समझ गए होंगे कि हर प्रकार से रैयतों से कुछ न कुछ वसूल कर लेना कोठीवाले खूब जानते थे । पर यह नहीं समझना चाहिए कि हर साल हर रैयत से सब अबवाब वसूल किये जाते थे । इनमें बहुत ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष वसूल होते थे—अनेक अबवाब विशेष अवसर पर और अनेक खास रैयतों से वसूल किये जाते थे । सेटलमेण्ट अफसर का विचार है कि सब मिलकर अबवाब की रकम मालगुजारी के बराबर थी अर्थात् रैयतों को एक के बदले दो देने पड़ते थे ।

कोठीवाले कहते हैं कि ये अबवाब बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और हमको जो ठेका दिया गया है उसमें नफा की गुंजाइश नहीं रखी गई है इसलिए हमको अबवाब लेने की मजबूरी है । वे यह भी कहते हैं कि कहीं-कहीं तो जो जमा रैयतों से वसूल होने वाला है उससे भी अधिक पर हमें ठेका मिला है और कहीं-कहीं हमारे पट्टे के जमा में भी अबवाब जोड़ दिये गये हैं—तो फिर हम बिना अबवाब के कैसे रह सकते हैं ? मि० ऐम्मन (Mr Ammon) ने जो बेलवा कोठी के मैनेजर हैं और जो इस बजार में बड़े

से दबाव डाले जाने पर भी उनके यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे तथा अपने दुखों की कहानियाँ सुनाते गये।

सैटलमेण्ट अफसर के तजवीज सरहबेशी के सम्बन्ध में गलत हुए इसमें हमें कुछ भी सन्देह नहीं है। पर यह ऐसा प्रश्न है जिसमें मतभेद हो सकता है। जो हो सब मनुष्यों से गलती हो सकती है और यदि उन्होंने गलती भी की जैसा हम समझते हैं तो इसके लिए उन पर दोषारोपण हम नहीं कर सकते।

सैटलमेण्ट अफसर ने एक और बात का फैसला कर दिया। जब कभी चम्पारन के रैयत सिर उठाने की चेष्टा करते आये हैं तो वहाँ के कोठीवाले यही कहते आये हैं कि रैयत तो बहुत खुश हैं कोठी और रैयत के बीच कोई अनबन नहीं है पर ये बाहर के अथवा चम्पारन के ही स्वार्थियों के आन्दोलन अथवा बहकाने से कभी-कभी कोठियों के खिलाफ हो जाया करते हैं इसलिए यदि आन्दोलन करनेवालों को हटा दिया जाय तो फिर शांति हो जायगी। शायद सरकार भी इस बात को कभी-कभी सहानुभूति के साथ सुनती आई। पर यह दिखाया जा चुका है कि जब ऐसा मौका आया है तो जाँच करने पर आन्दोलन करनेवाले नहीं मिले हैं रैयतों की बातें और शिकायतें ठीक पाई गई हैं।

सैटलमेण्ट अफसर ने यही पाया और सरकार को बता दिया कि चम्पारन के रैयत भी मनुष्य हैं और जब उन पर अत्याचार की मात्रा बढ़ जाती है तभी वे कुछ चूँ चाँ करते हैं। इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद है क्योंकि महात्मा गांधी के चम्पारन पहुँचने पर नीलवरों ने ही नहीं वरन् कुछ सरकारी अफसरों ने भी इसी पुराने गीत को गाया था और हो सकता है कि प्रान्तीय सरकार ने सैटलमेण्ट अफसर की रिपोर्टों को ही देखकर महात्मा गांधी पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का निश्चय किया है।

यह तो हुई पश्चिमोत्तर भाग की कथा। पूर्व-दक्षिण भाग में अवस्था इस प्रकार के नहीं थे। वहाँ तीन-कठिया शरहबेशी और तावान की धूम थी। तावान के विषय में सैटलमेंट अफसर को बोलने का कुछ अधिकार नहीं था। पर शरहबेशी और तीन-कठिया की बात उनके सामने पेश हुई। इस सम्बन्ध में दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि उन्होंने उस सावधानी से काम नहीं किया जिससे कि अवस्था के सम्बन्ध में किया था। रैयतों ने उनके सामने बयान किया कि शरहबेशी के सट्टे उनसे बलात्कार दबाव डालकर लिखे गये हैं। इस पर उन्होंने फैसला दिया कि दबाव डालने का सबूत नहीं मिलता है। रैयतों की ओर से कहा गया कि शरहबेशी के सट्टे बंगाल टैनेन्सी एक्ट (Bengal Tenancy Act) की २९वीं धारा के अनुसार कानूनन जायज नहीं हैं। इस पर उनका फैसला हुआ कि प्रायः सभी ऐसे सट्टे जायज हैं। यह जाँच उनकी सभी पक्षपातहीन और पक्की नहीं कही जा सकती क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि तुर्कौलिया कोठीके सब रैयतों के मुकदमों का फैसला करने में मोतीहारी के मुंसिफ को कई महीने लगे थे। पर सैटलमेंट अफसर ने प्रायः २५ हजार सट्टों के बारे में अपनी जाँच कई महीनों के भीतर ही समाप्त कर दी। तिस पर भी तुर्कौलिया के मुकदमो में ५ रैयतों के हकबजाह फैसले हुए और केवल ४ ही कोठी के हकबजाह सैटलमेंट अफसर के यहाँ प्रायः सभी फैसले कोठीवालों के ही हकबजाह हुए। एक बात और है जहाँ शरहबेशी का जबरदस्ती लेना साबित हो गया अथवा किसी कारण सट्टा नाजा-यज समझा गया वहाँ रैयतों के खतियान में यह लिख दिया गया कि वे की बीघे तीन कट्ठे में नील करने के लिए बाध्य हैं अर्थात् कोठीवालों को उनके सताने के लिए मानों एक हथियार हाथ में दे दिया गया। एक और भी बड़े मार्के की बात है। जहाँ शरहबेशी का सट्टा नाजायज ठहर गया वहाँ कोठीवालों ने घर-पकड़ कर रैयतों से सुलहनामे दाखिल करवा दिये। और आश्चर्य यह है कि सैटलमेंट अफसर ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। जो रैयत बराबर से शरहबेशी के विरुद्ध लड़ते आ रहे थे और जो प्रायः विजय प्राप्त कर चुके थे वे खुशी से सुलह कर लें यह बात मामूली आदमियों की समझ में नहीं आती। पर सैटलमेंट अफसर ने इन सब को कबूल करके शरहबेशी बढ़ा दी। इससे रैयतों में बड़ी अशांति फैल रही थी और वे एक प्रकार से हताश हो रहे थे। उनको आशा थी कि सरकार के भेजे हुए सैटलमेंट अफसर इस विषय में इन्साफ करेंगे पर जब वहाँ से भी निराश हुए, तो उनके दुःखों की सीमा न रही। चम्पारन की यही स्थिति थी जब महात्मा गांधी का शुभागमन वहाँ हुआ।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चम्पारन के रैयतों में प्रथम जीवन डालने का श्रेय सैटलमेंट अफसर कर सकते हैं। उन्हीं की कचहरियों में रैयतों ने साहब के मुकाबले कुछ कहने को सीखा। उन्हीं की कचहरियों में यह मालूम हुआ कि नीलवरो में और सरकार में अन्तर है और नीलवर के विरुद्ध भी फैसला हो सकता है। इन्हीं कारणों से जब महात्मा गांधी पहुँचे तो रैयत निडर होकर बिना किसी के भुलावे और कोठियों की ओर

से दबाव डाले जाने पर भी उनके यहाँ हजारों की संख्या में पहुँचे तथा अपने दुःखों की कहानियाँ सुनाते गये।

सटलमेण्ट अफसर के तजवीज तावान के सम्बन्ध में गलत हुए, इसमें हमें कुछ भी सन्देह नहीं है। पर यह एसा प्रश्न है जिसमें मतभेद हो सकता है। जो हो सब मनुष्यों से गलती हो सकती है और यदि उन्होंने गलती भी की जैसा हम समझते ह तो इसके लिए उन पर दोषारोपण हम नहीं कर सकते।

सैटलमेण्ट अफसर ने एक और बात का फैसला कर दिया। जब कभी चम्पारन के रैयत सिर चढाने की चेष्टा करते आये हे तो वहाँ के कोठीवाले यही कहते आये है कि रैयत तो बहुत खुश है कोठी और रैयत के बीच कोई अनबन नहीं है पर ये बाहर के अथवा चम्पारन के ही स्वार्थियो के आन्दोलन अथवा बहकाने से कभी-कभी कोठियों के खिलाफ हो जाया करते है इसलिए यदि आन्दोलन करनेवालों को हटा दिया जाय तो फिर शांति हो जायगी। शायद सरकार भी इस बात को कभी-कभी सहानुभूति के साथ सुनती आई। पर यह दिखाया जा चुका है कि जब ऐसा मौका आया है तो जाँच करने पर आन्दोलन करनेवाले नहीं मिले हैं रैयतों की बातें और शिकायतें ठीक पाई गई है।

सैटलमेण्ट अफसर ने यही पाया और सरकार को बता दिया कि चम्पारन के रैयत भी मनुष्य है और जब उन पर अत्याचार की मात्रा बढ जाती है तभी वे कुछ चूं चा करते है। इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद है क्योंकि महात्मा गाधी के चम्पारन पहुँचने पर नीलवरों ने ही नहीं बरन् कुछ सरकारी अफसरों ने भी इसी पुराने गीत को गाया था और हो सकता है कि प्रान्तीय सरकार ने सैटलमेण्ट अफसर की रिपोर्टों को ही देखकर महात्मा गांधी पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का निश्चय किया है।

यह तो हुई पश्चिमोत्तर भाग की कथा। पूर्व दक्षिण भाग में अवस्था इस प्रकार की नहीं थी। वहाँ तीन-कठिया शरहबेशी और तावान की धूम थी। तावान के विषय में सेटलमेण्ट अफसर को बोलने का कुछ अधिकार नहीं था। पर शरहबेशी और तीन-कठिया की बात उनके सामने पेश हुई। इस सम्बन्ध में दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि उन्होंने उस सावधानी से काम नहीं लिया, जिससे कि अवस्था के सम्बन्ध में लिया था। रैयतों ने उनके सामने बयान दिया कि शरहबेशी के सट्टे उनसे बलात्कार दबाव डालकर लिखे गये हैं। इस पर उन्होंने फैसला दिया कि दबाव डालने का सबूत नहीं मिलता है। रैयतों की ओर से कहा गया कि शरहबेशी के सट्टे बंगाल टेनेन्सी एक्ट (Bengal Tenancy Act) की २९वीं धारा के अनुसार कानूनन जायज नहीं हैं। इस पर उनका फैसला हुआ कि प्रायः सभी ऐसे सट्टे जायज हैं। यह जाँच उनकी सभी पक्षपातहीन और पक्की नहीं कही जा सकती क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि तुर्कौलिया कोठी के सब रैयतों के मुकदमों का फैसला करने में मोतीहारी के मुन्सिफ को कई महीने लगे थे। पर सेटलमेण्ट अफसर ने प्रायः २५ हजार सट्टों के बारे में अपनी जाँच कई महीनों के भीतर ही समाप्त कर दी। तिस पर भी तुर्कौलिया के मुकदमों में ५ रैयतों के हकबाह फैसले हुए और केवल ४ ही कोठी के हकबाह सेटलमेण्ट अफसर के यहाँ प्रायः सभी फैसले कोठीवालों के ही हकबाह हुए। एक बात और है जहाँ शरहबेशी का जबरदस्ती लेना साबित हो गया अथवा किसी कारण सट्टा नाजायज समझा गया वहाँ रैयतों के खतियान में यह लिख दिया गया कि वे फी बीघे तीन कट्ठे में नील करने के लिए बाध्य हैं, अर्थात्, कोठीवालों को उनके सताने के लिए मानो एक हथियार हाथ में दे दिया गया। एक और भी बड़े मार्के की बात है। जहाँ शरहबेशी का सट्टा नाजायज ठहर गया वहाँ कोठीवालों ने धर-पकड़ कर रैयतों से सुलहनामे दाखिल करवा दिये। और आश्चर्य यह है कि सेटलमेण्ट अफसर ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। जो रैयत बराबर से शरहबेशी के विरुद्ध लड़ते आ रहे थे और जो प्रायः विजय प्राप्त कर चुके थे वे खुशी से सुलह कर लेवें यह बात मामूली आदमियों की समझ में नहीं आती। पर सेटलमेण्ट अफसर ने इन सब को कबूल करके शरहबेशी चढ़ा दी। इससे रैयतों में बड़ी अशान्ति फैल रही थी और वे एक प्रकार से हताश हो रहे थे। उनको आशा थी कि सरकार के भेजे हुए सेटलमेण्ट अफसर इस विषय में इन्साफ करेंगे पर जब वहाँ से भी निराश हुए तो उनके दुःखों की सीमा न रही। चम्पारन की यही स्थिति थी जब महात्मा गांधी का शुभागमन वहाँ हुआ।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चम्पारन के रैयतों में प्रथम जीवन डालने का दावा सेटलमेण्ट अफसर कर सकते हैं। उन्हीं की कचहरियों में रैयतों ने साहब के सामने कुछ कहना सीखा। उन्हीं की कचहरियों में यह मालूम हुआ कि नीलवरों में और सरकार में अन्तर है और नीलवर के विरुद्ध भी फैसला हो सकता है। इन्हीं कारणों से जब महात्मा गांधी पहुँचे तो रैयत निडर होकर बिना किसी के बुलाये और कोठियों की ओर

दसवाँ अध्याय

महात्मा गांधी का आगमन

सन् १९१६ ईस्वी के दिसम्बर महीने में कांग्रेस का इकतीसवाँ अधिवेशन लखनऊ में बड़े धूमधाम से हुआ था। इस अधिवेशन में लगभग २१   मनुष्य भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों से आकर सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि इतने प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। सूरत की कांग्रेस के बाद यहीं ही लोकमान्य बाल-गंगाधर तिलक अपने दल के साथ पहले-पहल कांग्रेस में आये थे। दक्षिण और सिंध के कैम्प प्रतिनिधियों से भरे थे। गुजरात मद्रास मध्यप्रदेश से भी लोग कम न आये थे। संयुक्त प्रांत वालों के लिए वहाँ विशाल संख्या में आना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस ही हो रही थी। मद्रास से श्रीमती एनी बेसेन्ट अपने दल-बल के साथ आई हुई थीं। बंगाल से भी सभापति के साथ बहुत प्रतिनिधि भेजे थे। बिहार प्रान्त भी इस साल खूब ही जाग उठा था और वहाँ से भी बहुत प्रतिनिधि गये थे। इसका एक विशेष कारण यह था कि बिहार की ओर से इस वर्ष कई मुख्य प्रस्ताव उपस्थित किये जाने को थे। श्रीमान् महात्मा गांधी अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ गुजरात से पधारे थे और पंडाल के पास ही एक खीमे में आकर ठहरे थे।

बिहार प्रान्त सम्बन्धी दो प्रस्ताव उपस्थित करने का विचार हुआ—एक पटना यूनिवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में और दूसरा चम्पारन के नीलवरों और उनके रैयतों के सम्बन्ध की जाँच के विषय में। विषय निर्धारिणी समिति में इस प्रस्ताव के उपस्थित करने के पहले ही कुछ लोग महात्मा गांधी तथा पण्डित मदनमोहन मालवीय आदि मुखियाओं के पास गये और चम्पारन की प्रजा की दशा के विषय में बातचीत की। श्री मालवीय जी वहाँ की हालत कुछ जानते थे पर महात्मा गांधी इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। विषय निर्धारिणी समिति में चम्पारन सम्बन्धी प्रस्तावों पर वक्ताओं के जब नाम चुने जाने लगे तो बिहार के प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप उस प्रस्ताव को उपस्थित करें पर उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूँ और जब तक मैं इसको जान नहीं लूँगा तब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रस्ताव के उपस्थित करने का भार बिहार के सुप्रसिद्ध नेता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को दिया गया। कांग्रेस के दूसरे दिन की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया गया—

"The Congress most respectfully urges upon the Government and desirability of appointing a mixed committee of officials and non-officials to inquire into the causes of agrarian trouble and the strained relations between the Indian *ryots* and the European

Planters in North Bihar and to suggest remedies therefor"

अर्थात् कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि उत्तर बिहार के अंगरेज नीलवरों और उनके रैयतों के बीच वैमनस्य और कृषि-सम्बन्धी अशान्ति के सम्बन्ध में जाँच करने और उनके दुःख दूर करने के उपाय बताने के लिए वह सरकारी और गैरसरकारी लोगों की एक कमेटी नियुक्त करे। यहाँ पर एक उल्लेख योग्य बात यह है कि शायद यह पहला ही अवसर था कि भारत की जातीय सभा को कृषकों के दुःखों की कहानी एक कृषक द्वारा सुनने का मौका मिला हो। पं० राजकुमार शुक्ल को जिनका नाम ऊपर आ चुका है चम्पारन के कृषकों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर लखनऊ भेजा था और उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन करते समय चम्पारन की दुःख-गाथा भरी सभा में कह सुनायी।

बिहार और विशेषकर चम्पारन के लोगों की बड़ी इच्छा थी कि महात्मा गांधी प्रजा की शोचनीय दशा को देखने के लिए चम्पारन स्वयं पधारें और उनके दुःखों का निवारण करने का प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में चम्पारन के लोग आपकी सेवा में पहले ही पत्र भेज चुके थे और एक सज्जन इसके लिए महात्मा गांधी की सेवा में अहमदाबाद तक गये भी थे। पर समय के अभाव से महात्मा गांधी इस अभिलाषा को पूरा न कर सके थे। उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत होने के पीछे बिहार के लोगों ने आप से फिर आग्रह किया। आपने उत्तर में कहा कि आगामी मार्च-अप्रैल तक उस ओर आने की चेष्टा करूँगा। इससे बहुत कुछ सन्तोष हुआ। लखनऊ से लौटते समय वहाँ से कुछ लोग आपके साथ कानपुर तक गये और चम्पारन की प्रजा की दुःख-कहानी सुनायी। इससे महात्मा गांधी का हृदय पिघल गया। चम्पारन के लोगों को उनकी बातों से बहुत भरोसा हुआ और वे उनके आगमन के दिन गिनने लगे।

लखनऊ की कांग्रेस से लौटने के बाद चम्पारन के रैयतों ने पं० राजकुमार शुक्ल द्वारा फिर महात्मा जी के पास यह पत्र भिजवाया—

बेतिया

ता० २७-२-१९१७

मान्यवर महात्मा

किस्सा सुनते हो रोज औरों के
आज मेरी भी दास्तान सुनो।

आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर कार्य रूप में परिणत कर दिखलाया, जिसे टालस्टाय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। इसी आशा और विश्वास के वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी रामकहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। हमारी दुःखभरी कथा उस दक्षिण अफ्रीका के अत्याचार से—जो आप और आपके अनुयायी वीर सत्याग्रही बहनों और भाइयों के साथ हुआ—कहीं अधिक है।

हम अपना वह दुःख—जो हमारी १९ लाख आत्माओं के हृदय पर बीत रहा है—

दसवाँ अध्याय

महात्मा गांधी का आगमन

सन् १९१६ ईस्वी के दिसम्बर महीने में कांग्रेस का इकतीसवाँ अधिवेशन लखनऊ में बड़ी धूमधाम से हुआ था। इस अधिवेशन में लगभग २[illegible] मनुष्य भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आकर सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि इतने प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। सूरत की कांग्रेस के बाद यहीं ही लोकमान्य बाल-गंगाधर तिलक अपने दल के साथ पहले-पहल कांग्रेस में आये थे। दक्षिण और सिन्ध के कैम्प प्रतिनिधियों से भरे थे। गुजरात, मद्रास, मध्यप्रदेश से भी लोग कम न आये थे। संयुक्त प्रान्त वालों के लिए वहाँ विषय सभा में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस ही हो रही थी। मद्रास से श्रीमती एनी बेसण्ट अपने दल-बल के साथ आई हुई थीं। बंगाल से भी सभापति के साथ बहुत प्रतिनिधि आये थे। बिहार प्रान्त भी इस साल खूब ही जाग उठा था और वहाँ से भी बहुत प्रतिनिधि गये थे। इसका एक विशेष कारण यह था कि बिहार की ओर से इस वर्ष दो मुख्य प्रस्ताव उपस्थित किए जाने को थे। श्रीमान् महात्मा गांधी अपने [illegible] पुत्र के साथ गुजरात से पधारे थे और पंडाल के पास ही एक तम्बू में आप ठहरे थे।

बिहार प्रान्त सम्बन्धी दो प्रस्ताव उपस्थित करने का विचार हुआ—एक पटना यूनिवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में और दूसरा चम्पारन के नीलवरों और उनके रैयतों के सम्बन्ध की जाँच के विषय में। विषय निर्वाचिनी समिति में इस प्रस्ताव के उपस्थित करने के पहले ही कुछ लोग महात्मा गांधी तथा पण्डित मदनमोहन मालवीय आदि मुखियाओं के पास गए और चम्पारन की प्रजा की दशा के विषय में बातचीत की। श्री मालवीय जी वहाँ की हालत कुछ जानते थे पर महात्मा गांधी इस विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। विषय निर्वाचिनी समिति में चम्पारन सम्बन्धी प्रस्तावों पर वक्ताओं के जब नाम चुने जाने लगे तो बिहार के प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप इस प्रस्ताव को उपस्थित करें पर उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूँ और जब तक मैं इसको जान नहीं लेता तब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रस्ताव के उपस्थित करने का भार बिहार के सुप्रसिद्ध नेता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को दिया गया। कांग्रेस के दूसरे दिन की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया गया—

"The Congress most respectfully urges upon the Government and desirability of ppointing mixed committee of officials and non-officials to inquire into th causes of agrarian trouble and th strained relations between the Indian ryots and the European

Planters in North Bihar and to suggest remedies therefor"

अर्थात् काँग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि उत्तर बिहार के अंगरेज नीलवरों और उनके रैयतों के बीच वैमनस्य और कृषि-सम्बन्धी अशान्ति के सम्बन्ध में जाँच करने और उनके दुःख दूर करने के उपाय बताने के लिए वह सरकारी और गैरसरकारी व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त करे। यहाँ पर एक उल्लेख योग्य बात यह है कि शायद यह पहला ही अवसर था कि भारत की जातीय सभा को कृषकों के दुःखों की कहानी एक कृषक द्वारा सुनने का मौका मिला हो। पं० राजकुमार शुक्ल को जिनका नाम ऊपर आ चुका है, चम्पारन के कृषकों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर लखनऊ भेजा था और उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन करते समय चम्पारन की दुःख-गाथा भरी सभा में कह सुनायी।

बिहार और विशेषकर चम्पारन के लोगों की बड़ी इच्छा थी कि महात्मा गांधी प्रजा की शोचनीय दशा को देखने के लिए चम्पारन स्वयं पधारें और उनके दुःखों का निबटारा करने का प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में चम्पारन के लोग आपकी सेवा में पहले ही पत्र भेज चुके थे और एक सज्जन इसके लिए महात्मा गांधी की सेवा में अहमदाबाद तक गये भी थे। पर समय के अभाव से महात्मा गांधी इस अभिलाषा को पूरा न कर सके थे। उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पीछे बिहार के लोगों ने आप से फिर आग्रह किया। आपने उत्तर में कहा कि अगले मार्च-अप्रैल तक उस ओर आने की चेष्टा करेंगा। इससे बहुत कुछ सन्तोष हुआ। लखनऊ से लौटते समय यहाँ के कुछ लोग आपके साथ कानपुर तक गये और चम्पारन की प्रजा की दुःख-कहानी सुनायी। इससे महात्मा गांधी का हृदय पिघल गया। चम्पारन के लोगों को उनकी बातों से बहुत भरोसा हुआ और वे उनके आगमन के दिन गिनने लगे।

लखनऊ की काँग्रेस से लौटने के बाद चम्पारन के रैयतों ने पं० राजकुमार शुक्ल द्वारा फिर महात्मा जी के पास यह पत्र लिखवाया—

बेतिया
ता० २७-२-१७

माननीय महात्मा

किस्सा सुनते हो रोज औरों के
आज मेरी भी दास्तान सुनो।

आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर काम रूप में परिणत कर दिखलाया, जिसे टाल्सटाय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। इसी आशा और विश्वास के वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी रामकहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। हमारी दुःखभरी कथा उस दक्षिण अफ्रीका के अत्याचार से—जो आप और आपके अनुयायी वीर सत्याग्रही बहनों और भाइयों के साथ हुआ—कहीं अधिक है।

हम अपना यह दुःख—जो हमारी १ लाख आत्माओं के

सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुःखित करना उचित नहीं समझते। बस केवल इतनी ही प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आँखों से देख लीजिये तब आपको अच्छी तरह विश्वास हो जायगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहाँ की प्रजा—जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छाया में रहने का अभिमान प्राप्त है—किस प्रकार के कष्ट सहकर पशुवत् जीवन व्यतीत कर रही है।

हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस के समय और फिर वहाँ से लौटते समय कानपुर में आपने की थी अर्थात् "मैं मार्च-अप्रैल महीने में चम्पारन आऊँगा। बस अब समय आ गया है। श्रीमान् अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चम्पारन की १९ लाख दुःखी प्रजा श्रीमान् के चरण-कमल के दर्शन के लिए टकटकी लगाये बैठी है। और उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान् श्री रामचन्द्र जी के चरणस्पर्श से अहिल्या तर गई उसी प्रकार श्रीमान् के चम्पारन में पैर रखते ही हम १९ लाख प्रजाओं का उद्धार हो जायगा।

श्रीमान् का दर्शनाभिलाषी,

राजकुमार शुक्ल।

इस पत्र के उत्तर में महात्मा जी ने लिखा कि हम ७ मार्च को कलकत्ते जायेंगे और यह पूछा कि राजकुमार शुक्ल उनसे वहाँ मिल सकेंगे? पोस्ट आफिस की गलती से यह चिट्ठी शुक्ल जी को ७ मार्च के बाद मिली। पर उन्हें यह पता चल गया था कि महात्मा जी कलकत्ते जाने वाले हैं और इसी सूचना पर वह वहाँ गये पर उन्हें पहुँचने पर मालूम हुआ कि महात्मा जी देहली वापिस चले गये। वह चम्पारन फिर लौट आये। वहाँ से उन्होंने पुनः लिखा। महात्मा जी ने उत्तर में ता. १६. ३. १९१७ ई. को पत्र भेजा, कि जहाँ तक शीघ्र हो सकेगा मैं चम्पारन आने की चेष्टा करूँगा। एक दूसरा पत्र श्रीयुत पीर मुहम्मद मूनिस बेतिया के एक उत्साही नवयुवक ने महात्मा जी के पास ता. २ ३. १९१७ ई. को भेजा जिसमें चम्पारन के सम्बन्ध में बहुत बातों और घटनाओं का उल्लेख किया। इसके उत्तर में महात्मा जी ने ता. १ ४-१९१७ ई. को यह पूछा कि वह मुजफ्फरपुर किस रास्ते से पहुँच सकते हैं और यह भी जानना चाहा कि यदि वह तीन दिनों तक चम्पारन में ठहरें तो जो कुछ देखने की आवश्यकता थी वह सब वे देख सकेंगे या नहीं। साथ ही महात्मा जी ने अप्रैल में वहाँ पहुँच जाने को लिखा। यह पत्र अभी पहुँचा भी नहीं था कि ता. ३. ४. १९१७ को उन्होंने शुक्ल जी को तार दिया कि मैं कलकत्ते जा रहा हूँ वहाँ श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ वसु के मकान पर ठहरूँगा आकर वहीं मिलो। इस तार के पाते ही राजकुमार शुक्ल कलकत्ता चले गये और वहाँ महात्मा जी से मिले। इन सब बातों की खबर इस समय बिहार में किसी को नहीं थी। यहाँ तक कि अखिल भारत-वर्षीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जहाँ महात्मा जी गये थे बिहार के कुछ सज्जन उपस्थित थे पर किसी को इसके इसी यात्रा में बिहार आने की सूचना न रहने के कारण

किसी न महात्मा जी से इसके विषय में कुछ बातचीत न की। राजकुमार शुक्ल से भी किसी की भेंट नहीं हुई, कि जिनसे सब बात मालूम होती।

ता ९.४.१७ को महात्मा जी शुक्ल जी के साथ रवाना हुए और ता १०.४.१७ को बांकीपुर पहुँचे। शुक्ल जी उन्हें सीधे मेरे डेरे पर ले गये। मैं तो कलकत्ते कांग्रेस कमेटी की बैठक के लिए गये थे और वहीं से जगन्नाथपुरी चले गए थे और अभी तक घर वापिस नहीं आये थे। वहाँ पर एक नौकर मात्र था। उसने महात्मा जी को पहचाना नहीं और उन्हें किसी मामूली आदमी की तरह बैठा रखा। वहाँ कुछ देर तक महात्मा जी ठहरे रहे। इतने में माननीय मि. मजहरूल हक को उनके पटने में आने की सूचना मिली और वे वहाँ आकर उनको अपने मकान पर ले गये। वहाँ पर माननीय बाबू कृष्णसहाय भी महात्मा जी से आकर मिले। महात्मा जी ने उसी दिन संध्या की गाड़ी से मुजफ्फरपुर जाना ठीक कर लिया था और इस आशय का तार अपने पूर्वपरिचित श्रीयुत जीवनराम भगवानदास कृपलानी को जो उस समय ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कालिज मुजफ्फरपुर में अध्यापक थे भेज दिया। महात्मा जी ने उस दिन बांकीपुर घूम-फिर कर देख लिया और संध्या की गाड़ी से शुक्ल जी के साथ मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। गाड़ी मुजफ्फरपुर में एक बजे रात के पहुँची। प्रोफेसर कृपलानी को तार मिल चुका था और वे कुछ छात्रों के साथ स्टेशन पर उपस्थित थे। उस समय तक प्रोफेसर कृपलानी को महात्मा जी से साक्षात होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था पर वे पत्र द्वारा पहले से ही खूब परिचित थे। रात के समय महात्मा जी को किसी ने पहचाना नहीं पर पं राजकुमार शुक्ल ने जब लोगों की भीड़ देखी तो उन्होंने समझ लिया कि ये लोग अवश्य ही महात्मा जी के लिए आये हैं और उन्होंने लोगों को बुलाकर महात्मा जी को दिखा दिया। स्टेशन पर महात्मा जी की आरती हुई और लोगों ने उन्हें गाड़ी पर बिठाकर उसे स्वयं खींचा। महात्मा जी प्रो कृपलानी के साथ उनके छात्रनिवास में उतरे।

ता ११.४.१७ को महात्मा जी बिहार प्लैन्टर्स एसोसियेशन के मंत्री मि. जे. एम. विल्सन (Mr. J. M. Wilson) से जाकर मिले और उनसे अपने आने का कारण बतलाया और कहा कि "मैं चम्पारन में कोठीवालों और उनके रैयतों के बीच जो अनबन है उसके सम्बन्ध में जाँच करना चाहता हूँ और इस जाँच में आप से सहायता चाहता हूँ।" मि. विल्सन ने कहा कि जहाँ तक आपकी मदद हो सकेगी दूँगा पर अपने एसोसियेशन की ओर से किसी बात का भार न ले सकूँगा। उसी दिन संध्या समय मुजफ्फरपुर के अनेक वकील महात्मा जी से मिलने गये। उनमें बाबू रामनवमी प्रसाद भी थे। उन्होंने महात्मा जी से चम्पारन जाने के लिए अनुरोध किया। महात्मा जी इसमें सहमत हुए। उसी दिन बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के पास दरभंगा तार भेजा जा चुका था। दूसरे दिन ता १२.४.१७ को महात्मा जी छात्रालय से बाबू गयाप्रसाद सिंह वकील के मकान पर जाकर ठहरे। उस दिन उन्होंने तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर माननीय मि. एल. एफ. मौरशड (Hon'ble

Mr L. F Morshead)के पास अपने आने की सूचना दी और कारण बतलाते हुए उनसे मिलने के लिए समय मांगा। उत्तर में मि मोरशेड ने ता १२ ४ १७ को ९ बजे सबेरे मिलने का समय नियत किया। उसी दिन मि विल्सन ने महात्मा जी के पास एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी प्रकार की जाँच की जरूरत नहीं है और महात्मा जी को चम्पारन जाने से मना किया। मि विल्सन ने यह भी लिखा कि यदि महात्मा जी इस काम को लड़ाई के समय में आरम्भ करेंगे तो आन्दोलन करने वाले अपना काम उठाने के लिए बहुत जोरशोर मचायेंगे जिससे उन लोगों की बहुत हानि हो सकती है जिनकी भलाई के लिए महात्मा जी इतने उत्सुक हैं। उसी दिन संध्या समय बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद दरभंगे से मुजफ्फरपुर पहुँच गये। ता ११ ४ १७ को महात्मा जी कमिश्नर से मिले। वहीं पर मुजफ्फरपुर के कलेक्टर मि डी वेस्टन (Mr D Weston) भी उपस्थित थे। कमिश्नर ने गांधी जी के बिहार आने से असन्तोष प्रकट किया और पूछा कि आपको यहाँ किसने बुलाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से जाँच हो रही है आपका आना अनावश्यक था हम आपको किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकते हैं और हम यही सलाह देंगे कि आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। महात्मा जी ने कहा कि यहाँ की प्रजा के भेजे हुए पत्र तो हमें बहुत दिनों से मिल रहे हैं पर मैं उन्हें आपके सामने पेश नहीं कर सकता। गत कांग्रेस के अवसर पर बिहार के प्रतिनिधियों ने मुझ से चम्पारन सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अनुरोध किया था। पर मैंने उस समय इस कारण से इनकार कर दिया कि जब तक मैं यहाँ की अवस्था स्वयं न देख लूँगा तब तक इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। इस पर उन लोगों ने मुझे यहाँ आने को कहा और मैं उन्हीं के निमन्त्रण पर यहाँ आया हूँ।

पर महात्मा गांधी इन सब बातों से कब अपने स्थिर विचार से विचलित होने वाले थे? जैसे-जैसे प्लैन्टर्स एसोसियेशन के मंत्री और कमिश्नर उनको चम्पारन जाने से मना करते जाते थे उनका सन्देह और बढ़ता जाता था कि अवश्य दाल में कुछ काला है और इस प्रकार उनका निश्चय भी और दृढ़ होता जाता था कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इसी मुलाकात के बाद महात्मा जी समझ गये कि इस जाँच में नीलवर और सरकारी अफसर केवल सहायता न देकर ही नहीं रह जायेंगे वरन् जाँच में बाधा भी डाल सकते हैं।

कमिश्नर से मुलाकात करके वापिस आने पर उन्होंने बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद बाबू रामनवमी प्रसाद बाबू रामदयाल सिंह वकील और बाबू गयाप्रसाद सिंह से इस आशय का एक पत्र लिखवाकर कमिश्नर के पास भिजवा दिया कि उन्होंने तथा बिहार के अन्य प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में महात्मा जी से चम्पारन में जाँच करने का अनुरोध किया था। इस पत्र के साथ महात्मा जी ने एक पत्र अपना भी भेज दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि जो बातें रैयतों और नीलवरों के सम्बन्ध में मुझ से कही गई हैं उन्हीं की सत्यता की

जाँच करने के लिए मैं आया हूँ। मेरा मतलब यही है कि प्रतिष्ठा के साथ सुलह हो।

उसी दिन बाबू गोरख प्रसाद वकील मोतीहारी से आये और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद इस सम्बन्ध में अपने मित्रों से राय लेने के लिए दरभंगा गये। महात्मा जी के मुजफ्फरपुर आने का समाचार चम्पारन में पहुँच चुका था और बहुत से रैयत वहाँ से मुजफ्फरपुर पहुँच भी गये। महात्मा जी ने उनके बयान सुने और जो कागज-पत्र मिलते गये उन्हें देखा। उनको इस समय तक चम्पारन की दशा का पूरा अनुमान न हुआ था। और जो बातें कही जाती थीं वे उनके विश्वास में नहीं आती थीं। वह सब हाल सुन-सुन कर बार-बार पूछा करते थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है पर साथ ही उनका चम्पारन जाने का निश्चय दृढ़ होता जाता था।

ता० १४-४-१७ को महात्मा जी ने निश्चय किया कि कल ता० १५-४-१७ (रविवार) को दोपहर की गाड़ी से चम्पारन जाना चाहिए और जो लोग वहाँ थे उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे साथ दोभाषिए का काम कर सके क्योंकि मैं यहाँ के लोगों की बोली नहीं समझ सकता। उस समय इतना ही तय हुआ कि इसका प्रबन्ध किया जायगा। उस दिन संध्या समय महात्मा जी निकट के एक ग्राम में गये और वहाँ के लोगों की दशा देखी। किसी-किसी गरीब के झोपड़े में भी जाकर उन्होंने उनके रहन सहन का हाल निज आँखों देखा और छोटे-छोटे बालकों और स्त्रियों से बात की। चलते समय उन्होंने कहा कि जब इन लोगों की दशा सुधरेगी तभी भारतवर्ष को स्वराज्य होगा। आज ही सन्ध्या की गाड़ी से बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद बाबू धरणीधर वकील के साथ दरभंगा से पहुँच गये और यह निश्चय हुआ कि बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद महात्मा जी के साथ चम्पारन जायेंगे। उस दिन रात के समय महात्मा जी ने जो बातें कहीं उनसे लोगों का साहस तथा उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का हाल कह सुनाया कि किस प्रकार एक आदमी के जेल जाने पर दूसरा आदमी उसी काम में लग जाता था और किसी प्रकार उसको भी हटा दिये जाने पर तीसरा आदमी काम जारी रखता था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से काम यहाँ भी किया जाय। मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझ से बुरे तौर से पेश आयेंगे और मुझ पर गिरफ्तारी का वारंट किसी समय आ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितना शीघ्र हो मैं चम्पारन चला जाऊँ और मेरे विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हों वह चम्पारन के रैयतों के सामने ही हों। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार के आदमी बिहार में नहीं हैं जो मेरे साथ रहेंगे उन्हें केवल क्लर्क का काम करना होगा पीछे देखा जायगा।

दूसरे दिन ता० १५-४-१७ को किसी जरूरी काम से बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को कलकत्ते जाना था। वह पटने होते हुए जाने के लिए रवाना हुए। बाबू गोरख प्रसाद भी जो मोतीहारी वापस गये थे फिर मुजफ्फरपुर आये। महात्मा जी बाबू धरणीधर, बाबू रामनवमी प्रसाद और बाबू गोरख प्रसाद एक साथ दोपहर की गाड़ी से मोतीहारी के लिए

रवाना हुए। महात्मा जी यहीं से गिरफ्तारी के वारंट की राह जोहते थे। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं को साथ रखकर और सब चीजों को अलग बक्स में रखवा दिया था। मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर महात्मा जी को पहुँचाने के लिए बहुत सज्जन आये थे। रास्ते में भी प्रायः सभी स्टेशनों पर बहुत रैयत महात्मा जी के आने की खबर पाकर आ जुटे थे। महात्मा जी तीन बजे मोतीहारी पहुँचे और सीधे बाबू गोरख प्रसाद के मकान पर जाकर ठहरे। उनके आने का समाचार शहर भर में तुरन्त फैल गया और वहाँ बहुत भीड़ जुट गई। कई सरकारी कर्मचारी भी महात्मा जी के दर्शनार्थ आये। पर पुलिस का गन्ध पा दूर से ही प्रणाम कर चले गये। आज ही महात्मा जी ने निश्चय कर लिया कि कल सोमवार ता० १६-४-१७ को जसवली पट्टी गाँव में, जहाँ से एक प्रतिष्ठित गृहस्थ पर अत्याचार की सूचना मिली थी, जाना होगा और अन्य गाँवों के रैयतों से कह दिया गया कि उनके बयान मंगलवार को जसवली पट्टी से लौट आने पर लिये जायेंगे।

बाबू व्रजकिशोर प्रसाद दोपहर को पटने पहुँचे तो देखा कि लेखक अभी तक पुरी से वापस नहीं आये हैं। पर उसी दिन संध्या की गाड़ी से उनके आने की खबर है। वह इस बीच में और कई सज्जनों से जाकर मिले और संध्या के छः बजे लेखक आ गये। यह निश्चय हुआ कि दूसरे दिन या तो लेखक स्वयं चले जायेंगे या और किसी को संध्या की गाड़ी से मोतीहारी भेज देंगे। यही ठीक करके बाबू व्रजकिशोर प्रसाद उसी रात को कलकत्ता चले गये।

ता० १६-४-१७ सोमवार को जसवली पट्टी जाने की तैयारी हुई और महात्मा जी बाबू धरणीधर तथा बाबू रामनवमी प्रसाद के साथ हाथी पर सवार होकर ९ बजे रवाना हुए। यह बैसाख का महीना था, धूप कड़ी थी, पछुआँ हवा भी खूब जोरों से बह रही थी। बाहर निकलते ही देह झुलस जाती थी। महात्मा जी को हाथी पर चढ़ने का भी अभ्यास नहीं था, तिस पर भी एक हाथी पर तीन आदमी और उस पर तुर्रा यह कि पछुआँ हवा और धूप की वृष्टि। पर यहाँ तो महात्मा जी के हृदय में रैयतों के दुःखों को दूर करने की धुन थी। धूप और धूल क्या कर सकती थी! रास्ते में बहुत तरह की बातें होती जा रही थीं। बिहार में पर्दे के सम्बन्ध में भी बात छिड़ गई और महात्मा जी ने कहा कि मेरा यह विचार नहीं है कि हमारी स्त्रियाँ अंगरेजी तौर-तरीकों की नकल करें पर हम को यह समझना चाहिए कि इस प्रथा से उनके स्वास्थ्य पर कितनी हानि पहुँचती है और इसके कारण वे अपने स्वामी को किसी कार्य में सहायता नहीं दे सकतीं। इसी प्रकार बातें करते-करते वे लोग मोतीहारी से मील की दूरी पर एक बस्ती चन्द्रहिया में प्रायः १२ बजे के समय पहुँचे। वहाँ महात्मा जी की इच्छा हुई कि इस गाँव की प्रजा का हाल देख लिया जाय। पूछने पर मालूम हुआ कि यह गाँव मोतीहारी कोठी का है और इसके रहनेवाले अधिकतर मजदूरी किया करते हैं, इसलिए इस समय सब कोठी के काम करने चले गये हैं। पर एक आदमी ने जो हुई किसानों की हालत वह सुनाई और बतलाया कि इन लोगों के साहब के

सामने कलक्टर की क्या मजाल जो कुछ कर सकें। उनकी बातों से पता लगा कि वे कोठी से सम्बन्ध रखनेवालों में से कोई न। ये बातें हो ही रही थीं कि इतने में एक आदमी सादे लिबास में पाँवगाड़ी पर आते हुए दीख पड़ा। आने पर मालूम हुआ कि वे पुलिस के दारोगा थे। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि कलक्टर साहब ने आपको सलाम दिया है। महात्मा जी ने उनसे किसी सवारी का प्रबन्ध करने के लिए कहा और इसी बीच में अपने साथियों से कहा कि मैं तो जानता था कि कोई ऐसी घटना अवश्य होगी। आप इसकी चिन्ता न करें। आप लोग जसवली पट्टी चले जाइये और वहाँ जाकर काम कीजिये। यदि आवश्यकता हो तो आज रात को वहीं ठहर जाइएगा। दारोगा जी एक बैलगाड़ी लाकर ले आये और महात्मा जी बैलगाड़ी पर उनके साथ मोतीहारी की तरफ रवाना हुए और उनके दोनों साथी जसवली पट्टी चले गये।

महात्मा जी को रास्ते में एक इक्का मिला। दारोगा जी के कहने पर महात्मा जी गाड़ी छोड़ इक्के पर सवार हो लिये। कुछ दूर और आगे जाने पर एक पुलिस अफसर टमटम पर आते हुए दीख पड़े। समीप आने पर दारोगा ने इक्के को ठहराया और महात्मा जी को टमटम पर सवार कराया। उस टमटम पर आये हुए सज्जन पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। कुछ दूर जाने पर टमटम खड़ा करके डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने महात्मा जी से कहा कि आपके लिए एक नोटिस है। महात्मा जी ने उसे लेकर शान्त भाव से पढ़ लिया और मोतीहारी पहुँचकर उसकी रसीद लिख दी। नोटिस का मजमून यह था—

(क) नोटिस—

To

Mr M.K. Gandhi

At present in Motihari

Whereas it has been made to appear to me from th letter of the Commissioner of the Division, copy of which is attached to this order that your presence in any part of the District will endanger the public peace and may lead to serious disturbance which may be accompanied by loss of life and whereas urgency is of the utmost importance.

Now therefore I d hereby order you t abstain from remaining in the District which you are required to leave by the next available train.

(Sd) W.B. Heycock
District Magistrate
Champaran.

16th April, 1917

इसका सारांश यह है कि "चूँकि इस डिवीजन के कमिश्नर के पत्र से जिसकी नकल

इसके साथ भेज रहा हूँ एसा मालूम हुआ है कि आपकी उपस्थिति से इस जिले में शांति-भंग और प्राणहानि होने का डर है इसलिए आपको हुक्म दिया जाता है कि आप पहली गाड़ी से चम्पारन छोड़कर चले जाइए।

नोटिस के साथ तिरहुत विभाग के कमिश्नर के पत्र की भी एक नकल इस प्रकार थी—

(ख) कमिश्नर का पत्र—

To

The District Magistrate of
Champaran.

Sir

Mr M. K. Gandhi has come here in response to what he describes as an insistent public demand and to enquire into the conditions under which Indian works on indigo plantations and desires the help of the local administration. He came t see me this morning and I explained that the relations between the planters and *ryots* had engaged the attention of the administration since the sixties, and that we are *particularly concerned with* phase of the problem in Champaran now but that it was doubtful whether the intervention of a stranger in the middle of our treatment of the case would not prove an embarrassment. I indicated the potentialities of disturbance in Champaran, asked for credentials to show an insistent public demand for his enquiry and said that the matter could probably need reference to Government.

I expected that M Gandhi will communicate with me again before he proceed for Champaran but I have been informed since our interview that his object is likely to be gitation rather than a genuine search for knowledge and it is possible that he may proceed w hout further reference I consider that there is danger of disturbanc t the public tranquillity should he visit your district. I ha he honour t equest you to direct him by an order under Section 144 Cr P.C. to lea it t once f he should ppear

I hav the honour to be
Sir
Your most obedient servant.
(Sd.) L.F. Morshead
Commissioner of the Tirh t Division.

अर्थात्—"मि गांधी आये हुए हैं और यह कहना है कि उनका आना लोगों के बहुत अनुरोध के कारण हुआ है कि जिसमे वे यह देख सकें कि हिन्दुस्तानी नील के खेतों में किस प्रकार काम करते हैं। और वे स्थानीय कर्मचारियों की सहायता चाहते हैं। वे आज सबेरे मुझ से मिले थे और मैंने उन्हें बता दिया कि रैयतों और नीलवरों के सम्बन्ध पर सरकार की दृष्टि सन् १८९ से ही लगी आती है और आजकल हम काम उसी समस्या के एक विषय के हल करने में विशेष रूप से लगे हुए हैं पर इसी बीच में किसी अजनबी के पड़ने से काम बिगड़ने का भय है। मैंने उनको समझा दिया और उनसे यहाँ बुलाये जाने का सबूत माँगा और यह कहा कि इस विषय में गवर्नमेण्ट से राय लेने की आवश्यकता हो सकती है। यही धारणा थी कि मि गांधी चम्पारन जाने से पहले मुझ को सूचना देंगे पर अब मालूम हुआ है कि वह आन्दोलन करने के अभिप्राय से न कि सच्ची बात की खोज करने के लिए, यहाँ आये हैं और हो सकता है कि वह बिना खबर दिये ही वहाँ चले जायें। मेरे ख्याल में उनके चम्पारन जाने से शांति भंग होने का डर है और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वह यदि वहाँ जायें तो १४४ धारा के अनुसार उन्हें तुरन्त जिला छोड़ देने की आज्ञा दीजिए।

महात्मा जी ने नोटिस के उत्तर में यह पत्र मजिस्ट्रेट के पास तुरन्त भेज दिया—

Sir

W th reference to the order under Section 144 of the Criminal Procedure Code just served upon me I beg to stat that I am sorry too that the Commissioner of the division has totally misinterpreted my position Out of a sense of public responsibility I feel it to be my d ty t sa that I am unable to lea e this District but if it so pleases the a thorities, I hall submit to the order by suffering the penalty of disobedience.

I must emphatically repudiat the Commissioner suggestion that m bject is likely to be agitation M desire is purely and simply for genuine search for knowledge And this I shall continue to satisfy so long as I am free

10th April, 1917 M K. Gandhi.

अर्थात्— १४४ धारा के नोटिस के उत्तर में मुझे यही निवेदन करना है कि मुझे इस बात का खेद है कि आपने इस नोटिस को जारी करने की जरूरत समझी है। मुझे इस बात का भी खेद है कि डिवीज़न के कमिश्नर ने मेरी स्थिति को बिलकुल गलत समझा है। सर्वसाधारण के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसका ध्यान रखते हुए मैं इस जिले को छोड़ नहीं सकता हूँ पर यदि कर्मचारियों की ऐसी राय हो तो इस आज्ञा के उल्लंघन करने के लिए जो दण्ड हो उसे सहन करने के लिए तयार हूँ। कमिश्नर की इस बात का

कि मेरा उद्देश्य आन्दोलन मचाना है मैं घोर विरोध करता हूँ। मेरी इच्छा केवल असल बात जानने की है और जब तक मैं स्वतन्त्र रहूँगा इस इच्छा को पूरा करता ही जाऊँगा।

उसी समय मि० एच० एस० पोलक, माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय, लेखक तथा भारतवर्ष भर के नेताओं के पास इस कार्रवाई की सूचना तार द्वारा दे दी गई, मि० सी० एफ० एन्डरूज को तुरन्त चले आने के लिए तार दिया गया।

महात्मा जी ने इसी बीच में एक नियमावली उन लोगों के लिए लिखकर तैयार कर दी जो उनके बाद उस काम को चलाने वाले थे।

उधर बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद जसवली पट्टी दो बजे पहुँचे। उनके पहुँचते-पहुँचते एक दूसरे दारोगा वहीं पहुँच गये। ये किसी समय में बाबू धरणीधर के छात्र और बाबू रामनवमी प्रसाद के सहपाठी थे। इस पर भी इन्होंने असल बात को छिपाना अपना धर्म समझा। पूछने पर इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे मुकदमे के सम्बन्ध में यहाँ आये हुए हैं और आप लोगों का आना सुनकर आपसे मिलने चले आये हैं। पीछे पता लगा कि महात्मा जी के मोतीहारी पहुँच जाने पर वहाँ से ये उन लोगों के पीछे भेजे गये थे। उन्होंने पुराने सम्बन्ध के जोर पर आप लोगों को सलाह दी कि आप लोगों का इस काम में पड़ना अच्छा नहीं हुआ। बाबू धरणीधर और उनके सहकारी कुछ लोगों के इजहार लेकर चार बजे के करीब मोतीहारी की ओर वापस चले। रास्ते में जब मोतीहारी के पास पहुँचे तो एक गाड़ी जो उन लोगों को लाने जा रही थी मिली। उस गाड़ी में एक सज्जन थे जिनसे १४४ धारा के नोटिस का हाल उनको मालूम हुआ। ९ १।। बजे रात को मोतीहारी वापस आये। उनके पहुँचने पर महात्मा जी ने उपरोक्त नियमावली दी और उनको जेल जाने के पीछे किस प्रकार से कार्य करना होगा इसका पूरा ब्योरा बतला दिया। इसके बाद उन लोगों से यह भी कहा कि यदि आप लोग मेरे पीछे जेल में आ जायें तो सब काम सफल हो जाये।

ता० १८-४-१७ सोमवार को देहातों से लोगों के आने के लिए तारीख मुकर्रर की जा चुकी थी। इसलिए बहुत से रैयत आये और उनके इजहार लिखे जाने लगे। पुलिस के दारोगा भी आकर जम गये और जिन लोगों के इजहार लिखे जाते थे उनके नाम पहले तो छिपकर पर पीछे प्रत्यक्ष रूप से लिखने लगे। आज इतने रैयत आ पहुँचे कि लिखने वालों को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। महात्मा जी तो जान गये कि आज्ञा उल्लंघन करने के लिए अवश्य जेल जाना होगा इसलिए काम में किसी प्रकार से कमी नहीं की गई और न रैयतों से इस बात का कुछ भी जिक्र किया गया। आज ही यह निश्चित कर लिया गया कि कल ता० १९-४-१७ को मौजा परसौनी जो मोतीहारी से १६ मील दक्षिण है जाना होगा और इस बात की सूचना उन लोगों को दे दी गई। सवारी इत्यादि का भी प्रबन्ध कर लिया गया। विचार हुआ कि मोतीहारी से लोग ३ बजे रात को रवाना हों। और यदि सवारी आने में किसी प्रकार की बाधा या विलम्ब हो तो पैदल चला जाय।

इधर तो यह सब तैयारियाँ हो रही थीं उधर भारतवर्ष भर से तार पर तार आ रहे थे। मि पोलक ने प्रयाग से तार दिया कि मैं पटने आ रहा हूँ। माननीय मि मजरुलहक ने पूछा कि आवश्यकता हो तो आऊँ? लेखक ने पूछा कि मुझ से क्या सेवा हो सकती है? मि हक के पास तार गया कि हमारे जेल जाने के बाद आपकी आवश्यकता होगी। लेखक के पास तार आया कि आप स्वयंसेवकों के साथ शीघ्र चले आइये। मालवीय जी ने तार दिया कि सूचना दीजिए क्या हाल है मैं हिन्दू विश्वविद्यालय का काम छोड़कर आ रहा हूँ। उनको भी उत्तर दिया गया कि अभी आपके आने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि इत्यादि। आज महात्मा जी ने मोतीहारी के उत्साहित पादरी मि जे जेड हौज (Mr J Z Hodge) से भेंट की। दिन भर इजहार लिखने का काम भी साथ ही साथ चलता रहा। आज ही दरभंगे के उत्साही नवयुवक बाबू रामनवमी आये।

जब कोई सम्मन आज्ञा भंग के अभियोग में सन्ध्या तक नहीं आया तो महात्मा जी ने संध्या को एक पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जिसमें उन्होंने अपने देहात जाने के विषय में सूचना दी और कहा कि हम लोग कोई काम छिपाकर नहीं करना चाहते इसलिए यदि हमारे साथ कोई पुलिस अफसर आ जाय तो अच्छा ही होगा। इस पत्र के पाते ही मजिस्ट्रेट ने लिखा कि कल १८८ धारा (पिनल कोड) के अनुसार आप पर अभियोग लगाया जायगा। और इसका सम्मन आपको दिया जायगा इसलिए आशा करता हूँ कि आप मोतीहारी छोड़कर न जायेंगे। इस पत्र के पहुँचने के कुछ देर के बाद एक सम्मन भी आ पहुँचा जिसमें महात्मा जी को ता १८ ४ १७ को १ ॥ बजे सब-डिवीजनल अफसर की कचहरी में उपस्थित होने की आज्ञा थी। इसके बाद फिर भी बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद को आगे की कार्रवाई के विषय में महात्मा जी समझाने लगे। पहले विचार हुआ कि वे पूर्व निश्चय के अनुसार परसौनी अवश्य जायें पर फिर ऐसा ख्याल किया गया कि इसकी आवश्यकता नहीं। महात्मा जी ने उन लोगों से पूछा कि मेरे जेल जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे? प्रश्न बहुत जटिल था और उत्तर देना सहज नहीं था। बाबू रामनवमी जो उम्र में बहुत छोटे पर उत्साह में कम न थे चुप रहे। बाबू धरणीधर ने कहा कि अभी मैं इतने ही के लिए तैयार हूँ कि यदि आप जेल चले जायेंगे तो मैं इस काम को जारी रखूँगा और यदि मुझ पर भी १४४ धारा का नोटिस जारी होगा तो मैं अपने स्थान पर दूसरे को रख यहाँ से चला जाऊँगा। इसी प्रकार कम से कम कुछ दिनों तक यह काम चलता रहेगा। इससे महात्मा जी पूरे सन्तुष्ट नहीं हुए। बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद इस विषय पर विचार करते रहे। सम्मन आने के बाद महात्मा जी को पूरा इतमीनान हो गया। वह चिट्ठियाँ लिखने बैठ गये और रात भर बैठे-बैठे काम करते ही रह गये आराम बिलकुल नहीं। इस अद्भुत शक्ति को देखकर वहाँ जितने आदमी थे सब चकित हो गये। रात को ही एक बयान अदालत के सामने पढ़ने के लिए तैयार किया। प्लैन्टर्स एसोसियेशन (Planters Association) के मंत्री और कमिश्नर के नाम से भी

पत्र लिखकर तैयार किया जिसमें उस समय तक जितनी शिकायतें रैयतों की मालूम हुई थीं लिख दिया और उनके हटाने के उपाय भी बताए। इन तथा अन्य पत्रों का प्रकाशन जेल जाने के बाद छोड़ने की आज्ञा दे रखी।

पटने में तार पहुँचने पर मैजरुल हक़ व वहाँ के सब नेताओं ने आकर समालोचन की और चम्पारन का सब हाल जो यह बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद से पहले ही सुन चुके थे यह सुनाया और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के पास १४४ धारा की एक सूचना भेज दी। इसी बीच में एक तार मि० पोलक का मि० हसन इमाम के पास आया कि वह संध्या को पटने पहुँचेंगे। सब लोग जाकर उनको स्टेशन से लिवा लावें। रात के समय एक छोटी-सी गोष्ठी हुई जिसमें यह निश्चय हुआ कि मि० पोलक, लेखक और उनके साथ और और लोग ता० १८।४।१७ के सबेरे की गाड़ी से मोतीहारी चले जावें। आशा की जाती थी कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद भी दूसरे दिन सबेरे पहुँच जायेंगे।

ता० १८।४।१७ चम्पारन के इतिहास में ही नहीं वरन् भारतवर्ष के वर्तमान इतिहास में एक बड़े महत्त्व का दिन है। आज जगतविख्यात सर्वश्रेष्ठ न्यायकारी एवं प्रतापी राजर्षि राजा जनक के देश में आकर यहाँ की दरिद्र एवं दुखी तथा जीवन रहित प्रजा के हित के लिए महात्मा गांधी जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ही भारत के वर्तमान इतिहास में सत्याग्रह का एक पवित्र एवं ज्वलन्त उदाहरण मिलने वाला है जिससे समस्त भारतवर्ष की आँखें खुलने वाली हैं। साँच को आँच नहीं है—यह हमारे देश की एक पुरानी कहावत है पर इसको चरितार्थ कर महात्मा गांधी आज संसार को इसकी सत्यता सिद्ध करने वाले हैं। चम्पारन की प्रजा के दुःखों को दूर करने के लिए कटिबद्ध तथा साथ ही दुःख देने वालों को तनिक भी हानि नहीं पहुँचाने की इच्छा रखते हुए महात्मा गांधी की पवित्र आत्मा मानो मनुष्य रूप में इसीलिए अवतरित हुई है। क्या ऐसे महापुरुष के सम्मुख कोई बाधा ठहर सकती है ?

एक छोर से दूसरे छोर तक सभी की आँखें आज इसी ओर लगी हैं। ऐसी अवस्था में क्या समय बीतते कुछ देर लगती है ? देखते-देखते बारह बज गये। महात्मा जी ने उन चीजों को जिन्हें वह जेल में ले जाना चाहते थे एक जगह करके बाकी चीजों को दूसरी जगह रख दिया। आज इज़हार लिखने का काम भी बन्द रहा। रैयतों से कहा गया कि यह काम फिर कल से प्रारम्भ होगा। १२। बजे गाड़ी पर सवार हो महात्मा जी बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद के साथ कचहरी की ओर चले। रास्ते में बाबू धरणीधर ने महात्मा जी से कहा कि आपके जेल चले जाने के बाद चाहे और कोई कुछ करे या न करे, किन्तु हम दोनों ने यह निश्चय कर लिया है कि हम लोग अवश्य आपके पीछे जेल जायेंगे। इस बात को सुनते ही महात्मा जी का चित्त प्रफुल्लित हो गया और उन्होंने बड़े आह्लाद के साथ कहा 'बस अब काम बन गया।'

यद्यपि १४४ धारा में नोटिस तथा मुकदमे की बात रैयतों से कही नहीं गई थी,

तथापि यह बात शहर ही में नहीं वरन् दूर-दूर के देहातों तक फैल गई और उस दिन कई हजार रैयत कचहरी में आकर दस बजे से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी यही लालसा थी कि उनके उद्धार के लिए जेल जाने वाले महात्मा गांधी के एक बार दर्शन तो हो जायें। कचहरी में जब महात्मा जी इजलास पर गये तो उनके पीछे-पीछे प्रायः २ मनुष्यों ने घुसने की कोशिश में कचहरी के दरवाजों के शीशे तोड़ डाले। हाकिम मि० जार्ज चम्बर ने यह हालत देखकर महात्मा जी से कहा कि आप कुछ देर मुख्तारखाने में ठहरें, मैं फिर बुलवा लूंगा। महात्मा जी मुख्तारखाने में गये। इसी बीच में खबर देकर हाकिम ने हथियारबंद पुलिस बुलवा ली कि जिससे लोग फिर भीतर घुसने न पावें और काम करने में बाधा न पड़े। उधर महात्मा जी मुख्तारखाने में बैठे हुए थे और वहाँ दर्शकों की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। सब एकटक उनकी ओर देख रहे थे और उनमें कितनों ही की आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। कुछ देर के बाद बुलाहट आने पर महात्मा जी फिर इजलास पर गये। वहाँ सरकारी वकील अपनी किताबों को लिये पहले से ही तैयार थे। उन्होंने शायद समझा था कि महात्मा गांधी जैसे एक बड़े आदमी पर यह मुकदमा चल रहा है वे स्वयं भी एक बड़े नामी बैरिस्टर हैं इसमें बहुत बड़ी बहस करने की आवश्यकता होगी। इसी धुन में वे शायद रात भर नजीरों को ढूंढते रहे। जब महात्मा जी वहाँ पहुँचे तो हाकिम ने पूछा आपके कोई वकील हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया 'कोई नहीं।' इस पर सब लोग कुछ चकित हो गये पर तो भी लोग समझते थे कि वे बड़े भारी बैरिस्टर हैं अपनी बहस स्वयं करेंगे। सरकारी वकील ने अभियोग पढ़ सुनाया और कहा कि १४४ धारा के नोटिस के अनुसार मि० गांधी को ता० १६-४-१७ को रात की गाड़ी से चम्पारन छोड़ चले जाना चाहिए था किन्तु वे अभी तक नहीं गये हैं इसलिए उन पर १८८ धारा के अनुसार अभियोग लगाया जाता है। इस पर महात्मा जी ने कहा कि मैंने नोटिस पाने के बाद एक पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया था जिसमें उस आज्ञा के उल्लंघन का कारण बताया था उस पत्र को मिसिल में शामिल कर लिया जाय। मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह पत्र यहाँ नहीं है। यदि आप उसकी जरूरत समझते हैं तो दरख्वास्त दीजिये। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना बयान को बहुत शान्त किन्तु दृढ़ भाव से पढ़ सुनाया। जिस समय वे उसे पढ़ रहे थे उस समय इतने आदमियों के रहते हुए भी प्रगाढ़ निस्तब्धता छा रही थी और वहाँ जितने मनुष्य थे सभी एकटक उनकी ओर देख रहे थे। जैसे जैसे वे उसे पढ़ते जाते थे उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रेम के भाव प्रकट होते जाते थे। बयान यही था—

"With the permission of the court I would like to make a brief statement showing why I have taken a very serious step of seemingly disobeying the order made under Sec. 144 of Cr. P. C. In my humble opinion it is a question of difference of opinion between the local administration and myself. I have entered the country with

motives of rendering humanitarian and national service. I have done so in response to a pressing invitation to come and help the *ryot*, who urge they are not being fairly treated by the Indigo planters. I could not render any help without studying the problem. I have, therefore, come to study it with th assistance, if possible, of the administration and the planters. I have no other motive and cannot believe that my coming can in any way disturb public peace and cause loss of life. I claim to have considerable experience in such matters. The administration, however have thought differently I fully appreciate their difficulty and I admit too, that they can only proceed upon information they receive. As a law-abiding citizen my first instinct would be, as t was, to obey the order served upon me. But I could not do so without doing violence to my sense of duty to those for whom I come I feel that I could just now serve them only by remaining in their midst. I could not, therefore voluntarily retire. Amid this conflict of d ty I could only throw the responsibility of removing me from them on th administration. I am fully conscious of the fact that person holding in the public life of India, a position, such as I do, has to be most careful in setting example. It is my firm belief that in the complex constitution under which we are living, the only safe and honourabl course for a self-respecting man is, in the circumstances such as face me, to do what I have decided to do that is, to submit without protest t the penalty of disobedience.

I venture to make this statement not in any way in extenuation of the penalty to be warded against me, but to show that I have disregarded the order served upon me not for want of respect for lawful uthority but in obedience to the higher law of our being—the voice of conscience.

अर्थात् 'अदालत की आज्ञा से मैं संक्षेप में यह बतलाना चाहता हूँ कि नोटिस द्वारा जो मुझे आज्ञा दी गई उसकी अवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समझ में यह स्थानीय अधिकारियों और मेरे मध्य में मतभेद का प्रश्न है। मैं इस देश में राष्ट्रीय तथा मानव सेवा करने के विचार से आया हूँ। यहाँ आकर उन रैयतों की सहायता करने के लिए, जिनके साथ कहा जाता है कि नीलवर साहब अच्छा व्यवहार नहीं करते मुझ से बहुत आग्रह किया गया था पर जब तक मैं सब बातें अच्छी तरह न जान लेता तब तक उन लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए मैं यदि हो सके तो अधिकारियों और नीलवरों की सहायता से सब बातें जानने के लिए आया हुआ हूँ। मैं किसी दूसरे उद्देश्य

से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि मेरे यहाँ आने से किसी प्रकार शान्ति भंग या प्राण-हानि हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसी बातों का मुझे बहुत कुछ अनुभव है। अधिकारियों को जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको मैं समझता हूँ और मैं यह भी मानता हूँ कि उन्हें जो सूचना मिलती है वे केवल उसी के अनुसार काम कर सकते हैं। कानून माननेवाले व्यक्ति की तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी और ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि मैं इस आज्ञा का पालन करूँ। पर मैं उन लोगों के प्रति जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता था। मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूँ। इस कारण मैं स्वेच्छा से इस स्थान से नहीं जा सकता था। दो कर्तव्यों के परस्पर विरोध की दशा में मैं केवल यही कर सकता था कि अपने हटाने की सारी जिम्मेवारी शासकों पर छोड़ दूँ। मैं भली भाँति जानता हूँ कि भारत के सार्वजनिक जीवन में मेरी जैसी स्थिति वाले लोगों को आदर्श उपस्थित करने में बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति में प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति को वही काम करना सब से अच्छा है जो इस समय मैंने करना निश्चय किया है और वह यह है कि बिना किसी प्रकार का विरोध किये आज्ञा न मानने का दण्ड सहन के लिए तैयार हो जाऊँ। मैंने जो बयान दिया है वह इसलिए नहीं कि जो दण्ड मुझे मिलने वाला है वह कम किया जाय पर इस बात को दिखलाने के लिए, कि मैंने सरकारी आज्ञा की अवज्ञा इस कारण से नहीं की है, कि मुझे सरकार के प्रति श्रद्धा नहीं है, बल्कि इस कारण से कि मैंने उससे भी उच्चतर आज्ञा—अपनी विवेक-बुद्धि की आज्ञा—का पालन करना उचित समझा है।

अब तक अदालत तथा सरकारी वकीलों का विश्वास था कि महात्मा जी कुछ सफाई देंगे। यहाँ पर यह कह देना उचित जान पड़ता है कि १४४ धारा का जो प्रयोग महात्मा जी के विरुद्ध किया गया था वह किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। अच्छे कानूनी लोगों का विचार था और यह विचार ठीक है कि यदि उस पर बहस होती तो मि लौम जस्टर चाहे सजा देते भी तो वह फैसला हाई कोर्ट से अवश्य रद्द हो जाता। इसी कारण सरकारी वकील को अपनी किताबों की आवश्यकता थी। पर इस बयान को सुनकर अदालत घबरा गई और मजिस्ट्रेट की समझ में यह नहीं आता कि वे अब क्या करें ? उन्होंने महात्मा जी से बार-बार पूछा कि आप अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं ? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि मुझे जो कहना था मैंने अपने बयान में कह दिया। इस पर हाकिम ने कहा कि उसमें अपराध का साफ इकरार नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि मैं अदालत का अधिक समय नष्ट करना नहीं चाहता मैं अपराध स्वीकार कर लेता हूँ। हाकिम और भी घबड़ा गये। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि यदि आप अब भी जिला छोड़कर चले जायँ और न आने का वादा करें तो यह मुकदमा उठा लिया जायगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया "यह हो नहीं सकता इस समय की कौन कहे जेल से निकलने पर भी मैं चम्पारन ही में

motives of rendering humanitarian and national service. I have done so in response to a pressing invitation to come and help the *ryot*, who urge they are not being fairly treated by the Indigo planters. I could not render any help without studying the problem. I have, therefore come to study it with the assistance if possible, of the administration and the planters. I have no other motive and cannot believe that my coming can in any way disturb public peace and cause loss of life. I claim to have considerable experience in such matters. The administration, however have thought differently I fully appreciate their difficulty and I admit too, that they can only proceed upon information they receive. As a law-abiding citizen my first instinct would be, as it was, to obey the order served upon me. But I could not do so without doing violence to my sense of duty to those for whom I come I feel that I could just now serve them only by remaining in their midst. I could not, therefore, voluntarily retire. Amid this conflict of duty I could only throw the responsibility of removing me from them on the administration. I am fully conscious of the fact that person holding in the public life of India, a position, such as I do, has to be most careful in setting example. It is my firm belief that in the complex constitution under which we are living, the only safe and honourable course for a self-respecting man is, in the circumstances such as face me, to do what I have decided to do, that is, to submit without protest to the penalty of disobedience.

I venture to make this statement not in any way in extenuation of the penalty to be awarded against me, but to show that I have disregarded the order served upon me not for want of respect for lawful authority but in obedience to the higher law of our being—the voice of conscience.

अर्थात् अदालत की आज्ञा से मैं संक्षेप में यह बतलाना चाहता हूँ कि नोटिस द्वारा जो मुझे आज्ञा दी गई उसकी अवज्ञा मैंने क्यों की। मेरी समझ में यह स्थानीय अधिकारियों और मेरे मध्य में मतभेद का प्रश्न है। मैं इस देश में राष्ट्रीय तथा मानव-सेवा करने के विचार से आया हूँ। यहाँ आकर उन रैयतों की सहायता करने के लिए, जिनके साथ कहा जाता है कि नीलवर साहब अच्छा व्यवहार नहीं करते मुझ से बहुत आग्रह किया गया था पर जब तक मैं सब बातें अच्छी तरह न जान लेता तब तक उन लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकता था। इसलिए मैं यदि हो सके तो अधिकारियों और नीलवरों की सहायता से सब बातें जानने के लिए आया हुआ हूँ। मैं किसी दूसरे उद्देश

मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे यह विश्वास नहीं होता कि मेरे यहाँ आने से किसी प्रकार शान्ति भंग या प्राण-हानि हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसी बातों का मुझे बहुत कुछ अनुभव है। अधिकारियों को जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको मैं समझता हूँ और मैं यह भी मानता हूँ कि उन्हें जो सूचना मिलती है वे केवल उसी के अनुसार काम कर सकते हैं। कानून माननेवाले व्यक्ति की तरह मेरी प्रवृत्ति यही होनी चाहिए थी और ऐसी प्रवृत्ति हुई भी कि मैं इस आज्ञा का पालन करूँ। पर मैं उन लोगों के प्रति जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर सकता था। मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूँ। इस कारण मैं स्वेच्छा से इस स्थान से नहीं जा सकता था। दो कर्तव्यों के परस्पर विरोध की दशा में मैं केवल यही कर सकता था कि अपने हटाने की सारी जिम्मेवारी शासकों पर छोड़ दूँ। मैं भली भाँति जानता हूँ कि भारत के सार्वजनिक जीवन में मेरी जैसी स्थिति वाले लोगों को आदर्श उपस्थित करने में बहुत ही सचेत रहना पड़ता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस स्थिति में मैं हूँ उस स्थिति में प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति को यही काम करना सब से अच्छा है जो इस समय मैंने करना निश्चय किया है और वह यह है कि बिना किसी प्रकार का विरोध किये आज्ञा न मानने का दण्ड सहने के लिए तैयार हो जाऊँ। मैंने जो बयान दिया है वह इसलिए नहीं कि जो दण्ड मुझे मिलने वाला है वह कम किया जाय पर इस बात को दिखलाने के लिए, कि मैंने सरकारी आज्ञा की अवज्ञा इस कारण से नहीं की है कि मुझे सरकार के प्रति श्रद्धा नहीं है बल्कि इस कारण से कि मैंने उससे भी उच्चतर आज्ञा—अपनी विवेक-बुद्धि की आज्ञा—का पालन करना उचित समझा है।

अब तक अदालत तथा सरकारी वकीलों का विश्वास था कि महात्मा जी कुछ सफाई देंगे। यहाँ पर यह कह देना उचित जान पड़ता है कि १४४ धारा का जो प्रयोग महात्मा जी के विरुद्ध किया गया था वह किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। अन्य कानूनी लोगों का विचार था और यह विचार ठीक है कि यदि उस पर बहस होती तो सि वीक चम्पर वाले सजा देते भी तो वह फैसला हाईकोर्ट से अवश्य रद्द हो जाता। इसी कारण सरकारी वकील को अपनी किताबों की आवश्यकता थी। पर इस बयान को सुनकर अदालत चकित हुई और मजिस्ट्रेट की समझ में यह नहीं आया कि वे अब क्या करें? उन्होंने महात्मा जी से बार-बार पूछा कि आप अपराध स्वीकार करते हैं या नहीं? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि मुझे जो कहना था मैंने अपने बयान में कह दिया। इस पर हाकिम ने कहा कि उसमें अपराध का साफ इक़रार नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि मैं अदालत का अधिक समय नष्ट करना नहीं चाहता मैं अपराध स्वीकार कर लेता हूँ। हाकिम और भी घबरा गये। उन्होंने महात्मा जी से कहा कि यदि आप अब भी जिला छोड़कर चले जायें और न आने का वादा करें तो यह मुकदमा उठा लिया जायगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया "यह हो नहीं सकता, इस समय की कौन कहे, जेल से निकलने पर भी मैं [illegible]

अपना घर बना लूँगा। हाकिम यह दृढ़ता देख अवाक हो गए और उन्होंने कहा कि इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता है, आप ३ बजे यहाँ आइए तो मैं हुक्म सुनाऊँगा। ये सब बातें आधे घण्टे के भीतर ही समाप्त हो गईं और महात्मा जी मकान पर वापस जाने के लिए तैयार हुए कि इतने में पश्चिम के डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट ने आकर कहा कि आप से सुपरिन्टेण्डेण्ट मिलना चाहते हैं। महात्मा जी उनके साथ सुपरिन्टेण्डेण्ट के पास गये। वह किसी समय दक्षिणी अफ्रीका में रह चुके थे और उन्होंने महात्मा जी को दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रही बताकर उनसे बहुत बातें कीं। राजकुमार शुक्ल की बहुत शिकायत की और कोठीवालों से महात्मा जी की मुलाकात कराने का वादा किया। इसके बाद महात्मा जी जिला मजिस्ट्रेट मि॰ डबल्यू बी॰ हिकौक (Mr W B. Heycock) से मिले। उन्होंने इस कार्रवाई की आवश्यकता पर खेद प्रकट किया और कहा कि आपको पहले मुझ से मिलना चाहिए था। इस पर महात्मा जी ने उत्तर दिया कि जब मैं कमिश्नर से मिला था तो उन्होंने मेरे साथ जैसे बर्ताव किया उसके बाद मेरे लिए कैसे उचित था कि मैं फिर आप से मिलूँ। मजिस्ट्रेट ने महात्मा जी से तीन दिनों तक देहातों में जाना बन्द करने के लिए कहा और उनकी यह बात महात्मा जी ने मान ली।

तीन बजे के कुछ पहले ही महात्मा जी मजिस्ट्रेट के इजलास में पहुँच गये। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं ता॰ २१ ४ १७ को हुक्म सुनाऊँगा और तब तक आप १ ( ) की जमानत दे दीजिये। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और न मैं जमानत ही दे सकता हूँ। फिर मुश्किल पड़ी। अन्त में मजिस्ट्रेट ने उनसे स्वयं मुचलका लेकर उन्हें जाने की आज्ञा दी। महात्मा जी तीन बजे के लगभग डेरे पर लौट आये। यहाँ से आज की कार्रवाई की सूचना सब मित्रों और पत्रों के पास भेजी गई। इसके साथ ही उन सबों से यह अनुरोध किया गया कि इस विषय में जब तक सरकारी आज्ञा न मालूम हो जाय तब तक किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं करना चाहिए।

उधर तार पाते ही बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद चम्पारन से चल पड़े और ता॰ १८ ४ १७ के सबेरे ही ५ बजे पटने पहुँचे। उसी समय उन्होंने मि॰ पोलक और मि॰ हक से मुलाकात की और यह निश्चय हुआ कि मि॰ हक भी मोतिहारी चलें। बाबू अनुग्रहनारायण सिंह वकील तथा बा॰ शम्भुशरण वर्मा वकील भी साथ ही लिये। पटने से ७ बजे सबेरे की गाड़ी से रवाना होकर मि॰ पोलक, मि॰ हक, बाबू ब्रजकिशोर, बाबू अनुग्रहनारायण, बाबू शम्भुशरण और मैं, रास्ते में महात्मा जी की बात मि॰ पोलक से सुनते हुए तीन बजे मोतिहारी पहुँचे। आज कार्रवाई मुकदमे की हो चुकी थी। सब यहाँ पहुँचने पर सुनने में आई और ऐसा मालूम होने लगा कि शायद मुकदमा उठा लिया जायगा और काम करने न दिया जायगा। पर साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि अगर मुकदमा नहीं उठाया गया और महात्मा जी को किसी प्रकार की सजा मिली तो उस अवस्था में भी काम जारी रखना होगा। तदनुसार काम करने की तैयारी हुई। कामों के सुभीते लिए दल बने और सब लोग आ

महात्मा जी राजेन्द्र बाबू और महादेव भाई (चम्पारन-सत्याग्रह के कर्मयोगी)

बजे संध्या के लगभग इकट्ठे होकर आगे की कार्रवाई पर विचार करने लगे। यहाँ भी फिर वही प्रश्न उठा कि महात्मा जी के जेल चले जाने के बाद क्या होगा। इसमें तो संदेह नहीं था कि काम जारी रखना होगा, पर यदि जारी रखने में जेल जाने की नौबत आई, तो क्या किया जायगा। बाबू धरणीधर तथा बाबू रामनवमी का निश्चय सुनकर नवागत लोगों का भी साहस बढ़ गया और एक स्वर से सभी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस समय ये लोग आपस में इस बात पर विचार कर रहे थे महात्मा जी वहाँ नहीं थे। जब इन लोगों ने इसका निश्चय कर लिया तो महात्मा जी को वहाँ बुलाकर यह कह दिया गया। वह आनन्द से गद्गद् हो गये और मि. पोलक भी सुन कर बहुत खुश हुए। अन्त में महात्मा जी ने कहा कि कार्यक्रम बना लेना उचित है। स्थिर हुआ कि यदि महात्मा जी जेल चले जायँ तो मि. हक बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद इस दल के नेता बनें और इस बात की सूचना सरकारी कर्मचारियों को दे देवें। यदि वे भी किसी तरह से हटा दिये जायँ तो बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद इस काम का भार अपने ऊपर लेवें। जब वे भी हटा दिये जायँ तो लेखक और बाबू शम्भुशरण और अनुग्रहनारायण सिंह इस काम को जारी रखें। आशा की गई कि इन तीनों दलों के हटाते-हटाते और लोग भी आ जायँगे और उनके आने पर आगे का कार्यक्रम ठीक कर लिया जायगा। इसी निश्चय के अनुसार मि. हक और ब्रजकिशोर प्रसाद का पटना तथा दरभंगा जाना स्थिर हुआ कि अपने घर का सब प्रबन्ध इत्यादि ठीक कर ता. २१.४.१७ तक जो हुक्म मानने का दिन था आ जायँ। मि. हक को एक मुकदमा गोरखपुर में था और वे वहीं से ता. २१.४.१७ की संध्या या २२.४.१७ के सुबह की गाड़ी से आ जाने वाले थे। मि. हक ने एक लम्बा तार बड़े लाट की सेवा में यहाँ की सब हालत के वर्णन के साथ भेज दिया। रात की गाड़ी से मि. पोलक मि. हक और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद मोतीहारी से रवाना हुए।

ता. १९.४.१७ से सुबह से रैयत आने लगे और महात्मा जी के सहकारी गण उनके बयान लिखने लगे। महात्मा जी भी स्वयं किसी-किसी का बयान लिख लेते थे और दूसरों के लिखे हुए बयानों को पढ़ लिया करते थे। बयान लिखनेवालों को कह दिया गया था कि जहाँ तक हो सके रैयतों से जिरह करके जो बातें सच्ची प्रतीत हों उन्हीं को लिखना और यदि कोई बात ऐसी जान पड़े जिसमें तीव्र जाँच की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना महात्मा जी को देना। बयान लिखनेवाले एक तरफ रैयतों की दुःख-कहानी लिख रहे थे और उधर पुलिस के दारोगा जी दूसरी तरफ बैठकर अपना नोट तैयार कर रहे थे। आज भी हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों से बहुत तार आये। आज तक जो कार्रवाई हुई थी उसका सारांश सब मित्रों के पास लिखकर महात्मा जी ने भिजवा दिया। आज ही तीन बजे बेतिया से मि. सी. एफ. एण्ड्रूज (Mr. C. F. Andrews) आ पहुँचे। चम्पारन के लोगों को उनसे मिलने का कभी सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था और कभी ऐसे किसी दूसरे अंगरेज को भी चम्पारनवालों का हैरान का मौका नहीं मिला था। उनका सारा लिबास

सीधी बातें और सबसे बढ़कर प्रेम देखकर सभी मुग्ध हो गये। महात्मा जी ने उनसे सब बातें कह सुनाईं और वह उसी दिन कलक्टर से मिलने गये पर मुलाकात नहीं हुई। अब तक सभी कोई बाबू गोरख प्रसाद के मकान में ठहरे थे पर लोगों की संख्या बढ़ जाने के कारण और यह विचार कर कि यह काम बहुत दिनों तक चलने वाला है एक स्वतन्त्र मकान ले लेना उचित समझा गया। बाबू रामदयाल प्रसाद ने जो वहाँ के प्रसिद्ध साहु घराने के एक उत्साही नवयुवक हैं एक मकान भी ठीक कर लिया। सब लोगों का दूसरे मकान में जाना निश्चित हुआ। महात्मा जी की आज्ञा हुई कि आज ही वहाँ चलना चाहिए और सब लोग रात को प्रायः १ बजे नये मकान में चले गये। यहाँ पर यह कह देना अनुचित नहीं होगा कि जब तक महात्मा जी और उनके सहकारी चम्पारन में रहे साहु घराने के लोगों ने सब प्रकार की सहायता दी।

खबर पटने में मि पोलक पहुँचे। वहाँ बिहार प्रान्तीय सभा की बैठक माननीय रायबहादुर कृष्णसहाय की अध्यक्षता में हुई। उसमें मि पोलक ने चम्पारन का सब हाल कह सुनाया और सब नेताओं से चम्पारन जाने का अनुरोध किया। वहाँ पर निश्चित हुआ कि इस काम में महात्मा जी की हर प्रकार से सहायता की जाय।

ता २०-४ १७ को सबेरे मि एण्डू व जिला कलक्टर मि हिकौक से जा मिले। वहाँ उन्हें मालूम हो गया कि मुकदमा उठा लिया जायगा और सरकारी अफसर महात्माजी की जाँच में मदद देंगे पर इसकी सूचना अभी तक हम लोगों को नहीं मिली थी। ता १९ को ही निश्चय हुआ कि पटने के सब नेताओं को चम्पारन बुलाना चाहिए और इसी निश्चय के अनुसार मि हसन इमाम मि सच्चिदानन्द सिंह तथा माननीय रायबहादुर कृष्ण सहाय को तार भेजा गया। आज ही बाबू ब्रजकिशोर भी दरभंगे से वापस आये। आज भी सारा दिन रैयतों के बयान लिखे गये। अब रैयतों की ऐसी भीड़ होने लगी थी कि सबेरे ६॥ बजे से सन्ध्या ६॥ बजे तक उनका तांता ही नहीं टूटता था। बहुतों को रात को वहीं रह जाना पड़ता और दूसरे दिन भी उनके बयान लिखे जाने का कोई ठिकाना नहीं रहता। यह देखकर निश्चय किया गया कि सन्ध्या के समय उन रैयतों के नाम लिख लिये जायँ जो आ गये हैं। पर समयाभाव के कारण जिनका बयान नहीं लिखा गया है और दूसरे दिन उनके बयान लिख लेने के बाद दूसरे रैयतों के बयान लिखे जायँ इसी क्रम के अनुसार काम होने लगा।

आज शाम को ७ बजे मुकदमा उठा लेने का नोटिस आ गया।

ता २१ ४ १७ को उसी प्रकार बयान लिखा जाता रहा। आज रैयतों की बड़ी भीड़ थी। उनको खबर थी कि महात्मा जी के मुकदमे में आज ही हुक्म सुनाया जायगा इसलिए बहुत दूर-दूर से रैयत आये थे। केवल बेतिया से प्रायः ४ से अधिक मनुष्य पहुँचे थे। मुकदमा उठा लेने की खबर सुन सभी आनन्द मनाने लगे और अपने बयानों को लिखवाने लगे। सी पुलिस सब इन्सपेक्टर जो पहले बराबर हम लोगों की कार्रवाई देखते

ग्यारहवाँ अध्याय ।

भारतवर्ष में खलबली

जब महात्मा गांधी पर १४४ दफा के अनुसार नोटिस दिया जाना, मुकदमे का होना और फिर उसका उठा लिया जाना इत्यादि बातों की खबर प्रकाशित हुई, तो हिन्दुस्तान के प्रायः सब समाचारपत्रों में कमिश्नर की इस कार्रवाई पर कड़ी समालोचनाएँ की और सरकार की मुकदमा उठा लेने तथा मदद देने के लिए हुक्म देने के विषय में बड़ी प्रशंसा की।

मुकदमा उठा लेने के पहले मद्रास के 'इंडियन पैट्रियट' (Indian Patriot) ने १ अप्रैल को लिखा—

"We are frankly horrified to learn that some foolish officials have taken into their heads to interfere with Mr Gandhi It is impossible to resist the temptation to use violent language against officials who have sprung this upon the people of India today They has helped to rouse the indignation of the young and old the politician and the layman W hope that good sense will prevail and that the Government of India will prevent what will be nothing short of calamity any harmful touch of this monarch of the Indian heart. The Judge before whom M Gandhi was taken has deferred passing orders t once That is encouraging The Government of India must at once interfere and ask the Bihar uthorities to take off their unholy hands from this patriot saint Touch him (Mr Gandhi) nd all that is spirited and high in India will flow to him sympathy Educated Indian young men will be more inclined to go to Motihari nd ttempt t conduct enquiry which M Gandh was forbidden to onduct, defy the thorities, he has defied and be flung into Ja'l or be deported than offering hemselves the Defenc of India Forc "

भावार्थ— इस बात को सुनकर अत्यन्त बड़ा ही आश्चर्य हुआ है कि कुछ नासमझ अफसरों ने मि० गांधी की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने की ठानी है। ऐसे अफसरों के विरुद्ध न कड़ी भाषा प्रयोग न करना असम्भव है जिन्होंने इस कार्रवाई से हिन्दुस्तानियों का तिरस्कार कर दिया है। उन्होंने अपनी कार्रवाई से वृद्ध-बच्चे राजनीतिक या जो राजनीति से अपना कोई सम्बन्ध नहीं रखते उन सभी के हृदय में क्षोभ की आग भड़का दी है। हम आशा करते हैं कि भारत सरकार इस आपत्ति को नहीं आने देगी जो भारतीयों के हृदय-मुकुट

के साथ हस्तक्षेप करने से अवश्य होगी। जिस जज के यहाँ मि गांधी का मुकदमा है उन्होंने उसमें हुक्म देना मुल्तवी रखा है। यह आशाजनक है। भारत सरकार को इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और बिहार सरकार को अपना अपवित्र हाथ इस देशभक्त ऋषि के ऊपर से शीघ्र से हटा लेने को कह देना चाहिए। मि गांधी न छड़-छाड़ हुई और हिन्दुस्तान के उच्च भाव के सभी उत्साही मनुष्यों की उनके साथ पूरी सहानुभूति हो जायगी। विशेषकर शिक्षित नवयुवक मोतीहारी जाने के लिए तैयार हो जायेंगे और वहाँ जाँच करना आरम्भ कर देंगे जिसके करने में मि गांधी मना किये गये हैं। वे सरकारी कर्मचारियों के हुक्म का उल्लंघन करेंगे जैसा कि मि गांधी ने किया है और भारत रक्षक दल में भर्ती होने की अपेक्षा जेल भेजे या देश निकाले जाने की सजा भुगतना भी पसन्द करेंगे।

बम्बई के 'मिसेज' (The Message) पत्र ने अपने २ अप्रैल के अङ्क में लिखा—

From the particulars so far to hand it is plain that the action taken is arb trary and, we think, also illegal in spirit, if not in the letter In the first place it is absurd to impute to Mr Gandhi any intention of obstructing or causing injury or disturbing public tranquillity etc There is no doubt that his enquiry would cause annoyance to the planters if t resulted n throwing open the flood gates of light on the dark spot of labour recruitment and labour management on the plantations and might as well cause them injury if t further resulted in removing the condition under which sweating of labour would be impossible But that is the view of the matter in which Government officials cannot take side of th planters against labour and their business is t remain neutral if they cannot assist n bettering the cond tion of labou "

भावार्थ— जो विवरण कि हमको प्राप्त हुआ है उससे साफ विदित होता है कि सरकारी कारवाई बिलकुल मनमानी हुई है और हम लोगों के विचार में वह हुक्म न्याय कानून के विरुद्ध है। महात्मा गांधी पर यह दोष लगाना कि उनकी इच्छा किसी को हानि पहुँचाने या शान्ति भंग करने इत्यादि की है बिलकुल बेजड़ बुनियाद की है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि उनकी जाँच से नील की कोठी के प्रबन्ध और वहाँ के मजदूरों की भर्ती के सम्बन्ध में कुछ राज खुल जाय तो उससे वहाँ के नीलवरों को दुःख पहुँचेगा। और यदि इस जाँच के कारण मजदूरी के दोष दूर हो जायँ तो उससे उनको हानि भी पहुँच सकती है पर यह ऐसी बात है जिसमें सरकारी कर्मचारी मजदूरों के विरुद्ध नीलवरों की तरफदारी नहीं कर सकते। उनका कर्तव्य है कि यदि वे मजदूरों की दशा सुधारने

में मदद नहीं दे सकते हैं तो चुप रहें।

मद्रास के 'न्यू इण्डिया' (New I dia) में १९ अप्रैल को लिखा—

"The forcibl stoppage of M Gandhi is natural, seeing that so much is taking place, which is vital to conceal."

अर्थात् 'महात्मा गांधी को जबरदस्ती रोक देना स्वाभाविक है क्योंकि कितनी बातें ऐसी हो रही हैं जिनका छिपाना जरूरी है।

लाहौर के 'पंजाबी' (The Punjabee) में २४वीं तारीख के अग्र-लेख में पूरा हाल बयान करते हुए गवर्नमेण्ट के इस कार्य पर सन्तोष प्रकाशित किया और कहा कि—

"*The conclusion will be awaited with greatest interest and expectancy*"

अर्थात् 'महात्मा गांधी की जाँच का नतीजा जानने के लिए लोग बड़ी उत्सुकता से इन्तजारी करेंगे।

बम्बई के 'इण्डियन सोशल रिफॉर्मर' (The Indian Social Reformer) में २२वीं अप्रैल के अंक में लिखा—

"Th extraordinary order passed by the District Magistrate of Champaran ordering Mr Gandhi to leave the district as his presence in any part of it would endanger the public peace has created widespread indignation."

अर्थात् 'चम्पारन के जिला मजिस्ट्रेट के इस असाधारण हुक्म से जिसके द्वारा उन्होंने शान्ति भंग होने की आशंका दिखलाकर महात्मा गांधी को चम्पारन छोड़ देने को कहा है भारी और व्यापक असन्तोष फैल गया है।'

लखनऊ के 'एडवोकेट' (*The Advocate*) ने २४वीं अप्रैल को बिहार गवर्नमेण्ट को महात्मा गांधी पर मुकदमा उठा लेने के लिए बधाई देते हुए लिखा—

"Little thought could have revealed to the Commissioner that he was taking an enormous responsibility and that he was drawing India in an agitation, the like of which she witnessed not for some time

After consultation and consideration the order was withdrawn. N y official co-operation i the noble task which Mr Gandhi has undertaken in selfless spirit has been promised

"Bu the w y of bureaucrat are inscrutable and *his mentality is* too deep for words

भावार्थ— 'जरा सोचने से कमिश्नर महोदय को पता लग जाता कि वह अपनी कार्रवाई से एक बड़ी भारी जवाबदेही अपने सर पर उठा रहे हैं और ऐसा काम कर रहे

है जिससे हिन्दुस्तान में एक ऐसा आंदोलन पैदा हो जायगा जैसा कि यहाँ कुछ दिनों से नहीं हुआ था।

"सोच-विचार के बाद हुक्म उठा लिया गया है। इतना ही नहीं वरन् वादा किया गया है कि सरकारी कर्मचारी महात्मा गांधी के इस निःस्वार्थ काम में मदद भी करेंगे।

पर नौकरशाहियों का रास्ता विचित्र है और उनके मानसिक भाव की गहराई का पता शब्दों से नहीं मिल सकता।

प्रयाग के 'लीडर' (The Leader) के २१वीं अप्रैल के अंक में एक बड़ा लेख प्रकाशित हुआ जिसमें चम्पारन की हालत आरम्भ से वर्णन करते हुए सम्पादक ने कमिश्नर की चिट्ठी की समालोचना की और दफा १४४ के हुक्म को नाजायज बतलाते हुए अन्त में लिखा था—

"Officials who act as the Honourable Mr Morshead has done, and who write of educated Indians in terms bordering on contempt make all co-operation impossible."

अर्थात्, ऐसे अफसर जो माननीय मि मौर्सेड की तरह काम करते हैं और जो शिक्षित हिन्दुस्तानियों के लिए घृणा-भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं हिन्दुस्तानियों के साथ सहयोग को असम्भव कर देते हैं।

मद्रास के 'मद्रास टाइम्स' (Madras Times) ने लिखा—

"To our mind the notice on Mr Gandhi was a great mistake and suggests a great want of tact."

अर्थात्, "हम लोगों के विचार में मि गांधी पर नोटिस जारी करना बड़ी भूल हुई है और इससे सरकारी अफसरों में सुलाहियत से कार्य करने के ढंग की कमी मालूम पड़ती है।

बम्बई के 'बॉम्बे क्रॉनिकल' (Bombay Chronicle) ने भी कमिश्नर की कार्रवाई पर निम्नलिखित कड़ी समालोचना की—

"We trust that the higher authority will lose no time in rectifying the blunder of the local authorities in Bihar who are responsible for serving an order on Mr Gandhi under Sec. 144 Cr P C. to leave the District of Champaran. The order from every point of view seems absolutely without justification and one cannot avoid the reflection that the relation between the Bihar Planters and the *Ryots* must be in a very undesirable state if it is feared that the very presence of Mr Gandhi to investigate conditions would act like a lighted torch to inflammable materials."

भावार्थ— हमें विश्वास है कि उच्च पदाधिकारीगण उस भूल के सुधारने में जरा

भी न चूके जिसको बिहार के स्थानीय कर्मचारियों ने मि गांधी पर १४४ धारा के नोटिस के जरिये उनको चम्पारन जिले से चले जाने के लिए हुक्म देने में की है। जिस तरह से देखा जाय इस हुक्म के लिए कोई उचित कारण नहीं है और यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि जहाँ हालत जाँच करने के ख्याल से मि गांधी का उपस्थित हो जाना ही इतना भयंकर समझा जाता है कि उससे ज्वाला भभक उठने की आशंका होती है तो इससे साफ जाहिर है कि बिहार के नीलवर और उनके रैयतों के बीच का सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं है।

कलकत्ते के 'बंगाली' (The Bengalee) ने २१वीं अप्रैल के अंक में लिखा—

"Mr Gandhi has submitted a manly and dignified protest in which h sets forth the reason why he can not submit to the order of the magistrat of Motihari and leave the District All India is with him."

भावार्थ—"मि गांधी ने मोतीहारी के मजिस्ट्रेट की आज्ञा उल्लंघन करने तथा जिला न छोड़ने का कारण बताते हुए जो उज्र पेश किया है वह विवेचना और मर्यादापूर्ण है। इसमें सारा हिन्दुस्तान उनके साथ है।

मुकदमा उठा लेने पर आनन्द प्रकाश करते हुए फिर उस पत्र ने लिखा—

"Mr Gandhi has achieved signal moral triumph. His protest has been heeded !

अर्थात् "मि गांधी को बड़ी भारी नैतिक जीत हुई। उनका उज्र असरदार निकला।

इसी प्रकार 'हिन्दू' 'अमृतबाजार पत्रिका' और 'मदहद्रा' आदि पत्रों ने कमिश्नर के हुक्म की तीव्र समालोचना की।

यह बड़े मारके की बात है कि किसी भी मुख्य एंग्लो-इण्डियन समाचारपत्र को कमिश्नर के हुक्म समर्थन करने का साहस न पड़ा और उसने इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा!

लाहौर के 'ट्रिब्यून' (The Tribune) पत्र ने २४वीं अप्रैल को लिखा कि—

"The Government deserves to be thanked for placing public policy above consideration of prestige. The Government has shown wisdom in directing the withdrawal of proceeding against Mr Gandhi and in offering him instead official assistance in the conduct of the enquiry

भावार्थ—"गवर्नमेण्ट ने लोकमत की नीति को अपनी प्रतिष्ठा से बढ़कर समझा है। इसलिए वह धन्यवाद के योग्य है। महात्मा गांधी के ऊपर से मुकदमा हटाकर और जाँच करने में सरकारी [illegible]

किया है।

बारहवाँ अध्याय

बेतिया में महात्मा गांधी

ऊपर कहा जा चुका है कि ता० २२-४-१७ को तीन बजे सेपहर की गाड़ी से महात्मा जी अपने सहकारियों के साथ बेतिया गये। जब जिले भर में मुकदमा उठा लेने का समाचार फैल गया और महात्मा जी के उस गाड़ी से बेतिया जाने की भी खबर लोगों को मिल गई। प्रत्येक स्टेशन पर दर्शनाभिलाषियों की भीड़ जुट गई थी और गाड़ी के पहुँचते ही जयध्वनि तथा फूलों की वर्षा होती गई। पाँच बजे के लगभग गाड़ी बेतिया स्टेशन पर पहुँची। वहाँ इतनी भीड़ थी कि गाड़ी को स्टेशन के प्लेटफार्म से कुछ इधर ही रोक देना पड़ा। महात्मा जी तीसरे दर्जे की गाड़ी में सवार थे। शहर तथा बाजार के लोगों ने आपका स्वागत किया। जयजयकार से आकाश गूँज उठा और पुष्प-वृष्टि खूब ही की गई। महात्मा जी गाड़ी पर सवार हुए। लोगों ने घोड़ों को खोल दिया और गाड़ी खींच ले जाना चाहा। परन्तु महात्मा जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। वे गाड़ी से उतर जाने को प्रस्तुत हो गये। हार मानकर लोगों ने फिर घोड़े गाड़ी में जोत दिये। वहाँ दस हजार से अधिक मनुष्य एकत्रित थे। गाड़ी के निकलने में बड़ी कठिनाई हुई। किसी प्रकार धीरे-धीरे गाड़ी शहर की ओर चली। रास्ते के दोनों किनारे पर पुरुष और स्त्रियों की अगणित भीड़ थी। आज लोगों की बहुत दिनों की अभिलाषा पूरी हुई—महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे। उनके अब दुःख दूर होंगे इसमें अब किसी प्रकार का कुछ सन्देह नहीं रहा। लोगों का यह विश्वास उनके सरल हृदयों पर दृढ़ था। किसी ने लोगों को महात्मा जी के विषय में कुछ कहा नहीं था। बहुतेरे तो महात्मा जी के जीवन चरित्र को जानते भी नहीं थे। ऐसे बहुत कम आदमी थे जो आपके दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की लड़ाई से परिचित हों। पर बिना यह सब जाने बाह्य दृष्टि से बिना किसी कारण के ही लोगों का यह विश्वास क्यों हुआ हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। विश्वास सच्चा था, शुद्ध हृदय का था इसलिए फल भी मिला। स्टेशन से महात्मा जी बाबू हजारीमल की धर्मशाला में गये। वहीं बाबू हजारीमल के छोटे भाई बाबू सूरजमल ने महात्मा जी का स्वागत किया और आपके रहने का कुल प्रबन्ध करा दिया। जब तक महात्मा जी बेतिया में रहे वहीं ठहरे रहे। ये लोग आपकी सेवा में बराबर तत्पर रहते थे।

महात्मा जी दूसरे दिन सबेरे ही बेतिया के मजिस्ट्रेट मि० डब्ल्यू० एच० लिविस (Mr W H Lewis)) और बेतिया राज के मैनेजर मि० जे० टी० व्हिटी (Mr J T Whitty) से जाकर मिले। महात्मा जी के विषय में इन अफसरों के पास कमिश्नर की चिट्ठी पहुँच ही चुकी थी।

बेतिया में अब उसी प्रकार इजहार लिया जाने लगा। यहाँ भी बड़ी भीड़ रहा करती

थी। ता. २४-४-१७ को महात्मा जी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ लौकरिया गाँव में गये। वहाँ के लोगों ने आकर उन्हें अपनी दुःखगाथा कह सुनाई। छोटे-छोटे लड़कों ने भी महात्मा जी से वहाँ का हाल कहा और उन्हें कोठी से और गृहस्थों की ओर से क्या मजदूरी मिलती थी इस बात का भी पूरा-पूरा अनुसंधान किया। जिस स्थान में इजहार लिये जा रहे थे वहाँ बेतिया के मजिस्ट्रेट मि. लिविस भी गए और कुछ देर तक ठहरे रहे। उनके रहने पर भी रैयतों ने निडर होकर सब बात कह सुनाई। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जिरह कर करके गवाहों के इजहार स्वयं लिखते जाते थे। आशा था विश्वास है कि मि. लिविस इस जाँच से सन्तुष्ट होकर अपने घर लौटे। उस दिन महात्मा जी वहाँ बाबू लक्ष्मर प्रसाद राय नामक एक गृहस्थ के घर पर रह गये। इस यात्रा में वे बरिया कोठी के मैनेजर मि. एच. एल. से मिले और उनकी खेती तथा उनके देहातों के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कीं। महात्मा जी जब कोठी से लौट रहे थे तो एक घटना हुई जो उल्लेखनीय है। वे लौटकर थोड़ी ही दूर गये होंगे कि एक कोठी का कर्मचारी दौड़ा हुआ उनके पास आया। उसने कहा कि मुझे इस बात का डर था कि साहब आपके साथ बुरी तरह से पेश आवें। इसलिए मैं वहाँ छिपे-छिपे कुल बातों को सुन रहा था और प्रस्तुत था कि यदि अवसर आवे तो मुझ पर जो कुछ बीते मैं आपकी सहायता करूँ। उसके कथन से सचाई टपक रही थी और इससे जान पड़ता है कि कोठी के कर्मचारियों में भी बहुत से ऐसे मनुष्य थे जो खुल्लमखुल्ला महात्मा जी के साथ देने में असमर्थ होने पर भी दिल से उनकी विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और कोई कठिन अवसर आने पर उनकी सहायता करने को तैयार भी थे। परन्तु साथ ही कहना पड़ता है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक न थी।

ता. २४-४-१७ की रात को महात्मा जी लौकरिया से बेतिया पैदल ही वापस आये। उनके पैरों में कुछ सूज आ गया था वह गर्म जल से धोया गया।

मोतीहारी में इजहार लेने का काम जारी रहा पर महात्मा जी के वहाँ से चले जाने पर बेतिया में बहुत ही भीड़ होने लगी। इसलिए बाबू धरणीधर कार्य में सहायता देने के लिए बेतिया ही चले आये। इसी समय छपरे से बाबू रामदेव नारायण वकील तथा आरे से प. गोरखनाथ त्रिपाठी इजहार लेने और लिखने में सहायता देने के लिए आये। जो इजहार मोतीहारी में लिये जाते थे वह प्रतिदिन रात की गाड़ी से एक आदमी के द्वारा महात्मा जी के पास बेतिया भेज दिये जाते थे।

ता. ५-४-१७ को महात्मा जी बाबू रामनवमी प्रसाद को साथ लेकर कुड़िया कोठी के देहात गौंड़े सिवाकपरा में गये। यह गाँव बेतिया से थोड़ी ही दूर पर है। आपके साथ पुलिस के कर्मचारी भी थे। गाँव के चारों ओर घूमघूम कर महात्मा जी ने वहाँ की अवस्था देखी। वहाँ का दृश्य देखकर उनका हृदय पिघल गया। लोगों के घरों के चारों ओर नील बोया हुआ था। अन्त में लोगों से वहाँ की स्थिति का पता लगाकर महात्मा जी बेतिया लौट आये।

ता० २७-४-१७ को महात्मा जी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू रामनवमी प्रसाद तथा पं० राजकुमार शुक्ल को साथ लेकर बेलवा कोठी के देहात में गये। रास्ते में बाबू विन्ध्यवासिनी प्रसाद जो गोरखपुर से महात्मा जी की सहायता के लिए आये थे मिले और वह भी साथ हो लिये। महात्मा जी नरकटियागंज स्टेशन से सुबह में उतरकर पैदल ही मुरली भरहवा के लिए, जो वहाँ से छ-सात मील की दूरी पर है, रवाना हुए। रास्ते में शिकारपुर के दीवान जी की ओर से बहुत आग्रह हुआ कि महात्मा जी जाकर उनका घर पवित्र करें और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद आदि जो उनके पहले के परिचित थे, उनके यहाँ कुछ जलपान करलें। महात्मा जी ने बहुत कुछ कहने-सुनने पर स्वीकार किया कि ५ मिनट के लिए हम लोग ठहर सकते हैं। वहाँ पहुँचने पर ५ मिनट के भीतर ही सब लोगों ने मुँह-हाथ धो जलपान कर लिया और घड़ी देखकर नियत समय पर ही 'मार्च' की आज्ञा हुई और सभी चल पड़े। बैसाख की कड़ी धूप में चलकर सब के सब प्रायः दस बजे मुरली-भरहवा पहुँचे। यह वही गाँव है जहाँ के रहने वाले पं० राजकुमार शुक्ल हैं, जिन्हें चम्पारन की प्रजा ने अपना प्रतिनिधि बनाकर लखनऊ कांग्रेस में भेजा था और जो महात्मा जी के साथ कलकत्ते से आये थे। राजकुमार शुक्ल ने अपने उस घर को दिखलाया जिसे वह कहते थे कि बेलवा कोठी ने लूट लिया था। घर की छप्परी उजड़ी हुई पड़ी थी। कोठिया जिनमें गल्ला रखा जाता है, उल्टी पड़ी थी और केले के पेड़ तितर-बितर होकर गिर पड़े थे। उनके खेतों में जिन्हें, उनके कथनानुसार, कोठी ने मजदूरों से कटवा लिया था, अभी तक टूटी डाँटें लगी खड़ी थीं। महात्मा जी ने यह सब अपनी आँखों देखा और बहुत दुःखित हुए। वहाँ पर बहुत लोगों के इजहार लिये गये। सैकड़ों आदमियों ने लूट की बात कही। उनमें कुछ आदमी ऐसे भी थे जिनके मवेशियों से खेत चरवाया गया था। महात्मा जी इस यात्रा में बेलवा कोठी के मैनेजर मि० ए० सी० एमन से जाकर मिले। रात के समय सब लोग बेलवा गाँव में गये और सन्तराउत नामक गृहस्थ के मकान पर ठहरे। दूसरे दिन सबेरे सब लोग बेतिया लौट आये।

बेलवा से लौटने के बाद महात्मा जी मि० लिविस और मि० विटी से फिर मिलने गये और उन लोगों से बहुत देर तक बात की। महात्मा जी के आने से नीलवर तथा स्थानिक कर्मचारी घबरा से गये थे। मि० लिविस तो बहुत ही डर गये थे। उन्होंने अपने मातहत एक प्रकार का सख्त [illegible] किन [illegible] रखा था और समझते थे कि अब सरकारी अफसरों की कोई कुछ नहीं सुनेगा। महात्मा जी से बात हुई, उनसे स्पष्ट नहीं जान पड़ा कि शायद इस विषय की कोई रिपोर्ट अब सरकार में भेजी जायगी।

आज [illegible] बजे मैनेजर को [illegible] की [illegible] से चले आये और सब लोग मिलकर

१ राजकुमार शुक्ल ने अपने घर लूट जाने की बात कमिश्नर के सामने कही थी और बेलवा कोठी के साहब मि० ए० सी० एमन ने इनकार कर दिया था।

विचार करने लगे कि यदि फिर भी सरकार की ओर से कुछ कार्रवाई की गई, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जायगा। सरकार हम लोगों को बिना अभियोग के सजा तो दे नहीं सकती थी। १४४ धारा की कार्रवाई अब फीकी पड़ जाती। हाँ, भारत रक्षा कानून (Defence of India Act) के अनुसार हम लोग चम्पारन से हटा दिये जा सकते थे। हम लोगों ने विचार किया कि यदि ऐसा किया गया तो हम सब के सब एक ही साथ हटा दिये जायँगे। पर इस समय तक हम लोगों ने हजारों रैयतों के इजहार ले लिये थे। चम्पारन भर की प्रायः सभी बातें जानने में आ गई थीं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ के कुछ रैयतों ने आकर बयान न लिखवा दिये हों। कोई भी कोठी ऐसी नहीं थी जहाँ की कार्रवाई से पूरी तरह हम लोग परिचित न हो गये हों। यदि हम सब एक साथ हटा दिये जायँगे तो मुमकिन है कि जो इजहार हमारे पास थे अथवा जो कागजी सबूत हमारे पास आ गये थे वे एकदम बेकार हो जायँ। हम लोगों को हटाये जाने पर भी एक दूसरा दल आकर इस काम को करने लगता। पर ये सबूत उन्हें फिर से एकत्रित करने होंगे और भय था कि कागजी सबूत उस होशियारी और सुगमता से फिर न मिलें। फिर नया दल जो आवेगा वह चम्पारन से एकदम अपरिचित होगा। इन्हीं बातों पर हम लोगों की एक गोष्ठी बिठाकर महात्मा जी बहुत देर तक विचार करते रहे। कुछ लोगों की राय हुई कि सब कागजों और इजहारों की कई प्रतियाँ तैयार कर ली जायँ जिसमें नये दल वाले उसे देख सकें और जो प्रति हमारे पास रहे, वह यदि सरकार जब्त भी कर ले तो भी हमारे पास सब कागजों की प्रतियाँ मौजूद रह जायँ। महात्मा जी ने विचार कर कहा कि हमारे साथ सरकार चाहे जो करे पर इन सबूतों को जब्त करना या नाश करना उसके लिए ऐसी नासमझी का काम होगा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि जो सबूत हम ने एकत्रित किये हैं उन्हें यदि सरकार नाश कर दे तो हम लोग जिन्होंने उनको लिया है या पढ़ा है उनके विषय में जो कुछ कहेंगे उसे सब मानना पड़ेगा और इससे सरकार की शिकायत होगी और उन्हें एक भयंकर आन्दोलन के अतिरिक्त कुछ हाथ न आवेगा। हाँ, इतना अवश्य कर लेना चाहिए कि सब चीजों की एक से अधिक प्रतियाँ रखी जायँ। इसकी जरूरत पीछे भी पड़ सकती है। यदि सरकार के पास इन सबूतों को पेश भी करना हुआ तब भी ये अतिरिक्त प्रतियाँ काम में आवेंगी। इन्हीं सब विचारों में अधिक रात बीत गई। उसी रात को ८ बजे के बाद मि० हिकिस ने एक रिपोर्ट जो वह गवर्नमेण्ट के पास भेज रहे थे महात्मा जी के पास देखने को भेज दी और कहा कि यदि वह कुछ उस विषय में कहना चाहें तो लिख भेजें। महात्मा जी ने उस पर अपनी सम्मति भेज दी। महात्मा जी के सो जाने पर भी मि० हिकिस की एक चिट्ठी आई जिसका उत्तर उन्होंने दूसरे दिन सुबह को दिया।

ता० १०-६-१ को महात्मा जी बाबू शम्भूशरण को साथ लेकर लाठी कोठी गये और वहाँ के साहब मि० सी० स्टिल (Mr C. Still) से मिले। वहाँ पर परसा कोठी

के मैनेजर मि गोर्डन कैनिंग (Mr Gordan Canning) भी आये थे। उन लोगों से बहुत बातें हुई। कुछ रैयतों के इजहार लेते हुए महात्मा जी संध्या की गाड़ी से बेतिया लौट आये।

ता १-५ १७ को महात्मा जी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को साथ लेकर मोतीहारी गये। ता २ ५ १७ को नीलवरों की एक बैठक हुई। वहाँ बहुत से नामी-नामी नीलवर उपस्थित थे। महात्मा जी को भी उन लोगो ने अपनी बैठक में बुलाया था। बहुत देर तक सब विषयों पर विचार हुआ परन्तु इस सभा से कुछ फल नहीं निकला। ता ३-५ १७ को महात्मा जी जिला मजिस्ट्रेट मि हिकौक तथा सैटलमेण्ट अफसर मि स्वीनी (Mr Sweeny) से मिले और उसी दिन बेतिया वापस आ गये।

इधर बिहार गवर्नमेण्ट से भी चम्पारन की बातें छिपी न थी। स्थानीय कर्मचारीगण रिपोर्ट भकर भेज ही रहे थे उधर नीलवरों ने भी अपने प्रतिनिधियों को गवर्नमेण्ट के पास भेजा और वहाँ तरह-तरह की शिकायतें की। मुजफ्फरपुर के युरोपियन डिफेन्स ऐसोसिएशन (European Defence Association) ने भी कलकत्ते के मुख्य सभा की ओर से भारत सरकार के पास दरख्वास्त भिजवायी कि महात्मा गांधी की जाँच रोक दी जाये और यदि सरकार ऐसा करना नहीं चाहती हो तो वह अपनी ओर से एक कमीशन मुकर्रर करे। मालूम होता है कि जब २-५ १७ को महात्मा जी की नीलवरों से भेंट हुई और उसका फल नीलवरों को सन्तोषजनक नहीं दीख पड़ा तब उन्होंने यह सब कार्रवाईयाँ की। महात्मा जी जो कुछ करते थे साफ नीलवरों से और सरकारी कर्मचारियों से कह दिया करते थे इधर नीलवर छिपे-छिपे ऐसी शिकायत किया करते थे और उनकी खबर तक महात्मा जी को नहीं पहुँचने पाती थी। इसी डेपुटेशन के फलस्वरूप[1] ता १-५ १७

---

[1] एसोसिएटेड प्रेस का एक तार ता ११-५ १७ को बांकीपुर से निम्नलिखित आशय का निकला था—

"The Conference between Hon'ble Mr Mande and Mr Gandhi is said to be the result of a deputation of the Planters Association which waited on the Government t Ranchi last week. It is reported that the deputation pointed out that th enquiry which is being carried on now has created a great stir and agitation amongst the *ryots* and asked that either the enquiry should be stopped or in the alternative the Government should appoint a Commission including representatives of planters and *ryots* to hold a public enquiry The Muzaffer *pur branch* of the European Defence *Association have* also *through* their parent body in Calcutta submitted a representation to the Govern ment of India on the subject. In the meantime, news has been received from Motihari of a factory at Olaha an outwork of a huge Indigo

को रांची से चीफ सेक्रेटरी का भेजा हुआ एक तार महात्मा जी के पास पहुंचा। इस तार में उन्होंने लिखा था कि माननीय मि॰ डब्ल्यू मौड (Mr W Maude) ता॰ १०-५-१७ को बांकीपुर में महात्मा जी से मिलने के लिए आवेंगे, अतएव उन्होंने महात्मा जी को वहां जाकर उनसे मिलने का अनुरोध किया। हम लोग समझ गये कि फिर अब सरकार की ओर से कुछ कार्रवाइयां होंगी, पर इस समय ऐसा भय नहीं था कि जांच रोक दी जावेगी।

इधर रैयतों की भीड़ नित्य बढ़ती ही गई। बिहार के कई जिलों से इजहार के काम में सहायता देने के लिए स्वयंसेवक आ पहुंचे और काम खूब जोरों से जारी रहा। बीच-बीच में बिहार के नेता लोग भी आ जाया करते थे। ता॰ ५-५-१७ को पटने से बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद बेतिया आये और कई दिनों तक वहां ठहरे रहे।

---

concern, known as the Turkaulia concern, having been completely burnt down by fire involving loss of thousands of rupees, and planters suspect it as case of incendiarism. What happened at the Conference between Mr Maude and Mr Gandhi has not yet transpired, but it is understood that Mr Gandhi would continue his enquiry."

भावार्थ—'इस सप्ताह में रांची में नीलवरों की एक डेपुटेशन गवर्नमेण्ट के पास गया था। कहा जाता है कि मि॰ गांधी तथा माननीय मि॰ मौड के बीच जो कान्फरेन्स निश्चित हुआ यह उसी का नतीजा है। डेपुटेशन ने सरकार के समक्ष यह पेश किया कि जो जांच मि॰ गांधी कर रहे हैं, उससे रैयतों के बीच बड़ी खलबली हो गई है। इसलिए या तो ऐसी जांच रोक देनी चाहिए अथवा सरकार की ओर से कमीशन नियुक्त होना चाहिए, जिसमें नीलवरों और रैयत दोनों के प्रतिनिधि रहें और जो खुले तौर पर जांच करें, यूरोपियन डिफेन्स एसोसियेशन मुजफ्फरपुर शाखा सभा की ओर से अपनी कलकत्ते की प्रधान समिति द्वारा भारत सरकार के पास एक इस विषय की दरख्वास्त भेजी गई है। इस बीच में मोतीहारी में खबर आई है कि तुर्कौलिया की कोठी ओलहा कोठी एकदम जलकर खाक हो गई जिससे हजारों रुपये की क्षति हुई है। नीलवर लोगों को सन्देह है कि यह आग किसी ने लगा दी है। मि॰ मौड के दरमियान क्या-क्या बातें हुईं, यह अभी तक नहीं मालूम हुआ है, पर ऐसा समझा जाता है कि मि॰ गांधी अपनी जांच जारी रखेंगे।

तेरहवाँ अध्याय

माननीय मि॰ मौड से भेंट

ता॰ ९-५-१७ को सवेरे की गाड़ी से महात्मा जी ने बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ माननीय मि॰ मौड से मिलने के लिए प्रस्थान किया। बाबू परमेश्वर लाल जो अभी तक बेतिया में थे साथ हो लिये। महात्मा जी के वहाँ जाने की खबर पहले ही फैल चुकी थी। रास्ते भर में प्रायः सभी स्टेशनों पर दर्शकों की वैसी ही भीड़, वैसी ही जयध्वनि, वैसी ही पुष्प-वृष्टि, जो महात्माजी की और यात्राओं में देखने में आई थी, फिर भी मिलती गई। सन्ध्या को ७ बजे महात्मा जी बाँकीपुर स्टेशन पर पहुँचे। उस समय वहाँ बड़े जोरों से पानी बरस रहा था, पर इस पर भी दर्शकों की भीड़ कम न थी। पटना के प्रायः सभी नेता और कई हजार मनुष्य स्टेशन पर महात्मा जी के स्वागत के लिए मौजूद थे। महात्मा जी मि॰ मजहरुलहक के मकान पर जाकर उतरे।

ता॰ १०-५-१७ को महात्मा जी की मि॰ मौड से भेंट हुई। प्रायः दो घण्टे की बात हुई। इसके एक दिन पूर्व ही मि॰ मौड चम्पारन के कलक्टर मि॰ हिकौक तथा बेतिया के मि॰ विटी और मि॰ लिविस इत्यादि को बुलाकर उनसे मिल चुके थे। महात्मा जी और मि॰ मौड में क्या बात हुई यह मालूम नहीं। पर इतना ज्ञात पड़ता है कि नीलवरों ने सरकार के कान खूब फूँके थे और विशेषकर महात्मा जी के सहकारियों पर बहुत आक्षेप किया था। सरकार को यह बात खूब समझा दी गई थी कि महात्मा जी के साथ जो वकील काम कर रहे हैं वे ही सब फसाद के मूल हैं और उन्हें वहाँ से अविलम्ब हटा देना चाहिए। पाठकों को स्मरण होगा कि बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के नाम से वे पहले ही से परिचित थे और बिहार व्यवस्थापिका सभा में रैयतों का पक्ष लेने के कारण उनसे नीलवर बहुत ही चिढ़े रहते थे। जब महात्मा जी से मि॰ मौड की भेंट हुई तो ऐसा ज्ञात पड़ता है कि उन्होंने और सब बातों के अलावा इस पर भी बड़ा जोर दिया कि इन लोगों को महात्मा जी चम्पारन से हटा दें। महात्मा जी ने सरकार को विश्वास दिलाया कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं वे राजनीति से किसी प्रकार की अशान्ति फैलाने वाले नहीं हैं और इसी कारण से उन्होंने उनको चम्पारन से हटा देने से एकदम इनकार किया। अन्त में स्थिर हुआ कि महात्मा जी अपनी जाँच की रिपोर्ट सरकार में जहाँ तक शीघ्र हो सके भेज दें और जाँच के काम में कुछ थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया जाय, परन्तु जाँच जारी रहे।

ता॰ ११-५-१७ को महात्मा जी पटने से बेतिया वापस आए। लौटने पर मि॰ मौड के कथनानुसार रिपोर्ट लिखने की तैयारी की जाने लगी। सब बयानों को देख-भाल कर

रैयतों की शिकायतों का निचोड़ निकालकर एक रिपोर्ट ता. १२-५-१७ को तैयार की गई। उस रिपोर्ट को पूरी-पूरी यहाँ दे देना उचित है क्योंकि पाठक उससे देख सकेंगे कि रैयतों के जो बयान थे वे जाँच कमेटी के सामने भी सरकारी अफसरों के इजहार से प्रायः अक्षरशः सत्य निकले। इस रिपोर्ट की प्रतियाँ जिले के सब कर्मचारियों तथा बतिया राज्य के मैनेजर और प्लान्टर्स एसोसिएशन के मन्त्री के पास भेज दी गईं। रिपोर्ट इस प्रकार थी—

In accordance with the suggestion made by Hon'ble Mr Maude I beg to submit herewith the preliminary conclusion which I have arrived at, as a result of the enquiry being made by me into the agrarian conditions of the *ryot* of Champaran.

At the outset I would like to state that it was not possible for me to give the assurance which Mr Maude would have liked me to have given *viz.*, that the vakil friends who have been assisting me would be withdrawn. I must confess that this request has hurt me deeply. It has been made ever since my arrival here. I have been told, *i.e.* after the withdrawal of the order of removal from the district that my presence was harmless enough and that my bona fides were unquestioned, but that the presence of the vakil friends was likely to create "a dangerous situation." I venture to submit that if I may be trusted to conduct myself decorously I may be equally trusted to chose helpers of the same type as myself. I consider it a privilege to have the association in the difficult task before me, of these able, earnest and honourable men. It seems to me that for me to abandon them is to abandon my work. It must be a point of honour with me not to dispense with their help until any thing unworthy is proved against them to my satisfaction. I do not share the fear that either my presence or that of any friends can create a "dangerous situation" the danger if any must be in the causes that have brought about the strained relation between the planters and the *ryots*. And if the causes were removed, there never need be any fear of "a dangerous situation arising in Champaran so far as the *ryots* are concerned.

Coming to the immediate purpose of this representation I beg to state that nearly 4,000 *ryots* have been examined and their statements taken after careful cross examination. Several villages have been visited and many judgements of courts studied. And the enquiry is in my opinion capable of sustaining the following conclusions.

Factories or concerns in the District of Champaran may be divided into two classes

() Those that have never had indigo plantations and (ii) those that have.

(i) The concerns which have never grown indigo have exacted *abwabs* known by various local names equal in amount at least to the rents paid by the *ryots* This exaction although it has been held to be illegal has not altogether stopped.

(ii) The Indigo growing factories have grown indigo either under the *Tinkathia* system of *Khuski*. The former has been most prevalent and has caused the greatest hardship. The type has varied with the progress of time. Starting with indigo it has taken in its sweep all kinds of crops It may now be defined as an obligation presumed to attach to the *ryots* holding whereby the *ryots* have to grow a crop on 3/20th of the holding at the will of the landlord for a stated consideration. There appears to be no legal warrant for it. The *ryots* have always fought against it and have only yielded to force. They have not received adequate consideration for the services. When, however owing to the introduction of synthetic indigo the price of the local product fell, the planters desired to cancel the indigo *Sattas* They therefore, devised means of saddling the losses upon the *ryots*. In lease-hold lands they made the *ryots* pay *Tawan*, *i.e.* damages, of the extent of Rs. 100 per bigha in considera tion of their waiving their right to Indigo Cultivation. This the *ryots* claim was done under coercion. Where the *ryots* could not find cash, hand notes, and mortgage deeds, were made for payment instalments bearing interest at 12 per cent per annum. In these the balance due has not been described as *Tawan*, *i.* damage, but it has been fictitiously treated as an advance t the *ryots* for some purpose of his own.

In Mokarrari land the damage has taken the shape of *Sharah beshi sattas* meaning enhancement of rent in lieu of indigo cultivation. The enhancement according to survey report has in the

case of 5,955 tenancies amounted t Rs. 31 062 the pre-enhancement figure being Rs. 53 865 The total number of tenancies affected is much larger The *ryots* claim that these *Sattas* were taken from them under coercion It is inconceivable that the *ryots* would agree to enormous perpetual increase their rents against freedom from liability to grow indigo for temporary period which freedom they were strenuously fighting to secure and hourly expectings.

Where *Tawan* has not been exacted the factories have forced the *ryot* to grow oats, sugarcane or such other crops under the *Tinkathia* system.

Under the *Tinkathia* system the *ryot* has been obliged to give his best land for the landlord crops some cases the land in front of his house has been so used he has been obliged to gi e his best time and energy also to it so th t very little time has been left to him for growing his own crops—his means f livelihood.

Cart-hire *Sattas* have been forcibly taken from the *ryots* for supplying carts to th factories on hire insufficient even to cover the usual outlay Inadequate wages have been paid to the *ryots* whose labour has been impressed and even boy of tender age have been mad to work against their will.

Ploughs of the *ryots* have been impressed and detained by the factories for days together for ploughing factory lands for a trifling consideration and t time when they have required them for cultivating their own lands.

Dasturi has been taken by the notoriously ill paid factory *Amlas* out of the wages recei ed by the labourers often amounting to the fifth of their dail wages and also out of the hire paid for the carts and in some villages the *chamars* have been forced to give up to the factories the hides of the dead cattle belonging to the *ryots* Against the carcases th *chamars* used to supply the *ryots* with shoes and leather strap for ploughs, and their women used to render services to the latter' families at childbirth. Now they ha e ceased to render these valuable services. Some factories have for the collec tion of such hides opened hide-godowns.

Illegal fines—often of heavy amounts have been imposed by factories upon *ryots* who ha e proved unbending

Among the other according to the evidence before me) methods adopted to bend the *ryots* to their will the planters have impounded

the *ryot's* cattle, posted peons on their houses, withdrawn from them barber's, dhobi's, carpenter's, and smith's services, have prevented the use of village wells and pasture lands by ploughing up the pathway and the land just in front of or behind their homesteads, have brought or promoted civil suits or criminal complaints against them and resorted to actual physical force and wrongful confinements. The planters have successfully used the institutions of the country to enforce their will against the *ryots* and have not hesitated to supplement them by taking the law in their own hands. The result has been that the *ryots* have shown an abject helplessness such as I have not witnessed in any part of India where I have travelled.

They are members of District Board and Assessors under the Chaukidari Act and keepers of pounds. Their position as such has been felt by the *ryots*. The roads which the latter pay for at the rate of half an anna per rupee of rent paid by them are hardly available to them. Their carts and bullocks which perhaps most need the roads are rarely allowed to make use of them. That this is not peculiar to Champaran does not in any way mitigate the grievance. I am aware that there are concerns which form exceptions to the rule laid down but as a general charge the statement made above are capable of proof.

I am aware too that there are some Indian Zamindars who are open to the charges made above. Relief is sought for in their cases as in those of the planters. Whilst there can be no doubt that the latter have inherited a vicious system, they with their trained minds and superior position have rendered it to an exact science so that the *ryot* would not only have been unable to raise their head above water but would have sunk deeper still had not the Government granted some protection. But the protection has been meagre and provokingly slow and has often come too late to be appreciated by the *ryot*.

It is true that the Government await the settlement officers report on some of these matters covered by the representation. It is submitted that when the *ryots* are groaning under the weight of oppression such as I have described above an inquiry by the settlement officer is a cumbersome method. With him the grievances mentioned herein are but an item in an extensive settlement operation. Nor does his inquiry cover all the points raised here. More-

over grievances has been set forth which are not likely to be disputed. And they are so serious as to require an immediate relief.

That *Tawan* and *Sharah-beshi sattas* and *abwabs* have been exacted can not be questioned. I hope it will not be argued that the *ryots* can be fully protected to as t these by recourse of law It is submitted that where there is wholesal exaction, courts are not sufficient protection for the *ryots* and the administrative protection of the *sircar* as the supreme landlord is an bsol t necessity

The wrongs are two-fold. There are wrongs which are accomplished fact and wrongs which continue. The continuing wrongs need to be stopped atonce and small inquiry may be made as to past wrongs such a damages nd *abwab* already taken and *Sharah-beshi* payment already made. The *ryots* should be told by proclamation and notices distributed broadcast among them that they are not only not bound t pay *abwab* *Tawan* and *Sharah-beshi* charges but that they ought not to pay them that the *sircar* will protect them if any ttempt is made t enforce payment thereof. They should further be informed that they are not bound to render any personal services to their landlords and that they are free to sell their services to wherever they choose and that they are not bound to grow indigo, sugarcane or any other crop unless they wish to do so and unless it is profitable for them. The Bettiah Raj leases given to the factories should not renewed until the wrongs are remedied and should, when renewed, properly safeguard *ryots'* rights.

As the *Dastoori* it is clear that better paid and educated men should substitute the present holders of responsible offices and that no countenance should be given to the diminution in *ryots* wages by illegal exaction of *Dastoori*. I feel sure that the planters are quite capable of dealing with the evil although it is in their language "as old as the Himalayas

The *ryots* being secured in their freedom it would be no longer necessary to investigate the question of inadequacy or otherwise of the consideration in the indigo *satta* and cart-hire *sattas* and the wages The *ryots* by common agreement should be advised to finish indigo or other crops for the current year But henceforth whether t is indigo or any ther crop it should be only under a system of absolute free will

It will be observed that I have burdened the statement with

के साथ काम कर सकता हूँ तो उसी प्रकार मुझ पर विश्वास करना चाहिए कि मैं अपने लिए उपयुक्त सहायक भी चुन सकता हूँ। जो महान् कार्य मेरे सामने है उसमें इन योग्य व मशहूर तथा मान्य सज्जनों की सहायता पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उनको छोड़ देना अपने इस कार्य को ही छोड़ देना है। मेरे लिए यही उचित है कि जब तक इन भाइयों के विरुद्ध कोई अयोग्य बात साबित नहीं की जाय तब तक इन्हें अलग न हटाऊँ। मुझे इस बात का कुछ भी भय नहीं है कि मेरे या मेरे साथियों के रहने से यहाँ की अवस्था भयंकर हो जायगी। यदि कोई भय की बात है तो वह उन कारणों से ही है जिनसे रैयत और नीलवरों के बीच वैमनस्य हो गया है और यदि वह कारण दूर किए जायँ तो कभी भी चम्पारन में शान्ति के सम्बन्ध में किसी भयंकर अवस्था के उपस्थित होने की सम्भावना नहीं हो सकती।

अब जो विषय विचारणीय है उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि अब तक प्राय ४ रैयतों का इजहार लिया गया है और कड़ी जिरह के बाद उनके बयान लिये गये हैं। हम लोगों ने कई एक गाँवों को देखा है और अदालत के फैसले भी पढ़े हैं। हमारी जाँच से निम्नलिखित बातें साबित हुई हैं—

चम्पारन में दो प्रकार की कोठियाँ हैं, पहली वे जिन्होंने कभी नील नहीं किया और दूसरी वे जो नील करती हैं।

(१) उन कोठियों ने जिन्होंने नील नहीं किया है कितने प्रकार के अबवाब वसूल किये हैं जो कम से कम उनकी असल मालगुजारी की रकम के बराबर है यद्यपि अबवाब का वसूल करना नाजायज ठहराया गया है तथापि बिलकुल बन्द नहीं हुआ है।

( ) नील की कोठियों में जिन दो प्रकारों से नील कराये हैं वे तीन-कठिया की प्रथा और खुश्की है। तीन-कठिया की प्रथा अधिक प्रचलित है और यह बहुत कष्ट का कारण हुआ है। समयानुकूल इसकी सूरत बदलती गई है। आरंभ में इसके द्वारा केवल नील ही कराया जाता था पर पीछे इसी रीति से प्रायः अन्य सभी प्रकार की फसल भी तैयार कराई जाने लगी है। इस प्रथा के अनुसार ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक रैयत की जोत पर इसकी पाबन्दी है कि वह अपनी जोत के हिस्से में मालिक की ख्वाहिश के मुताबिक कोई फसल पैदा करे और उसके लिए एक नियत दाम पावे। इसका कोई कानून नहीं जान पड़ता है। रैयत लोग इसका बराबर विरोध करते आए हैं और यह उनसे बलात् स्वीकार कराया गया है उनको इसके लिए पूरी मजदूरी नहीं दी गई है। जब बनावटी न के कारण दाम गिर गया तो नीलवरों ने नील के सट्टों को रद्द कर देना चाहा और इसलिए माल के कारण जो उनका नुकसान हुआ था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने रैयतों की जोत पर तरह तरह के नाजायज टैक्सों का बोझा लाद देने का उपाय सोच निकाला। ठेके के गाँवों में उन्होंने रैयतों से तावान वसूल किया अर्थात् नील बोने की पाबन्दी से छुटकारा देने के बदले रैयतों से बीघा पीछे १ रुपये तक वसूल किये। रैयतों का कहना है कि वह

जबरदस्ती वसूल किया गया। जब रैयतों के पास से नकद वसूल न हो सका था उससे १२ रुपये सैकड़े के महाजनी सूद के साथ हैंडनोट और रेहननामा लिखवा लिये गये।

इन वसीकों में तावान का कोई जिक्र न लिखकर यह गलत बात लिखी गई कि उनके रुपये रैयतों ने अपनी जरूरियात के लिए नकद लिये हैं।

मुकर्ररी गाँवों में रैयतों से शरहबेशी सट्टा लिखवा लिये गये हैं अर्थात् नील से छुटकारा देने के बदले में उनकी मालगुजारी बढ़ा दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ५ ९५५ खातों पर जिनकी इजाफा के पहले की मालगुजारी ५३ ८६५ रु थी ३१ ६२ रु इजाफा कर दिया गया है पर उससे कहीं अधिक खातों की मालगुजारी बढ़ा दी गई है। रैयतों का कहना है कि ये सट्टे उनसे जबरदस्ती लिये गये हैं। यह समझ में नहीं आता कि रैयत बिना दबाव के मेहमान नील से छुटकारा पाने के लिए अपनी मालगुजारी में इतना इजाफा खुशी से कैसे कबूल कर लेंगे जब कि वह बराबर से इसके लिए लड़ते आये और समझते थे कि अब वह शीघ्र उससे छुटकारा पाने वाले हैं।

जिन कोठियों ने तावान वसूल नहीं किया है वहाँ उन्होंने रैयतों से बलात् जई ऊख और दूसरी फसल तीन-कठिया प्रथा से तैयार कराई है।

तीन-कठिया प्रथा के अनुसार अपनी सबसे अच्छी जमीन रैयत को कोठी को दे देनी पड़ती है। कहीं-कहीं उनके निकसार की जमीन भी इसके लिए ले ली गई है। उन्हें अपने सबसे बहुमूल्य समय तथा अपनी मेहनत उन खेतों की आबादी के लिए देनी पड़ती है और इस कारण अपनी अन्य फसलों की आबादी के लिए जो उनकी जीविका के आधार हैं बहुत कम समय बचता है।

रैयतों से गाड़ी के लिए सट्टा जबरदस्ती लिखवा लिया गया है और कोठी मजदूरी इतनी कम देती है कि उससे खर्च भी नहीं चल सकता।

रैयतों से बहुत कम मजदूरी पर काम जबरदस्ती लिया जाता है और छोटे-छोटे बच्चों से भी उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जाता है।

कोठी रैयतों के हल बैल को अपनी जमीन जोतने के लिए एक साथ कई दिनों तक जबरदस्ती रख लेती है और सिर्फ नाममात्र की मजदूरी देती है और जिस समय रैयतों को अपने हल-बैल की जरूरत रहती है उस समय कोठी उन्हें अपने लिए रोक रखती है।

जो मजदूरी मजदूरों को दी जाती है उसमें से कोठी के कम तनख्वाह पाने वाले अमले दस्तूरी काट लेते हैं कभी-कभी ये मजदूरी का पाँचवाँ हिस्सा दस्तूरी में ले लेते हैं।

कितने ही गाँवों में चमारों को मृत जानवरों की खाल कोठी को दे देने के लिए बाध्य किया जाता है। उन्हीं चमड़ों के बदले में चमार रैयतों का जूता और हल बाँधने के लिए चमौटी दिया करते थे उनकी स्त्रियाँ प्रसव के समय काम किया करती थीं। अब चमारों ने यह सब बन्द कर दिया है। कई कोठियों ने इन चमड़ों का इकट्ठा करने के लिए चमड़े का गोदाम खोल दिया है।

बहुत सी एसी आपत्तियां का भी ऊपर उल्लेख किया गया है जिनके विषय में कोई संदेह हो ही नहीं सकता है । और वे ऐसी है जिनसे तुरन्त छुटकारा दिया जाना चाहिए ।

इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि तावान और शरहबेशी के सट्टे रैयतों की इच्छा के विरुद्ध लिखवाये गये है तथा उनसे अबवाब वसूल किये गये है । मै आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं कहा जायगा कि इनके विषय में कानून के अनुसार रैयत अपनी रक्षा कर सकते है । मेरा निवेदन है कि जहाँ तमाम जिले के साथ जबरदस्ती की गई है वहाँ केवल अदालत ही से रैयत की हिफाजत नहीं हो सकती और सरकार को जो सब जमींदारो की भी मालिक है इस विषय में अपने अधिकार से उनकी रक्षा करनी आवश्यक है ।

बुराइयाँ दो प्रकार की है—एक वे जो हो चुकी है और दूसरी वे जो दिन प्रतिदिन होती जा रही है । दूसरे प्रकार की बुराइयों को अविलम्ब रोक देना उचित है और बीती हुई बुराइयों के विषय में काफी जाँच होनी चाहिए जैसे कि अबवाब हरजा और शरहबेशी के विषय में जो अब तक किये जा चुके है । रैयतो को नोटिस भेजकर और व्याख्या देकर बता देना चाहिए कि उनका केवल अबवाब तावान और शरहबेशी देने की कोई पाबन्दी ही नहीं है वरन् उसे देने की मनाही है और यदि वसूल करने का कोई जोर करेगा तो सरकार उन्हें उससे बचावेगी । उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि उनको मालिक के लिए मजदूरी करने की कोई पाबन्दी नहीं है और वे जहाँ चाहें मजदूरी कर सकते है । नील उसे अथवा और कोई फसल अपनी इच्छा के विरुद्ध और बिना मुनाफे के वे करने के लिए बाध्य नहीं है । बेतिया राज्य की ओर से कोठियो को ठेका उस समय तक न दिया जाय जब तक वे बुराइयाँ को न हटा दवें और जब तक रोका दिया जाय तो उसमें रैयतो के हकूक बचाव के लिए शर्त रखे ।

दस्तूरी के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि अधिक तनखाहवाले और शिक्षित लोग दायित्व के स्थान पर रख जायें और दस्तूरी काटने के दस्तूर को रोक दिया जाय । मुझे विश्वास है कि यदि नीलवर चाहे तो उसे तुरन्त हटा सकते है यद्यपि वे दावा करते है कि यह प्रथा उतनी ही पुरानी है जितना कि हिमालय पहाड़ ।

जब रैयतो को इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी तो इस विषय की खोज करने की आवश्यकता न रह जायगी कि उन्हें नील और गाड़ी के सट्टे के लिए मजदूरी काफी मिलती है या नहीं । नील अथवा दूसरी फसल जो इस समय खेत में लगी है उसे रैयतो को तैयार कर बन की सफाई सबको मिलकर देनी चाहिए । पर इसके बाद चाहे नील हो अथवा दूसरी कोई फसल रैयत अपनी भूमि में चाहे तो करे या न करे ।

यह बोध पड़ेगा कि मैंने इस पत्र में जहाँ तक हो सका है कोई सबूत नहीं पेश की है पर यदि सरकार यह चाहे कि मै अपने बयान की हुई किसी बात का साबित कर दूं तो मैं अपना सबूत पेश कर दूँगा ।

अन्त में यह कह देना चाहता हूँ कि मैं किसी प्रकार नीलवरों का विघ्न बुलाना नहीं

चाहता। उन्होंने मेरे साथ बराबर अच्छा व्यवहार किया है। मेरा विश्वास है कि रैयतों पर बहुत जुल्म हो रहा है जिससे उनको शीघ्र छुटकारा मिलना चाहिए। और इसी विचार से मैंने जहाँ तक शान्तभाव से हो सका है उस प्रथा की आलोचना की है जिसके अनुसार नीलवर काम कर रहे हैं। मैं इस कार्य में इस पूर्ण विश्वास के साथ प्रवृत्त हुआ हूँ कि नीलवर अंगरेज होने के कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को आनन्द से भोगते आए हैं और वही स्वतन्त्रता रैयतों को देने में वे अपने कर्त्तव्य-पालन से विमुख न होंगे।

मैं इसकी नकल तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर, चम्पारन के कलक्टर, बेतिया के सब-डिवीजनल अफसर, बेतिया राज्य के मैनेजर, बिहार और चम्पारन के प्लान्टर्स एसो-सिएशन के मंत्री तथा उन भारतीय नेताओं के पास जो मेरे और मेरे सहयोगियों के कार्य की खबर रखते हैं भेज रहा हूँ। इन प्रतियों पर लिख दिया है कि ये प्रकाशित न की जायें क्योंकि इन विषयों पर जब तक ऐसी आवश्यकता न आ पड़े खुल्लमखुल्ला आलो-चना कराने की मेरी इच्छा नहीं है। इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार जब और जहाँ मुझे खोजेगी मैं हाजिर रहूँगा।

एम. के. गांधी

चौदहवाँ अध्याय

नीलवरों की घबराहट

पटने से लौटने के बाद दस्तखारों के लिखने के काम में कुछ परिवर्तन हो गया। अब तक सब रैयतों के बयान पूरे-पूरे लिये जाते थे और इस प्रकार प्रायः चार हजार रैयतों के बयान लिखे जा चुके थे। अब कुछ शिकायतों की एक प्रकार की सूची तैयार कर ली गई और पूरा-पूरा बयान लिखने की जरूरत नहीं रही। इसलिए अब से रैयतों के बयान खूब संक्षेप में लिखे जाने लगे। इससे कुछ काम हलका पड़ गया और सब सबूतों को भली भाँति देखने का समय कुछ सहायकों को मिलने लगा।

इधर नीलवर और उनके पक्षपाती घबरा रहे थे और महात्मा जी के काम में पग पग पर बाधा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे और रैयतों को उनके पास जाने से रोकते थे। पर अब रैयतों की वह हालत न थी कि बात की बात में कोठियों की जरा-सी धमकी पर वे भयभीत हो जायें। सैकड़ों वर्षों से पददलित रैयत अब समझने लगे कि यदि इस अवसर पर उनका उद्धार न हुआ तो वे बराबर के लिए उसी अवस्था में पड़े रहेंगे। महात्मा जी के साहस और कार्य को देखकर उनके मन में उत्साह आ गया था। नीलवरों के रोकने से वह अब रुक सकते थे।

बेतिया की धर्मशाला के दोमहले पर एक बहुत छोटा-सा कमरा था। महात्मा जी उसी में रहा करते थे। उनके सहकारी नीचे ठहरकर बयान लिखते अथवा जो काम होता किया करते थे। रैयतों की भीड़ रोजाना इस प्रकार बनी रहती थी कि काम करना कठिन हो गया था। बाहर का फाटक बंद कर दिया जाता था। केवल उन्हीं रैयतों को महात्मा जी के पास पहुँचाया जाता था जिनके बयान में कुछ विशेषता रहती थी अथवा जिनको अन्य कार्यों से उनसे मिलना आवश्यक समझा जाता था। पर रैयत अपना बयान ही देकर सन्तुष्ट न होते थे वे महात्मा जी का दर्शन बिना किये घर नहीं लौटते थे। इसलिए प्रतिदिन सन्ध्या समय फाटक खोल दिया जाता था और सब लोग धर्मशाला की विशाल छत पर जाकर महात्मा जी का दर्शन करते थे। उस समय सीढ़ियों पर से जाना कठिन हो जाता था।

महात्मा जी नीलवरों के आन्दोलन को खूब समझते थे और वे भी उचित उपाय सोचते और करते जाते थे। जब-जब जरूरत समझते सरकारी कर्मचारियों को सब बातों की खबर देते और भारत भर के नेताओं का चम्पारन की सब बातों से सूचित रखते थे। समय-समय पर वहाँ की स्थिति पर रिपोर्ट लिखकर सबों के पास भेज दिया करते थे और जिस प्रकार की सहायता की जरूरत पड़ती थी उनसे माँगते थे या उस प्रकार की

मदद के लिए तैयार रहने को लिख देते थे। साथ ही इन सब बातों में से एक भी समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होने पाती थी क्योंकि महात्मा जी का मतलब रैयतों का दुःख दूर करना था आन्दोलन नहीं। तिस पर भी नीलवर उस अन्याय और अत्याचारजनक लाभ की सम्भावित हानि देखकर उनके काम में हर प्रकार से बाधा देने की चेष्टा करते थे।

सरकार में महात्मा जी की रिपोर्ट भेजने पर जिले के अफसरों सेटलमेन्ट अफसर और नीलवरों से ता० १०-६-१७ तक उस रिपोर्ट पर सम्मति मांगी। पर बीच ही में नये गुल खिलने लगे। नीलवर इतने चुप क्यों रहने वाले थे। ता० ११-५-१७ का एसोसिएटेड प्रेस का भेजा हुआ एक तार, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ जिसमें लिखा था कि तुर्कौलिया कोठी की एक शाखा ओलहा कोठी जल गई है जिससे कोठी को कई हजार की नुकसानी हुई है। नीलवर समझते हैं कि यह आग किसी ने लगा दी है।

बेतिया से कुछ दूर पर बेलवरगहा एक कोठी है। वहां के मैनेजर मि० ए० के० होल्टम (Mr A. K. Holttum) हैं। उन्होंने महात्मा जी से कहा था "यदि आप चाहें तो मेरे देहातों को देख सकते हैं वहां रैयतों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जो-जो शिकायतें आपके निकट की गई हैं वे एकदम झूठी हैं। उन्होंने मि० लिविस से भी ऐसा ही कहा। निश्चय हुआ कि ता० १६-५-१७ को महात्मा जी बेलवरगहा कोठी के पास सरिसवा गांव में जहां एक बाजार भी लगता है जायेंगे। पाठक को इस बात का स्मरण दिला देना भी उचित है कि मि० होल्टम वही महाशय हैं जिनकी रैयतों को शिकायत थी कि शरहबेशी लिखा देने के बदले उन्होंने उन सब रैयतों के साथ थोड़ी-थोड़ी जीरात की जमीन बन्दोबस्त कर दी थी और उस जमीन की मालगुजारी के साथ शरह बेशी करने पर जितनी मालगुजारी बढ़ सकती थी वह भी जोड़ दी गई थी।

ता० १६-५-१७ को महात्मा जी लेखक और प्रोफेसर कृपलानी (जो अब मुजफ्फरपुर कालिज से जवाब पाकर महात्मा जी के पास चले आये थे और हम लोगों को चम्पारन के काम में सहायता कर रहे थे।) प्रभृति को साथ लेकर बेलवरगहा के लिए रवाना हुए। बेतिया से हम लोग बहुत सवेरे चले। सवारी साथ थी पर सब किसी का पैदल ही चलने का विचार हुआ। हम लोग सरिसवा बाजार जो बेतिया से प्रायः ८ मील की दूरी पर है ८ बजे दिन को पहुंच गये। वहां हम लोगों के पहुंचने के पूर्व ही से रैयतों की भीड़ लग गई थी। रास्ते में कुछ रैयतों ने आकर कहा कि साहब कुछ ऐसे आसामियों को अपने साथ तैयार करके लाये हैं जो यह कहेंगे कि वहां सब लोग सुखी हैं रैयतों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है इत्यादि। हम लोग यह सब बात सुनते गये।

वहां पहुंचकर महात्मा जी ने स्नान किया। हम लोग अभी स्नानादि कर ही रहे थे कि इतने ही में मि० होल्टम भी आ गये। एक ओर से बगीचे में लोग इकट्ठे हुए। लगभग

दो-तीन सौ रैयत वहाँ मौजूद थे। महात्मा जी और मि. होल्टम में बातें हो ही रही थीं कि इतने में मि. लिविस भी हवाई गाड़ी पर आ पहुँचे। मि. होल्टम ने महात्मा जी को कुछ कागज-पत्र दिखलाया और कहा कि जो शिकायत सरहबेशी के विषय में रैयतों ने की है वह बिल्कुल गलत है। हमने अपनी जीरात को रैयतों के साथ जबरदस्ती बन्दोबस्त नहीं किया है। रैयतों ने बहुत कह-सुनकर हमसे जीरात की जमीन ली है। मेरा इसमें कुछ भी लाभ नहीं है। जितना वे देते हैं उससे कहीं अधिक मैं उस जमीन से पैदा कर सकता हूँ और यदि रैयत चाहें तो जीरात की जमीन से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ बहुत से ऐसे रैयत भी हैं जो कोठी से बहुत खुश हैं। चन्द रैयतों ने जो महात्मा जी से शिकायत की है वह केवल दूसरों के बहकाने से की है। यह कहकर उन्होंने एक बहुत बूढ़े रैयत को जिसकी अवस्था ७०-८० वर्ष के लगभग होगी दिखाकर कहा कि इस इलाके में इस बूढ़े से बढ़कर प्रतिष्ठित रैयत कोई भी नहीं है इसी से आप सब बातें सच्ची-सच्ची पूछ सकते हैं। महात्मा जी ने उस बूढ़े से पूछा कि क्यों कोठी से तुम्हें कुछ कष्ट या दुःख है? उसने झट कहा कि नहीं सरकार! सब लोगों को कोठी से बहुत सुख है और उससे हर प्रकार का आराम मिलता है। हुण्डा बन्दोबस्त भी सभी ने अपनी खुशी से किया है। बस उस बूढ़े का यह कहना था कि वहाँ जितने रैयत इकट्ठे थे मारे क्षोभ और दुःख के अधीर हो उठे। वे चिल्लाकर कहने लगे कि यह बूढ़ा कोठी की तरफदारी करने वाला है इसे साहब लिवाकर ले आये हैं और वे बूढ़े को पुकार-पुकारकर कहने लगे कि इस बुढ़ापे में तुम असत्य भाषण कर यह पाप की ढेर क्यों बटोर रहे हो? तुम्हारे मरने का समय आ गया है अब भी तो ईश्वर का स्मरण करके एक बार सब बातें सच-सच कह दो। उस समय इतनी अधिक खलबली मच गई कि कुछ समय उस हलचल को शान्त करने में ही लगा। कुछ-की-सी बातें लगभग १५ और रैयतों ने भी कहीं। महात्मा जी ने और रैयतों से पूछा तो वे सब के सब इन सब बातों का प्रतिवाद करने लगे। महात्मा जी ने कहा कि साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने उनसे बहुत कह-सुनकर हुण्डा बन्दोबस्त लिया है और यदि तुम को यह पसन्द नहीं है तो जीरात की जमीन को तुम लोग इस्तीफा दे सकते हो। इतना सुनते ही सब रैयतों ने एक स्वर से कह दिया कि हम सब जीरात छोड़ देंगे उसकी जरूरत नहीं साहब उससे जो चाहें पैदा करें हम कुछ आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही मि. होल्टम बहुत घबराये। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं इन लोगों से नील करवाऊँगा। महात्मा जी ने मुस्कराकर उत्तर दिया कि अभी आपने कहा है कि इस हुण्डा बन्दोबस्त से नील का कुछ सम्बन्ध नहीं है और यह कि आप इस जमीन को अपनी आबादी में लाकर इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं। ऐसी हालत में आपके लिए लाभ और यश दोनों की बात यह होगी कि आप इस जमीन को वापिस ले लीजिए और इन रैयतों को इससे मुक्त कर दीजिए। इस पर मि. होल्टम ने कहा कि आखिर मुझे भी तो रहना है (I have also to live.)।

रैयतों में इस प्रकार की निर्भीकता आ गई थी कि वे मि० विटिस की भी शिकायत उनके सामने करने लगे। यह दृश्य चम्पारन के लिए अपूर्व दृश्य था। कौन जानता था कि जो रैयत साहब के जमादार या बराहिल के डर के मारे घर में घुस जाते थे और सब दुःखों और अत्याचारों को बिना मुँह खोले घोंटकर पी जाते थे वे ही आज कोठी के साहब के सामने इस प्रकार उन पर दोषारोपण कर सकेंगे। यही नहीं वरन् सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की शिकायत उनके मुँह पर कर सकेंगे। हम लोग इन सब बातों को देखकर चकित रह गये।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और मि० हौल्टम के चले जाने पर महात्मा जी की आज्ञानुसार उन रैयतों के नाम लिखे गये जिनको हुण्डा जमीन रखने की ख्वाहिश नहीं थी। नाम लिखने-लिखाने की चर्चा हो गई तो भी सब नाम नहीं लिखे जा सके। शाम को ५ बजे के बाद हम लोग वहाँ से बेतिया के लिए रवाना हुए। मि० हौल्टम ने महात्मा जी से पुछवा भेजा था कि यदि उनको इसमें आपत्ति नहीं हो तो वे अपनी गाड़ी उनके वास्ते भेज दें। महात्मा जी ने उनकी बात मंजूर कर ली और उसी गाड़ी पर वहाँ से वापस आये। रात को लगभग ९ बजे हम लोग बेतिया आ पहुँचे।

बेलवाड़ा और कुड़ियरिया कोठियाँ दोनों एक ही मालिक की हैं और मि० हौल्टम ही इन दोनों के मैनेजर हैं। वह प्रायः कुड़ियरिया ही में रहा करते हैं। ता० १०-५-१७ को इन दोनों कोठियों के रैयतों की बड़ी भीड़ बेतिया में जमा हुई। वे सब जीरात का इस्तीफा देने के लिए आये थे। उन सबों के भी नाम लिख लिये गये। जो पढ़-लिख सकते थे उनके दस्तखत और जो बेपढ़े थे उनके अँगूठे के निशान ले लिये गये। महात्मा जी ने एक पत्र जिसमें उस दिन की सारी घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन था लिखकर मि० हौल्टम के पास भिजवा दिया और जिन रैयतों ने इस्तीफा दिया था उनकी नामावली भी भेज दी। पाठक को यहाँ यह बात बता देना बहुत जरूरी है कि उस साल की सारी मालगुजारी रैयतों से वसूल हो चुकी थी और आज खेतों में असवार भी लगी हुई थी। परन्तु रैयत उसको छोड़ देने के लिए और हुण्डा से अपनी जान बचाने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने खेतों के साथ ही असवार को भी साहब को वापस कर दिया। प्रायः ५ से अधिक रैयतों ने इस प्रकार दो दिनों के भीतर ही जीरात जमीन से इस्तीफा दे दिया। इस पर भी कहा जाता है कि उन्होंने उनको अपनी खुशी से लिया था।

ता० १८-५-१७ की रात को बेलवाड़ा कोठी के एक छोटे-से मकान में आग लग गई और वह जल भी गया। रैयतों ने तुरत आकर महात्मा जी से कहा कि यह आग कोठी में स्वयं लगाई गई है और यह हम लोगों के फँसाने का एक ढंग रचा गया है। महात्मा जी ने शीघ्र ही बाबू विन्ध्यवासिनी प्रसाद वर्मा को वहाँ जाकर सब बातों की अच्छी तरह से देख-भाल कर जहाँ तक हो सके सच्ची बात का पता लगाने के लिए भेज दिया। इसके बाद उनकी रिपोर्ट और रैयतों का बयान सरकारी अफसरों के पास भेज दिया गया।

हमारा विश्वास है कि यह आग रैयतों ने कभी नहीं लगाई थी। हम लोग समझते थे कि आग लगने का कारण चाहे जो हो परन्तु नीलवर इस विषय में खूब ही धूम मचायेंगे। इसके पूर्व ही एसोसिएटेड प्रेस का तार पढ़कर महात्मा जी ने ता० १४-५-१७ को ओल्हा-कोठी के जल जाने के विषय में एक पत्र मि० हिकौक के पास भेजा था जिसके उत्तर में उन्होंने उस जली कोठी का विवरण लिखा और कहा कि आपके इस जिले में आने के कारण बहुत हलचल है इसी से लोग आपके विषय में तरह-तरह की अफवाह उड़ा दिया करते हैं।[1]

ता० १५-७-१७ को दस बजे रात के समय महात्मा जी अपने सहकारियों के साथ

---

[1] महात्माजी और मि० हिकौक के दरमियान जो इस विषय में पत्र-व्यवहार हुआ वह इस प्रकार है—

Dear Mr. Heycock

I beg to refer you to the enclosed. All kinds of rumour have come before me. Pressure is being put upon me to take a statement. But I do not want to make any unauthorised statement. Will you kindly let me know for purpose of publication, the damage caused by the fire, the nature of the out work burnt, whether it was inhabited or otherwise protected and whether any connection has been shown between my presence in Champaran and the fire.

I am sending a special messenger who will await answer.

Bettiah
14th May 1917

Yours Truly
M. K. Gandhi

इसका उत्तर मि० हिकौक ने महात्मा जी के पास इस प्रकार भेजा—

Dear Mr. Gandhi

Your letter of the 14th May 1917. I am able to give you the following information—

Olha factory is an out-work of the Turkaulia concern. The buildings burnt down were the engine room, press house, and cake house. The value of the building has been roughly estimated at Rs. 20,000 but this is only rough estimate. No Manager or Assistant Manager is in residence at the out work. There are however factory servants to look after the buildings. The out-work is situated about 20 miles south-east of Motihari.

The fact that the buildings were burnt down shortly after you came to the District and that your line of enquiry has caused considerable excitement etc. may possibly account for the rumours of all kinds which you say have come before you.

Motihari
14th May 1917

Yours Sincerely
W. B. Heycock.

बैठकर कुछ बात कर रहे थे कि एक आदमी बेल बाला कोठी के देहात से आया और कहा "मैं परसौनी गाँव का कुछ हिस्सा रखनेवाला मालिक हूँ। उस गाँव के दूसरे हिस्सेदारों ने अपने हिस्से को कोठी के साथ ठेका लिख दिया है किन्तु मैं अपना हिस्सा नहीं लिखता हूँ इसलिए कोठी मुझ पर बहुत जोर जुल्म करती है और आज तैयारी इस बात की कर रही है कि उस गाँव म जो मेरी एक छोटी-सी कचहरी है वह लूट ली जाय।" यह सुनकर महात्मा जी ने लेखक तथा प्रोफेसर कृपलानी को आज्ञा दी कि वहाँ बहुत शीघ्र जाकर सब बातों की जाँच करो कि यह कहाँ तक सच है। पुलिस सब-इन्सपेक्टर को इस बात की सूचना उसी रात को दे दी गई कि यदि वह जाना चाहें तो हम लोगों के साथ चल सकते हैं। हम लोग रात में ही रवाना हो गये। परसौनी बेतिया से १०-१५ मील की दूरी पर है और सब से नजदीक रेलवे स्टेशन गोखला है। वहाँ से ८ मील पैदल जाना पड़ता है हम लोग गोखला दूसरे दिन आठ बजे सबेरे उतर और परसौनी गाँव म प्रायः १ बजे पहुँचे। बतिया के सब-इन्सपेक्टर हम लोगों के साथ नहीं गए किन्तु वह गाँव जिस थाने में था उस थाने के दारोगा को इस बात की सूचना भेज दी गई। हम लोगों के पहुँचते ही दारोगा जी भी पहुँच गये। हम लोगों म वहाँ जाकर बहुत से रैयतों का इजहार लिया कोठी के मुलाजिमों ने भी जो कुछ कहा लिख लिया गया। वहाँ दारोगा जी बराबर उपस्थित रहे। लोगों को समझा-बुझाकर शाम को हम लोग उस गाँव से रवाना हुए और ११ बजे रात को गोखला स्टेशन पर आये और दूसरे दिन ता० १९-५-१७ को ९ बजे सुबह में बेतिया पहुँचे।

इन सब कार्रवाइयों से नीलवर तथा स्थानीय कर्मचारी बहुत घबरा रहे थे। और जो चित्र मि० लिविस म पहले से अपने सामने खींच रखा था वह इससे तथा सरिसवा बाजार की घटना से और भी रंजित दीखने लगा। नीलवर और उनके पक्षपाती महात्मा गांधी और उनके कार्य को छोटा दिखलाने तथा उनको और उनके सहकारियों को चम्पारन से हटाने की यथासाध्य चेष्टा कर रहे थे। उधर रैयतों पर भी दबाव खूब ही डाला जा रहा था कि जिसमें वे महात्मा जी के पास न आवें।

ता० २०-५-१७ को महात्मा जी ने चम्पारन के कलक्टर मि० हिकॉक के पास इन्हीं सब बातों के विषय में एक पत्र ओलहा और बेलवा के रैयतों के बयान के साथ भेजा जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्य बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि जब तक रैयतों के दुःख दूर न हो जायेंगे तब तक किसी तरह वह स्वयं चम्पारन से नहीं हट सकते हैं। इस पत्र से महात्मा जी के काम करने की नीति उनका दृढ़ निश्चय और अहिंसात्मक रूप से आत्मोत्सर्ग द्वारा उद्देश्य-सिद्धि पर अटल विश्वास पाठकों को भली भाँति दीख पड़ेंगे। पत्र इस प्रकार था—

Dear Mr Heycock

I ha hithert refrained from bringing to your notice state-

ments which have continued to stream into the effect that the *ryots* are being prevented from coming into me and that those who have come in have been subjected to all kinds of pinpricks by the *kothi Amlas* and in some cases by the Managers themselves. I have discounted some of the statements. I have taken down a few But if what I have heard about the doings of the Belwa and Dhokaraha concerns is true, t is calculated to end on one side atleast the friendly spirit in which the enquiry has hitherto been carried on. I am most anxious to continue and to increase the friendly spirit. I am straining every nerve so far as in me lies to so conduct my mission that nothing but good-will should be left behind, when ts labours are finished. I send you the statements taken in regarding the Belwa and Dhokaraha concerns. If the statements are true they do not reflect any credit upon the concerns in question. I enclose too my letters to Mr Hottum which was written before I heard of the fire and which was despatched before I took the statements of Dhokaraha men last evening after 6-30 p.m.

I can understand and even appreciate the feelings which are bound to fill those who are called upon to contemplate the prospect of having to forego huge income which they have hitherto been in the habit for a long time of receiving from their *ryot* One cannot therefore mind any legitimate effort on their part to hold on to what they have considered as their right. But what is reported to ha happened at the Belwa and the Dhokaraha *dehats* does not, in my opinion fall under such category

It is a known fact that the desire of the planters generally is that my friends and I should not carry on our work. I can onl say that noth g but physical force from the Government or an bsolute guarantee that the admitted or provable wrongs of the *ryot* are to stop for ever can possibly remove us from the District. What I ha e seen of the condition of the *ryots* is sufficient to convince me that if we w thdrew at this stage we would stand condemned before man and God and what is most important of all, we would never be able to forgive ourselves.

But the mission is totally of peace I cannot too often give the assurance that I bear no ill-will against the planters. I ha e been told that that is true of myself but my friend are fired w th an a ti-English feeling and that for them it is an anti-English movement.

I can only say that I do not know body of men who have less of that feelings than my friends. I was not prepared for this pleasant revelation. I was prepared for some degree of ill-will. I would have held them excusable. I do not know if I have not been guilty of it myself under circumstances which have appeared to me most provoking But if I found that any of my associates were in the conduct of this mission actuated by any ill-will at all, I should dissociate myself entirely from them and insist upon their leaving the mission. At the same time the determination to secure freedom for the *ryot* from the yoke that is wearing them down is inflexible.

Cannot the Government secure that freedom? This is natural exclamation. My answer is that they cannot in cases like this, without such assistance as is afforded to them by my mission. The Government machinery is designedly slow It moves, must move along the line of least resistance. Reformers like myself who ha no other case to grind but that of the reform they are handling for the time being specialise and create a force which the Government must reckon with. Reformers may go wrong by being over zealous, indiscreet or indolent and ignorant. The Government may go wrong by being impatient of them or overconfident of their ability to do without them. I hope in this case neither catastrophe will take place and th grievances which I have already submitted and which are mostly admitted will be effectively redressed. Then the planters will hav no cause to fear or suspect the mission of which I hav the honour to be in charge and they will gladly accept the assistance of volunteers who will carry on the work of education and sanitation among the villagers and act as links between them and the *ryots*.

Pray excuse the length of this letter as also its argumentative character I could not avoid it, if I was to place my true positions before you. I bringing the two matters which have necessitated this communication I have no desire to seek legal relief. But I ask you t use such administration influence as you can to preserve the friendly spirit which has hitherto prevailed between the *kothis* and my friends and myself.

I do not wish to suggest that the *kothis* in question are responsible for the fires. That is the suspicion of some of the *ryots* I have talked to hundreds of them bout the two fires. They say that the

ryots are not responsible for them, that they have no connection with the mission. I readily accept this repudiation because we are incessantly telling the *ryots* that this is not a mission of violence or reprisals and that any such thing on their part can only delay relief. But if the *Lathis* may not be held responsible for them they may not seek to establish a connection between them and the mission. Fires have taken place before now and, mission or no mission, they will take place for ever Neither party may blame the other without the clearest possible proofs.

There is talk too about the life of the planters being in danger Surely this cannot be serious talk. Any way the mission cannot render them less safe than they are. The character of the mission is wholly against any such activity It is designed to seek relief by self-suffering never by doing violence to the supposed or real wrong-doer And this lesson has been inculcated among the *ryots* in season and out of season.

Lastly there is I fear ample proof of intimidation such as is described in the statements hereto attached. Intimidation can only mean more trouble all round without meaning The slightest relief to the planters in the shape of retention of the present system.

I seek such help as you can vouchsafe in the circumstances I have ventured to place before you.

Bettiah, Yours truly
20th May 1917 (Sd.) M. K. Gandhi

(भावार्थ)

प्रिय मि० हिकौक

मैंने इन सूचनाओं की खबर अभी तक आपको नहीं दी है जो हमारे पास बराबर आ रही हैं कि रैयत मेरे पास आने से रोके जा रहे हैं और जो हमारे पास आते हैं उनको कोठी के अमले और कहीं-कहीं उनके मैनेजर भी तरह-तरह से तंग करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे बयानों को छोड़ दिया है और अन्य को लिख लिया है। पर यदि जो कुछ कि मैंने बेलवा और धोकराहा कोठियों की कार्रवाईयों के बारे में सुना है वह सत्य है तो इसका फल यह होगा कि कम से कम एक ओर से वह मित्रता का भाव नहीं रहेगा जिस भाव से जाँच अभी तक की गई है। मुझे इस बात की बड़ी उत्सुकता है कि हम लोगों के दरमियान मित्रता का भाव कायम रहे और बढ़े। मुझ से जहाँ तक हो सकता है मैं इस बात की चेष्टा में हूँ कि मैं अपने काम को इस प्रकार से करूँ कि काम खतम हो जाने पर मैं केवल अच्छा ही भाव अपने पीछे छोड़कर जाऊँ। जो बयान कि बेलवा और धोकराहा

में रैयतों से लिए गये हैं उनको मैं इस पत्र के साथ आपके पास भेज रहा हूँ। यदि ये बयान सच हैं तो इससे इन कोठियों की इज्जत कुछ भी नहीं बढ़ती है। मैंने जो पत्र होल्टम साहब के पास भेजा है उसकी नकल भी आपके पास भेज रहा हूँ। मैंने इस पत्र को आग लगाने की खबर सुनने के पहले ही लिखा था और धोकराहा कोठी के रैयतों के बयान लिखने के पहले ही जो नम्बर ६।। तक संख्या का लिखा गया था मैं इस पत्र को होल्टम साहब के पास भेज चुका था।

जो लोग बहुत दिनों से रैयतों से एक बड़ी आमदनी पाते आ रहे हैं उस आमदनी से हाथ धोना पड़ सकता है इस विचार से उनके दिल में जो भावनाएं उठती होंगी उनको मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इसलिए यदि वे उस चीज को बचाने के लिए जिसको वे अपना हक समझते आये हैं किसी तरह की जायज कोशिश करें तो इसमें किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। पर जिस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट बेलवा और धोकराहा के देहातों से आई है वह इस श्रेणी में नहीं आती।

यह जानी हुई बात है कि साधारणतः नीलवरों की यह इच्छा है कि हम और हमारे सहकारीगण जिस काम को कर रहे हैं उसे न करें। मैं इस विषय में यही कह सकता हूँ कि हम लोग उस समय तक किसी प्रकार से इस जिले को नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि या तो हम लोग सरकार की ओर से बलात् हटा न दिये जायें या रैयतों को उन दुःखों के सदा के लिए दूर कर देने की पक्की गारंटी न मिल जाय जो मजबूरन या साबित के लायक हैं। यहाँ के रैयतों की जो कुछ दशा हमने देखी है यदि उनको उसी दशा में छोड़कर हम लोग इस समय यहाँ से चले जायें तो हम लोग मनुष्य और ईश्वर दोनों के सामने दोषी ठहरेंगे और सब से बड़ी बात तो यह है कि हम लोग खुद भी अपने को कभी क्षमा न कर सकेंगे।

पर मेरा मन्तव्य केवल शान्ति के साथ काम करने का है। मैं इस बात का बार-बार विश्वास दिला सकता हूँ कि मुझे नीलवरों के विरुद्ध किसी प्रकार का द्वेषभाव नहीं है। मुझ से कहा गया है कि यह बात मेरे विषय में तो सच है पर मेरे मित्रों के दिल में अंगरेजों के प्रति दुर्भाव भरा हुआ है और वे इस काम को उसी भाव से प्रेरित होकर कर रहे हैं। मैं किसी ऐसी जमायत को नहीं जानता हूँ जिसके दिल में अंगरेजों के बरखिलाफ इतना कम दुर्भाव हो जितना कि मेरे मित्रों के दिल में है। मुझे आशा नहीं थी कि वह इतने अच्छे होंगे और यह जानकर मुझे बड़ा ही हर्ष हुआ। मैं यह सोचता था कि इन लोगों के दिल में अंगरेजों के विरुद्ध कुछ तो द्वेष-भाव अवश्य होगा और यदि यह भाव होता भी तो मैं उसे क्षम्य समझता। मैं नहीं कह सकता कि मेरे दिल में भी कभी-कभी ऐसे-ऐसे क्रोध भड़काने वाले मौकों पर बुरे भाव नहीं आ गये हों, पर यदि मुझे यह मालूम हो जाय कि मेरे सहकारियों में से कोई ऐसे हैं जो इस काम को किसी प्रकार के द्वेष-भाव से प्रेरित होकर कर रहे हैं तो ऐसी हालत में मैं उनसे एकदम अपने को अलग कर लूँगा और उनको इस काम से हट

काम पर चार घूँसा पर साथ ही रैयतों को दुःख के बन्धन से मुक्त करने का संकल्प भी अचल है।

तब यह सवाल सहज ही उठता है कि क्या सरकार उनको इस दुःख से मुक्त नहीं कर सकती है? मेरा उत्तर यह है कि ऐसी-ऐसी बातों में बिना उस प्रकार की मदद के जैसा कि हम लोग दे सकते हैं सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार के कल-पुर्जे जान-बूझ कर ऐसे बनाए गये हैं जो धीरे-धीरे चलें। वे चलते हैं जरूर पर सब से कम रुकावट वाली राह पकड़कर ही चलते हैं। मेरे जैसे सुधारक जो तब तक उसी सुधार के काम में लगे रहते हैं जिसका भार वे उठा लेते हैं और उस बीच में जिनका और कोई अर्थ नहीं रहता उस विषय के विशेषज्ञ हो जाते हैं और एक ऐसी शक्ति पैदा कर देते हैं जिसकी सहायता सरकार को लेनी चाहिए। सुधार करनेवाले अत्यधिक जोश में आकर या असावधानी या सुस्ती से या अपनी अनभिज्ञता के कारण भूल कर सकते हैं और सरकार इन लोगों की कार्रवाई से घबड़ाकर या अपनी योग्यता में अत्यधिक विश्वास कर कि वे उनके मदद के बगैर भी कार्य संपादन कर सकता है भूल कर सकती है। मुझे आशा है कि इस मामले में इन दोनों में से एक भी आफत नहीं आवेगी और जो शिकायतें मैं पेश कर चुका हूँ और जिनमें से अधिकतर अक्षरशः है पूरी तरह से दूर कर दी जायेंगी। उस समय नीलवरों को उस काम से जो अभी निगरानी में हो रहा है किसी तरह के भय या सन्देह का कारण नहीं रह जायगा और नीलवर हमारे उन स्वयंसेवकों से खुशी से अपने काम में मदद लेंगे जो देहात के लोगों के बीच शिक्षा प्रचार तथा सफाई के काम करेंगे और जो उनके और उनकी रैयतों के दरमियान बिचवानी का काम करेंगे।

यह चिट्ठी लम्बी हो गई है और इसमें दलीलें भी दी गई हैं इसके लिए आप क्षमा करेंगे। मुझ को आपके सामने सच्ची स्थिति रखनी थी और उसके लिए ऐसा करना जरूरी था। जिन दो घटनाओं के कारण इस चिट्ठी के लिखने की जरूरत पड़ी है उनका मैं कानूनन निपटारा नहीं चाहता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि उस सम्बन्ध में आप शासक की हैसियत से जहाँ तक हो सके अपना प्रभाव डालकर मित्रता का भाव कायम रखने का प्रबन्ध करेंगे जो कोठियों मेरे और मेरे सहकारियों के बीच अब तक रहा है।

मैं यह इशारा करना नहीं चाहता कि आग कोठियों की ओर से लगा दी गई है कुछ पत्रों का ऐसा सन्देह है। मैंने इन दोनों अगलगियों के विषय में सैकड़ों रैयतों से बात की है। उनका कहना है कि उनके लिए रैयत जवाबदेह नहीं है और न उनका सम्बन्ध हम लोगों की यहाँ की कार्रवाई से है। मैं उनकी इस बात को बेखटके मान लेता हूँ क्योंकि हम रैयतों से कहते आ रहे हैं कि हम लोगों का काम बदला लेना या बल प्रयोग करने का नहीं है और यदि वे लोग ऐसा करेंगे तो इससे उन लोगों के सुधार हासिल होने में देर लगेगी। पर यदि उन घटनाओं के लिए कोठियाँ जवाबदेह नहीं पाई जायें तो उन्हें उन घटनाओं का सरोकार हम लोगों की कार्रवाई से लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

इसके पहले भी जमानतियाँ हुई हैं और हमारा यह काम होता रहे या न रहे ऐसी घटना बराबर होती रहेगी। ऐसी हालत में किसी फरीक को दूसरे फरीक पर इसका दोष नहीं लगाना चाहिए जब तक कि उसके विरुद्ध साफ तौर से काफी सबूत न मिल जाय।

ऐसा भी कहा जाता है कि नीलवरों की जान खतरे में है। अवश्य ही ऐसी बात सच-मुच सच समझकर नहीं कही जा रही है। जो हो हम लोग उनको जैसे संरक्षित थे हैं उनसे कम सुरक्षित नहीं बना सकते हैं। हम लोगों का काम इस तरह की हरकतों के बिलकुल खिलाफ है। हम लोग स्वयं कष्ट सहकर अपने उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं न कि उस मनुष्य पर बल प्रयोग करके जो बुराई करनेवाला है या जिसको कि हम समझते हैं कि उसने बुराई की है और यही बात रैयतों को मौके-बे-मौके बराबर समझाई गई है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बयान मैं इसके साथ भेज रहा हूँ उनमें जिन शिकायतों की बात कही गई है उसके काफी सबूत हैं। इस प्रकार की शिकायतों से केवल झंझट हर तरफ बढ़ जायगा यह नीलवरों की वर्तमान पद्धति कायम रखने में जरा भी मदद नहीं दे सकती।

जो हालत मैंने बयान की है उसमें आप से जो मदद हो सके वह मैं आप से चाहता हूँ।

बेतिया　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　आपका
२०-५-१७　　　　　　　　　　　　　　　　　　　एम० के० गांधी

इधर समाचारपत्र में खूब धूम मचने लगी। पाठकों को स्मरण होगा कि १९१५ ईस्वी के अप्रैल महीने में बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने जाँच कमेटी नियत करने का प्रस्ताव किया था। उस समय नीलवरों के प्रतिनिधि मि० फिलगेट (Mr Filgate) ने इसका बहुत जोरों से विरोध किया था। आज उन्हीं नीलवरों के पक्षपाती यूरोपियन डिफेन्स एसोसिएशन (European Defence Association) ने जाँच के लिए कमीशन नियत करने का प्रस्ताव सरकार से पेश किया और उनके पिछलग्गू ऐंग्लो-इण्डियन समाचारपत्र भी इस पर बहुत जोर देने लगे। ता० १९-५-१७ को उत्तरीय भारत के मुख्य ऐंग्लो-इण्डियन समाचारपत्र 'पायोनीयर' (Pioneer) ने चम्पारन के विषय में आलोचना करते हुए लिखा—

It appears to us that the Government of Bihar could do well forthwith to appoint a commission to investigate the differences which exist between the planters and the *ryots* in the Indigo Districts. It is difficult to see what good can come of Mr Gandhi' investigation. But an enquiry conducted with strict impartiality by commission containing possibly non-official element would give both sides a fair opportunity of stating their cases and ought to result in lasting peace

अर्थात्, "हमारी राय है कि यह अच्छा होगा कि रैयतों और नीलवरों के बीच के मतभेद की जाँच करने के लिए एक कमीशन बैठाया जाय। यह समझ में नहीं आता कि मि० गांधी की जाँच से क्या नफा होगा ? पर यदि निरपेक्षता से एक ऐसा कमीशन जिसमें शायद गैरसरकारी आदमी भी हों जाँच करे और दोनों पक्षों को अपनी-अपनी बात कहने का पूरा अवकाश दे तो फल बहुत शान्तिप्रद होगा।

मद्रास के 'मद्रास मेल' (Madras Mail) ने महात्मा जी की जाँच के विषय में आलोचना करते हुए लिखा—

"Mr Gandhi's difficulties with the Bihar authorities regarding his self-imposed mission to investigate the labour question in that province appears to have been amicably settled and the Hon'ble Mr Maude, a member of the Executive Council has been deputed to confer with him "with special regard to the situation created since the investigation began, a proviso which seemed to imply that the inquiry has not perhaps been conducted as discreetly as it might be Mr Gandhi is a politician of ability and no one doubts his sincerity in what he believes to be the course of his fellow countrymen—a sincerity abundantly tested by his sufferings in South Africa. Since his return to India, however he has come under the influence of politicians of the more advanced school and his actions have not always been characterised by the same discretion (as in South Africa) in the present instance we think he has been particularly ill advised in coming forward as the self appointed champion of the alleged grievances of the Indigo Estate labour of Bihar—a particularly prosperous and contented class of labour as a rule The problems of planting labour are difficult enough in ordinary circumstances without the intervention of professional agitators."

भावार्थ— 'जान पड़ता है कि बिहार प्रान्त के श्रम जीवियों की दशा की जाँच के विषय में मि० गांधी को जो कठिनाइयाँ वहाँ के सरकारी कर्मचारियों के साथ उपस्थित हो गई थीं उनका निपटारा हो गया। एक्जिक्युटिव कौंसिल के मेम्बर मि० मौड को आज्ञा मिली है कि वे मि० गांधी के साथ बातें करें—विशेषकर उस स्थिति के सम्बन्ध में जो उनकी जाँच शुरू होने के समय से उपस्थित हो गई है। ऊपर की बात से मालूम पड़ता है कि जाँच उचित सावधानी से नहीं की गई है। मि० गांधी योग्य राजनीतिज्ञ हैं और उनका अपने देशवासियों के हित के लिए सच्चा अनुराग है इसमें किसी को सन्देह नहीं है। इसकी काफी जाँच दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो कष्ट सहा है उसमें हो चुकी है। पर हिन्दुस्तान

न नोटिस के बाद न वह यहां के गरम दल के राजनीतिज्ञों के फन्दे में आ गये हैं और यहां का उनका काम उस सावधानी से नहीं हुआ है जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ करता था। बिहार में नील की खेती के सम्बन्ध में जो शिकायतें बयान की जाती हैं उनकी जांच का बीड़ा उठाकर मि. गांधी का इस समय गुप्त-म-गुप्त आने अथवा हमारे विचार में अच्छा नहीं हुआ है, जब कि नील के मजदूरों की दशा विशेषकर अच्छी है। एक तो नील की खेती की मजदूरी का मसला स्वयं कठिन है और उस पर यदि बीच में एक आदमी आ जाये जिस का काम ही आन्दोलन करना है तो स्थिति और कठिन हो जाती है।

एक दूसरे लेख में इस पत्र ने एसोशियेटेड प्रेस के ता. ११-५-१७ वाले तार के बल पर फिर लिखा—

"The record of the past show that it takes very little to create a very turbulent and unsettled state of ffairs between the planters and the *ryot* that is to say in most cases except some big proprietory or Zamindari concerns the manufacturers of indigo and the growers of the plant. We quite anticipated that such stat of affairs would arise when we learnt of Mr Gandhi' mission of enquiry nd the telegram which we publish today confirms this to some extent with the prosperous condition of the industry caused by the War nd the prospect of restoring it t the splendid position t once occupied mong the taple products of India. It does seem regrettable that anything should happen to hamper progress in any way

भावार्थ— पहले के अनुभव से यह साफ जाहिर है कि रैयतो और नीलवरो के बीच बखेड़ा खड़ा देना और एक अनिश्चित स्थिति पैदा कर देना कोई कठिन बात नहीं है। जब हम मालूम हुआ था कि मि. गांधी जांच करने के लिए जा रहे हैं उसी समय हमने समझ लिया था कि ऐसी स्थिति आ पड़ेगी और जो तार इस सम्बन्ध में आया है उससे यह बात ठीक मालूम होती है। महासमर के छिड़ जाने से नील की खेती अच्छी हो गई थी और ऐसे समय में जब कि इसे अपनी पूर्व समृद्ध दशा पर फिर पहुंचने की आशा थी किसी ऐसी घटना का हो जाना जिससे इसकी उन्नति में बाधा पहुंचे बड़े दुःख की बात है।

कलकत्ते के 'स्टेट्समैन' (Statesman) में 'वसन्त' नामक किसी नीलवर महाशय ने यों लिखा—

My memory carries me back to very many years and I do not recollect ingle instance when these buildings were destroyed, that was not in some way connected with disagreement between planters and certain *ryots* pending in the law courts and this is generally through the nfluence of agitators. The bonafide cultivator is, as rule, peaceful man and is only disturbed when his feelings

are worked on by gas-bags who have no interest in the land and who are really connected with a certain political crowd howling for Home Rule. It is indeed a great pity that this private inquiry was permitted. I fear unless it soon ceases further damage to the planting community will be reported. As it is, there is a general feeling of insecurity amongst the isolated planters, especially as they are forced to absent themselves two days a week to attend drills at the different centres."

भावार्थ—"बहुत दिनों की बात याद पड़ आने से मुझे मालूम होता है कि जब-जब चम्पारन में फसाद कराये गये हैं तब-तब ऐसा देखा गया है कि उसका सम्बन्ध नीलवर और उनके रैयतों के बीच की अनबन से है जिसके बारे में अदालत में मुकदमा पेश है। और ऐसा प्रायः आन्दोलन करनेवालों ही के प्रभाव से होता है। सच्चे किसान साधारणतः शान्तिप्रिय होते हैं और वे तभी विचलित होते हैं जबकि ऐसे लोग जिनका स्वयं जमीन से कोई भी सम्बन्ध नहीं है और जो होम रूल के लिए चिल्लाते फिरते हैं उनको उभाड़ते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है कि मि॰ गान्धी को इस प्रकार खानगी तरीके से जाँच करने की इजाजत दी गई। यदि यह तुरन्त बन्द न हुई तो मुझे डर है कि नीलवरों की और अधिक क्षति होने की रिपोर्ट मिलेगी। जैसी अवस्था है उसमें नीलवर लोग अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं विशेषकर इस कारण से कि सप्ताह में दो दिन उनको अपनी कोठी छोड़कर भिन्न-भिन्न केन्द्रों में कवायद करने के लिए जाना पड़ता है।"

सच है, जब-जब रैयतों ने अपने दुःखों को असह्य समझकर सिर उठाने की चेष्टा की तब-तब कोठियों में आग लगी—पुलिस की तैनाती हुई और रैयत दब गये और जुल्म ज्यों-का-त्यों बना रहा। पर इस बार कोठियों को केवल जलना ही हाथ लगा। उनके और सब उपाय विफल हुए।

इन असत्य आक्षेपों का प्रतिवाद प्रायः सभी हिन्दुस्तानी पत्रों ने किया। ता॰ १ ... १० के अंक में प्रयाग के 'लीडर' (Leader) ने अपने अग्र-लेख में लिखा—

W are not in the least surprised that the Pioneer finds it difficult to see what good can come out of Mr Gandhi s investigation. We advise to w t and see M Gandhi inquiry is not impartial How can it be Would, Sir Oracle have, however addressed the Government of Bihar to ppoint a commission forthwith if M Gandhi had not gone t Champaran Had it ever made a uggestion ever before And now what is ts idea of impartial inquiry The uggested commission may possibly conta n non official element What magnanimity is there not here

भावार्थ—पायनियर को मि॰ गान्धी की जाँच से कोई लाभ नज़र नहीं आने से

हम कुछ भी आश्चर्य मालूम नहीं होता। हम उन्हें यही सलाह देते हैं कि ठहरो और देखो। कहा जाता है कि मि गांधी की जाँच पक्षपातहीन नहीं है। भला यह कैसे हो सकता है। यदि मि गांधी चम्पारन म नहीं जाते तो क्या पायोनीयर कभी कमीशन नियुक्त करने के लिए सरकार को कहता ? क्या इसने पहले उसने इस विषय म कभी इशारा भी किया था ? अब जरा यह मालूम होना चाहिए कि पक्षपातहीन जाँच के सम्बन्ध में इसकी क्या धारणा है ? जाँच कमेटी में शायद गैरसरकारी आदमी रहें। क्या खूब धारणा है !

लाहौर के 'ट्रिब्यून' (Th Tribun) ने लिखा—

The enqulry which the champion of the submerged classes, Mr Gandhi is conducting into the relations between the planters and the *ryots* in the Indigo District has created a flutter in th Anglo-I dian dovecotes and every attempt has been made to dissuade him from undertaking and proceeding with his philanthropic work. The latest attempt is on the part of the Pioneer
The Indian public has right to enquire whence comes this over solicitude on the part of the spokesman of Anglo-India ? Since when, one wonders, has our Allahabad contemporary become a convert to the need of holding an inquiry into the relations between the planters and the *ryots* ? So, it is that there is something behind the scene which when exposed will inevitably lead to an interference with the vested interests."

भावार्थ—"गिरी हुई जातियों के सहायक मि गांधी जो जाँच नीलवरों और उनकी रैयतों के सम्बन्ध के विषय में कर रहे हैं उससे एंग्लो-इंडियन पत्रों में बड़ी खलबली पड़ गई है और हर तरह से इस बात की कोशिश की गई है कि वह इस काम को न करने पावें। हाल म पायोनीयर ने इस प्रश्न को उठाया है हिन्दुस्तानी जनता को इस बात के पूछने का अधिकार है कि एंग्लो-इंडियनों के इस मुखपत्र को कहाँ से इस विषय में ऐसी चिन्ता हो गई है। लोग हैरान म हैं कि हमारे इलाहाबाद के सहयोगी को नीलवरों और उनके रैयतों के बीच के सम्बन्ध के विषय में जाँच करने की जरूरत कब से सूझने लगी। अवश्य ही पर्दा म कुछ ऐसा है जिसके जाहिर होने से नीलवरों के जमाये हुए हक म रुकावट पहुँचेगी।

मि गोरुक न 'स्टेट्समैन' के उपरोक्त लेखों को पढ़कर एक बड़ी तीव्र समालोचना ता २४-५ १ को लिख भेजी जिसमें उन्होंने 'स्टेट्समैन' की भूल बताते हुए लिखा—

You are likely shortly to have a severe shock nd your vaunted knowledge will be immensely enlarged when you come to know the contents of the preliminary report just submitted privately by Mr Gandhi t Bihar Government. Had Mr Gandhi been the

विश्वास है कि कर्मवीर गांधी के अनुसन्धान से अवश्य शुभ फल होगा।

कलकत्ते के मुख्य हिन्दी दैनिक पत्र 'भारत मित्र' ने अपने ज्येष्ठ १२ के अंक में इस विषय पर यह लिखा—

'यदि सरकार कमीशन नियुक्त करना उचित समझे तो उसमें सरकारी कर्मचारी तथा निलहे साहब ही न रहे बल्कि कर्मवीर गांधी भी रखे जावें। और उसका अध्यक्ष भी कोई निरपेक्ष मनुष्य नियुक्त हो।

कलकत्ते के 'बंगाली' ने भी ता १८-५ १७ को लिखा कि यदि 'पायोनीयर' की राय के अनुसार कमीशन नियुक्त हो तो उसमे मि गांधी भी अवश्य सदस्य हो और दादाभाई नौरोजी का रायल कमीशन में सदस्य नियुक्त होना जिसमे उन्होंने सदस्य होकर भी इजहार दिया था उदाहरण में पेश किया।

बर्मा के 'रंगून मेल' (Rangoon M il) ने इसी विषय पर आलोचना करते हुए लिखा—

Attempts are being made to discred t the good work that M Gandhi is doing in Biha A commission means waste of time nd money and the result would be the case f a mountal labouring and bringing forth rat. We ha e no faith i commission. W think that Mr Gandhi should be allowed to pursue his indepen dent inquiry which is certainly ccording to law and to publish his Report which could be verified, if necessary by officials later on."

अर्थात्— मो अच्छा काम मि गांधी बिहार मे कर रहे है उसका महत्व घटा डालने के लिए तरह-तरह की कोशिश की जा रही है। कमीशन का नियुक्त होना समय और रुपये का नष्ट करना है और उसका फल पहाड़ खोदकर चुहिया निकालने के समान होगा। हमको कमीशन मे विश्वास नहीं है। हमारा विचार है कि मि गांधी को अपनी स्वतन्त्र जांच करने और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने देना चाहिए यह कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। पीछे यदि सरकारी कर्मचारी आवश्यक समझें तो वे अपनी जांच से उस रिपोर्ट की बातों की तसदीक कर ले सकते है।

फिर ता २६ ५ १७ को प्रयाग के 'पायोनीयर' ने लिखा—

"The Government of Bihar propose to instit te an enquiry i to the lleged griev nces of *ryots* of Champaran District. The present position of affairs there is bviously unsatisfactory nd it is said that M Gandhi presence has roused expectations among the cultivators which re impossible of realization. It is, therefore desirable that no time hould be lost i rranging for an thoritative and impartial investigation and that the enquiry should not be confined t the differences between the European planters nd *ryots*

but should also include the relations between ordinary Zamindars and *ryots*

अर्थात्— जिस चम्पारन के रैयतों के दुखों को सुनने के लिए बिहार की सरकार ने एक कमीशन नियत करने का विचार किया है। इस समय वहाँ की हालत सन्तोषजनक नहीं है। कहा जाता है कि मि० गांधी के वहाँ रहने से लोगों के मन में ऐसी आशायें आ गई हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकतीं। इसलिए एक प्रभावशाली तथा न्यायशील कमीशन बैठाने में देर नहीं करनी चाहिए। कमीशन केवल अंगरेज नीलवर और रैयतों के बीच के भेद की ही जाँच न करे वरन् जमींदारों और रैयतों के बीच के सम्बन्ध का भी अनुसन्धान करे।

इस विषय पर महात्मा जी ने विचार किया और अपने सहकारियों से भी सलाह की। अन्त में यह निश्चय हुआ कि निम्नलिखित सूचना महात्मा जी की ओर से समाचारपत्रों में भेजी जाय—

If continuing known wrongs are immediately redressed an impartial enquiry covering definite issues with time limit as to its findings is likely to meet the existing situation The work of my colleagues will then, for the time being mostly consist in marshalling and leading evidence before the Enquiry Committee."

अर्थात्— 'यदि रात-रोज की होती हुई बुराइयाँ तुरन्त हटा दी जायें तो एक न्यायशील कमीशन जो नियत समय के भीतर रिपोर्ट दे वर्तमान हालत को सुधार सकता है। ऐसी हालत में मेरे साथियों का और मेरा काम उस कमेटी के सामने सबूत पेश करना होगा।

पन्द्रहवाँ अध्याय

महात्मा गांधी को बुलाहट

इधर 'पायोनियर' कमेटी नियत करने की सलाह दे रहा था और उधर नीलवर सरकार से आप अपने के विषय में खूब कानाफूसी कर रहे थे। इसका फल यह हुआ कि ता० २९-५-१७ को महात्मा जी को बिहार-सरकार से राँची जाने की बुलाहट पहुँची। छोटे लाट सर एडवर्ड गेट (Sir Edward Gait) ने महात्मा जी से मिलने के लिए ४ जून नियत की।

हम लोग विचार करने लगे कि इसका क्या मतलब है। अभी जिला अफसरों ने महात्मा जी की रिपोर्ट पर कुछ सम्मति दी नहीं। इसलिए इस विषय में यह बुलाहट हो नहीं सकती थी। तब रहे नीलवर और एंग्लो-इण्डियन पत्रों का आन्दोलन, दो कोठियों में आग लगना और स्थानीय कर्मचारियों का यथाविधि का स्वकल्पित भय। हम लोगों ने निश्चय किया कि कुछ दाल में काला अवश्य है। इसलिए आगा-पीछा सब देख-सुन कर सब प्रकार की स्थितियों के लिए प्रस्तुत रहना ही उचित समझा गया। अपने दल को सँभाल लेना चाहिए और यदि कोई दुर्घटना का सामना करना पड़े तो उसके लिए भी भली भाँति सब को तैयार रहना चाहिए। हम लोगों के मन में ऐसा सन्देह हुआ कि महात्मा जी कदाचित् राँची से लौटने न पावें। वैसी हालत में क्या किया जायगा इस पर भी विचार हुआ। बेतिया में सब बातों पर विचार करके पटने में आने के लिए पं० मदनमोहन मालवीय को तार दिया गया। महात्मा जी ने अपनी पत्नी को राँची आकर मिलने के लिए तार भेज दिया। आप उस समय कलकत्ते थीं। उसी समय महात्मा जी के कनिष्ठ पुत्र देवदास गांधी भी साबरमती सत्याग्रह आश्रम से राँची बुलाये गये। लेखक को कहा गया कि पटने जाकर सब नेताओं से मिले। ता० २-६-१७ की रात की गाड़ी से चलकर महात्मा जी बाबू व्रजकिशोर प्रसाद के साथ २-६-१७ की दोपहर को पटने पहुँचे। पं० मालवीय उसके पूर्व ही ता० १-६-१७ की सन्ध्या को प्रयाग से आ गये थे। माननीय मि० हक, राजबहादुर कृष्ण सहाय, पं० मालवीय, मि० परमेश्वरलाल, बाबू वैद्यनाथ नारायण सिंह इत्यादि कतिपय सज्जनों की एक पार्टी हुई। इसमें निश्चय किया गया कि यदि महात्मा जी के साथ किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो माननीय मि० हक अथवा पं० मदनमोहन मालवीय चम्पारन के कार्य का भार अपने ऊपर लेकर उसका सञ्चालन करेंगे। फिर गत १८ अप्रैल के जैसा ही कार्यक्रम तैयार किया गया। देश के अन्य नेताओं के साथ पत्र-व्यवहार होने लगा। उसी दिन महात्मा जी बाबू व्रजकिशोर प्रसाद को साथ लेकर राँची और पं० मदनमोहन मालवीय प्रयाग चले गये।

नीलवरों ने अपन बागत महात्मा जी और इनके सहकारियों को चम्पारन से हटाने और उनके कार्य को निष्फल करने को कोई उपाय उठा नहीं रखा था। ता ११-५ १७ को 'यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन' (European Defence Association) के मुजफ्फरपुर की शाखा ने यह प्रस्ताव पास किया—

1 That the presence of Mr Gandhi in his self-imposed mission has been accompanied by unrest and crime.

2. That his continued presence there is likely to disastrous to the welfare of the Europeans in Champaran and the peace of the District.

3 That they request the European Central Association in Calcutta to press on the Government the absolute necessity if they wish to maintain law and order in Champaran District, to have Mr Gandhi and his assistants removed from there at once and also that there is a great fear of *lawlessness* spreading to the neighbouring Districts.

अर्थात् (१) मि गांधी ने जो जाँच खुद-ब-खुद शुरू की उससे वहाँ बहुत अशांति फैल रही है।

(२) उनके वहाँ रहने म चम्पारन के अंगरेजो के बहुत कुछ अमंगल की संभावना और जिले में शांति-भंग का भय है।

(३) यूरोपियन सेंट्रल एसोसिएशन कलकत्ता से निवेदन है कि वह सरकार से निवेदन करे कि यदि वह चम्पारन जिले में शांति रखना चाहती है तो यह नितांत आवश्यक है कि मि गांधी और उनके सहायकों को वहाँ से शीघ्र हटा दें क्योंकि आसपास के जिलों म अशांति फैलने का डर है।

ता १ १ १७ को पायोनीयर म मोतीहारी कोठी के मैनेजर मि इर्विन (Mr Irwin) की एक लम्बी चिट्ठी छपी। उस पत्र को मि इर्विन ने ता २१-५ १७ को लिख भेजा था। पर 'पायोनीयर' ने उसको ता १ १ १७ को ही छापा। यहाँ पर मि इर्विन

१ मि इर्विन का पत्र इस प्रकार था—

"Very occasionally brief paragraphs appear in your columns alluding to Mr Gandhi and his so-called mission in Champaran but it is more than evident you have no appreciation of the harm *he is* doing and already succeeded in doing

"When the local authorities first became aware of Mr Gandhi's threatened [illegible]int they [illegible]ery wisely and correctly took action to restrain him but, on appeal by him, this order was upset by the

का भी कुछ परिचय दे देना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि मि इर्विन ने बहुत से समाचारपत्रों में चम्पारन की जाँच के सम्बन्ध में लेख छपवाये थे जिन्हें हमें आलोचना करने का समय आवेगा। मि डब्ल्यू एस इर्विन (M W S Irwin) एक पुराने और जबरदस्त नीलवर समझे जाते हैं। यह मोतीहारी कोठी के मैनेजर हैं। इस कोठी के साथ उनका सम्बन्ध बहुत दिनों से चला आता है। शरहबेशी और तावान लेने में यह एक प्रकार से अगुआ थे क्योंकि उन्होंने ही नील के बदले में शरहबेशी और तावान के विषय में

Provincial Government and Mr Gandhi was permitted to continue his mischievous intention. H wanted to go to village in the Peepra factory dihat and thereby encourage the villagers some of whom were under trial f r severely assaulting the European Sub-Manager but he was stopped by the Police. Then when detained by the local authorities and awaiting the order of the Government he occupied himself in Motihari, recording the ex-parte statements of some hundreds of Peepra and Turkaulia concern *ryots* who were induced by his encourage to come to him. When Government orders were received revolting the earlier proceedings he passed on to Bettiah, but his doings in Motihari bore fruit, and shortl after his departure an outwork of the Turkaulia concern was burnt dow I may here say parenthetically that of 20,000 *ryots* more or less not dozen men attempted to go near M Gandhi and of hose the majority went out of curiosity pure and simple and no serious harges of an kind were made. So in thi matter I have no personal quarrel with Mr Gandhi. N turally his arrival the Bet iah Sub-Di ision was objected to by both planters and official and he former sent deputation to Ranchi to try to get the Governme pu an end to, or t any rate keep under some control M Gandh ac ties This resulted in the local officials and Mr Gandhi bei g ummoned by wire to ttend a Conference in Bankipore which nded M Gandhi being permitted to return and continue his d ngs n w more ncontrolled than ever and clothed the *ryot's* mind in the g rment of recognition and pproval by Government. H ed illage in Dhakraha factory dihat the *ryots* of wh his presenc od before the S.D O and F ctory Manager loudl bused in Hindusthani th Factory head servant and while M G ndh was till n the neighbourhood, but not actually with in w ited nd grossly maltreated a most respectable old man,

वकीलों से राय ली थी और सरकार से लिखा-पढ़ी की थी। १९०६ ई० में पहले-पहल उनकी ही कोठी में इसका वाद-विवाद आरम्भ हुआ था। उनको फख्र है कि उनके रैयत कभी उनके खिलाफ अदालत में नालिश नहीं करते। शरहबेशी और तावान के विषय में भी उनके बहुत कम रैयतों ने हाकिमों के पास शिकायत पहुँचाई थी। इन सब बातों से वे लोगों को बताया चाहते हैं कि उनके रैयत बहुत खुश हैं और उनसे किसी प्रकार की अनबन नहीं है। पर रैयतों का कहना कुछ और ही है। वे कहते हैं कि मि० इर्विन का प्रबंध ऐसा कड़ा और जाहिर है कि दूर रहते भी रैयतों में से किसी की हिम्मत कचहरी की ओर टसकने की नहीं पड़ती। इन्हीं मि० इर्विन के विषय में इनके एक पटवारी ने महात्मा जी से

---

who, too aged and infirm to walk, had come in a cart to make statements in the Factory favour and finally two days or so later the factory office was set fire to and burnt down. There can be no possible doubt in any reasonable person's mind as to cause and effect in both this and Turkaulia incident. But everybody he deserves to be in a position to know knows that th whole movement is matricious (?) and Champaran has been selected for the exploitation of it for the following reasons

1 There is practically only one proprietor (malik) in the whole District—Th Bettiah court of wards Estat i.e. th local Government. In Tirhut and Saran most villages are owned by several small share-holders, many residents, and an agitator who would venture to go in there and act, as has been doing here, would meet with short shifts. The engineers of the movement have no desire to get up against the Maharaja of Darbhanga.

2 Champaran with its large community of European Zamindars is eminently the place to start with hopes of success a class agitation Mr Gandhi, I believe, is a well intentioned philanthropist but he is a crank and fanatic and is too utterly obsessed with his partial success in South Africa and his belief that he has been ordained by th providence to be a righter of wrongs. To be able to realise that, he is being made a cats paw by (1) Pleader and Mokhtiars etc. who know that planters settle free, gratis and for nothing at least 75 % of disputes amongst *ryots* which would otherwise be grist of their mills (2) Mahajans and money lenders whose usurious dealings with *ryots* have been greatly checked and who can not now owing to the action of the planters, acquire the debtor best lands without the consent of the landlords and(3) by

कहा था 'साहब के सामने भी मजिस्ट्रेट और दारोगा कुछ भी नहीं है।' इन्हीं का लिखा पत्र ता ९-६ १७ के 'पायोनीयर' में छपा था। इस पत्र में उन्होंने महात्मा जी की शिकायत करते हुए तुर्की लिया कोठी की फाँड़ी जलने का कारण उन्हीं की जाँच को बतलाया था। उन्होंने अपनी सफाई बतलाते हुए कहा कि उनके लगभग २ रैयतों में मि गांधी के पास एक दर्जन से अधिक नहीं आये हैं और उनमें से भी अधिक केवल कौतूहलवश आये हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि मि गांधी के बेतिया पहुँचने पर नीलवरों ने एक डेपुटेशन रांची इसलिए भेजा कि उनका काम रोक दिया जाय। इस पर मि गांधी बांकीपुर बुलाये गये पर उनको वहाँ से अपना काम जारी रखने को कहा गया जिसका फल यह हुआ कि रैयत समझने लगे कि यह सरकार के हुक्म से काम हो रहा है। उन्होंने ढोकरहा कोठी में आग लगने का कारण भी महात्मा जी का आना ही बतलाया। चम्पारन की अशान्ति को बनावटी बताते हुए उन्होंने यह कहा कि यद्यपि गांधी जी की नीयत अच्छी हो पर वह दक्षिण अफ्रीका की थोड़ी सफलता पाकर फूल गये हैं और धूर्त स्वराज्यवादियों ने उन्हें फँसाकर चम्पारन में इसलिए बुलाया है कि चम्पारन में अंगरेज अधिक होने के कारण वहाँ उनके विरुद्ध आन्दोलन खूब चल सकेगा। इसमें वकील अखबार और महाजन मदद करते हैं क्योंकि यदि नीलवर रैयतों के झगड़े मिटा देना छोड़ दें और उन्हें कम सूद पर रुपया देना बन्द कर दें तो इन दोनों की जेब खूब गर्म होगी। अन्त में उन्होंने सरकार को सलाह दी कि मि गांधी को चम्पारन से तुरन्त हटा देना चाहिए नहीं तो नीलवर अपने बचाव के लिए जो उचित समझेंगे करेंगे।

इस पत्र के विषय में अधिक आलोचना न करके इतना ही कह देना बस होगा कि मि इर्विन का यह कहना कि उनके रैयतों में से १०-१२ गये थे एकबारगी गलत था क्योंकि उस तारीख तक हम लोगों ने उनके १०-१२ नहीं बल्कि १ रैयतों के इजहार लिख चुके थे।

Home Rule politicians who hope to demonstrate on the, for them, happy hunting ground of Champaran that officials and non-officials go hand in hand to oppress the population and so prove that the District, and incidentally all India, is being misgoverned under the British Raj What do these people care for *ryots* save to make use of them for their own purpose? For the protection of the property of the Champaran planters, one and probably only one step is essentially necessary and that is the removal of Mr Gandhi from the District The extreme forebearance of the planters has so far prevented the outbreak of any very serious disturbances, but unless Government can see its way to protecting them, they will unavoidably be forced into *taking* the steps necessary for their own protection."

पायोनीयर ने उसी तारीख अर्थात् ३-६ १७ को यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन के प्रस्तावों को प्रकाशित कर चम्पारन की स्थिति पर विचार करते हुए लिखा——

"It is quite clear from the resolutions just passed by the members of the European Association, Bihar Branch, Muzaffarpur that the view expressed by the writer of the letter coincide fairly closely with those of the whole planting community of which he is a member The writer it will be noticed, is prepared to believe that Mr Gandhi is a well measuring philanthropist and that he has been made a cat's paw by the individuals who have engineered the movement. What appears to be beyond dispute is that, whatever Mr Gandhi's intention may have been, regrettable incidents have happened since he started his mission. Mr Gandhi himself has ingenuously published a letter from the District Magistrate of Champaran in which the latter pointed out that Mr Gandhi's enquiries had as a matter of fact caused considerable excitement. But Mr Gandhi has so far failed altogether to explain what particular qualification he possess for instituting any mission of enquiry in Bihar or elsewhere in India. His escapade at Banares not so long ago suggested that he was a gentleman of extremely little discretion, and on cannot help thinking it somewhat astonishing in the circumstances that the Bihar and Orissa Governments should have permitted him so much license. We now hear of him being asked by the Lieutenant Governor to proceed to Ranchi to see his Honour about Champaran affair And meanwhile th good Pandit Madan Mohan Malviya must need consider that his presence is urgently required at Bankipore to put things straight. It is hightime, we think, that the Provincial Government took measure to discourage the activities of all rooing commissioners whose interference in matters which do not concern them and with which they cannot claim to have any special competence to deal, is likely to result in far more harm than good If matters require to be investigated, it is the local Government's business to appoint its own commission of enquiry but while the assistance of non-official Indians in the Province concerned may be welcomed, there is every argument to be urged against the intervention of outsiders."

अर्थात्——"यूरोपियन एसोसियेशन मुजफ्फरपुर की शाखा के उन प्रस्तावों से जो अभी स्वीकृत हुए हैं यह स्पष्ट है कि लेखक (मि इर्विन) की सम्मति समस्त नीलवरों

की सम्मति से पूरी-पूरी मिलती है। लेखक (मि इर्विन) इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मि गांधी एक शुभाशय उपकारी पुरुष है और जिन लोगों ने इस आन्दोलन को खड़ा किया है उनके हाथ में वह एक कठपुतली-से हो रहे है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि मि गांधी की चाहे जो इच्छा हो पर जब से उन्होंने यह काम शुरू किया है तब से कई भयजनक घटनाएँ हो गई है। मि गांधी ने स्वयं अपने डीफेन्स के कारण चम्पारन जिले के एक मजिस्ट्रेट का एक पत्र भी प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मि गांधी की तहकीकात ने बहुत खलबली पैदा कर दी है। पर उन्हें (मि गांधी) ने यह अभी तक नहीं बताया है कि बिहार मे या हिन्दुस्तान के किसी और स्थान में किसी तरह के जाँच करने की उनमें क्या विशेष योग्यता है? अभी थोड़े ही दिन हुए आप बनारस से जो हट आये थे उससे मालूम हुआ कि आप बहुत कम विचार के आदमी है और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहार सरकार ने इतने दिनों तक आपको इतना अधिकार क्यों दे छोड़ा है। अब सुना जाता है कि छोटे लाट ने चम्पारन के सम्बन्ध में आपको रांची बुलाया है। और इधर प मदनमोहन मालवीय शायद यह समझकर कि उनकी आवश्यकता यहाँ को सुलझाने की गाजीपुर में है वहाँ जा पहुँचे है। अब समय आ गया है कि प्रांतीय सरकार इस प्रकार के परिव्राजक कमिश्नरों को रोके जिनके ऐसे कामों में जिससे उनको कोई सम्बन्ध नहीं है और जिनके विषय में वे कुछ विशेष योग्यता भी नहीं रखते है, हस्तक्षेप करने से भलाई के बदले बुराई की अधिक सम्भावना है। अगर कोई ऐसी बात है कि जिसमें तहकीकात की जरूरत है तो यह प्रांतीय सरकार का काम है कि वह उसके लिए कमीशन मुकर्रर करे, और यद्यपि इस प्रांत के गैरसरकारी हिन्दुस्तानियों की सहायता इस काम में सहर्ष ली जा सकती है पर बाहर वालों के हस्तक्षेप से हानि ही हानि हो सकती है।

'पायोनीयर' में मि इर्विन की चिट्ठी यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन का प्रस्ताव और उसकी आलोचना तीनों का एक ही दिन निकलना और वह भी ३ जून को जब महात्मा जी रांची जा चुके थे और सर एडवर्ड गेट ने ता ४ जून उनसे मुलाकात करने के लिए नियत कर दिया था —इसमें भी शायद कुछ रहस्य था। जो हो हिन्दुस्तानी पत्रों में भी इन सब बातों के विषय में कड़ी आलोचना की और मि पोलक ने भी इनका उत्तर प्रकाशित कराया।

इस विषय पर लिखते हुए कलकत्ते के अमृतबाजार पत्रिका ने (Threatened Whit Mutiny) नामक एक अग्र-लेख में लिखा—

The cry 'murder help' has been raised by the European Association and their organs. So not only are Mr Gandhi and his friends charged with fomenting unrest and crime in Champaran but the Government is dictated to drive them bag and baggage from the District at once, otherwise law and order would not be maintained

there. The standard of a white mutiny is thus in course of being raised. But we trust the Government of Sir Edward Gait is too strong to be coerced by these threats."

अर्थात्—"यूरोपियन एसोसिएशन और उनके मुखपत्र आज चिल्ला रहे हैं कि 'मदद दो नहीं तो जान गई'। मि. गांधी और उनके मित्रों पर केवल चम्पारन में अशांति उत्पन्न करने का दोष ही नहीं मढ़ा जाता है पर सरकार को उन्हें जिले से बाहर निकाल देने का परामर्श भी दिया जा रहा है—नहीं तो कहा जाता है कि शांति नहीं रहेगी। इस प्रकार 'गोरों के बलवे' का झंडा उठ रहा है पर हम आशा करते हैं कि सर एडवर्ड गेट की सरकार में इतना बल है कि इन सब बातों में वह नहीं डरेगा।

कलकत्ते के दैनिक 'बंगाली' ने लिखा—

"No one need be surprised at the 'Pioneer' flinging an attack on Mr Gandhi and his mission in Bihar. The resolutions of European Association at Muzaffarpur backed by the letter of Mr Irwin of Motihari seem to have fired the virtuous indignation of the Pioneer and it has no scruple in calling on the Bihar Government to account for permitting the self-imposed inquiry by Mr Gandhi. It will not be wise to remove Mr Gandhi from the District at the instance of an association, however influential it may be."

अर्थात्—"इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पायोनीयर ने मि. गांधी और उनकी कार्रवाई पर आक्षेप किया है। यूरोपियन एसोसिएशन के प्रस्ताव और मोतीहारी के मि. इर्विन की चिट्ठी देखकर मानो पायोनीयर आग-बबूला हो गया है और उसे बिहार सरकार से इस बात की कैफियत पूछने में कुछ भी संकोच नहीं होता है कि इसने मि. गांधी को जाँच क्या करने दिया। किसी भी संस्था के कहने से चाहे वह कितनी ही प्रभावशाली संस्था क्यों न हो महात्मा गांधी को हटाना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा।

प्रयाग के 'लीडर' ने एक बहुत बड़ा लेख ता. ७ जून के अंक में छापा जिसमें यह लिखा—

Mr Gandhi is an Indian. Motihari is his country and *ryots* are his countrymen. Mr Irwin is a sojourner from a foreign clime and so are the other planters. Their interest in the land is limited to the money they make here. They are alien exporters and make what they can out of the estate and *ryot*. And Mr Irwin has the impudence to demand the removal of Mr Gandhi and threaten that the Planters will take the law in their own hand if their mandate is not obeyed. It is absolutely necessary for Government to keep the threatening Planters in check and compel

गांधी पर किसी प्रकार से हाथ छोड़ने का फल यह होगा कि समस्त भारतवर्ष में सनसनी पड़ जायगी। उसने यह भी कहा कि नीलवर जो घबरा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि वह डर रहे हैं कि आज तक जो जोर-जबरदस्ती और जुल्म वे किया करते थे अब न करने पावेंगे और चम्पारन की प्रजा जो आज तक दबी हुई थी अब दबी न रहेगी।

मद्रास के 'जस्टिस' (The Justice) ने लिखा—

No one will believe Mr Gandhi will incite the labourers to acts of violence. He is opposed to the applications of physical force under any circumstances but if the complaint about the ill treatment of labourers has any foundation in fact Mr Gandhi is sure to sift it and the prosecution of his inquiries cannot be agreeable to the

---

to the Pioneer The surprise is that it did not appear earlier It is now too late for this valiant champion to connect the fire with Mr Gandhi enquiry after the opinion of the owner of the factory Whatever it is, the Government must not for the sake of its prestige tolerate a threat of the kind this impertinent planter is indulging when he writes—'The extreme forebearence of the planters has so far prevented th outbreak of any very serious disturbances. But unless the Government can see its way to protecting them, they will unavoidably be forced into taking the steps necessary for their own protection When Mr Gandhi report is published we hope the Government will not drive him to publish it, it will be found how the Bihar planters have been accustomed to have their own rule. Why should M Gandhi presence be so alarming? What has he preached? What crying for Mr Gandhi removal? The ryots are disturbed. They have borne all long much and they are certainly not going back to their slavery without a protest. Impatience of the planters is itself the best proof we have of the effectiveness of Mr Gandh presence Let us carefully gauge the situation, and proceed carefull To interfere with Mr Gandhi is out of question unless the government is prepared to throw the entire population of India into an uproar The planter cannot lord it over hereafter and he will continue to fret and foam.

The Government must hurry on the enquiry with extreme promptitude act up to the recommendations calculated to remove the grinding oppression to which people are subject W ppeal to the Government, not to be led into any unnecessary meddling with M Gandhi following the dvice of the Anglo-Indians

them to respect law and order instead of making provocative utterances or indulging in irritating threats. The allegations against Mr Gandhi are both wanton and u true and do not hurt him though they cause the greatest pain to his countrymen who revere him *as the revere but one other living Indlan in the whole country* "

अर्थात्— मि गांधी भारतवासी हैं और नीलेहारी उनके देश में हैं। यहाँ के रैयत उनके देशवासी हैं। मि इर्विन तथा दूसरे नीलवर अभ्यदेशीय पाजी हैं जिनका इस देश के साथ केवल यही सम्बन्ध है कि यहाँ रुपया उपार्जन करें। वे बाहर से आकर जहाँ तक हो सकता है यहाँ की भूमि और रैयतों से मुनाफा करते हैं तो भी मि इर्विन की यह गुस्ताखी है कि वह कहते हैं कि मि गांधी हटा दिये जायँ और यह धमकी देते हैं कि यदि उनकी आज्ञा न मानी गई तो नीलवर कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। यह अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार ऐसे धमकीबाज नीलवरों को दबाकर रखे और उनको कानून का आदर करना सिखावे ताकि वे इस प्रकार की कटु बातें और धमकियों से बाज रहें। जो लांछनायें मि गांधी पर की गई हैं एकदम झूठी हैं और उनसे मि गांधी का कोई नुकसान नहीं हो सकता यद्यपि उनके कारण उनके देशवासियों को कष्ट होता है। वे उनके प्रति ऐसी भक्ति रखते हैं जैसा कि सिर्फ एक ही दूसरे जीवित भारतवासी के लिए।

लखनऊ के 'एडवोकेट' (The Advocate) ने (The Cry for blood) शीर्षक लेख में लिखा—

The Allahabad Anglo-Indian paper has made avenomous attack on Mr Gandhi and Pandit Madan Mohan Malviya. This vile defender of th vested interests is furious that Mr Gandhi should make enquiries in Bibar Unfortunately the Government is not prepared to declare war on Indians though the Pioneer may want that. It is a pity that such irresponsible and poisonous attack on public leaders are not prevented."

अर्थात्—"इलाहाबाद के अंगरेजी पत्र ने मि गांधी और पं मदनमोहन मालवीय पर बहुत कड़ा आक्षेप किया है। मि गांधी जो जाँच कर रहे हैं उससे इस पत्र को बड़ा रंज है। उसके लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार हिन्दुस्तानियों के साथ यह लड़ाई नहीं ठान रही है। बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार के बे-सिर-पैर के आक्षेप जो नेताओं पर किये जाते हैं रोके नहीं जाते।

मद्रास के 'इण्डियन पेट्रियट' (The Indian Patriot) ने अपने छठी जून के अंक में एक बहुत ही कड़ा अग्र-लेख लिखा जिसमें उसने सरकार को बतलाया कि महात्मा

१ 'इं डियन पेट्रियट' का लेख इस प्रकार था—

'We are not surprised at the letter which Planter has written

की और सरकार से पूछा कि वह कब तक सरकार ऐसे धमकियों की बात बर्दाश्त करती है।

नागपुर के 'हितवाद' ने ता १६ ६ १७ के अंक में 'पायोनीयर' इत्यादि पत्रों के महात्मा गांधी के विषय के लेखों पर समालोचना करते हुए लिखा—

A noble sainted hero who has worked the white flower of blameless life, that is how India regards Mr Gandhi. It will be a terrible day not only for India but for England also if owing to the vilification of a few Anglo-Indian journals and sordid self-interested spite of handful of Europeans, the Government is foolishly persuaded to translate the hero into a martyr"

अर्थात्— 'भारतवर्ष मि गांधी को एक महात्मा समझता है। भारतवर्ष और विलायत दोनों के लिए वह बहुत बड़ा दुर्दिन होगा कि जब कुछ अंगरेजी पत्रों की गालियों से और चन्द नीच दुर्विचार स्वार्थी अंगरेजों के कहने पर सरकार उस महात्मा पर किसी प्रकार हाथ डालेगी।

बम्बई के 'यंग इण्डिया' (Young India) ने ता ६ ६ १७ को यों लिखा—

"It is all very well for Mr Irwin to prate as he thinks. But the question is whether the Bihar Government will put up with the impertinent factory manager who has chosen an impudent way of telling the Government what it should do or should not do"

अर्थात्— 'मि इर्विन जो चाहे कह सकते हैं पर प्रश्न यह है कि बिहार सरकार ऐसे ढोंग कोठीवाल की बात का जो इस तरीके से सरकार को कहता है कि उसे क्या करना और क्या न करना चाहिए बर्दाश्त करता है या नहीं।

planters. Thei threat of taking the law into their hands is as amusing as it is undoubtedly reprehen ible."

अर्थात्— मैं इस बात का विश्वास नहीं कर सकता कि मि. गांधी मजदूरों को भड़का करने का कारण रहे हैं। उनका सिद्धान्त है कि सब अवस्था में अहिंसा धर्म है। पर यदि मजदूरों के साथ बर्ताव के विषय में जो शिकायतें की जाती हैं वे सच हैं तो मि. गांधी उन्हें बयान ही करें और शिकायतें और इसलिए उनकी जाँच नीलवरों को कभी अच्छी नहीं लग सकती। उनकी यह धमकी कि वे कानून को अपने हाथ में ले लेंगे उतनी ही हास्यजनक है जितनी कि वह शोचनीय है।

मद्रास के 'न्यू इंडिया' (The New India) ने लिखा—

"To attribute as M Irwin did, the recent Incendiarism to Mr Gandhi' presence for or near or to his influence however remote, is distinctly malevolent"

अर्थात्—"मि. इर्विन का यह कहना कि मि. गांधी की उपस्थिति के कारण ही कोठियाँ जली हैं साफ बदनीयती के कारण है।

मद्रास के 'हिन्दू' (Th Hind) में लिखा—

The situation in Biha regarding the grievances of the *ryots* and Mr Gandhi enquiries thereto appears to be fast developing into a crisis of some magnitude There is reason to believ that the interview arranged by His Honour Sir Edward Gait, Lieutenant-Governor was to discuss with M Gandhi the undesirability of the latter continuing his investigation into labour condition in European Indian plantation. The Indian public will await the result of this interview with anxiety for they feel that it would be pity if such an enquiry conducted on trictly impartial, if humanitarian, lines as the one which Mr Gandhi has taken upon himself, were to be abruptly forbidden simply because vested interests trongly oppose it.

इसका भावार्थ यह है "चम्पारन में मि. गांधी रैयतों के दुःख सम्बन्धी जो जाँच कर रहे हैं उससे वहाँ की स्थिति बहुत कठिन होती जा रही है। मालूम होता है कि सर एडवर्ड गेट ने मि. गांधी के साथ जो मुलाकात मुकर्रर की है वह इसलिए है कि उस बात पर विचार किया जावे कि मि. गांधी का चम्पारन में रहना उचित है या नहीं। सर्व साधारण इस मुलाकात के नतीजे की राह जोहते रहेंगे क्योंकि उनकी धारणा है कि जो जाँच मि. गांधी ऐसी निरपेक्षता से कर रहे हैं उसका स्वार्थियों के कहने पर रोक दिया जाना बड़े दुःख की बात होगी।

बम्बई के 'मैसेंजर' पत्र ने भी इसी प्रकार मि. इर्विन की चिट्ठी की कड़ी समालोचना

चम्पारन-सत्याग्रह में महात्मा गांधी अपनी धर्म-पत्नी के साथ

ग्यारहवाँ अध्याय

जाँच कमेटी की नियुक्ति

इधर चम्पारन में इस प्रकार की धूम मच रही थी और ता० ४, ५, ६, ७ को सर एडवर्ड गेट महात्मा जी से साथ चम्पारन की स्थिति पर बातें और सलाहें कर रहे थे। हम लोग अपने अपने स्थानों पर ४ जून को पहुँच गये थे और संध्या के समय प्रतिदिन रांची से तार की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोगों के मन में तरह-तरह की भावनाएँ उठ रही थीं। जिस प्रकार सरकारी अफसरों ने चम्पारन में अशान्ति और आपत्तियाँ देख उन्हें दूर करने के लिए सम्भवतः गांधी जी को चम्पारन से हटाने का यत्न किया था उसी प्रकार हम लोग चम्पारन बहिष्कार की आज्ञा का अनुभव कर रहे थे। बहिष्कार की आज्ञा का भय नहीं था केवल एक प्रकार का कौतूहल-सा हो रहा था। हृदय में उत्सुकता और अभिलाषा की तरंगें उठ रही थीं। इसी प्रकार संकल्प-विकल्प भावनाओं में रातें कटते ८ जून की रात कट गई। ता० ५ जून को ८ बजे सवेरे एक तार बाबू आता दिखाई पड़ा। सब उस ओर सब के सब दौड़ पड़े। जब तक वह तार खोलकर पढ़ा नहीं गया हृदय में बड़ा क्षोभ था। पर तार के पढ़ने से कुछ संतोष नहीं हुआ क्योंकि कोई बात साफ-साफ नहीं लिखी थी। तार में केवल इतना ही लिखा था कि आज की मुलाकात संतोषप्रद है फिर कल मिलना है। फिर [illegible] में हम लोग दूसरे तार की उसी प्रकार बाट देखने लगे। आज चित्त उस प्रकार उद्विग्न नहीं था और वे भावनाएँ भी उस प्रकार नहीं उठ रही थीं पर अभी तक पूर्ण शान्ति न थी। और कौतूहल बराबर बना रहा। ता० ६ जून भी उसी प्रकार बीत गई। ७ जून को महात्मा जी का तार मिला कि हम लोग ८ जून को रांची से वापिस आवेंगे।

४ जून से ६ जून तक सर एडवर्ड गेट तथा कौंसिल के सदस्यों से महात्मा जी बातें करते रहे और अन्त में यह निश्चय हुआ कि एक जाँच कमेटी नियुक्त की जावेगी जिसमें महात्मा गांधी भी सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्यों के नाम भी उसी समय निश्चित हुए और उनकी अनुमति नहीं रहने के कारण सरकार ने यह निश्चय किया कि जब तक अनुमति न आ जावे यह खबर प्रकाशित न की जाय। रांची जाने के समय आश्रम से स्पेशल में महात्मा जी की धर्मपत्नी तथा उनके सुयोग्य कनिष्ठ पुत्र श्रीयुत देवदास गांधी आ मिले थे और सब लोग एक साथ वहीं से रांची गये थे। रांची से महात्मा जी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद श्रीमती गांधी तथा श्रीयुत देवदास गांधी सब एक साथ ही पटना ७ जून को सवेरे पहुँचे। वहीं प्रयाग से पं० मदनमोहन मालवीय फिर आ गये थे। सब लोगों से भेंट करके ८ जून को महात्मा जी पटने से चले और संध्या समय बेतिया पहुँचे।

चम्पारन-सत्याग्रह में महात्मा गांधी अपनी धर्म-पत्नी के साथ

यहाँ पहले ही समाचार आ चुका था कि इस बार श्रीमती गांधी भी आने वाली हैं इसलिए स्टेशन पर बहुत भीड़ हुई। लोगों ने बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया। श्रीमती गांधी भी धर्मशाला की एक दूसरी कोठरी में रहने लगी।

इधर सरकार के मना करने पर भी न मालूम पटने के एसोसिएटेड प्रेस के संवाददाता को कहाँ से खबर मिल गई और उसने ७ जून को तार दे मारा कि सरकार कमीशन नियुक्त करेगी। यह समाचार ८ जून के पत्रों में छप गया और सरकार को इसमें बड़ी भूल दीख पड़ी। ता० ११ जून को सरकार की ओर से एक प्रतिवाद इस प्रकार का प्रकाशित हुआ—

"The attention of the Government of Bihar and Orissa has been drawn to the communication dated June 7th on the subject of the agrarian situation in Champaran, which emanated from Bankipur correspondent of the Associated Press. It was published in several newspapers of June 8th. The communication was made without the knowledge or authority of the Local Government and contained various incorrect and misleading statements. The Local Government intend to appoint a Committee to enquire into the relations existing between the landlords and the tenants of the Champaran District and will shortly announce its constitution and terms of reference."

अर्थात्—"बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेण्ट का ध्यान चम्पारन की कृषि-सम्बन्धी अवस्था पर पत्रों में जो एक समाचार निकला है उसकी ओर आकर्षित हुआ है। यह एसोसियेटेड प्रेस के बाकीपुर के संवाददाता ने ७ जून को भेजा है और वह कई एक अखबारों में ८ जून को प्रकाशित हुआ है। यह समाचार सरकार के बिना जाने और बिना आदेश के ही प्रकाशित हुआ है और इसमें बहुत सी बातें गलत हैं। प्रान्तिक सरकार जमींदारों और रैयतों के वर्तमान सम्बन्ध के विषय में जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का विचार कर रही है और शीघ्र ही इसके मेम्बरों के नाम और कार्य प्रणाली प्रकाशित करेगी।

ता० १३-६-१७ को सरकारी मन्तव्य जिसमें कमेटी की नियुक्ति की सूचना और सदस्यों के नाम दिये हुए थे छप गया।

ता० ११-६-१७ को जब महात्मा गांधी रांची जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे हम लोग भी तरह-तरह के विचार कर रहे थे। ता० ८ जून को जब वह यहाँ से मजरवार होने के बदले सपत्नीक सुगुना और मठलबल बतिया ५ बजे लौट आए पर इसी के बीच में कितना अन्तर पड़ गया। जो उस दिन एक प्रकार अभियुक्त होकर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाये गये थे वही आज चम्पारन की कृषि-सम्बन्धी कमेटी के सदस्य बनकर आये। पाठक

सभी ही पूछ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। सच्चे हृदय से रैयतों की दुःख मुक्ति की मनोकामना और साथ ही नीलवरों के प्रति किसी प्रकार के हिंसक विचार को न आने देने का दृढ़ संकल्प, अपने सिद्धान्त और कष्ट-यातनायें दुःख सहन करने के लिए प्रस्तुत रहना, सत्य पर अटल विश्वास और उसके सामने पृथ्वी की अन्य शक्तियों से निर्भीकता —बस इन्हीं गुणों के कारण ऐसा परिवर्तन सम्भव हुआ। इन्हीं पर आरूढ़ होने को सत्याग्रह कहते हैं।

कमेटी नियुक्त होने का समाचार पाते ही ऐंग्लो-इण्डियन दलों में कोलाहल मचा दिया। ता० १ जून के अपने अंक में पायोनियर, स्टेट्समैन और इंगलिशमैन ने एक स्वर से फिर साफ-साफ लिखा कि अब महात्मा गांधी को चम्पारन से हटा देना ही संभव है क्योंकि कमिटी हो जाने पर उनके यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं। वे यह नहीं जानते थे कि महात्मा गांधी भी कमेटी के एक सदस्य नियुक्त हुए हैं। ता० ८ जून को खबर पाते ही कलकत्ते के यूरोपियन एसोसिएशन (European Association) के मंत्री मि० डी० मार्श (M Dee Marsh) ने यह पत्र भेजा जिससे उनकी पहली कार्रवाइयों का भी पता चलता है—

I have the honour to address you by direction of the Council of the European Association with reference to Mr Gandhi's visit to Champaran District and the matters that have arisen in consequence of his presence. On the 3rd May last I telegraphed you copy of a telegram despatched to the Government of India regarding the situation in the Champaran District and on the 4th May I have forwarded you copy of letter no. 1573 addressed to the Government of India regarding the same matter.

invariably afford ground for criticism that there is something to be concealed from the public that some person is being shelved. In a matter of this kind the Council consider that the public should be permitted to form its own opinion.

My Council desires to impress on your Government that Mr Gandhi having completed his self-appointed task of investigating the relation between the landlords and the tenants in the Champaran District and having submitted his report to you in his letter of May 13th there is no further necessity for his presence in that District. Your Government are doubtless aware of the grave anxiety existing among the planting community that serious trouble may arise at any moment. Also that the opinion is generally held by the same committee that the continued presence of Mr Gandhi and his entourage in Champaran is likely to precipitate serious trouble in various directions. My Council would, therefore, urge upon the Government as strongly as possible that Mr Gandhi and his entourage be required by Government to remove themselves from the Champaran District except and in so far as Mr Gandhi's presence may be desired by the proposed committee.

अर्थात्—'यूरोपियन एसोसिएशन की ओर से मेरा चम्पारन में मि गांधी और उनकी जाँच के सम्बन्ध में यह निवेदन है कि मैंने १ मई को भारत सरकार के पास चम्पारन की स्थिति सम्बन्धी तार की नकल भेज दी है और ता ४ को उसी विषय में सरकार के पास भेजे गये पत्र की भी नकल भेज दी है। मेरे कौंसिल को यह सुनकर बहुत सन्तोष हुआ है कि आपकी सरकार ने बिहार के जमींदार और रैयतों के सम्बन्ध के विषय में जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की है। हम लोगों की राय है कि कमेटी को जहाँ तक हो सके सब बातों की जाँच करने का अधिकार दिया जाय ताकि फिर कोई झगड़ा बाकी न रह जाय।

"हम लोगों की यह भी राय है कि यह जाँच खुले तरीके से हो। इस प्रकार की जाँच यदि बन्द कमरे में होती है तो सर्वसाधारण को शक रह जाता है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको छिपाना आवश्यक है अथवा कुछ लोगों को बचाना है। इसलिए सर्वसाधारण को अपनी स्वतंत्र राय कायम करने का मौका देना चाहिए।

"हमारा आग्रहपूर्वक यह कहना है कि जब मि गांधी ने अपनी जाँच खतम कर ही दी है और आपकी सरकार में उसकी रिपोर्ट ता ११ मई को भेज दी है तो ऐसी अवस्था में उनके वहाँ अब ठहरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार से यह बात छिपी नहीं है कि वहाँ के नीलवर किस प्रकार से घबरा रहे हैं और उनको भय है कि मि गांधी और उनके

साथियों के रहने से खतरा किसी समय हो सकता है। इसलिए मि॰ गांधी और उनके साथियों को तुरन्त हटा देना चाहिए और मि॰ गांधी कमेटी की बदौलत के सिवाय और किसी काम के लिए वहां न रहें।

इस पत्र की आलोचना करते हुए कलकत्ते के 'डेली न्यूज' (The Indian Daily News) ने यह लिखा—

"Now that the Bihar and Orissa Governments have decided to appoint a small committee of enquiry to investigate the whole question of relations between the landlord and the tenant in the province, it seems impossible that they can allow a Roving Commission to an agitator who has to make his case good or stand discredited."

अर्थात्—"जब बिहार गवर्नमेन्ट ने वहां के जमींदारों और रैयतों के सम्बन्ध के विषय में जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी तो यह असंभव जान पड़ता है कि वहां की सरकार ऐसे आंदोलक को वहां घूमने की आज्ञा देगी जिसको अपनी बातों को सच्चा साबित करना अथवा झूठा बनना है।

अफसोस! कमेटी के लिए भी महात्मा गांधी की आवश्यकता पड़ गई और यूरोपियन एसोसियेशन की आन्तरिक इच्छा कि कमेटी की जांच महात्मा जी के हटा दिये जाने के बाद आरम्भ हो पूरी नहीं हो सकी, और भी अफसोस कि (Roving Commissioner) परिभ्रामक कमिश्नर की सब बातों को कमेटी ने सत्य ठहराया।

कमेटी की नियुक्ति के सम्बन्ध में बिहार सरकार ने एक वक्तव्य ता॰ १०-६-१७ को निकाला और वह ता॰ १२-६-१७ के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। उस वक्तव्य से ही स्पष्ट मालूम होता है कि चम्पारन में रैयतों की शिकायत कुछ नई और आन्दोलन करने वालों की कल्पना-मात्र न थी। उसे यहां उद्धृत कर देना आवश्यक है।

बिहार सरकार का वक्तव्य इस प्रकार था—

On various occasions during the past fifty years the relations of landlords and tenants and the circumstances attending the growing of indigo in the Champaran District have been the cause of considerable anxiety. The conditions under which Indigo was cultivated when the industry was flourishing required re-adjustment when it declined simultaneously with a general rise in the prices of foodgrains, and it was partly on this account and partly owing to other local causes that disturbances broke out in certain Indigo concerns in 1908. Mr Gourlay was deputed by the Government of Bengal to investigate the causes of the disturbances and his report and recommendations were considered at a series of conferences presided over by Sir Edward Baker and attended by local officers of Government and represen-

tatives of the Bihar Planters Association

The result of these discussions revised the conditions for the cultivation of indigo in a manner calculated to remove the grievances of the *ryots* The revised conditions were accepted by the Bihar Planters Association.

(2) In 1912 a fresh agitation arose connected not so much with the conditions under which indigo was grown, as with the action of certain factories which were reducing their indigo manufacture and taking agreements from their tenants for the payment in lieu of indigo cultivation of a lump sum, in temporarily leased villages or of an increase of rent in villages under permanent lease. Numerous petitions on the subject were presented from time to time to the local officers and to Government, and petitions were at the same time filed by *ryots* of villages n the north of the Bettiah Sub-Division in which indigo had never been grown, complaining of the levy of *abwab* or illegal additions to rent, by their leaseholders, both Indian and European. As the issues raised by all these petitions related primarily to rent and tenancy conditions and as the revision of the settlement of the district was about to be undertaken, in the course of which the relations existing between landlords and tenants would come under detailed examination, it was thought advisable to await the report of the settlement officers before passing final orders on the petitions. The revision settlement was tarted in the cold weather of 1913. On the 7th April, 1915 a resolution was moved in the local Legislative Council asking for the ppointment of a mixed committee of officials and non-officials to enquire int the complaints of the *ryots* and to suggest remedies. It wa negatived by a large majority including 12 out of the 16 non-official members of the council present, on the ground that the appointment of such a committee at that stage was unnecessary as the settlement officers were engaged in the decision of the questions at issue and an additional enquiry of the nature proposed would merely have the effect of further exa cerbating the relations of landlord nd tenant, which were already feeling th strain of the settlement operations.

(3) The settlement operations have been now completed in the northern portion of the d stricts and are approaching completion in the remainder and a mass of evidence regarding agricultural conditions and the relations between landlords and tenants has been

मालिकों के हाथ में चम्पत किसी प्रकार हो सकता है। इसलिए कि गांधी और उनके साथियों का मुंह बन्द कर देना चाहिए और कि इसी कमेटी की अदालत में जिरह और किसी काम के लिए कहीं न रहे।

इस पत्र की बात का समर्थन करते हुए कलकत्ते के 'इंडियन डेली न्यूज़' (The Indian Daily News) ने यह लिखा—

Now that the Bihar and Orissa Governments have decided to appoint a small committee of enquiry to investigate the whole question of relations between the landlord and the tenant in the province it seems impossible that they can allow a Roving Commission to an agitator who has to make his case good or stand discredited.

अर्थात्—"जब बिहार गवर्नमेंट ने प्रान्त के जमींदारों और रैयतों के सम्बन्ध के विषय में जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी तो यह असंभव जान पड़ता है कि वहाँ की सरकार एक आन्दोलनकारी को घूमने की आज्ञा देगी जिसको अपनी बातों को सच्चा साबित करना अथवा झूठ बनाना है।

आश्चर्य! कमेटी के लिए भी महात्मा गांधी की आवश्यकता पड़ गई और यूरोपियन एसोसिएशन की आन्तरिक इच्छा कि कमेटी का काम महात्मा जी के हट जाने के बाद आरम्भ हो पूरी नहीं हो सकी और भी आश्चर्य कि (Roving Commissioner) परिभ्रमण कमिश्नर को सब बातों की कमेटी में सदस्य बनाया।

कमेटी की नियुक्ति के सम्बन्ध में बिहार सरकार ने एक वक्तव्य ता० १०-६-१७ को निकाला और वह ता० १२-६-१७ के समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। उस वक्तव्य से ही स्पष्ट मालूम होता है कि चम्पारन में रैयतों की शिकायत कुछ नई और आन्दोलन करने वालों की रचना-मात्र न थी। उसे यहाँ उद्धृत कर देना आवश्यक है।

बिहार सरकार का वक्तव्य इस प्रकार था—

On various occasions during the past fifty years the relations of landlords and tenants and the circumstances attending the growing of indigo in the Champaran District have been the cause of considerable anxiety. The conditions under which indigo was cultivated when the industry was flourishing required re-adjustment when it declined simultaneously with a general rise in the prices of foodgrains, and it was partly on this account and partly owing to other local causes that disturbances broke out in certain indigo concerns in 1908. Mr Gourlay was deputed by the Government of Bengal to investigate the causes of the disturbances and his report and recommendations were considered at a series of conferences presided over by Sir Edward Baker and attended by local officers of Government and represen-

( ) to report their conclusions to the Government stating the measures they recommend in order to remove any abuses or grievances which they may find to exist.

The Lieutenant-Governor-in-Council desires to leave the committee a free hand as *to the procedure they will adopt in* arriving at the facts. The committee will assemble about the 15th July and will, it is hoped complete their labours within three months.

अर्थात्— गत पचास वर्षों में चम्पारन जिले में कई बार जमींदार और रैयतों के बीच के सम्बन्ध तथा नील उपजाने की शर्तों के कारण सरकार में सख्त तरद्दुद हुआ है। जब नील की तिजारत अच्छी हालत में थी तब जिन शर्तों पर नील उपजाया जाता था उनमें उस समय कुछ अदल-बदल करने की जरूरत पड़ी जब कि उसकी तिजारत घट गई और साथ-साथ गल्ले का दाम बढ़ गया। और कुछ अंश में इसी कारण से और कुछ अंश में कुछ दूसरे स्थानीय कारण से नील की कई कोठियों में सन् १   ८ में हंगामा हो गया। बंगाल सरकार की ओर से बलवे के कारणों के विषय में अनुसंधान करने के लिए मि० गोरले नियुक्त किये गये और उनकी रिपोर्ट और सिफारिशों पर सर एडवर्ड बेकर (Sir Edward Baker) की अध्यक्षता में कई कान्फ्रेंसों में विचार किया गया। इन कान्फ्रेंसों में स्थानीय सरकारी कर्मचारी और 'बिहार प्लान्टर्स एसोसिएशन' के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इन विचारों का नतीजा यह हुआ कि नील की खेती कराने की जो शर्तें थीं उनमें इस प्रकार के अदल-बदल किये गये जिससे समझा गया कि रैयतों के दुःख दूर हो जायँगे। बदली हुई शर्तों को बिहार प्लान्टर्स एसोसिएशन ने कबूल कर लिया।

(२) सन् १९१२ में एक दूसरा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इसका सम्बन्ध नील उपजाने की शर्तों से उतना नहीं था जितना कि चन्द कोठियों की कार्रवाइयों से जो नील की तिजारत को कम कर रहे थे और चन्द्रगोवा ठेके के गाँवों के रैयतों से नील की खेती से छुटकारा पाने के बदले में एकमुश्त रकम ले रहे थे और मुकर्ररी गाँवों के रैयतों से मालगुजारी का इजाफा देने के लिए सट्टा लिखा रहे थे। इस विषय में कितनी ही दरख्वास्तें स्थानीय अफसरों तथा गवर्नमेण्ट के पास समय-समय पर दी गई। उसी समय बेतिया सब डिवीजन के उत्तर के रहने वाले रैयतों ने भी जहाँ नील की खेती कभी नहीं हुई थी दरख्वास्तें दीं जिसमें अबवाब लेने के विषय में हिन्दुस्तानी तथा यूरोपियन ठेकेदारों के खिलाफ शिकायतें की गई थीं। चूँकि इन सब दरख्वास्तों में की गई शिकायतें मुख्यतः मालगुजारी और टेनेन्सी (Tenancy) की हालत से सम्बन्ध रखती थीं और चूँकि इस जिले में फिर से बन्दोबस्त शुरू होनेवाला था जिसमें जमींदारों और रैयतों के सम्बन्ध के विषय में पूरी तरह से जाँच करने का मौका आनेवाला था इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि

collected. A preliminary report on the complaints of the tenants in the leased villages in the north of the Bettia Sub-Division in which no indigo is grown has been received and action has already been taken to prohibit the levy of illegal cesses (abwabs) and in the case of the Bettiah Raj to review the terms of the leases on which the villages concerned are held. As regards the complaints of the ryots in other parts of the district the final report of the settlement officer has not yet been received, but recent events have again brought into prominence the whole question of the relations between landlords and tenants and in particular the taking of agreements from the ryots for compensation, or for enhanced rent in return for the abandonment of indigo cultivation. In these circumstances and in reference to representations which have been received from various quarters that the time has come when an enquiry by a joint body of officials and non-officials might materially assist the Local Government in coming to a decision on the problems which have arisen, the Lieutenant-Governor-in-Council has decided without waiting for the final report of the settlement operations to refer the questions at issue to a committee of enquiry on which all interests concerned will be represented.

(4) The following committee has accordingly been appointed with the approval of the Government of India. President: Mr. F. G. Sly, C.S.I., Commissioner, Central Provinces. Members: The Hon. Mr. L. C. Adami, I.C.S., Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, Bihar and Orissa. The Hon. Raja Harihar Prashad Narayan Singh, Member of the Bihar and Orissa Legislative Council, the Hon. Mr. D. J. Reid, Member of the Bihar and Orissa Legislative Council. Mr. G. Rainy, I.C.S., Deputy Secretary in the Finance Department of the Government of India, and Mr. M. K. Gandhi, Secretary: Mr. E. L. Tanner, I.C.S., Settlement Officer in South Bihar.

(5) The duty of the Committee will be—

( ) To enquire into the relation between landlords and tenants in Champaran District, including all disputes arising out of the manufacture and cultivation of indigo,

(*b*) to examine the evidence on these subjects already available, supplementing it by such further inquiry, local and otherwise, as they may consider desirable, and

(*c*) to report their conclusions to the Government stating the measures they recommend in order to remove any abuses or grievances which they may find to exist.

The Lieutenant-Governor-in-Council desires to leave the *committee a free hand as to the procedure they will adopt in* arriving at the facts. The committee will assemble about the 15th July and will, it is hoped complete their labours within three months.

अर्थात्—"गत पचास वर्षों में चम्पारन जिले में कई बार जमींदार और रैयतों में बीच के सम्बन्ध तथा नील उपजाने की शर्तों के कारण सरकार के सख्त तरद्दुद हुआ है। जब नील की तिजारत अच्छी हालत में थी तब जिन शर्तों पर नील उपजाया जाता था उनमें उस समय कुछ अदल-बदल करने की जरूरत पड़ी जब कि उसकी तिजारत घट गई और साथ-साथ गन्ने का दाम बढ़ गया। और कुछ अंश में इसी कारण से और कुछ अंश में कुछ दूसरे स्थानीय कारण से नील की कई कोठियों में सन् १९०८ में हंगामा हो गया। बंगाल सरकार की ओर से झगड़े के कारणों के विषय में अनुसंधान करने के लिए मि० गोरले नियुक्त किये गये और उनकी रिपोर्ट और सिफारिशों पर सर एडवर्ड बेकर (Sir Edward Baker) की अध्यक्षता में कई कान्फ्रेंसों में विचार किया गया। इन कान्फ्रेंसों में स्थानीय सरकारी कर्मचारी और 'बिहार प्लान्टर्स एसोसिएशन' के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इन विचारों का नतीजा यह हुआ कि नील की खेती कराने की जो शर्तें थीं उनमें इस प्रकार के अदल-बदल किये गये जिनसे समझा गया कि रैयतों के दुःख दूर हो जायँगे। बदली हुई शर्तों को बिहार प्लान्टर्स एसोसिएशन ने कबूल कर लिया।

(२) सन् १९१२ में एक दूसरा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इसका सम्बन्ध नील उपजाने की शर्तों से उतना नहीं था जितना कि उन कोठियों की कार्रवाइयों से जो नील की तिजारत को कम कर रही थीं और जो ठेके के गाँवों के रैयतों से नील की खेती से छुटकारा पाने के बदले में एकमुश्त रुपये ले रही थीं और मुकर्ररी गाँवों के रैयतों से माल-गुजारी का इजाफा देने के लिए शरहें लिखा रही थीं। इस विषय में कितनी ही दरख्वास्तें स्थानीय अफसरों तथा गवर्नमेण्ट के पास समय-समय पर दी गईं। उसी समय बेतिया सब डिवीजन के उत्तर के पहले वाले रैयतों ने भी जहाँ नील की खेती कभी नहीं हुई थी दरख्वास्तें दीं जिनमें 'अबवाब' लेने के विषय में हिन्दुस्तानी तथा यूरोपियन ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत की गई थी। चूँकि इन सब दरख्वास्तों में की गई शिकायतें मुख्यतः मालगुजारी और टेनेंसी (Tenancy) की हालतों से सम्बन्ध रखती थीं और चूँकि इस जिले में फिर सर्वे बन्दोबस्त शुरू होनेवाला था जिसमें जमींदारों और रैयतों के सम्बन्ध के विषय में पूरी तरह से जाँच करने का मौका आनेवाला था इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि

उन दरख्वास्तों पर आखिरी हुक्म देने के पहले सैटलमण्ट अफसर की रिपोर्ट की इंतजारी की जाय। द्वितीय बन्दोबस्त का काम सन् १९११ ईस्वी के जाड़े में शुरू किया गया और ७ अप्रैल १९१५ ई को स्थानीय व्यवस्थापिका सभा में एक प्रस्ताव इस आशय का पेश किया गया कि रैयतो की शिकायतो की जाँच करने तथा उनके निवारण का उपाय बतलाने की नीयत से सरकारी और गैरसरकारी लोगों की एक कमेटी मुकर्रर की जाय। यह प्रस्ताव बहुमत से नामंजूर हुआ जिसम १६ उपस्थित गैरसरकारी मेम्बरो में से १२ ने इसके विरुद्ध सम्मति दी और इसका कारण यह बतलाया गया कि उस समय कमेटी नियुक्त करना अनावश्यक था क्योंकि जो सवाल पेश था उसके निपटारे के लिए जिन बातो की जरूरत थी उनको सैटलमेण्ट अफसर इकट्ठा कर रहे थे और इस नई जाँच से जमींदार तथा रैयतो का आपस का सम्बन्ध जिस पर सैटलमेण्ट की कार्रवाइयो का असर पड़ ही रहा था बुरा हो जाता।

(३) जिले के उत्तरी भाग में बन्दोबस्त का काम अब खतम हो गया है और बाकी हिस्से में भी अब ख म हो चला है और जमीन की हालतो तथा जमींदार और रैयतो के आपस के सम्बन्ध के विषय में बहुत से सबूत इकट्ठे किए जा चुके है। बेतिया अन-डिवीजन के उत्तर भाग के ठेके के गाँवो के रैयतो की शिकायतों के सम्बन्ध में एक प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है और नाजायज सेसो की वसूली के रोकने के विषय म कार्रवाई भी की जा चुकी है। और बेतिया राज्य के विषय में यह निश्चय किया गया है कि उन शर्तों पर फिर से नजरसानी की जाय जिन पर वे गाँव ठेके पर दिये गये है। जिले के दूसरे भागों के रैयतो की शिकायतो के सम्बन्ध में सैटलमेण्ट अफसर की रिपोर्ट अभी नहीं आई है पर हाल में जो घटनाएँ हुई है उनसे वहाँ के जमींदार तथा रैयतो के आपस के सम्बन्ध का सारा सवाल विशेषकर यह बात कि नील बोने से छुटकारा पाने के बदले में रैयतो ने हरजाना देने या इजाफा लगान देने के लिए सट्टे लिखवाये गये है जोरो से फिर नजरो के सामने आ गई है। ऐसी हालतो में उन दरख्वास्तों पर विचार करके जो कई जगहो से आई है और जिनमे कहा गया है कि अब वह समय आ गया है जब कि सरकारी और गैरसरकारी लोगो की एक कमेटी की जाँच से उपस्थित समस्याओ की मीमासा म सरकार को काफी मदद मिल सकती है लेफ्टिनेंट-गवर्नर ने अपनी कौंसिल की राय से यह तजवीज किया है कि बिना सैटलमेण्ट की आखिरी रिपोर्ट की इंतजारी किये हुए झगड़े की इन सब बातो को एक कमेटी के हवाले किया जाय जिसमे उन सब पेशियो के सज्जन हो जिनको इस मामले से सरोकार है।

(४) इसलिए नीचे लिखे हुए सदस्यो की एक कमेटी भारत सरकार की मंजूरी से नियुक्त की गई है। मि एफ. जी स्लाई, सी एस आई. (Mr F G Sly C.S.I) कमिश्नर, मध्य प्रदेश सभापति माननीय मि एल सी आदामी आई सी एस बिहार और उड़ीसा सरकार के कानून विभाग के सुपरिन्टेंडेंट तथा अफसर (M L C

Adami I C S) माननीय राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह बिहार कौंसिल के मम्बर माननीय मि डी जे रीड (Mr D J Reid) बिहार कौंसिल के मम्बर मि जी रैनी आई सी एस (Mr G Rainy I C S.) भारत सरकार के फाइनान्स विभाग के डिपुटी सेक्रेटरी और एम के गाधी—कमेटी के कमिश्नर तथा मि ई एल टैनर आई सी एस (Mr E.L. Tanner I C S) दक्षिण बिहार के सैटलमेण्ट अफसर, सेक्रेटरी नियुक्त किये जाते हैं।

(५) कमेटी के काम में हाथ—

(अ) चम्पारन जिले में जमींदारों तथा रैयतों के बीच के सम्बन्ध के विषय में तथा नील के उपजाने और उसके तैयार करने के सम्बन्ध में जो झगड़े हुआ करते हैं उनके विषय में जाँच करना।

(ब) इन सब विषयों में जो सबूत मौजूद हैं उन पर विचार करना अगर मुनासिब समझा जाय तो कमेटी स्थान पर जाकर या दूसरी तरह से और जाँच करके और भी सबूत इकट्ठा कर सकती है।

(स) अपनी जाँच के परिणाम को सरकार में पेश करना तथा जो शिकायत या तकलीफ उनकी समझ में ठीक निकलें उनके निपटारे के लिए उपाय बताना। कमेटी की जाँच का तरीका क्या होगा इसके निश्चय करने में कौंसिल सहित लफ्टिनेण्ट-गवर्नर कमेटी को पूरी आजादी देते हैं। कमेटी की बैठक ता १५ जुलाई के लगभग शुरू होगी और आशा की जाती है कि तीन महीने के भीतर यह अपना काम खतम कर देगी।

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि माननीय राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह के अस्वस्थ हो जाने पर उनके स्थान पर बनैली के माननीय राजा कृत्यानन्द सिंह जी इस कमेटी के सदस्य नियुक्त हुए। कमेटी के नियुक्त होने पर प्रायः सभी समाचारपत्रों ने इस विषय में आलोचना की। अंगरेजी पत्रों ने भी महात्मा गांधी का सदस्य बनाया जाना पसन्द न करते हुए भी सब बातों का विचार कर उनकी नियुक्ति का विरोध न किया।

कलकत्ते के स्टेट्समैन ने ता १५ ६ १७ को सरकारी मन्तव्य की आलोचना करते हुए लिखा—

"The selection of the members has been admirably made The President Mr Sl distinguished himself by excellent service on the Public Service Commission and some special qualification can be discovered [illegible] ach member of the Committee not excluding M Gandhi w[illegible] se appoi tment is a bold and judicious troke"

अर्थात्—"मम्बरों का चुनाव बहुत प्रशंसनीय हुआ है। सभापति मि स्लाई ने पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत काम में सम्मान पाई है। अन्य सब मम्बरों में भी

कोई-न-कोई विलक्षणता है। मि गांधी का चुनाव भी बुद्धिमानी और कुशलता का परिचय देता है।

इस प्रकार 'पायनीयर' ने ता १८।६।१७ को कमेटी के सम्बन्ध की प्रशंसा की और महात्मा गांधी के सम्बन्ध में यों लिखा —

"As for Mr Gandhi's selection as a member of the committee all that can be said is that it is less open to objection than the licence previously accorded to him to conduct, to the prejudice of the planting community an irregular inquiry of his own."

अर्थात्—"मि गांधी के मेम्बर होने के विषय में केवल इतना ही कहना है कि उनको नीलवरों का हानिकारक मनमाना अनियमित अनुसंधान करने देने से उनका सदस्य नियत होना बहुत ही कम हानिकारक है।

कलकत्ते के इंडियन डेली न्यूज़ (The Indian Daily News) ने भी, जिसकी आँखों में महात्मा गांधी का चम्पारन में रहना कांटा-सा चुभ रहा था यों लिखा —

"His appointment to the Commission whether it is justified or not by amount of practical knowledge he can bring to bear on its deliberations is, we think, commendable under the circumstances if it tends to induce a greater sense of responsibility."

अर्थात्— कमेटी में उनकी यथार्थ अभिज्ञता से उसके विचार में क्या फल होगा इस दृष्टि से मि गांधी का कमेटी में रहना अच्छा हो या नहीं पर हमारे विचार में यदि इससे उनका दायित्व भाव बढ़े तो यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है।

इसी समाचार-पत्र के अनुसार सदस्यों का चुनाव सन्तोषजनक नहीं था। वे चाहते थे कि उसमें और भी हिन्दुस्तानी रहते तो अच्छा था। विशेषकर मि रेनर का जो १९०८ के झगड़े के समय बेतिया के सब-डिवीजनल अफसर रह चुके थे, सभी का पद पाना उसने पसन्द नहीं किया। साथ ही महात्मा गांधी के कमेटी में रहने से सबको विश्वास था कि उनके रहने से किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने पायेगा और लीपापोती रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी।

प्रयाग के 'लीडर' ने इस विषय में यों लिखा—

Mr Gandhi will sit with other members of the Committee and the ryot can never hope to be represented by a more sincere or wiser friend. We think it would have been well if the Government of Bihar had appointed another eminent Indian and a native of Bihar as a member of the Committee, such as one for instance, as Sir Syed Ali Imam. As it is constituted we do not think its composition is altogether satisfactory.

अर्थात्— कमेटी में दूसरे मेम्बरों के साथ मि गांधी भी बैठेंगे। रैयतों के लिए इनसे

अधिक हितैच्छु और बुद्धिमान् मित्र मिलना कठिन है। हमारे विचार में यदि सरकार एक और प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी को जो बिहार का रहने वाला हो जैसा कि सर अली इमाम नियत करती तो बहुत अच्छा होता। हम लोग कमेटी के इस संगठन से पूरे तौर से सन्तुष्ट नहीं हैं।

लाहौर के पंजाबी "The Punjab" ने ता० २ ६ १७ के अंक में लिखा—

"The action of Bihar Government in appointing Mr Gandhi a member of the Committee of enquiry has been eminently statesmanlike.

अर्थात्— बिहार सरकार का मि० गांधी को कमेटी का मेम्बर बनाना बड़ी ही नीतिज्ञता का कार्य हुआ है।

मद्रास का इण्डियन पैट्रियट मि० रैनर की नियुक्ति से बहुत नाराज था। उसने कमेटी के सम्बन्ध में यह आलोचना ता० १२ ६ १७ को की—

"In spite of the Pioneer and Mr Irwin committee of enquiry is to sit in Champaran and adjoining indigo tracts of Bihar and Mr Gandhi is also to be a member. We do not know the position of those who form the committee but we must frankly confess that we are rather concerned to hear that the secretary of the committee was the officer who was on the spot when riots occurred some years ago.

अर्थात्—'पायोनियर' और मि० इरविन के खिलाफ होते हुए भी चम्पारन और उसके आसपास के नील उपजाने वाले स्थानों में जाँच करने के लिए एक कमेटी सगठित हुई है और मि० गांधी उसके मेम्बर हैं। हम और सदस्यों के बारे में कुछ नहीं जानते पर यह देख भय होता है कि मि० रैनर जो उसके सेक्रेटरी हैं वही सज्जन हैं जो कुछ वर्ष पहले बलवे के समय वहाँ के एक कर्मचारी थे।

लाहौर के ट्रिब्यून ने भी सब बातों का विचार कर कमेटी की नियुक्ति पर सन्तोष प्रकट किया पर सदस्यों के चुनाव के बारे में यों लिखा—

"There is absolutely no reason again why the Indian Representation should be so disproportionately small to European official element. Why has not a leader of the position of the Hon'ble Pandit Madan Mohan Malviya or Mr Hasan Imam been put on the committee to give it a thoroughly representative character and inspire public confidence in its working."

अर्थात्—"इसका कोई कारण नहीं कि हिन्दुस्तानी अंग्रेजी सरकारी मेम्बरों से इतने कम क्यों हैं। कमेटी में प० मदनमोहन मालवीय तथा मि० हसन इमाम जैसे कोई नेता क्यों नहीं रखे गए। इनके रहने से कमेटी के कामों पर लोगों का अधिक विश्वास होता।

कलकत्ता के 'बंगाली' ने कमेटी की नियुक्ति के लिए बिहार सरकार और सर एडवर्ड गेट को बधाई देते हुए महात्मा गांधी का सदस्य बनाना सरकार के लिए खूब प्रशंसनीय बतलाया। इसी प्रकार 'अमृतबाजार पत्रिका' ने भी सरकार को बधाई दी और सदस्यों के चुनाव में बहुत संतोष प्रकट करते हुए 'पायोनियर' जैसे पत्रों के पूर्व लेखों का हवाला देकर अपने १२ जून १९१७ के अंक में एक व्यंगपूर्ण अग्र-लेख लिखा।

पर महात्मा गांधी की नियुक्ति से नीलवर सन्तुष्ट नहीं हुए। मि. जे. बी. जेमसन ने जिनका जिक्र ऊपर आ चुका है ता. १२.६.१७ के 'स्टेट्समैन' में एक पत्र छपवाया जिसमें उन्होंने लिखा—

"With regard to Mr Gandhi's appointment to the committee it is difficult to see what his qualifications for the post consist of. He is a complete stranger to the Province and ignorant of its complicated and varied system of land tenure. He came to the District frankly prejudiced in his views on the question which he professed his intentions of making an impartial enquiry. He has spent a considerable time at the head of a band of agitators who by means of exaggerated stories as to his position and authority have attempted to induce the ryots to break their agreements and to ignore the decisions of the settlement and civil courts and have succeeded in raising a considerable amount of racial ill-feeling. As his and his colleagues' activities are very important factors in the present relations between landlords and tenants they must inevitably come within the scope of this Committee's enquiry and it would surely be more fitting that he should be required to justify his actions and the statements to Government, the very point in which this Committee is required to report, rather than that he should be put in the judicious position of judging his own case and reporting on the very conclusions and recommendations which he has himself put forward."

अर्थात्—"मि. गांधी के सदस्य होने के विषय में यह नहीं समझ में आता है कि उनमें इस पद के लिए क्या योग्यता है। वह इस प्रांत में बिलकुल नये हैं और यहाँ के जमीन सम्बन्धी जटिल कानून से बिलकुल नावाकिफ हैं। वह इस जिले में जिस बात की निष्पक्ष जाँच के बहाने से आये उसके विषय में वह पूर्व से ही पक्ष ले चुके थे। उन्होंने चन्द ऐसे आन्दोलनकारियों के साथ यहाँ बहुत समय बिताया है जिन्होंने उनके (मि. गांधी के) अधिकार के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें उड़ाकर रैयतों को अपने मुआहिदे तोड़ने और बन्दोबस्त तथा दीवानी अदालतों के फैसलों के विरुद्ध काम करने को उभाड़ा है और जिन्होंने अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों के बीच जाति-विरोध का झगड़ा खड़ा किया है। चूँकि उनकी और उनके साथियों

की कार्रवाईयाँ आजकल जमींदार और रैयतों के बीच की अनबन के विशेष कारण हैं इसलिए वे कमीशन के सामने अवश्य पेश होंगी। और यह अधिक मुनासिब होगा कि वह अपनी कार्रवाइयों तथा अपने उन बयानों और सिफारिशों की जिन्हें उन्होंने सरकार में पेश किया है पुष्टि करें न कि वह अपनी की हुई सिफारिशों के विषय में फैसला करें।

मि. एमसन का यह कहना सर्वथा निर्मूल है कि महात्मा जी चम्पारन का पक्ष लेकर आये थे। महात्मा जी के जो विचार चम्पारन सम्बन्धी हुए वे वहाँ की हालत देखने और सुनने के बाद। महात्मा जी की आरम्भिक रिपोर्ट देखने से सभी समझ जायँगे कि उन्होंने वहाँ की सब हालत किस प्रकार जान ली थी और कमेटी की रिपोर्ट से यह भी साबित हो जायगा कि उनकी कही सब बात अक्षरशः ठीक निकली।

अन्यत्र भी 'बिहारी' में गांधी जी की नियुक्ति के लिए बिहार सरकार और गवर्नर सर एडवर्ड गेट को बधाई देते हुए महात्मा गांधी का सदस्य बनाना सरकार के लिए बड़ा प्रशंसनीय बतलाया। इसी प्रकार 'अमृतबाजार पत्रिका' ने भी सरकार को बधाई दी और सदस्यों के चुनाव में अपना संतोष प्रकट करते हुए 'पायोनियर' जैसे पत्रों के पूर्व लेखों का हवाला देकर तारीख १२ जून १९१७ के अंक में एक अग्रलेख लिखा।

पर महात्मा गांधी की नियुक्ति से नीलवर सन्तुष्ट नहीं हुए। मि. ए. बी. प्रेसमन ने जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है ता. १७-६-१७ के 'स्टेट्समैन' में एक पत्र छपवाया जिसमें उन्होंने लिखा—

"With regard to Mr. Gandhi's appointment to the committee it is difficult to see what his qualifications for the post consist of. He is a complete stranger to the Province and ignorant of its complicated and varied system of land tenure. He came to the District frankly prejudiced in his views on the question which he professed his intention of making an impartial enquiry. He has spent a considerable time at the head of a band of agitators who by means of exaggerated stories as to his position and authority have attempted to induce the ryots to break their agreements and to ignore the decisions of the settlement and civil courts and have succeeded in raising a considerable amount of racial ill-feeling. As his and his colleague's activities are very important factors in the present relations between landlords and tenants they must inevitably come within the scope of this Committee's enquiry and it would surely be more fitting that he should be required to justify his actions and the statements to Government, the very point in which this Committee is required to report, rather than that he should be put in the judicious position of judging his own case and reporting on the very conclusions and recommendations which he has himself put forward."

अर्थात्— 'मि. गांधी के सदस्य होने के विषय में यह नहीं समझ में आता है कि उनमें इस पद के लिए क्या योग्यता है। वह इस प्रांत में बिलकुल नये हैं और यहाँ के ज़मीन सम्बन्धी जटिल कानून से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। वह इस जिले में जिस बात की निष्पक्ष जाँच के बहाने से आये उसके विषय में वह पूर्व से ही पक्ष ले चुके थे। उन्होंने ऐसे आन्दोलकों के साथ यहाँ बहुत समय बिताया है जिन्होंने उनके (मि. गांधी के) अधिकार के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें उड़ाकर रैयतों को अपने मुआहिदे तोड़ने और बन्दोबस्त तथा दीवानी अदालतों के फैसलों के विरुद्ध काम करने को उकसाया है और जिन्होंने अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों के बीच जाति-विभेद का झगड़ा खड़ा किया है। चूँकि उनकी और उनके साथियों

की कार्रवाईयाँ आजकल जमींदार और रैयतों के बीच की अनबन के विशेष कारण हैं इसलिए वे कमीशन के सामने अवश्य पेश होंगी। और यह अधिक मुनासिब होगा कि वह अपनी कार्रवाइयों तथा अपने उन बयानों और सिफारिशों की जिन्हें उन्होंने सरकार में पेश किया है पुष्टि करे, न कि वह अपनी की हुई सिफारिशों के विषय में फैसला करे।

मि जेमसन का यह कहना सर्वथा निर्मूल है कि महात्मा जी चम्पारन का पक्ष लेकर आये थे। महात्मा जी के जो विचार चम्पारन सम्बन्धी हुए वे वहाँ की हालत देखने और सुनने के बाद। महात्मा जी की प्रारम्भिक रिपोर्ट देखने से सभी समझ जायेंगे कि उन्होंने वहाँ की सब हालत किस प्रकार जान ली थी और कमेटी की रिपोर्ट से यह भी साबित हो जायगा कि उनकी कही सब बातें अक्षरशः ठीक निकलीं।

सत्रहवाँ अध्याय

जाँच कमेटी की बैठक

जाँच कमेटी की नियुक्ति हो जाने के बाद महात्मा जी ने सोचा कि उसके काम शुरू होने के पहले वह एक बार बंबई प्रान्त में हो आवें और इसी बीच में आकर सहकारी भी अलग-अलग घर से लौट आवें। जाँच का काम ता० ? जुलाई से होने वाला था और सरकार के सम्मत हो जाने के बाद अब महात्मा जी को जाँच करने की आवश्यकता न रह गई। इस कारण ता० १२-६-१७ से रैयतों का इजहार लेना जो उस समय तक जारी था बन्द कर दिया गया। ता० १६-६-१७ को महात्मा जी बंबई प्रांत को चले गए और उनके सहकारी बेतिया में ठहरकर मोतीहारी चले आए और कमेटी के सामने क्या सबूत पेश किये जावें इस पर विचार करने लगे। इस समय तक महात्मा जी की अध्यक्षता में प्रायः रैयतों के पूरे बयान और ८, से अधिक रैयतों के संक्षिप्त बयान लिये जा चुके थे। पर ऊपर कहा जा चुका है कि चम्पारन जिले में २,८४१ गाँव हैं और जो रैयत अपने बयान दे गये थे वे प्रायः ८० गाँव के रहने वाले थे। और उनके बयान प्रायः ६ कोठियों के विरुद्ध थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास मुकदमे आदि भिन्न-भिन्न विषयों के कागजों का एक बड़ा ढेर लग गया था। अब तक बयान लिये जा रहे थे सहकारियों को इन कागजों को अच्छी तरह देखने का अवसर नहीं मिला था। अब बयान लिखना बन्द कर दिया गया तो अवकाश पाकर लोग इनको ध्यानपूर्वक पढ़ने लगे। इन इजहारों और कागजों के ढेर को देखकर यह निकालना था कि कितने गवाह और कौन-कौन कागज कमेटी के सामने पेश किये जाने चाहिएँ। ता० १२-६-१७ के बाद यद्यपि नये बयानों का लिखना बन्द कर दिया गया था पर रैयत अब भी बहुत आया करते थे। उनको कह दिया जाता था कि अब उनके बयान न लिखे जायँगे और उनके दुःखों की जाँच कमेटी के सामने होगी। जब रैयतों को मालूम हुआ कि उनके बयान नहीं लिये जा रहे हैं तो बहुतों ने डाक द्वारा अपनी दुःख-कहानी लिख भेजी। कमेटी के नियत हो जाने पर भी पुलिस के कर्मचारियों ने हमारा पीछा न छोड़ा। किसी पुलिस के दारोगा साहिब ने [illegible] में यह खबर दी थी कि ता० १२-६-१७ के बाद भी इजहार लिये जा रहे हैं। खबर मिलने पर बाबू व्रजकिशोर प्रसाद ने जो महात्मा जी की अनुपस्थिति में प्रबन्ध का काम किया करते थे इसका प्रतिवाद किया। इन्हीं कामों में प्रायः दो सप्ताह बीत गये और महात्मा जी ता० १८ ६-१ को बंबई से मोतीहारी लौट आये। इस बार महात्मा जी के साथ सर्वेन्ट्स आफ इण्डिया सोसायटी (Servant of India Society) के सभ्य डा० हरि श्री कृष्ण देव एम० ए० भी इस कार्य में सहायता [illegible] जी भी बयानों को देखने-भालने लगे।

चम्पारन में जाँच आरम्भ होने के पहले जाँच कमेटी की एक बैठक राँची में होनेवाली थी जिसमें जाँच के कार्यक्रम तथा प्रारम्भिक विषयों पर विचार होनेवाला था। इस काम के लिए महात्मा गांधी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को साथ लेकर ता० ५ जुलाई की रात को मोतीहारी से राँची के लिए रवाना हुए। और पटना होते हुए ता० ७ जुलाई को राँची पहुँचे। वहाँ जाँच कमेटी की बैठक ता० ११ जुलाई को हुई। उसी दिन वहाँ से चलकर ता० १३ जुलाई को महात्मा जी मोतीहारी वापिस आ गये। यह निश्चय हुआ था कि ता० १७ जुलाई से जाँच कमेटी की बैठक बेतिया में होगी। मोतीहारी की अपेक्षा बेतिया इस कारण से चुना गया कि वहाँ राजधानी होने से आगन्तुक मेम्बरों के ठहरने का सुप्रबन्ध हो सकता था। कमेटी के अंगरेज सदस्य राजा के अतिथि-गृह में ठहराये गये और बेतिया के राजा साहब के लिए राजमहल में ठहरने का प्रबन्ध किया गया। महात्मा जी अपने दल के साथ उसी पुराने स्थान बाबू हजारीमल की धर्मशाला में जाकर ठहरे। महात्मा जी के सिवाय और सब सदस्य ता० १४ जुलाई को ही बेतिया पहुँच गये। ता० १५ जुलाई को सबेरे की गाड़ी से महात्मा जी भी श्रीमती गांधी, डा० देव, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू धरणीधर, बाबू अनुग्रहनारायण सिंह, बाबू रामनवमी प्रसाद और लेखक इत्यादि के साथ बेतिया गये और उसी दिन तिपहर को प्रोफेसर कृपलानी, श्री देवदास गांधी और महात्मा जी के पुत्र प्रभुदास गांधी बेतिया पहुँचे। कमेटी के सामने पेश किये जाने वाले सबूतों को ठीक करके हम लोग साथ लेते गये थे। मोतीहारी के आफिस में छपरे के वकील बाबू शिवशरण प्रसाद जो इजहार लिखने के समय से सहायता दे रहे थे रखे गये।

कमेटी की ओर से पहले ही विज्ञापन निकाल दिया गया था कि कमेटी की बैठक लगभग १५ जुलाई से बेतिया, मोतीहारी तथा अन्य स्थानों में होगी। जिस किसी को चम्पारन सम्बन्धी विषय पर कुछ कहना हो वह लिखकर कमेटी के मंत्री के पास भेज दे। यही विज्ञापन समाचारपत्रों में छाप दिया गया था और जिले की कचहरियों में चिपका दिया गया था। जिले भर के रैयतों को इसकी खबर हो गई थी कि ता० १५ जुलाई से बेतिया में जाँच होने लगी है।

चम्पारन की प्रजा के हृदय में आज क्या-क्या भावनाएँ उठ रही थीं इसका कहना कठिन है। वह जान गई थी कि महात्मा जी के आने से उसके कष्ट दूर होंगे और जब देखा कि सरकार की ओर से भी जाँच करने के लिए कमेटी नियुक्त हो गई जिसमें महात्मा जी भी एक सदस्य रक्खे गये तब आशा और भी दृढ़ हो गई और ता० १५ जुलाई से बेतिया में रैयतों की भीड़ होने लगी। सड़कों पर, बाजारों में, वहाँ के विस्तृत मैदानों में, जहाँ देखिए रैयतों की भीड़ लगी हुई है; मानो वहाँ कोई भारी मेला होनेवाला है। महात्मा जी जिस धर्मशाला में ठहरे थे वहाँ का क्या कहना है। वहाँ तो हम लोग इस भीड़ को हटाते हटाते परेशान रहते थे, पर तो भी भीतर जाने के लिए रास्ता निकलने में कठिनाई होती थी।

ता १६ जुलाई को रैयतों की भीड़ बहुत ही बढ़ गई। और लोगों का अनुमान है कि उस दिन १ रैयतों से कम बेतिया में न थे। इधर महात्मा जी जाँच कमेटी के सम्बन्ध में आये हुए कागजों को पढ़ने में लगे थे और उनके सहकारियों को दम लेने की फुरसत न थी उधर रैयत लोग महात्मा जी के दर्शन के लिए व्याकुल थे। जाँच कमेटी की बैठक ता १६ जुलाई का होनेवाली थी पर किसी अनिवार्य कारण से उस दिन काम आरम्भ न हो सका। महात्मा जी यह चाहते थे कि रैयत लोग किसी प्रकार से निराश न हो जायें इसलिए ता १६ जुलाई को सन्ध्या के समय महात्मा जी बाहर आये। उनके आते ही लोगों की भीड़ और बढ़ गई और धर्मशाला की फुलवारी तथा अन्य स्थान लोगों से भर गया। उस समय महात्मा जी ने एक छोटे-से व्याख्यान में लोगों को समझाया कि "कमेटी सरकार की ओर से उन्हीं लोगों के दु खों को दूर करने के लिए नियुक्त हुई है। उन लोगों को अधिक संख्या में कमेटी की बैठक के निकट जाने की आवश्यकता नहीं। जो बयान उनको लिखाना है वह यहीं आकर वकीलों के पास लिखा दें। इन्हीं बातों को फिर बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने उठकर समझा दिया। आये हुए रैयत महात्मा जी का भाषण सुनकर गद्‌गद् हो गये और अपने घर लौट गये।

ऊपर कहा जा चुका है कि कमेटी की ओर से सूचना उसके पास बयान भेजने के लिए पूर्व में निकल चुकी थी। इस नोटिस पर बिहार प्लैन्टर्स एसोसियेशन दो कोठियों के मैनेजर २५ रैयत बेतिया राज्य के मैनेजर मि जे टी विटी सैटलमेन्ट अफसर मि ज ए स्वीनी बेतिया के सब-डिवीजनल अफसर मि डब्ल्यू एच लिविस तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर मि एल एफ मोरशेड तथा बेतिया के भूतपूर्व सब-डिवीजनल अफसर मि ई एच जौन्स्टन ने बयान लिखकर कमेटी के पास भेजा था। बिहार

हुआ और सारा दिन उसका इजहार होता रहा। ता १८ जुलाई को मि क्लिबिस और टिपहुर का मि किंग्री की गवाहियाँ हुईं। ता १ जुलाई को रैयतों की ओर से पं राजकुमार शुक्ल तथा सत रावत जो पहले एक कोठी के गुमास्ता रह चुके थे और खन भरराय के इजहार लिये गये। ता २ जुलाई को कमेटी की बैठक मुल्तवी रही। ता २१ जुलाई को परसा कोठी के मालिक और मैनेजर मि डब्ल्यु ज एस तथा बतिया कोठी के मैनेजर मि एच गस की गवाही हुई। कमेटी की पाँचवी बैठक ता २३ जुलाई को हुई। आज साठी कोठी के मैनेजर मि सी स्टिस और बेलवा कोठी के मैनेजर मि ए सी एमोल के इजहार लिये गये। कमेटी की छठी बैठक मोतीहारी में ता २५ जुलाई को होनेवाली थी इसलिए ता २३ जुलाई की रात को महात्मा जी तथा उनके सहकारी मोतीहारी चले आये।

मोतीहारी में भी रैयतों की भीड़ वैसी ही थी जैसी बेतिया में। यहाँ की बैठक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आफिस में ता २५ जुलाई को ११ बजे से आरम्भ हुई। आज चम्पारन के कलक्टर मि डब्ल्यू बी हिकौक प्लैन्टर्स एसोसिएसन के प्रतिनिधि मि ज बी जमसन तथा राजपुर कोठी के मैनेजर मि ई एच हडसन की गवाहियाँ हुईं। ता २६ जुलाई को मोतीहारी कोठी के मैनेजर मि डब्ल्यु एस इर्विन ने जिनसे पाठक परिचित हो चुके हैं कमेटी के सामने इजहार दिया। मि इर्विन के इजहार के पीछे महात्मा जी तथा अन्य सदस्य बेतिया लौट आये। ता २७ जुलाई को कमेटी का काम बन्द रहा। ता २८ जुलाई को कमेटी के सदस्यों ने परसा कोठी पर जाकर तहकीकात की। यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि देहातों में जाने की खबर रैयतों को नहीं दी जाती थी ताकि जैसा कि मीस्टर कहा करते थे आन्दोलनकों को पहले से जाकर रैयतों को सिखा-पढ़ाकर तैयार करके रखने का मौका न मिले। पर किसी को तैयार करने की बात ही क्या थी ? जिधर कमेटी के सदस्यों की मोटर चलती उसी ओर भीड़ लग जाती और जिस कोठी पर वे जाते उनके पहुँचते ही आस-पास के गाँवों में बिजली की तेजी के साथ खबर पहुँच जाती थी और वहाँ के रैयत अपनी दुःख-कहानियाँ सुनाने के लिए हजारों हजार आ जुटते थे। कोठी वालों को सूचना पहले इसलिए दे दी जाती थी कि जिससे वे अपने कागज-पत्र रजिस्टर इत्यादि कमेटी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत रखें। इसी प्रकार ता २९ जुलाई को सदस्य कुरिया कोठी और उसके देहात में गये और जाँच की। इन यात्राओं में कोठी के कागज देखे जाते थे। जिन कोठीवालों के इजहार की जरूरत समझी जाती थी उनके इजहार लिये जाते और रैयतों से पूछताछ की जाती थी। कहा जाता है कि इन यात्राओं में जो कुछ कमेटी के सदस्यों ने देखा और सुना उसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा।

ता १ जुलाई को कमेटी की बैठक फिर बेतिया में हुई। आज मधुबनी कोठी के मैनेजर मि एच. बेनीवस और उसके मालिक मि डब्ल्यु डब्ल्यु बुक के इजहार लिये गये। आज फिर कमेटी के कुछ सदस्य मलाहिया कोठी के देहात में गये और वहाँ की

उसके मैनेजर शिक्षित और होशियार उनके कागज-पत्र सुरक्षित थे इधर रैयत गरीब और कमजोर तथा अशिक्षित और उनके कागज-पत्र का कुछ ठिकाना नही था। इस बे-जोड़ की लड़ाई में नतीजा क्या होता ईश्वर ही जानता है। पर इन सब बातो से भी अधिक सोचने की बात यह थी कि यदि इन सब शरहबेसी सट्टों को तोड़ने के लिए मुकदमे दायर किये जाते तो प्राय ५ मुकदमे दायर करने पड़ते। उन सब मुकदमो मे जिनमे कोठीवालो की हार होती उन्हें वे बिना हाईकोर्ट तक पहुँचाए बाज आनेवाले नही थे। पर जो बात महात्मा जी के दिल में सब से अधिक खटकती थी वह यह थी कि यदि इस झगड़े का निपटारा कमेटी द्वारा नही हुआ और रैयतों को कचहरियों में जाने की आवश्यकता पड़ी तो रैयत और कोठीवालों में इतना वैमनस्य बढ़ जायगा कि वह एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जायेंगे। आपका आदर्श तो यह था कि रैयतो के कष्ट दूर हों पर साथ ही नीलवरो और रैयतों के बीच मित्रता हो जाय उनके आपस के सम्बन्ध दृढ़ हो जायें और वे एक दूसरे की भलाई के इच्छुक हो जायें। दोनो अपने-अपने स्वत्व पर रहे और दोनों के एक दूसरे के प्रतिहिंसा के भाव नष्ट हो जायें। पर जब तक कि यह झगड़ा दोनों की राय से न मिटता यह कैसे हो सकता था ? इसीलिए महात्मा जी तथा कमेटी के और सदस्य भी जी से चाहते थे कि दोनो पक्ष इस विषय मे सुलह कर लेवें।

कई दिनो की गुप्त बैठको के पीछे ता १४-८ १७ को मि जैमसन के इजहार के बाद कमेटी का काम वहाँ समाप्त हो गया और निश्चय हुआ कि कमेटी की बैठक अब सितम्बर महीने मे राँची मे होगी। कमेटी के सब सदस्य जहाँ-तहाँ चले गये और महात्मा जी भी ता १६-८ १७ को अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। इसके बाद से बाबू रामनवमी प्रसाद तथा लेखक चम्पारन मे रह गये और अन्य सहकारी कार्यकर्ता भी अपने अपने स्थान पर चले गये।

ता २२ सितम्बर को महात्मा जी अहमदाबाद से राँची पहुँचे। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद भी आपकी आज्ञानुसार वहाँ पहुँचे हुए थे। वहाँ महात्मा जी जाते ही ज्वर से पीड़ित हो गये। पर ज्वर रहते हुए भी कमेटी के काम को करते गये। रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी की कई बैठक हुईं और शरहबेसी सम्बन्धी प्रश्न को तय करने के लिए मि इर्विन तथा अन्य नीलवर फिर राँची तार द्वारा बुलाये गये। कई दिनो तक विचार करने के बाद कमेटी ने ता ३ अक्टूबर को एकमत होकर अपनी रिपोर्ट पर दस्तखत करके ता ४ अक्टूबर को उसे बिहार सरकार मे दाखिल कर दिया। ता १८ अक्टूबर को बिहार सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके अपना मन्तव्य प्रकाशित करने की आज्ञा दी। यहाँ पर इतना ही कह देना उचित है कि सरकार ने कमेटी की प्रायः सभी बातें मान ली।

राँची से महात्मा जी चम्पारन वापिस आये और १२ अक्टूबर तक वही रहे। महात्मा जी के राँची से वापिस आने पर रैयत उनके दर्शनार्थ तथा इस बात के जानने के लिए कि कमेटी का निश्चय क्या हुआ उनके पास झुंड-के-झुंड आने लगे। महात्मा जी ने उन लोगो

को रिपोर्ट की मुख्य बातें कह दीं और इससे उन्हें बहुत कुछ सन्तोष हुआ। इस साल महात्मा जी को बिहार के छात्रों ने अपने वार्षिक सम्मेलन का सभापति चुना था। यह सम्मेलन भागलपुर में १५ अक्टूबर को होनेवाला था। इसलिए महात्मा जी ता० ११ अक्टूबर को मोतीहारी से भागलपुर गये और वहीं से फिर बम्बई चले गये। इस बीच में मोतीहारी के आफिस में रहने के लिए बाबू जनकधारी प्रसाद वकील मुजफ्फरपुर से आगए और वे वहीं रहने लगे।

अठारहवाँ अध्याय

जाँच कमेटी की रिपोर्ट

ऊपर कहा जा चुका है कि जाँच कमेटी के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट दस्तखत करके ता० ४ अक्तूबर को सरकार में दाखिल कर दी थी और सरकार ने कमेटी की प्रायः सभी बातों को कबूल करके इस विषय में अपना मन्तव्य ता० १८ अक्तूबर को प्रकाशित कर दिया था। कमेटी की रिपोर्ट बड़ी होने के कारण यहाँ पर विस्तार में नहीं दी जा सकती है, पर उसके सदस्यों ने जो-जो सिफारिशें की थीं जिन्हें सरकार ने मंजूर करके अपने मन्तव्य में प्रकाशित किया था उनका सारांश नीचे दिया जाता है—

(१) तीन-कठिया प्रथा चाहे नील बोने के लिए या किसी और फसल के पैदा करने के लिए हो पूर्ण रूप से उठा दी जाय।

(२) यदि नील बोने के लिए रैयतों से कोई इकरारनामा (सट्टा) लिखाया जाय तो नीचे लिखी हुई शर्तों पर लिखाया जाना चाहिए—

(क) इकरारनामा पूर्णतः स्वेच्छापूर्वक लिखा जाय।

(ख) सट्टा तीन वर्ष से अधिक के लिए न लिखे जावें।

(ग) जिस खेत में नील बोना हो उसको रैयत ही चुने।

(घ) जिस मूल्य पर या दर से नील का पौधा बिकना हो उसे रैयत अपनी इच्छानुसार ठीक करे।

(३) नील के पौधों को तौलकर दाम दिया जाय। रैयत यदि राजी हों तो पौधों का दाम पर न तौलकर उसकी फसल का अन्दाजा पंचों के द्वारा ठीक किया जा सकता है।

(४) मोतीहारी और पिपरा कोठियों में जो शरहबेशी हुई है उसमें फी सैकड़ा १) कम हो जायगा और तुर्की लिया कोठी में भी सैकड़ा १) कम होगा।

(५) जल्हा और सीरनी कोठियों में मोतीहारी और पिपरा कोठियों के हिसाब से शरहबेशी कम होगी।

(६) जिन रैयतों के खतियान में नील-कोठियों का लगान सर्वे बन्दोबस्त में दर्ज किया गया है उनको ऊपर के हिसाब से शरहबेशी लगान देना पड़ेगा।

(७) राजपुर कोठी ने किसी रैयत पर नील के लगान का दावा नहीं किया है। वहाँ पर शरहबेशी न करने की शर्त पर रैयतों ने कोठी के लिए नील करने का सट्टा लिख दिया था। अब वर्तमान बन्दोबस्त में कोठी ने शरहबेशी के लिए प्रार्थना नहीं की। वहाँ के रैयत अब नील छोड़ देना चाहते हैं। इसलिए उनकी लगान बढ़ी वजन के लिए बन्दोबस्त

में प्रार्थना करने का अवसर दिया जायगा ।

(४) जिन रैयतों से कोठियों को तावान (नकद या हैण्डनोट के जरिये से) दिया है उनको उस तावान का चौथाई हिस्सा कोठी से वापस मिलेगा । उन गांवों में जो कोठियों को हाल में ठेका दिए गए हैं रैयतों से लिये हुए तावान का कुल रुपया लौटा देना पड़ेगा । बेतिया राज्य को उन रैयतों से सट्टों के मूल्य बढ़ जाने के कारण बन्दोबस्त की कचहरियों द्वारा जो इजाफा लगान मिलता वह पांच वर्ष तक उनसे न लेगा ।

(५) अबवाब लेना पूर्णतः कानून के विरुद्ध है और भविष्य में किसी रैयत को अपनी खतियान में दर्ज की हुई मालगुजारी के सिवाय और कुछ भी जमींदार को नहीं देना चाहिए ।

(६) दाखिल-खारिज के लिए रैयतों से फीस लेना नाजायज है और अन्य लोगों से यह फीस एक निश्चित हिसाब से ली जानी चाहिए । रेवेन्यू बोर्ड से कहा जायगा कि वह बेतिया राज्य के विषय में फीस का हिसाब ठीक कर देने के प्रश्न पर विचार करें और मुकर्रीदारों से भी इसी हिसाब से फीस लेने की ताकीद की जाय ।

(७) बेतिया राज्य के इलाकों में चराई महसूल छोड़ दिया जाना चाहिए पर इस विषय में कोई निश्चित आज्ञा देना उस समय तक मुल्तवी रहे जब तक कि रामनगर राज्य में इस विषय में पूरी जांच न हो ले ।

(८) मिट्टी का तेल बेचने के विषय में लाइसेन्स जारी करना कानून के विरुद्ध है और यह प्रथा एकदम बन्द हो जानी चाहिए ।

( ) बेतिया राज्य में रैयत वृक्षों में मालिक का आधा हिस्सा मुनासिब मूल्य पर खरीद सकते हैं पर यदि किसी इलाके में कुछ पेड़ कट जाने का भय हो तो बेतिया राज्य के मैनेजर रैयतों की दरख्वास्तों की हद नियत कर दे सकते हैं ।

(१) मवेशियों के चरने के लिए गोचर या परती रखने के लिए सब जमींदारों, मुकर्रीदारों और ठेकेदारों के पास खबर भेजी जायगी ।

(११) रैयतों पर जुर्माना करना और उसे वसूल करके ले लेना कानून के विरुद्ध है । रैयतों को इस बात की सूचना दे दी जायगी और इसके लिए सब जमींदारों मुकर्रीदारों और ठेकेदारों को मनाही भेजी जायगी ।

(१२) गाड़ी का सट्टा ५ वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए और वह स्वेच्छा पूर्वक लिखा जाना चाहिए ।

(१३) मजदूरी की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता रहेगी ।

(१४) मालगुजारी की प्रत्येक किस्त के लिए रसीद देने के विषय में कमेटी ने जो सिफारिश की है उसके मुताबिक यदि सम्भव होगा तो रसीद का एक नमूना तैयार किया जायगा ।

(१५) फसलों का ठेका कोठी या और ठेकेदारों को न देकर खास अपने तालुक

में रखने की परीक्षा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सूचित किया जायगा।

यहाँ पर यह कह देना उचित है कि इस रिपोर्ट तथा सरकारी मन्तव्य के प्रकाशित होते ही ता० १८-१०-१७ को सरकार की ओर से मन्तव्य के अनुसार एक नोटिस रैयतों की आगाही के लिए छापकर जिले भर में बाँट दिया गया जिसमें कमेटी की सिफारिशों का सारांश दिया हुआ था।

कोठी के कई साहबों को इससे बड़ा रंज हुआ और मोतीहारी कोठी के मैनेजर मि० इर्विन ने अखबार में एक प्रकार का आन्दोलन खड़ा कर दिया जिसका पूरा हाल आगे दिया जायगा। कानपुर के 'प्रताप' ने चम्पारन सम्बन्धी कई लेख लिखे थे और एक अवसर पर उसने वहाँ की प्रजा से उनके सब दुःखों को एक पुस्तक रूप में लिखने के लिए उसका सामान माँगा था और उसके जमा करने के सम्बन्ध में एक विज्ञापन छपवाया था पर जिस समय यह हो रहा था सरकार की कुछ और ही नीति थी और उसने उस नोटिस के वितरण को रोक दिया था। उसी प्रताप प्रेस से सरकारी नोटिस पर टिप्पणी स्वरूप एक छोटी-सी 'चम्पारन का उद्धार' नामक पुस्तिका छपकर प्रकाशित हुई और उसकी बहुत-सी प्रतियाँ चम्पारन में बिककर घर-घर पहुँच गई। नीलवरों को ऐसा सन्देह हुआ कि यह पुस्तिका महात्मा गांधी की ओर से वितरण की गई है पर यह बात तो थी नहीं इसलिए महात्मा जी ने इसका प्रतिवाद किया। जो हो इन सब कारणों से जिले भर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ कमेटी की सब बात पहुँच न गई हो। रैयतों को अब अनुभव होने लगा कि महात्मा जी के उद्योग से उनके दुःख के दिन दूर हो गये और वे अपने हृदय से अपने उद्धार-कर्ता महात्मा गांधी की जयजयकार मनाने लगे और सुख की नींद सोने लगे।

उन्नीसवाँ अध्याय

नीलवरों में खलबली

जाँच कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पहले ही मि॰ इर्विन को उसकी मुख्य बातों की खबर लग गई थी और ता॰ ७-१०-१७ को ही उन्होंने एक लम्बा पत्र 'स्टेट्समैन' और 'इंग्लिशमैन' में छपने के लिए लिखकर भेज दिया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा— बतिया में कमेटी ने सिरसा और तुर्की सिया कोठी के मैनेजरों को तथा मुझे बुलाकर शरहबेशी के सम्बन्ध में सुलह कर लेने की सलाह दी और वहाँ नीलवरों की ओर से सैकड़े २ तक की कमी मैंने इस शर्त पर कबूल की कि तावान ज्यों का त्यों छोड़ दिया जायगा। मैंने यह भी दिखलाया था कि २५ सैकड़े कम होने से मेरी अपनी आमदनी (११   ) रुपये सालाना कम हो जायगी। पर इस पर भी मि॰ गांधी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और वह ४ सैकड़े कम करने पर अड़े रहे। इसी प्रकार फिर राँची में बात हुई और वहाँ बहुत कहने-सुनने पर मैं २६ सैकड़े पर राजी हुआ किन्तु तावान के विषय में कोई भी बात नहीं हुई, पर कमेटी की रिपोर्ट से मालूम होता है कि २५ सैकड़े तावान भी वापिस करना होगा जिसका फल यह होगा कि मुझे ८   ) रुपये वापिस करने होंगे। मि॰ इर्विन ने इन बातों को दिखलाते हुए आगे चलकर उक्त पत्र में लिखा—

"That our representative signed a report of this sort is a matter which will have to be settled with him. But I hereby absolutely decline to submit to any treatment of this kind and I as publicly as possible now revoke, repudiate and withdraw the concession of 5 p.c. of the *Sharahbeshi* from the beginning of the coming year and will, if obliged to spend this money in fighting this to a finish."

अर्थात्—इस बात का निपटारा अपने प्रतिनिधि के साथ सोच कर लेंगे कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट पर क्यों हस्ताक्षर किया। मैं इस प्रकार के व्यवहार के सामने सर झुकाने से साफ इनकार करता हूँ और इसके द्वारा जहाँ तक प्रकाश रूप से हो सकता है ५ सैकड़े शरहबेशी कम करने की जो रियायत मैंने की थी उसे मैं अगले साल के आरम्भ से साफ-साफ रद्द करता और वापिस लिए लेता हूँ और यदि इसके लिए मजबूर किया गया तो उसी रुपये को मैं इस मामले में आखिर तक लड़ने में लगा दूँगा।

मि॰ इर्विन का पत्र ता॰ [illegible] १ के [illegible] 'स्टेट्समैन' और २२-१०-१७ के 'इंग्लिशमैन' में छपा। ता॰ [illegible] को सरकार ने इसका विरोध [illegible] लिया। [illegible] उसमें कहा कि [illegible] के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर [illegible]

गई है वे ठीक नहीं है तथा

"Th Lieutenant-Governor in-Council is unable to believe the allegation made by Mr Irwin that the committee obtained his consent to the reduction of *Sharahbeshi* by leading him distinctly to under stand that t (*Tawan*) would not be interfered with."

अर्थात्—'छोटे लाट साहब और उनके सहकारी मि इविन की इस बात का विश्वास नहीं करते कि कमेटी ने उनसे इस बारे पर शरहबेशी घटाने की अनुमति पाई थी कि तावान ज्यों का त्यों छोड़ दिया जायगा।

मि इविन न ता २४ १०-१७ को एक पत्र छपवाया जिसमें महात्मा गांधी पर यह लाञ्छना लगाई कि उन्होंने छोटे लाट की एक चिट्ठी जिस में उन्होंने महात्मा जी को कमेटी की सिफारिशों को रैयतों को बता देने की आज्ञा दी थी बेतिया के सब-डिविजनल अफसर मि लिविस को दिखलाई थी और इसी पत्र में प्रांतीय सरकार पर भी आक्षेप किया कि सरकार रैयतों का पक्ष कर रही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि चिट्ठी दिखलाने वाली बात एकदम गलत थी क्योंकि महात्मा जी ने कोई ऐसी चिट्ठी मि लिविस को नहीं दिखलाई थी।

यहाँ पर यह भी कह देना उचित है कि मि इविन ने अपने पहले पत्र में यह भी कहा था कि मि रेनी ने जब कमेटी के सदस्य थे और चम्पारन में पहले कलक्टर रह चुके थे अपनी कलक्टरी के समय नीलवरों को तावान लेने की राय दी थी। यही बात फिर किसी अज्ञात नाम नीलवर ने 'ओल्ड चम्पारन' (Old Champaran) के नाम से अखबार में छपवाई और पूछा कि मि रेनी ने सलाह देकर फिर कमेटी की रिपोर्ट पर जिस में उसी तावान को वापिस कराने की सिफारिश थी दस्तखत क्यों किया?

ता २५ १ १७ को मि इविन ने सरकारी वक्तव्य का उत्तर दिया। जिसमें उन्होंने यह लिखा—

I would like to know if his Honour has made any enquiries from th only people in position to say whether my allegation is true or not, *viz* the managers of Turkaulia Ltd. and Pipra who with Messrs. Rainy and Reid and myself were the only persons present t the preliminary discussion.

अर्थात्—"मैं यह जानना चाहता हूँ कि लाट साहब ने क्या उन लोगों से पूछ-ताछ की है जो कह सकते हैं कि मेरे आक्षेप ठीक हैं या गलत अर्थात् तुर्की लिमिटेड और पिपरा के मैनेजर जो वहाँ उपस्थित थे जब मि रेनी और मि रीड और मेरे बीच में यह बातें हुई थीं। वे ही मेरी बातों के सही या गलत होने की ठीक-ठीक खबर दे सकते हैं।

ता २ ११ १७ को मि जैनसन ने एक लम्बा पत्र 'स्टेट्समैन' में छपवाया जिसमें उन्होंने कमेटी की कार्रवाई पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि तावान

मि० रेनी की अनुमति से लिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार सर एडवर्ड बेकर (Sir Edward Baker) ने सन् १   में मि० गुरुन की रिपोर्ट के बाद नीलवरों से गोष्ठी करके कुछ नीति का काम चलाया था उसी प्रकार इस बार भी सरकार का उचित था कि यदि कोई परिवर्तन आवश्यक था तो वह फुरसत नीलवरों को बुलाकर समझा-बुझा कर सब बात तय कर लेती। पर जिस प्रकार सरकार ने बिना सम्हल कमेटी नियुक्त करके और मि० गांधी के आन्दोलन का न मानकर कार्रवाई की है उससे यही जान पड़ता है कि सरकार नीलवरों के साथ इन्साफ करना नहीं चाहती है और इस कारण नीलवरों का विश्वास सरकार की ओर से उठ गया है। उन्होंने लिखा—

"The Government would have retained the confidence of the planting community had it shown itself genuinely anxious to deal honestly with the whole question on its merits and to allay the unrest ca sed by its mistaken policy."

अर्थात्— सरकार में नीलवरों का विश्वास उस हालत में रहता है जब वह पूरी समस्या को ईमानदारी के साथ हल करते और जो उसकी भ्रान्त नीति के कारण अशान्ति हो रही है उसका निवारण करने की सच्ची चिन्ता दिखलाती है।

एक बार सरकार ने रैयतों के साथ इन्साफ करना चाहा उसका यह नतीजा।

यहाँ पर यह कह देना उचित है कि जो बातें मि० इर्विन ने तावान के सम्बन्ध में कही थी वे गलत थी और शायद उनके समझने में कुछ भूल हुई थी। सरकार की ओर से इस विषय में पूरी तहकीकात की गई और सिरसा कोठी के मैनेजर मि. नौर्मन जिनका हवाला मि० इर्विन ने अपने पत्र में दिया था ता० २७-१ १७ को यह लिखा—

"To the best of my recollections and it is my firm impression that the question of *Tawan* was never mentioned or referred to in any way t either of the two Committee meetings I hav attended but personally I was under no misunderstanding about the committee idea regarding the refund of 25 p.c. as I was told they intended recommending this refund in a conversation t Bettiah just before the Committee meeting there which Hill, Irwin and I ttended. It is my impression that both Hill and Irwin were told the same as I was I wrote to Hill and Irwin when I was in Ranchi in August last I asked Mr Sly if the *Tawan* question would be in any way influenced by what was settled ver *Sharahbeshi* and he informed me that *Tawan* was an entirely different matter and whatever was settled regarding *Sharahbeshi* would in no way affect their decision bout *Tawan*.

अर्थात्—जहाँ तक मुझे स्मरण है और यह मेरी धारणा है कि कमेटी की उन

दो बैठकों में जिनमें मैं उपस्थित था तावान के विषय में कोई बातें नहीं हुई। तावान का नाम तक नहीं लिया गया था । पर मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि कमेटी तावान में २५ रुपये सैकड़े वापिस दिलाने की राय देगी । इस विषय में मुझ से बतिया में उपर्युक्त बैठक के पहले ही कहा गया था कि कमेटी न ऐसी सिफारिश करने की राय कर ली है । मेरी धारणा है कि मि हिल तुर्को लिया के मैनेजर और मि इर्विन से भी यही बात कही गई थी । मैंने गत अगस्त में रांची से मि हिल और मि इर्विन के पास इस विषय में लिखा था कि मैंने मि सकाई से पूछा कि सरहबेशी के सम्बन्ध में जो निश्चय होगा उससे तावान पर भी कुछ असर पड़ेगा या नहीं । उन्होंने उत्तर दिया कि तावान एक अलग बात है और शरहबेशी के सम्बन्ध में चाहे जो निश्चय हो उससे तावान के सम्बन्ध में कमेटी की राय में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

इसी प्रकार मि रीड न जो नीलवरों के प्रतिनिधि होकर कमिटी के मेम्बर हुए थे ता १ नवम्बर को लिखा था—

"I am extremely surprised to read his (Mr Irwin's) assertion that assurances were given that the 26 p.c. *Sharahbeshi* reduction would not be applied to *Tawan*. On the contrary I have the clearest recollection that when Mr Irwin came to Bettiah he himself asked me if anything had been decided about *Tawan* showing that he understood that the consultation with the three planters only referred to *Sharahbeshi*. Moreover I told him then that the committee had decided to recommend a 25 p c. refund of *Tawan*. He strongly disapproved but finally said that he would prefer to pay the money to the Raj and not to the *ryots*. I told him that the matter had been finally settled by the committee and I could do nothing further All this was at Bettiah. When he came to Ranchi the *Tawan* question was never mentioned.

अर्थात्— "मि इर्विन की यह बात पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि २६ सैकड़े शरहबेशी घटाने की बात तावान के सम्बन्ध म नहीं की गई थी । मुझे खूब याद है कि जब मि इर्विन बेतिया आये थे तो स्वयं उन्होंने हमसे पूछा था कि तावान के विषय म क्या निश्चय हुआ जिस से यह बात जाहिर होती है कि वह समझते थे कि जो यात्री नीलवरों के साथ वहाँ होनेवाली थी वह केवल शरहबेशी के सम्बन्ध म ही थी। मैंने उनसे उसी समय कह दिया कि कमेटी न २५ रु सैकड़े तावान वापिस करने की सलाह देने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने इसको बहुत नापसन्द किया पर अन्त में उन्होंने कहा कि वे रैयतों के रुपये देने से बतिया राज्य को ही देना अच्छा समझते हैं। मैंने कहा कि

their insulting procedure of scattering broadcast pamphlet in the vernacular among an ignorant peasant population most unjustly putting planters in the wrong

The action will have much more serious results than Sir E. Gait anticipates and he his colleagues and the members of the so-called commission should be held collectively and individually responsible for any blood-shed that may ensue. Does the Bihar Government think for one moment that planters will accept without question the arbitrary finding of the Commission Will the European Defence Association see this injustice done to a section of their own community ? I know not.

अर्थात्— बिहार सरकार ने हिन्दी में छपे विज्ञापन बँटवाकर नीलवरों की बड़ी मानहानि की है। रैयतों के दिल में अब नीलवरों के प्रति कुछ भी आदर नहीं रह जायगा। इस कार्रवाई का नतीजा बहुत बुरा होगा जिसको सर ई० गेट नहीं समझते हैं। उनके सहकारियों तथा इस नामनिहादी कमीशन के सदस्यों के सर पर उस खूनखराबी का दोष जो इसकी कार्रवाई से हो सकती है मढ़ा जायगा। क्या बिहार सरकार यह समझती है कि नीलवर कमीशन के मनमानी निश्चय को बिना चूँ किये मान लेंगे? क्या यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन अपनी जाति पर इस अन्याय को सह लेगी? मैं समझता हूँ कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता है।

ता० १२-११-१७ को बिहार प्लैण्टर्स एसोसिएशन के मंत्री मि० जे० एन० विल्सन ने नीलवरों के वकील की सम्मति 'स्टेट्समैन' पत्र में छपने को भेजी। सम्मति यह थी कि इसमें सन्देह है कि बिहार सरकार को ऐसा अधिकार है या नहीं कि वह कानून बनाकर नील-कोठियाँ सम्बन्धी जो स्वत्व नीलवरों को प्राप्त है वह छीन ले। जो मुआहिदे पहले से चले आ रहे हैं उनको दोनों फरीक एकमत होकर तोड़ सकते हैं पर बिना इनकी राय के उन मुआहिदों पर सरकार से छपे हुए कानून का कुछ असर नहीं हो सकता। तावान के रुपये वसूल हुए तीन वर्ष से अधिक हो चुके और उनकी वसूली के लिए अदालतों में नालिश नहीं की जा सकती है। इसलिए नीलवरों से उसे वापिस दिलाना उनसे रुपये छीनकर रैयतों को देने के बराबर है।

किसी महाशय ने ता० २-११-१७ के 'स्टेट्समैन' में 'सौलीसीटस' (Solicitous) के नाम से मि० मैकफ़ी के पत्र पर आलोचना करते हुए यूरोपियन एसोसिएशन को यह राय दी कि वह इस विषय में कोई कार्रवाई अवश्य करे क्योंकि ऐसा न करने से जो हालत आज चम्पारन के नीलवरों की है वह कल दूसरी जगह के अंगरेजों की हो सकती है। इसी प्रकार ता० ४-११-१७ के 'स्टेट्समैन' में बिहार के किसी अंगरेज का

१ ता० १६-११-१७ को 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित।

बहुत लम्बा लेख लिखा जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी तथा बिहार गवर्नमेण्ट पर आक्षेप करते हुए जमींदार की शिकायत की और मि० इर्विन के तावान वसूल करने के विषय में कही हुई बातों का पोषण किया और नीलवरों की तारीफ की। इसके उत्तर में किसी एक सज्जन ने 'रुएट सीलम' (Ruat Caelum) के नाम से ता० २-१२-१७ के स्टेट्समैन' में एक पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने कमेटी पर जो आक्षेप किये गये थे उनका मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा—

If I have understood the writer of the article correctly his position is that status-quo-ante-Gandhi in Champaran, should be restored, because (1) it pays the *ryot* to grow Indigo (2) the Indigo planter is a good, considerate landlord (3) all planters and their relatives of military age are fighting for the Empire and (4) certain planters served Bettiah Raj many years ago To take these in inverse order most people acquainted with the facts, who are not planters, would think regarding the fourth that the planters in question got an ample *quid pro quo.* The third hardly appears to me apposite and the second would be generally admitted to be true, if proviso is added so long as such conduct does not interfere with his own interest. Some would add the rider that the planter is bound to behave thus in his own interest. The real crux lies in the first But after all the matter is set at rest by the action of the planter in taking *Tawan* Either the taking of *Tawan* was a highly discreditable transaction in which the planter made use of his influence and superior knowledge, to extract a large sum from the *ryot* for release which was worth nothing, or it does not pay the *ryot*, to grow Indigo at the rate fixed by the Bihar Planters Association. I have no doubt that the latter is the correct answer As for Sly Committee's recommendation with respect to *Tawan* there must be many who were surprised at the moderation."

अर्थात्— यदि मैंने उस लेख को ठीक समझा है तो उसका यही आशय है कि मि० गांधी के चम्पारन आने के पहले वहां की जैसी स्थिति थी वही फिर कर देनी चाहिए, क्योंकि (१) रैयत को नील बोने से लाभ है (२) नीलवर अच्छे जमींदार हैं (३) नीलवर और उनके सब रिश्तेदार जो लड़ने के योग्य हैं आज साम्राज्य के लिए लड़ रहे हैं और (४) कुछ नीलवरों ने बहुत वर्ष हुए बेतिया राज्य की बड़ी सेवा की थी। इन सब बातों पर यदि विचार किया जाय तो चौथी बात के विषय में जो लोग चम्पारन का हाल जानते हैं और जो स्वयं नीलवर नहीं हैं वे यही कहेंगे कि नीलवरों को बेतिया राज्य की सेवा करने का पूरा बदला मिल गया। मेरी समझ में तीसरी बात का विचारणीय विषय से कोई

सम्भव नहीं मालूम पड़ता और दूसरी बात में यदि यह और जोड़ दिया जाय कि जब तक उनको उससे नुकसान न होता है तो बहुत लोग इसे स्वीकार कर लेंगे। बहुतेरे तो यह भी जोड़ना चाहेंगे कि और नीलवरों का स्वार्थ भी इसी में है। तब रह गई केवल पहली बात। उसी में असल तत्व है पर इस विषय में तो नीलवरों ने तावान लेकर इस बात का भी निर्णय कर दिया। या तो तावान लेना बहुत ही शिकायत की कार्रवाई थी जिसमें नीलवरों ने अपने प्रभाव और ज्यादा जानकारी से रैयतों से बहुत रुपये नीलवरों से ऐसा छुटकारा देने के लिए, वसूल किये जिसका कुछ मूल्य ही नहीं था नील की जो कीमत बिहार प्लैन्टर्स एसोसिएशन ने मुकर्रर कर दी थी उससे रैयतों को नफा नहीं था। सफाई कमेटी ने जो सिफारिश तावान के विषय में की है वह बहुतों की समझ में बहुत ही कम है।

बहुतों का अनुमान है कि यह पत्र किसी उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित अंगरेज का लिखा हुआ था।

इसी प्रकार से जब एक ओर नीलवर और उनके पक्षपाती अखबारों में धूम मचा रहे थे और दूसरी ओर चम्पारन में छोटे-बड़े कितने ही मुकदमे नीलवर रैयतों के खिलाफ उनको दबाने की नीयत से चला रहे थे कि बिहार सरकार ने ता २९ ११ १७ को 'चम्पारन एग्रेरियन बिल' व्यवस्थापिका सभा में पेश किया।

बीसवाँ अध्याय

चम्पारन ऐग्रेरियन ऐक्ट

ऊपर कहा जा चुका है कि ता. २ नवम्बर को स्थानीय व्यवस्थापिका सभा में माननीय मि मौड ने चम्पारन ऐग्रेरियन बिल (Champaran Agrarian Bill) पेश किया। उन्होंने जो व्याख्यान इस अवसर पर दिया वह बड़े मार्के का था। उसमें उन्होंने ५ ६ वर्षों का चम्पारन के नील-सम्बन्धी झगड़ों का संक्षिप्त इतिहास जिसका विवरण ऊपर के अध्यायों में दिया गया है बयान किया और सरकारी कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई की न्याय्यता को दिखलाया। यहाँ पर यह कह देना उचित है कि जब नीलवरों ने कमेटी की रिपोर्ट के विषय में शोर-गुल किया तो माननीय मि ज बी रीड ने जो उस समय तक नीलवरों की ओर से व्यवस्थापिका सभा में सदस्य थे इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर मि ज. बी जेमसन नियुक्त हुए। सरकार ने नीलवरों के वकील मि पी केनेडी को भी एक विशेष सदस्य थोड़े दिनों के लिए बना लिया। इन दोनों महाशयों ने बिल के पेश होने के विरुद्ध बहुत कुछ कहा पर उनकी बातों का पूरा जवाब मि मौड ने दिया। अन्त में बिल एक विशेष कमेटी में विचारार्थ भेज दिया गया। इस कमेटी ने बिल में कुछ अदल-बदल करके सरकार में पेश किया और वह ता २ फरवरी १९१८ को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। अन्त में ता. ४ मार्च १९१८ की बैठक में माननीय मि मौड ने विशेष कमेटी की रिपोर्ट पेश की। उस दिन कतिपय हिन्दुस्तानी सदस्यों ने कई सुधार पेश किये और नीलवरों की ओर से मा मि जेमसन और मा मि केनेडी द्वारा भी कई सुधार पेश हुए। पर कोई मार्के का सुधार सरकार ने स्वीकार नहीं किया। एक बात उल्लेख-योग्य यह है कि जो बिल आरम्भ में पेश किया गया था उसमें एक धारा इस आशय की थी कि यदि सरकारी कर्मचारियों को यह मालूम हो कि कोई जमींदार अबवाब वसूल कर रहा है तो उन्हें अधिकार होगा कि बिना किसी के नालिश के भी वे उस विषय में तहकीकात करके यदि बात साबित होवे तो उस जमींदार को सजा कर सकते हैं। विशेष कमेटी ने इस धारा को बिल से निकाल दिया था। मा मि टैनर ने इस धारा को फिर बिल में शामिल कर देने का प्रस्ताव किया। सरकार की ओर से सब सरकारी सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार सम्मति देने की अनुमति दे दी गई थी। इसका फल यह हुआ कि प्रायः सभी गैरसरकारी और कुछ सरकारी सदस्यों ने मि टैनर के प्रस्ताव के विरुद्ध सम्मति दी और वह स्वीकृत नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध सम्मति दी उनका कहना यह था कि बंगाल टेनेंसी ऐक्ट में एक धारा है जिसके अनुसार रैयत के नालिश करने पर ही अबवाब लेनेवाले को सजा

हो सकती है और उसमें केवल चम्पारन के लिए कुछ बदलन की जरूरत नहीं है। अन्त में इसी बैठक में चम्पारन एग्रेरियन एक्ट (Champaran Agrarian Act) स्वीकृत हो गया।

इस एक्ट की मुख्य धाराओं का आशय है—

(१) यदि मालिक और रैयत के बीच में कोई एसा मुआहिदा हो जिसके अनुसार रैयत मालिक के लिए अपनी जोत के किसी हिस्से में कोई खास फसल उपजान के लिए बाध्य हो तो वह शर्त रद्द समझी जायगी। पर यदि इस शर्त पर रैयत न जमीन लिया हो और वह बाकी हो तो वह उसे वापस करन को बाध्य होगा।

(२) यदि किसी रैयत की मालगुजारी उक्त बन्धन से मुक्त कर दिय जान के कारण बढ़ा दी गई हो तो सैकड़े २ रु तुरकी लिया कोठी के रैयतों और २६ अन्य कोठियों के रैयतों के इजाफे में से कम कर दी जायगी और सर्वे खतियान को इसी के मुताबिक तरमीम कर दिया जायगा। यदि किसी कोठी के रैयत की जोत के विषय म सर्वे खतियान में यह दर्ज हुआ हो कि वह कोई खास जायदाद मालिक के लिए बोने को बाध्य है तो वह उससे मुक्त कर दिया जायगा। और उसकी मालगुजारी ऊपर के हिसाब स बढ़ाकर खतियान में दर्ज कर दी जायगी।

(३) खतियान को तरमीम करन के लिए सरकार की ओर से अफसर मुकर्रर किये जायेंगे और उनका हुक्म आखिरी समझा जायगा।

(४) यदि कोई रैयत चाहे तो मालिक के साथ एसा मुआहिदा कर सकता है कि वह मालिक को किसी खास जायदाद की नियत रकम ठीक कर देगा पर इसकी पाबंदी उसकी जोत पर नहीं होगी। इस प्रकार के मुआहिदे तीन वर्ष स अधिक के लिए नहीं होंगे और यदि रैयत शर्त के अनुसार उस चीज को नहीं पहुँचाये तो वह हरजाना का देनदार होगा केवल उसे नहीं बोने के लिए देनदार नहीं होगा।

इस ऐक्ट का सारांश यह है कि तीन कठिया प्रथा उठा दी गई। शरहबेशी म से २ सैकड़ा तुरकी लिया और २६ सैकड़ा अन्य कोठियों के रैयतों के लिए कम कर दिया गया। जुरकी नील करने की इजाजत रैयतों को दी गई और उनकी जोतों को नील के बन्धन से मुक्त कर दिया गया। अब इस विषय में लड़ाई कचहरियों म न हो इसका प्रबन्ध कर दिया गया।

जाँच कमेटी न यह भी सिफारिश की थी कि कोठीवालों ने जो तावान वसूल किया था उसम से एक चौथाई रैयतों को वापिस कर दिया जाय। सरकार न इसको अपने मन्तव्य में स्वीकार कर लिया था। इस मन्तव्य के अनुसार १८ कोठियों के वसूल किये हुए तावान में से १६ ३ १॥~)॥। बतिया राज्य में वापिस करा दिया गया। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि जो चौथ बतिया राज्य के नहीं थे उनमें से जो तावान वसूल हुआ

बीसवाँ अध्याय

चम्पारन एग्रेरियन ऐक्ट

ऊपर कहा जा चुका है कि ता. २ नवम्बर को स्थानीय व्यवस्थापिका सभा में माननीय मि. मॉड ने चम्पारन ऐग्रेरियन बिल (Champaran Agrarian Bill) पेश किया। उन्होंने जो व्याख्यान इस अवसर पर दिया वह बड़े मार्के का था। उसमें उन्होंने ५०-६० वर्षों का चम्पारन में नील-सम्बन्धी झगड़ों का संक्षिप्त इतिहास जिसका विवरण ऊपर के अध्यायों में दिया गया है बयान किया और सरकारी कमेटी की सिफारिशों पर कार्रवाई की आवश्यकता को दिखलाया। यहाँ पर यह कह देना उचित है कि जब नीलवरों ने कमेटी की रिपोर्ट के विषय में शोर-गुल किया तो माननीय मि. जे. बी. रीड ने जो उस समय तक नीलवरों की ओर से व्यवस्थापिका सभा में सदस्य थे इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर मि. जे. वी. जेमसन नियुक्त हुए। सरकार ने नीलवरों के वकील मि. पी. केनेडी को भी एक विशेष सदस्य थोड़े दिनों के लिए बना लिया। इन दोनों महाशयों ने बिल के पेश होने के विरुद्ध बहुत कुछ कहा पर उनकी बातों का पूरा जवाब मि. मॉड ने दिया। अन्त में बिल एक विशेष कमेटी में विचारार्थ भेज दिया गया। इस कमेटी ने बिल में कुछ अदल-बदल करके सरकार में पेश किया और वह ता. २ फरवरी १९१८ को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ। अन्त में ता. ४ मार्च १९१८ की बैठक में माननीय मि. मॉड ने विशेष कमेटी की रिपोर्ट पेश की। उस दिन कतिपय हिन्दुस्तानी सदस्यों ने कई सुधार पेश किये और नीलवरों की ओर से मा. मि. जेमसन और मा. मि. केनेडी द्वारा भी कई सुधार पेश हुए। पर कोई मार्के का सुधार सरकार ने स्वीकार नहीं किया। एक बात उल्लेख-योग्य यह है कि जो बिल आरम्भ में पेश किया गया था उसमें एक धारा इस आशय की थी कि यदि सरकारी कर्मचारियों को यह मालूम हो कि कोई जमींदार अबवाब वसूल कर रहा है तो उन्हें अधिकार होगा कि बिना किसी के नालिश के भी वे उस विषय में तहकीकात करके यदि बात साबित होवे तो उस जमींदार को सजा कर सकते हैं। विशेष कमेटी ने इस धारा को बिल से निकाल दिया था। मा. मि. रैनर ने इस धारा को फिर बिल में शामिल कर देने का प्रस्ताव किया। सरकार की ओर से सब सरकारी सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार सम्मति देने की अनुमति दे दी गई थी। इसका फल यह हुआ कि प्रायः सभी गैरसरकारी और कुछ सरकारी सदस्यों ने मि. रैनर के प्रस्ताव के विरुद्ध सम्मति दी और वह स्वीकृत नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध सम्मति दी उनका कहना यह था कि बंगाल टेनेंसी ऐक्ट में एक धारा है जिसके अनुसार रैयत के नालिश करने पर ही अबवाब लेनेवाले को सजा

पर सब समझदार जानते हैं कि रैयतों के मुद्दों में शूल दूर करने की चेष्टा सरकार ने पहली बार यहीं की थी और वह भी महात्मा गांधी जैसे विश्वविख्यात सुधारक के पूरे जोर लगाने पर। नीलवरों के स्वरचित अधिकारों और उसके पृष्ठ-पोषक एंग्लो-इण्डियन पत्रों की तुनुकमिजाजी पर चाहे इससे जो कुछ धक्का लगा हो पर साधारण प्रजा के हक में इसका फल बहुत अच्छा हुआ और जमाने के बाद चम्पारन की पीड़ित प्रजा के महान् कष्टों का बोझ पहले-पहल हल्का हुआ।

इक्कीसवाँ अध्याय

स्वयंसेवकों की सेवा

महात्मा गांधी का विचार है कि चम्पारन की प्रजा के दुःखों के कारणों में एक प्रधान कारण उनकी अशिक्षा है। आपका ध्यान शुरू में ही था कि जब तक उनकी मानसिक उन्नति न होगी उनका उद्धार किसी बाहरी शक्ति द्वारा होना असंभव है। यह बात भारतवर्ष भर के लिए लागू है पर चम्पारन में इसका रूप प्रत्यक्ष देखने में आता है। यहाँ की प्रजा एकदम लाचार है। उनका हृदय अत्यन्त दुर्बल और उनमें शिक्षा का पूर्ण अभाव है। इन्हीं विचारों से आपने निश्चय कर लिया था कि और दुःखों से यदि उनका छुटकारा हो भी जावे तो वे इस शक्ति को कायम रख नहीं सकेंगे और दूसरे प्रकार के दुःखों के बन्धन में फिर भी जकड़ जायेंगे। ऊपर कहा जा चुका है कि महात्मा जी के आगमन से चम्पारन की प्रजा में एक विचित्र प्रकार की स्वतन्त्रता और निर्भीकता दीखने लगी थी पर यह स्थायी थी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता है। उनके रहन-सहन में भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। गाँवों में गन्दगी—रास्तों में गन्दगी—जहाँ देखिए वहीं गन्दगी। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वे आपस में मिलकर गाँव के किसी छोटे से रास्ते को भी मरम्मत कर लें। किसी प्रकार की बीमारी फैलने पर सभी निस्सहाय और निराश्रय होकर काल के शिकार हो जाते हैं—दवा का कोई प्रबन्ध नहीं। जहाँ सफाई का ही ठिकाना नहीं वहाँ दवा-दारू की कौन पूछे।

इसीलिए महात्मा जी का यह विचार था कि यहाँ के लोगों में शिक्षा प्रचार का भी प्रबन्ध होना उतना ही आवश्यक था जितना उनके कष्टों से उद्धार करना। कमेटी के कार्यारम्भ के पहले ही आपने कुछ मित्रों के पास इस विषय में लिखा था कि कमेटी का काम समाप्त हो जाने के बाद इस शिक्षा के कार्य के लिए किस प्रकार के स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। यह आपके एक पत्र से जान पड़ता है जो कि आपने अपने एक मित्र के पास

अर्थात्—"इन स्वयंसेवकों का काम बहुत महत्वपूर्ण और स्थायी होगा और इसी लिए यही हमारे यज्ञ की अत्यन्त आवश्यक और अन्तिम पूर्णाहुति होगी। हमें ऐसे स्वयं सेवक चाहिएँ जो चलान विश्वसनीय और परिश्रमी हों जिनको इसमें भी कोई उज्र न हो कि कुदाल लेकर गाँवों में नये रास्ते बनायें अथवा पुराने रास्ते की मरम्मत करें—गाँव की मोरियों को साफ करें और रैयत और जमींदार के आपस के व्यवहार में रैयत को ठीक-ठीक राह बतावें। इस प्रकार का काम ६ महीने तक चलने से इसमें संदेह नहीं कि इससे रैयतों की ही नहीं वरन् स्वयंसेवकों और देश की भी भलाई होगी।

जब जाँच कमेटी की रिपोर्ट हो चुकी तो महात्मा जी ने इस ओर ध्यान दिया और ता० ८-११-१७ को आप बम्बई प्रान्त से कुछ स्वयंसेवकों को साथ लेकर चम्पारन में फिर पधारे। आपकी इच्छा थी कि इस शिक्षा के कार्य में नीलवर सहायता करें और आप सब कोठियों के देहातों में एक या अधिक पाठशालाएँ खोलें पर यह इच्छा पूरी नहीं हुई। तब आपने निश्चय किया कि यदि नीलवर अपने देहातों में पाठशाला के लिए स्थान नहीं देंगे तो दूसरी जगहों में ही पाठशालाएँ खोली जायें। मोतीहारी से प्रायः २ मील दूर पर पूर्व दिशा में एक गाँव बड़हरवा लखनसेन है जो बेतिया राज्य के ठीके कब्जे में है और वहाँ किसी कोठी का अधिकार नहीं है। पहले इसी गाँव में पाठशाला खोलने का निश्चय हुआ। वहाँ के एक सहृदय देश-हितैषी सज्जन बाबू शिवगुलाम लाल ने अपने तैयार मकान को इस कार्य के लिए दे देना और अन्य प्रकार की सहायता देना स्वीकार किया। वहीं ता० १३-११-१७ को चम्पारन में महात्मा जी ने पहली पाठशाला की स्थापना की। उस पाठशाला में बम्बई के श्रीयुत बबन गोखले उनकी विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती अवन्तिका बाई गोखले महात्मा जी के सुयोग्य कनिष्ठ पुत्र श्रीयुत देवदास गांधी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद साबरमती सत्याग्रह आश्रम से छोटेलाल तथा सुरेन्द्रजी दो स्वयंसेवक और आये और वहीं रहकर काम करने लगे। श्रीयुत बबन गोखले बम्बई के एक प्रसिद्ध विलायत से शिक्षा पाये हुए इंजीनियर हैं और आपकी स्त्री भी विलायत से भ्रमण कर आई हैं और चम्पारन आने के पूर्व बम्बई प्रान्त में शिक्षा के काम में ही अपना समय बिताती थीं और आज भी इसी काम में लगी हैं।

ता० २०-११-१७ को भितिहरवा गाँव में भी एक पाठशाला खोली गई। यह गाँव नेपाल की तराई के पास बेतिया से प्रायः ४ मील दूर पर पश्चिमोत्तर दिशा में है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बेलवा कोठी है जिसके मैनेजर मि० ए० सी० ऐमन हैं। उस गाँव में एक छोटा-सा मन्दिर है जिसमें एक साधु रहते हैं और थोड़ी-सी जमीन उस मन्दिर को लाखेराज मिली है। उसी जमीन में से थोड़ी-सी जमीन साधु बाबा ने पाठशाला के लिए दे दी और वहीं पर फूस के झोंपड़े बनाकर पाठशाला खोल दी गई। इस पाठशाला में बम्बई प्रान्त के बेलगाँव जिले के वकील श्रीयुत सदाशिव लक्ष्मण सोमन बी० ए० एल-एल० बी० और गुजरात के उत्साही नवयुवक श्रीयुत बालकृष्ण योगेश्वर पुरोहित तथा महात्मा जी की धर्म

पत्नी श्रीमती कस्तूरीबाई गांधी तथा डा देव रहने लगे।

इसी प्रकार मधुबन के सुप्रसिद्ध सेठ धनश्याम दास जी की सहायता से आपके एक मकान में ता १७-१ १८ को महात्मा जी की अध्यक्षता में सभा कर एक तीसरी पाठशाला खोली गई। इस पाठशाला में गुजरात के रहने वाले और साबरमती सत्याग्रह आश्रम के एक अध्यापक श्रीयुत नरहरि द्वारकादास पारख बी ए एल-एल बी और उनकी स्त्री श्रीमती मणिबाई पारख तथा महात्मा जी के मंत्री श्रीयुत महादेव हरिभाई देसाई बी ए एल-एल. बी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गाबाई देसाई और पूना के महिला आश्रम (Women University) के रजिस्ट्रार श्रीयुत विवेकर महाशय की बहन श्रीमती आनन्दीबाई रहने लगीं। कुछ दिनों तक भुकिया के श्रीयुत विष्णु सीताराम रणदिवे उर्फ अप्पा जी और प्रो कृपलानी ने भी यहाँ रहकर काम किया। प्रो कृपलानी को चम्पारन में रहते समय एक बार जेल भी जाना पड़ा जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

यह हमारे लिए बड़ी लज्जा और दुःख की बात है कि जब भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों के ऐसे सुशिक्षित और प्रतिष्ठित सज्जन इस काम के लिए आये। हमारे प्रान्त से आरम्भ में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस काम को उठाये। इस कलंक को धुलने का सौभाग्य और यश बाबू धरणीधर एम ए बी एल महाशय को ही प्राप्त हुआ। महात्मा जी के साथ सबसे पहले चम्पारन में पधारने का भी इन्हीं को गौरव प्राप्त है। यह सपत्नीक मधुबन पाठशाला में छ महीनों तक शिक्षा का काम करते रहे।

इन सज्जनों के अतिरिक्त अन्य स्वयंसेवक भी आये जिनमें सत्याग्रह आश्रम के श्रीयुत बबनलाल भीम जी स्वामी और काठियावाड़ के श्रीयुत प्राणलाल प्रभुराम जोशी तथा सारन जिले के श्रीयुत रामरक्षा ब्रह्मचारी और बाबू श्याम देव सहाय भी इन्हीं पाठशालाओं में जहाँ-तहाँ रहने लगे। इनके अलावे कई वैतनिक शिक्षक भी आवश्यकता पड़ने पर रखे गये।

इन पाठशालाओं का उद्देश्य और उनकी पाठन-शैली को महात्मा जी ने एक सरकारी कर्मचारी के पास इन शब्दों में बतलाया था—

In the schools I am opening, children under the age of 12 only are admitted. The idea is to get hold of as many children as possible and t give them an all round education, *i.e.*, good knowledge of Hindi or Urd and, through that medium, of Arithmetic and rudiments of History and Geography knowledge of simple scientific principles and some industrial training No cut and dried syllabus has yet been prepared because I am going on an unbeaten track. I look upon our present system with horror and distrust. Instead of develop*ing the moral and the mental faculties of the little children it dwarfs* them. I my experiment whilst I shall draw upon what is good in it,

I shall endeavour to avoid the defects of the present system. The chief thing aimed at is contact of children with men and women of culture and unimpeachable moral character. That to me is education. Literary training is to be used merely as a means to that end. The industrial training is to be designed for the boys and the girls who may come to us for an additional means of livelihood. It is not intended that on completing their education they should leave their hereditary occupation but make use of the knowledge gained in the school to refine agriculture and agricultural life. Our teachers will also touch the lives of grown-up people and if at all possible penetrate the Purdah. Instruction will be given to grown-up people in hygiene and about the advantages of joint action, for the promotion of communal welfare, such as, the making of village roads proper, the sinking of wells, etc. And as no school will be manned by teachers who are not men or women of good training, we propose to give free medical aid as far as is possible."

अर्थात्— 'जिन स्कूलों को मैं खोल रहा हूँ उनमें १२ वर्ष से कम उम्र के ही बच्चे लिए जायँगे। हमारा ख्याल है कि जितने लड़के मिल सकें उन्हें सब बातों की शिक्षा दी जाय अर्थात् हिन्दी या उर्दू का पूरा ज्ञान और उसी के द्वारा हिसाब, इतिहास और भूगोल की मोटी-मोटी बातें, विज्ञान के मूल सिद्धान्तों का ज्ञान और थोड़ी-सी शिल्पकारी। इसके लिए कोई कड़ा-कड़ा पाठ्यक्रम निश्चय नहीं किया गया है, क्योंकि मैं नयी राह पर चल रहा हूँ। आजकल की परिपाटी को मैं पसन्द नहीं करता। बच्चों की मानसिक शक्ति बढ़ाने तथा उनके चरित्र सुधारने के बदले यह परिपाटी उन्हें दबाती है। उस परिपाटी में जो गुण हैं उन्हें मैं ले लूँगा और उसके दुर्गुणों से बचने का प्रयत्न करूँगा। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे सुशिक्षित और चरित्रवान पुरुषों और स्त्रियों के सम्पर्क में रहें। मैं इसी को शिक्षा कहता हूँ। लिखना-पढ़ना भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए सिखाया जायगा। शिल्पकारी उन्हीं लड़कों और लड़कियों को सिखाई जायगी जो अपने जीवन-निर्वाह के एक और भी जरिये के लिए हमारे यहाँ आवेंगे। मेरा मतलब यह नहीं है कि वे इस प्रकार की शिक्षा पाकर अपना खानदानी पेशा अर्थात् गृहस्थीके काम को छोड़ दें, बल्कि मेरी इच्छा है कि वे अपनी विद्या को कृषि और कृषकों के जीवन की उन्नति में लगावें। हमारे शिक्षकों का प्रभाव सयानों पर भी पड़ेगा और यदि हो सका तो वे पर्दे के भीतर भी अपना प्रभाव को पहुँचावेंगे। सयानों को स्वास्थ्य-रक्षा का ज्ञान दिया जायगा और आपस में मिलकर काम करने से क्या लाभ है यह भी बताया जायगा—जैसे गाँव में सड़कों की मरम्मत, कराना, कुओं का खोदना इत्यादि। जहाँ तक हो सकेगा लोगों को मुफ्त दवा इलाज भी दी जायगी क्योंकि हमारे सभी शिक्षक चाहे वह पुरुष हों या स्त्री सुशिक्षित रहेंगे।

इन्हीं सज्जनों के अनुसार बड़हरवा पाठशाला में गोखले महाशय के प्रबन्ध में आप १४ बच्चे शिक्षा पाने लगे और श्रीमती अवन्तिकाबाई गोखले ४ लड़कियों और स्त्रियों को शिक्षा देने लगीं। इस पाठशाला में लड़कों को कपड़ा बुनना भी सिखाया जाता था और कुओं तथा सड़कों को साफ रखने के लिए गाँव के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। श्रीयुत गोखले तथा श्रीमती अवन्तिकाबाई स्वयं मैले को साफ करती थीं जिसका प्रभाव वहाँ के रहनेवालों पर अधिक पड़ने लगा। बच्चों को किस प्रकार साफ-सुथरा रखना चाहिए इसकी भी शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी। यह पाठशाला इस समय तक कायम है।

भितिहरवा पाठशाला एक ऐसी जगह स्थापित है जहाँ शिक्षा का पूरा अभाव है। वहाँ की आबहवा भी अच्छी नहीं है। इस कारण वहाँ लड़कों की संख्या ८ से अधिक नहीं बढ़ी पर वहाँ डाक्टर देव ने दवा बाँटकर तथा सफाई की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें बड़ी सहायता की। पाठशाला स्थापित होने के कुछ ही दिनों के बाद वहाँ के झोपड़ों में एक दिन आधी रात को आग लग गई और वे जलकर खाक हो गये। उस समय वहाँ पर डाक्टर देव, श्रीयुत सोमन जी, श्रीयुत अप्पा जी तथा श्रीमती गांधी रहती थीं। पाठशाला बस्ती से कुछ ही दूर पर रहने के कारण समय पर मदद न पहुँच सकी। डाक्टर देव का विश्वास था कि आग किसी की लगायी हुई थी। पर इस विषय में अनुसंधान में अधिक समय नहीं नष्ट करके डाक्टर देव तथा सोमन जी और अप्पा जी ने उसी स्थान पर एक पक्का मकान तैयार करने का निश्चय कर लिया और बात की बात में परिश्रम करके अपने सरों पर ईंटें ढोकर एक पक्का मकान तैयार कर दिया जो इस समय तक वर्तमान है।

पहली सज्जनों के चले जाने के बाद महाराष्ट्र से दो स्वयंसेवक जिनके नाम श्रीयुत नारायण लक्ष्माजी कातगोडे जिनको पुण्डलीक जी भी कहते हैं तथा श्रीयुत एकनाथ वासुदेव भीरे हैं और भी आये और भितिहरवा पाठशाला में रहकर बड़ी निर्भीकता से काम किया। पर पुण्डलीक जी बिहार सरकार की आँखों में गड़ने लगे और थोड़े ही दिनों में भारत रक्षा कानून के अनुसार प्रान्त से बहिष्कार की आज्ञा पाकर वहाँ से चले गये। पुण्डलीक जी के चले जाने के बाद भितिहरवा पाठशाला में काम करने के लिए एक दूसरे महाराष्ट्री सज्जन जिनका नाम आनन्द सखाराम है आये और वहाँ रहकर कई महीना तक काम करते रहे।

मधुबन पाठशाला में भी पहली सज्जनों द्वारा बहुत कुछ काम हुआ और १ से अधिक लड़के शिक्षा पाते रहे। वहाँ भी लड़कियों के पढ़ाने के लिए एक पाठशाला खोली गई जिसमें प्रायः ८ लड़कियाँ श्रीमती आनन्दीबाई की अध्यक्षता में शिक्षा पाने लगीं। पहली सज्जनों के चले जाने के बाद श्रीयुत एकनाथ वासुदेव भीरे तथा सारन जिले के श्रीयुत श्याम देव नारायण जी कई महीने तक वहाँ का काम करते रहे। इस पाठशाला के खर्च का प्रायः कुल भार सेठ घनश्याम दास ने ले लिया। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि यह पाठशाला अब बन्द हो गई है।

उपर्युक्त प्रथा के अनुसार इन पाठशालाओं में हिन्दी तथा उर्दू द्वारा शिक्षा दी जाती थी। महात्मा जी स्वयं समय-समय पर इन पाठशालाओं को देखने के लिए जाया करते थे और जिन बातों की त्रुटि पाते थे उन्हें सुधारने की सलाह देते थे। डाक्टर देव भी इन पाठशालाओं का समय समय पर निरीक्षण किया करते थे तथा सफाई पर व्याख्यान देते और मरीजों को दवा बाँटते थे। यद्यपि पहली मंडली के स्वयंसेवक केवल छः महीने तक इन पाठशालाओं में रहे तो भी उनका प्रभाव केवल पाठशाला के छात्रों ही पर नहीं वरन् जैसी महात्मा जी ने आशा की थी वहाँ के आसपास के रहने वालों पर भी खूब पड़ा यहाँ तक कि इन गाँवों की पर्दे में रहने वाली स्त्रियाँ भी इस लाभ से वंचित न रहीं। यदि यह काम इस प्रकार से कुछ दिनों तक और जारी रहता तो केवल चम्पारन ही की नहीं वरन् बिहार के अन्यान्य जिलों की भी हालत सुधर जाती।

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे पाठक यह न समझें कि महात्मा गांधी ने शिक्षा का काम जाँच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आरम्भ किया। शिक्षा ग्रहण करनेवालों के लिए तो काम उसी दिन आरम्भ हो गया जिस दिन कि आपने बिहार में पदार्पण किया। जिन लोगों को आपके साथ चम्पारन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनको आपने एक नई दुनिया दिखला दी। उनमें एक नवजीवन का संचार कर दिया। जब हम लोग भी आपके साथ स्वराज्य सम्बन्धी बातें छेड़ते थे तब आप अक्सर यही कहा करते थे कि मैं स्वराज्य का ही काम कर रहा हूँ। हम लोग इसके अर्थ उस समय ठीक नहीं समझ सकते थे पर कार्य समाप्त होने के बाद आज यह सच्चे दिल से कहा जा सकता है कि सचमुच ही वह स्वराज्य का ही काम था। जब आप मुजफ्फरपुर में पहुँचकर पास के एक गाँव में गये थे और वहाँ के लोगों और उनके छोटे बच्चों की हालत देखी थी तब उन्होंने कहा था कि जब इनकी दशा सुधरेगी तभी हमको स्वराज्य हो सकता है। उन्हीं गरीब किसानों की दशा सुधारने में आप चम्पारन में लगे हुए थे। साथ ही आपका विचार था कि इस महत्त्वपूर्ण काम के लिए बहुत स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, इसलिए जितने ऐसे काम में आ जायें उतना ही अच्छा होगा पर इस काम के सभी अधिकारी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार की सेवावृत्ति के लिए सत्य ग्रहण करना, भय छोड़ना और गरीबी अख्तियार करना आवश्यक था। इसलिए महात्मा जी ने अपने सहकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। जब हम लोग पहले-पहल चम्पारन पहुँचे तो हम में वकीलों के साथ नौकर थे, रसोई बनाने के लिए एक रसोइया था। थोड़े ही दिनों में महात्मा जी की इच्छानुसार नौकरों की संख्या कम कर दी गई और कुछ दिनों के बाद सिवाय एक के और सब हटा दिये गये। फल इसका यह हुआ कि जिन लोगों ने अपने जीवन में एक लोटा जल कुएँ से नहीं निकाला था अथवा जिन्होंने शायद एक गमछा भी नहीं धोया था उन्हीं लोगों ने महात्मा जी के सम्पर्क में थोड़े दिनों में ही एक दूसरे को सहारा देना, पानी भी भरने लगे, बर्तनों को साफ करने का अभ्यास डाल लिया। हम लोग ये सब काम स्वयं कर लेते थे। घर में झाड़ू देना और घर साफ रखना अपने

कार मौजे कालेबाबनगर तथा मोनहर, परगने सेमरौन इलाके सबरजिस्ट्रार डाका वो डिवीजन मोतीहारी जिला चम्पारन के हैं।

चू मिन मोकिर को बकामा गाड़ी व कोठी तेलहरा तथा मोनहर, परगने सेमरौन इलाके थाने डाके जिला चम्पारन को मंजूर है इसलिए मोबलिग १५॥≈) पर तकावी पेशगी के निस्फ उसका मोबलिग ७॥।=) होता है अज हजूर मि पी एच स्मिथ साहेब मालिक वा मोख्तारआम जानिब मि आर विलियम फौस्ट साहेब से लेकर बखुशी रजाय वो रगबत अपने सट्टहाजा अज इब्तदाए सन् १३ ४ समाएत सन् १३१५ फसली मैयादी बारह साला लिखकर इकरार हसब जैल करते हैं वो लिख देते हैं।

नं १—हम वा वारिसान व्लाह कायम मोकामियान मिनमोकिर अज इब्तदाए तहरीर सट्टा याने सन् १३ ४ फसली लगायत सन् १३१५ फसली ऐयाम कावस नील मे लगायत आखिर कावस नील मजकूर वो वक्त महाई नील इब्तदाए शुरू मोरहन लगायत खत्म होने कुटी नील के एक मंजील गाड़ी वो दो रास बैल मजबूत साजोसामान तैयार वो मौजूद रखकर हसबहुक्म वा हसबमन्शाह अहालियान कोठी के मुताबिक दस्तूर कोठी काम अनजाम दिया करेंगे।

नं २—ऐयाम महाई में कावसाव नील खत असामियान वो जीरात देहात का लादकर हौज में बोझाई करा देंगे और सीठ हौज से उठाकर गाड़ी पर लादकर जहाँ हुक्म अहालियान देंगे वहाँ लेजाकर गिरा देंगे और मजदूरी लदाई वो पहुँचाई याने बोझाई दरम्यान नील काफी बैलह मनपोख्ता मुबलिग २) र वा सीठ की बैलहे मनपोख्ता यवाजी ॥।)॥ आना वा फी दिया टोरी यवाजी तीन आना ≈) वा मौतफरकात काम फी रोज यवाजी पाँच आना ।=) कोठी से पावेंगे।

नं ३—अगर अन्दर मैयाद इस सट्टे के किसी वजह से किराया मामूली बन्दोबस्ती गाड़ी के मौसरह सट्टे हाजा से अधिक हो जावे याने दूसरे लोगों का किराया ज्यादे मिले ताकि बजरिये सट्टेफाडी कोठी हाजा में चलावे वा दस्तूर मजीम इस वक्त का तब्दील हो जाय तो हम मोकिरान वा वारिसान वो कायम मोकामियान मिनमोकिर मजदूरी बमौजिब नया दस्तूर के पावेंगे।

नं ४—मिनमोकिर वा वारिसान व्लाह कायम मोकामियान मिनमोकिर अन्दर मैयाद अरसाम सट्टे अगर कभी कोठी के काम में गाड़ी वो बैल हाजिर न लावे तो अख्तियार अहालियान कोठी मजकूर को होगा कि किराया की गाड़ी मुकर्रर करके अन्जाम काम करावें और जो इस्तराजी किराया मजकूरेबाला से अधिक खर्च पड़ेगा दुगुना किराया हसब मौसरह नम्बर २ और नम्बर ३ तक हम वा वारिसान वा कायम मोकामियान मिनमोकिर को देना होगा।

नं ५—मोबलिग १५॥≈) जान पर तकावी मजकूरेबाला बतौर पर अमानत बिला सूदी ता मैयाद सट्टा हाजा कायम रहेगा और बाद अज इनकजाय मैयाद सट पर

जमानत नकद हम या वारिसान वाह कायम मोकामियान मिनमोकिर अदाय करेंगे अगर अदाय नहीं करें तो ता अदाय कर जमानत साटे हाजा में शामिल बराम्त बहाल बरकरार रहेगा ।

न ६—अगर मिनमोकिर वाह वारिसान वो कायम मोकामियान मिनमोकि अगर मैयाद साटे हाजा के हसब बरामद सदर गाडी बैल हाजिर न करें और कोठी दूसरी गाडी किराये की नहीं मिले तो मिनमोकिर वो वारिसान वो कायम मोकामिया मिनमोकिर तावान बहिसाब एक रुपया एवोमिय बाबत हर रोज गैरहाजिरी जिसका पता किताब हाजिरी से कोठी के मिलेगा कोठी को देवें वो मिनमोकिर वारिसान वो कायम मोकामियान मिनमोकिर हसब बरामद मौजबे साटा हाजा पा कोठी देनहुरा में मजरा देंगे और चाहे कोई उज्र तकरीर वो तकरीर मालिक या मैनेजर को या अहलियान कोठी का नहीं करेंगे ।

न ७—मिनमोकिर या वारिसान वाह कायम मोकामियान मिनमोकिर गा वो बैल हमेशा दुरुस्त रखेंगे वो कभी फरोख्त नहीं करेंगे । अगर किसी वजह से गाडी बैल काबिल काम के नहीं रहे तो फौरन दूसरी गाडी या बैल तैयार वो मौजूद करेंगे वाजे रहे कि मिनमोकिर या वारिसान वाह कायम मोकामियान मिनमोकिर ता मैय साटे हाजा या वाद इनकजाय मैयाद ता अदाय कर जमानत कोई दूसरी जगह साटे गा का नहीं लिखेंगे । इस वास्ते यह चन्द कलमें बतरीक साटे गाडी मैयादी बाएज सालम लिख दिया के वक्त पर काम आवे । ता २ मार्च सन् १८९७ ईस्वी ।

(३) शरहबेसी का इकरारनामा

नम्बर	नाम सामामी मौताबिक समावन्दी	बिगहा
८	शिवराज अहीर	५।१।४
५६	रामप्रसाद अहीर	।।३।१

(२) बम्बई प्रान्त के स्वयंसेवकों की नामावली

(१) डाक्टर हरि श्रीकृष्णदेव एल. एम. एस. — धूलिया
(२) श्रीयुत बबन गोखले — बम्बई
(३) महादेव हरि भाई देसाई — सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद
(४) नरहरि द्वारकादास पारीख
( ) बजलाल भीम जी रूपाणी
(६) छोटेलाल जैन
(७) देवदास गांधी
(८) सुरेन्द्र जी
( ) बालकृष्ण योगेश्वर पुरोहित
(१) सदाशिव लक्ष्मण सोमन बी० ए० एल-एल बी — बेलगांव
(११) नारायण अम्बाजी काटगडे उर्फ पुण्डलीक जी — बेलगांव
(१२) विष्णु सीताराम रणदिवे उर्फ अप्पा जी — धूलिया
(१३) एकनाथ वासुदेव भीड़े — धूलिया
(१४) प्राणलाल प्रभुराम जोशी — सिर्सिया भावनगर
(१५) श्री शंकरदेव बी० ए० — पूना

स्वयंसेविकाएं

(१) श्रीमती कस्तूरीबाई — महात्मा जी की धर्मपत्नी
( ) श्रीमती अवन्तिकाबाई — श्रीयुत बबन गोखले की धर्मपत्नी
(३) श्रीमती दुर्गाबाई — श्रीयुत महादेव देसाई की धर्मपत्नी
(४) श्रीमती मणिबाई — श्रीयुत नरहरि जी की धर्मपत्नी
( ) श्रीमती आनन्दीबाई — महिला आश्रम पूना
(६) श्रीमती सीतारानी साहू — सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी के मेम्बर श्रीयुत लक्ष्मीनारायण साहू की धर्मपत्नी